



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 198) पटना, बुधवार, 24 मार्च 2021

x'g foHkx

अधिसूचना

20 मार्च 2021

सं० 6/अग्नि०से०-01-11/2017 (खण्ड-III)-2706/गृ०आ०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

v/;k;&I&ikjfhkd

1- l{f{lr uke] foLrkj ,o ikjHk A&

- यह नियमावली "बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- ifjHk"kk,%& bl fu;ekoyh e] t c rd lnHk e] vU;Fkk vif{kr u gk %&

- (क) Mvf/kfu;e** से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014);
- (ख) Mi:'kk lh foHkx** से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गृह विभाग ;
- (ग) Megkfun'kd** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवा ;
- (घ) Mfun'kd** से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा-(1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा;
- (ङ.) Mft yk nMk/kdkjh** से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 20 की उप धारा-1 के अधीन जिला दंडाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ;
- (च) Mifyl v/kh{k d** से अभिप्रेत है राजस्व अथवा पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक ;
- (छ) MjkT; vfxu'keu inkf/kdkjh** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ग्रुप-क का पदाधिकारी ;
- (ज) Mvij fun'kd** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी ;

- (झ) *mi fun'kd*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक-सह- प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी ;
- (ञ) *ikpk;** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 एवं 38 (1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के स्तर के अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के प्राचार्य ;
- (ट) *lgk;d ieMyh; vfxu'keu inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी;
- (ठ) *ftyk vfxu'keu inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जिला अग्निशमन पदाधिकारी ;
- (ड) *lgk;d ftyk vfxu'keu inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-6 (3) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी ;
- (ढ) *vueMy vfxu'keu inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-6 (3) के अधीन अनुमंडल स्तर के दमकल केन्द्र (फायर स्टेशन) का प्रभारी पदाधिकारी ;
- (ण) *vfxu'kkey; inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-6 (3) के अधीन नियुक्त दमकल केन्द्र (फायर स्टेशन) का प्रभारी पदाधिकारी ;
- (त) *mikf/kdkjh lc&vkfQlj*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-6 (3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा का अग्निशामालय पदाधिकारी से ठीक एक स्तर न्यून स्तर का पदाधिकारी ;
- (थ) *ukfer inf/kdkjh*** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट कार्य हेतु अग्निशमन सेवा के प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मि ;
- (द) *fu;=h ikf/kdkj*** से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा के निदेशक ;
- (ध) *v/khuLFk dk;pkyu depkj*** से अभिप्रेत है अग्नि/अग्नि चालक/प्रधान अग्नि/प्रधान अग्नि चालक और समतुल्य पक्ति का अग्निशमन सेवा का कोई सदस्य ;
- (न) *LFkkb vk'n'k ,o i'kk lfud vun'l*** से अभिप्रेत है सरकार/महानिदेशक द्वारा अथवा उनके पूर्वानुमति से निदेशक द्वारा निर्गत स्थाई आदेश एवं प्रशासनिक अनुदेश ;
- (प) *lox*** से अभिप्रेत है पदों का समूह ;
- (फ) *ifyl gLrd*** से अभिप्रेत है बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 तथा इसमें बिहार पुलिस अधिनियम-2007 (बिहार अधिनियम-1, 2007) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पुलिस हस्तक एवं नियम सम्मिलित होगा।
- (ब) *Hkkjrh; jk"Vh; Hkou lfgr*** (National Building Code of India) से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* का भाग-4 “अग्नि एवं जीवन सुरक्षा” (Fire and life safety) ;
- (भ) *vfxu lj{kk iek.k i=*** से अभिप्रेत है किसी भवन या परिसर का अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के मानक स्तर के अनुपालन हेतु इस नियमावली के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के विहित प्राधिकार द्वारा निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र ;
- (म) *vk;kx*** से अभिप्रेत है राजपत्रित पदों के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग तथा अराजपत्रित पदों के संदर्भ में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ;
- (य) *LFkkuh; ikf/kdkj*** से अभिप्रेत है बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम, 2006, बिहार राज्य पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य सम्बंधित अधिनियमों के अधीन घोषित प्राधिकार ;
- (र) इस नियमावली में अप्रयुक्त/प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं पदों के अर्थ वही होंगे जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 में उनके लिए निर्धारित किये गए हैं ;
- (ल) *vukifl iek.k i=*** से अभिप्रेत है विहित प्राधिकार द्वारा निर्गत अग्नि सुरक्षा एवं निवारण अनापत्ति प्रमाण पत्र ;
- (व) *vfxu v.d{k.k*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा- 33 के अन्तर्गत किसी भी भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के हेतु नामित प्राधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण ;
- (श) *fu;ekoyh*** से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021;

v/;k;&II
LFkkiuk ,o i'kklu

3- *lxBuA* अधिनियम की धारा-5 एवं 9 के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा कार्य की सुचारुता, व्यवसायिक दक्षता, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से बिहार अग्निशमन सेवा का विस्तार क्षेत्र, मुख्यालय, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, थाना स्तर पर निम्न प्रकार होगा:-

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ राज्य मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक के नियंत्राधीन निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा का कार्यालय होगा जिसमें यथा आवश्यक अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी होंगे, जो अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन, लेखा एवं प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अभियान, सामग्री एवं उपकरण (प्रोविजन), तथा कल्याण का कार्य करेंगे। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बिहार राज्य के सभी राजस्व "प्रमंडल" बिहार अग्निशमन सेवा का "अग्नि क्षेत्र" कहा जाएगा। प्रत्येक अग्नि क्षेत्र का प्रभारी उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी होगा, जिनके यथानिर्दिष्ट नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में प्रमंडल स्थित सभी अग्निशमन कार्यालय एवं अग्निशामालय होगा। इनके सहायतार्थ, राज्य सरकार, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी (Bihar Fire Training Academy) में उप निदेशक स्तर के प्राचार्य होंगे, जो संस्थान के नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य करेंगे। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ बिहार राज्य का प्रत्येक राजस्व जिला बिहार अग्निशमन सेवा का अग्नि प्रमंडल कहा जाएगा। प्रत्येक अग्नि प्रमंडल का प्रभारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी होगा, जो यथाविहित विधि से जिला के सभी अग्निशामालयों (दमकल केन्द्रों) के नियंत्रण के साथ-साथ निर्धारित दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ प्रत्येक अग्नि प्रमंडल का राजस्व अनुमंडल "अग्नि अनुमंडल" कहा जाएगा, जो अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के प्रभार में रहेगा। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अग्निशामालय स्तर का पदाधिकारी होगा, जो अपने अग्निशामालय के दायित्वों के अतिरिक्त अग्नि अनुमंडल स्थित सभी अग्निशामालयों (दमकल केन्द्र) एवं थाना स्तर के दमकल केन्द्र का पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होगा।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ सभी अग्निशामालयों तथा अग्नि अनुमंडल, अग्नि प्रमंडल, अग्नि क्षेत्र के कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थान एवं निदेशक के कार्यालय में अग्निशामालय पदाधिकारी, उपाधिकारी (Sub-Officer), प्रधान अग्नि, प्रधान अग्नि चालक, अग्नि, अग्नि चालक आदि की संख्या एवं पदस्थापन का निर्धारण स्थाई अग्निशमन सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (Standing Fire Advisory Council) के द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकता के आकलन के अनुरूप सरकार के अनुमोदन से निदेशक करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-3,4,5(क) एवं 6 के अन्तर्गत महानिदेशक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का एकल बल (बन्द संवर्ग) होगा जो निरूपित किये जा रहे निम्न संवर्गों एवं पदों में विभाजित होगा:-

ojh; lok d in@lox

¼d½ ojh; lok lox¼jkt if=r½-

<i>Øelæ</i>	<i>uke ,o inuke</i>	<i>lh/kh fu;fDr@ikUufr dk in</i>	<i>inh; led{krk</i>
01	निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति का पद	पुलिस उप-महानिरीक्षक के समकक्ष
02	अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष
03	उप-निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष
04	सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष
05	जिला अग्निशमन पदाधिकारी	50% सीधी नियुक्ति/ 50% प्रोन्नति का पद	पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष
<i>¼[k½ duh; lok lox¼vjkt if=r½</i>			
<i>(i) vfxu'kkeky; inkf/kdkjh lox</i>			
01	सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	पुलिस निरीक्षक के समकक्ष
02	अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी	50%सीधी नियुक्ति/50% प्रोन्नत पद	पुलिस अवर निरीक्षक के समकक्ष ।
03	अग्निशमालयउपाधिकारी (सब-ऑफिसर)	प्रोन्नति का पद	सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के समकक्ष ।
<i>(ii) vfxud lox</i>			
01	प्रधान अग्नि	प्रोन्नति का पद	पुलिस हवलदार की कोटि के समकक्ष ।
02	प्रधान अग्नि चालक	प्रोन्नति का पद	पुलिस हवलदार चालक की कोटि के समकक्ष ।
03	अग्नि	सीधी नियुक्ति	पुलिस सिपाही की कोटि के समकक्ष ।
04	अग्नि चालक	सीधी नियुक्ति	पुलिस सिपाही चालक की कोटि के समकक्ष ।
<i>¼x½Lkeg Mx** xj onh/kkjh in</i>			
<i>1- vk'kfyfid lox&</i>			
01-	प्रधान आशुलिपिक	प्रोन्नति का पद	
02-	आशुलिपिक- ग्रेड-I	प्रोन्नति का पद	
03-	आशुलिपिक- ग्रेड-II	प्रोन्नति का पद	
04-	आशुलिपिक-ग्रेड-III	सीधी नियुक्ति	
<i>2- vulfpoh; lox&</i>			
01-	कार्यालय पर्यवेक्षक	प्रोन्नति का पद	
02-	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का पद	
03-	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का पद	
04-	निम्न वर्गीय लिपिक	सीधी नियुक्ति	
<i>¼?k½ ifjpkjh ¼fo'k"½ lox&</i>			

xj loxh; in

<i>Øelæ</i>	<i>inuke</i>	<i>dk;</i>
01	राज्य अग्नि परामर्शी एवं सलाहकार	<i>; lh/k egkfun'kd&lg&egklekn"Vkl xg jfkk okfguh ,o vfxu'keu lok,] fcgkj] iVuk dk ijke'k nxA</i>

- अधिनियम की धारा- 5 (ख) के अन्तर्गत नियम-4 में अंकित राज्य पुलिस बल के समकक्ष अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पद की समकक्षता के अनुरूप राज्य पुलिस बल के समान सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ता अनुमान्य होगा ।
- (प) अग्निशामालय पदाधिकारी की पंक्ति से नीचे के अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य, चौबीस घंटे अग्निशामालय में रहेगा। प्रत्येक छः कार्य दिवस के बाद वे सामान्यतया एक दिन विश्राम के लिए अधिकृत होंगे, परन्तु लोक सेवा के हित में अग्निशामालय पदाधिकारी को उनके विवेक से इसे रोकने अथवा इसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा। विश्राम की अवधि परिस्थिति विशेष को छोड़ कर सामान्यतया छः बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी।

fu;fDr ,o ikUufr

5- अधिनियम की धारा-4,5(ख),7,8,10 के अधीन नियुक्ति/प्रोन्नति निम्नवत् होगी तथा उपाधिकारी एवं उससे नीचे की पंक्ति के प्रत्येक अग्निशमन पदाधिकारी को उनके सेवा के सदस्य के रूप में नामांकित होने पर प्रपत्र-‘क’ में नियुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा :-

¼d½ oj; lok lox¼ jkt if=r½

1- fun'kd&lg&jkT; vfxu'keu inkf/kdkj½&

- (क) यह अग्निशमन सेवा संवर्ग का शीर्ष पद होगा, जो सामान्यतः प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कोटि से प्रोन्नति, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी। इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।
- (ख) अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी से निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
- ¼x½ परन्तु, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में इस पद पर सीधी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारी को इस पद पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।
- ¼?k½ सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:-
- (i) meA& विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 50 वर्ष-अधिकतम 55 वर्ष
 - (ii) 'kf.kd ;kX;rkA& मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।
 - (iii) dk;kuHkoA& कम से कम 20 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी अथवा वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।
- ¼M-½ p;u ifØ;k &
- ¼½ बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा

आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

- ii) निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।
- iii) चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:-
 (क) शैक्षणिक अहर्ता - अधिकतम 50 अंक
 (ख) कार्यानुभव - अधिकतम 20 अंक
 (ग) साक्षात्कार - अधिकतम 30 अंक
- iv) शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:-

$\emptyset ekd$	$;k\bar{X};rk$	$iFke$ $Ji.kh$	$f\}rh;$ $Ji.kh$	$r'rh;$ $Ji.kh$
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

- v) 20 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएंगे।

2- $vij\ fun'kd\&\ lg\&\ lgk;d\ jkT; vf\bar{X}u'keu\ inkf/kdkjh$

- (क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।
- (ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी।
 विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
- (ग) उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी से अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।
- सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:-

- (i) $me\&$ विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 45 वर्ष- अधिकतम 55 वर्ष
- (ii) $'kf\bar{k}f.kd\ ;k\bar{X};rk\&$ मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।
- (iii) $dk;kul\bar{h}ko\&$ कम से कम 15 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी अथवा वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

चयन प्रक्रिया:-

i बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

ii अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

iii चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:-

- (क) शैक्षणिक अहर्ता - अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव - अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार - अधिकतम 30 अंक

iv शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:-

Øekd	;kX;rk	iFke J.kh	f}rh; J.kh	rrh; J.kh
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

v 15 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएंगे।

3- mi fun'kd& lg&ieMyh; vfXu'keu inkf/kdkjh

(क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।

(ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी।

विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा।

(ग) सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी से उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्तनियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।

सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:-

(i) me& विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 40 वर्ष-अधिकतम 55 वर्ष

(ii) 'k{kf.kd ;kX;rk& मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।

(iii) dk;kuHko& कम से कम 12 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

॥M-॥ चयन प्रक्रिया:-

॥i॥ बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

॥ii॥ अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

॥iii॥ चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:-

- (क) शैक्षणिक अहर्ता - अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव - अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार - अधिकतम 30 अंक

॥iv॥ शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:-

Øekd	;kX;rk	iFke J.kh	f}rh; J.kh	r rh; J.kh
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट(2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

॥v॥ 12 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएंगे।

4. lgk;d ieMyh; vfxu'keu inkf/kdkjh

(क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति जिला अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।

(ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी।

विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा।

(ग) जिला अग्निशमन पदाधिकारी से सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।

॥?k॥ सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:-

(i) me॥& विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 40 वर्ष- अधिकतम 55 वर्ष

(ii) 'kf.kf.kd ;kX;rk॥& मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।

(iii) dk;kuHko॥& कम से कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

॥M-॥ चयन प्रक्रिया:-

॥i॥ बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

॥ii॥ सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

॥iii॥ चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:-

- (क) शैक्षणिक अहर्ता - अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव - अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार - अधिकतम 30 अंक

॥iv॥ शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:-

Øekd	;kX;rk	iFke J.kh	f}rh; J.kh	rrh; J.kh
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

॥v॥ 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएंगे।

5- ft yk vfXu'keu inkf/kdkjh

(1) इस संवर्ग में 50% सीधी भर्ती से एवं 50% प्रोन्नति से नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) (क) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अध्याचना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जाएगी। विभाग द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। सीधी नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम एवं अन्य योग्यताओं का निर्धारण प्रशासी विभाग अपने स्तर से निर्धारित करने हेतु सक्षम होगा।

विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा।

(ख) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:-

(i) उम्र:- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित उम्र।

(ii) शैक्षणिक योग्यता- मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री।

(iii) सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता वही होंगे जो तत्समय पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित हो।

(ग) सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-

(i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करेगा।

- (घ) जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की परीक्षा अवधि 2 वर्षों की होगी। नव नियुक्त जिला अग्निशमन पदाधिकारी को 1 वर्ष का निर्धारित संस्थागत तथा 1 वर्ष का कार्य स्थल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा।
- (ङ.) प्रशिक्षण—सीधी नियुक्ति के द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना में प्रशिक्षण देने की स्थिति में उपरोक्त पदों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में एक वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (3) सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी से जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
- (4) विभागीय परीक्षा—जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को राजस्व पर्षद द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु निर्धारित हिन्दी एवं लेखा पत्र के अतिरिक्त अग्नि अभियांत्रिकी (Fire Engineering) एवं भवन उपविधि (Building Byelaws) में वर्णित अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के प्रावधान के विषय सम्मिलित होंगे।
- (5) सम्पुष्टि:—
- (क) जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि परीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् की जा सकेगी। परीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक उचित समझे, बढ़ाई जा सकेगी।
- (ख) प्रोन्नति द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् की जा सकेगी।

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2} duh; l\acute{o}k l\acute{o}x\mid \frac{1}{4}vjk\ t\ if=r\frac{1}{2}\& \ vfxu'kkeky; \ inkf/kdkjh\ l\acute{o}x\mid$

1- $Lkgk; d\ ft\ yk\ vfxu'keu\ inkf/kdkjh$

- (क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद हेतु योग्य अग्निशामालय पदाधिकारियों को पारस्परिक वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी में प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- (ख) सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पदों पर प्रोन्नति हेतु तत्समय निर्धारित हो।
- (ग) अग्निशामालय पदाधिकारी की कोटि से प्रोन्नत सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी एक वर्ष तक परीक्षा में रहेंगे।
- (घ) अग्निशामालय पदाधिकारी की कोटि से सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में पुलिस अ०नि० से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
- (ङ) अग्निशामालय पदाधिकारी से सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

2- $vueMy\ vfxu'kkeky; \ inkf/kdkjh$

- (1) इस संवर्ग में 50% सीधी भर्ती से एवं 50% प्रोन्नति से नियुक्ति की जा सकेगी।
- (क) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अध्याचना प्रशासी विभाग के माध्यम से पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की

जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(ख) सीधी नियुक्ति हेतु अर्हताएँ:-

- (i) उम्र:- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित उम्र।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक।
- (iii) शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता:- सीधी नियुक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता वही होंगे जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु तत्समय निर्धारित हो।

(ग) सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-

- (i) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम पुलिस अवर निरीक्षक हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के समान होगा।

(घ) प्रशिक्षण-सीधी नियुक्ति के द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना में प्रशिक्षण देने की स्थिति में उपरोक्त पदों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(2)(क) अग्निशामालय उपाधिकारी (सब-ऑफिसर) से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति अग्निशामालय उपाधिकारी (सब-ऑफिसर) की वरीयता एवं योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक द्वारा की जा सकेगी।

(ख) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में आयोजित स्टेशन ऑफिसर कोर्स अथवा एन०एफ०एस०सी०, नागपुर से स्टेशन ऑफिसर कोर्स अथवा उक्त कॉलेज से फायर इंजिनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में स्टेशन ऑफिसर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।

(ग) अग्निशामालय उपाधिकारी (सब-ऑफिसर) की कोटि से प्रोन्नत अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(घ) अग्निशामालय उपाधिकारी से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में पुलिस स०अ०नि० से पुलिस अ०नि० की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

(ङ) अग्निशामालय उपाधिकारी से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

(च) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी की पदस्थापना अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर अथवा अन्य दमकल केन्द्रों में की जा सकेगी,

किन्तु निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी आवश्यकतानुसार इनका पदस्थापन किसी भी स्थान पर कर सकेंगे।

- (3) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा।
- (4) (क) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की सेवा परिवीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सम्पुष्टि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधिउतनी अवधि तक, जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी।
- (ख) प्रोन्नति द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि विभागीय परीक्षा, यदि वे इस पद पर प्रोन्नति से पूर्व उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न किए हों, उत्तीर्ण करने के पश्चात् की जा सकेगी।

3- $\text{vfxu'kkeky; mikf/kdkjh } \frac{1}{2}lc\&vkfQlj\frac{1}{2}$

- (क) यह पद प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक का प्रोन्नति का पद होगा।
- (ख) अग्निशामालय उपाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में (नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सम्बद्ध होने पर) अथवा एन०एफ०एस०सी०, नागपुर से सीधे या उनकी मान्यता प्राप्त संस्थान से सब-ऑफिसर कोर्स का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में सब-ऑफिसर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा, जिसका अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन समिति द्वारा करा लिया जाएगा जो इस निमित्त प्राधिकृत है। इसके अतिरिक्त इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।
- (ग) प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक से अग्निशामालय उपाधिकारी(सब-ऑफिसर)के पद पर प्रोन्नति उक्त प्रशिक्षण में उत्तीर्णता एवं प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक की संयुक्त वरीयता सूची-सह-योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी।
- (घ) प्रधान अग्निक/प्रधान चालक की कोटि से प्रोन्नत अग्निशामालय उपाधिकारी (सब-ऑफिसर)की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी।
- (ङ.) प्रधान अग्निक/प्रधान अग्निक चालक से अग्निशामालय उपाधिकारी(सब-ऑफिसर)के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

$\frac{1}{2}x\frac{1}{2} \text{ vfxud } l\&x\&$

1- $i/kku \text{ vfxud}$

- (क) यह प्रोन्नति का पद है।
- (ख) प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति हेतु संबंधित कर्मियों की मूल पद पर नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा।
- (ग) इस पद हेतु योग्य अग्निकों को यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रधान अग्निक में प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- (घ) प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिए वरीयता क्रम में अग्निक को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तत्समय निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अवधि का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा अथवा तत्समय महानिदेशक के अन्य

निदेश के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्ति के बाद योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। संबंधित परीक्षा के प्रारूप का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- (ड.) अग्नि क की कोटि से प्रोन्नत प्रधान अग्नि क की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।
- (च.) अग्नि क से प्रधान अग्नि क के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में सिपाही से हवलदार की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
- (छ.) अग्नि क से प्रधान अग्नि क के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

2- *i/ku vfxud pkyd*

॥d॥ यह प्रोन्नति का पद है।

- (ख.) प्रधान अग्नि क चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु संबंधित कर्मियों की मूल पद पर नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा।
- (ग.) इस पद हेतु योग्य अग्नि क चालकों को यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रधान अग्नि क चालक में प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- (घ.) प्रधान अग्नि क चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिए वरीयता क्रम में अग्नि क चालक को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तत्समय निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अवधि का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा अथवा तत्समय महानिदेशक के अन्य निदेश के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्ति के बाद योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। संबंधित परीक्षा के प्रारूप का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ड.) अग्नि क चालक की कोटि से प्रोन्नत प्रधान अग्नि क चालक की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।
- (च.) अग्नि क चालक से प्रधान अग्नि क चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में सिपाही चालक से हवलदार चालक की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
- (छ.) अग्नि क चालक से प्रधान अग्नि क चालक के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

3- *vfxud*

- (1) यह सीधी नियुक्ति का पद है।
- (2) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अध्यायना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। विभाग द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अध्यायना केन्द्रीय चयन पक्ष (सिपाही भर्ती) पटना या सरकार द्वारा आदेशित अन्य चयन प्राधिकार को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में महानिदेशक के आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।
- (3) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:- सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया पुलिस (सिपाही) हेतु निर्धारित अहर्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के समान होगी।
- (4) सीधी नियुक्ति के द्वारा अग्नि क के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (5) अग्नि क की कोटि में परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष होगी।

- (6) अग्निक के पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
- (7) अग्निक के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त कर्मों की सेवा सम्पुष्टि परीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात की जा सकेगी। परीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी।
- ४४% $v\text{f}\text{x}ud\text{k} dh vko'; drk ijk dju gr\ rRdky vLFkk;h 0;oLFkk d\ rgr x'gj\{kdk dk v\text{f}\text{x}'\text{keu} dk if'k\{k.k ndj ifrfu;Dr fd;k tk l drk g\ ijUr\ bl ifrfu;fDr d\ vk/kkj ij LFkk;h fu;fDr dk dkb\ nkok ugh fd;k tk l dxkA$

4- $v\text{f}\text{x}ud pkyd$

- (1) यह सीधी नियुक्ति का पद है।
- (2) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अध्यायचना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। विभाग द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अध्यायचना केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना या सरकार द्वारा आदेशित अन्य चयन प्राधिकार को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में महानिदेशक के आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।
- (3) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ:- सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया पुलिस चालक (सिपाही चालक) हेतु निर्धारित अहर्ताएँ, पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया के समान होगी।
- (4) सीधी नियुक्ति के द्वारा अग्निक चालक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (5) अग्निक चालक की कोटि में परीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष होगी।
- (6) अग्निक चालक के पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
- (7) अग्निक चालक के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त कर्मों की सेवा सम्पुष्टि परीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात की जा सकेगी। परीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2} xj onh/kkj h in$
leg& Mx^{**}

1- $vk'kfyfid lox\&$

01. प्रधान आशुलिपिक।—यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक—ग्रेड—I का पारस्परिक वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक—ग्रेड—I से प्रधान आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
02. आशुलिपिक—ग्रेड—I—यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक—ग्रेड—II का पारस्परिक वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक—ग्रेड—II से आशुलिपिक—ग्रेड—I के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

03. आशुलिपिक-ग्रेड-II—यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक-ग्रेड-III का पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक-ग्रेड-III से आशुलिपिक-ग्रेड-II के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
04. आशुलिपिक-ग्रेड-III—यह सीधी नियुक्ति का पद होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य मापदंड लागू होगा। इन पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।

आशुलिपिक संवर्ग के मूल पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा।

2- vul fpo; lox&

01. कार्यालय पर्यवेक्षक।—यह प्रोन्नति का पद होगा। प्रधान लिपिक का पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रधान लिपिक से कार्यालय पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
02. प्रधान लिपिक।— यह प्रोन्नति का पद होगा। उच्च वर्गीय लिपिक का पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
03. उच्च वर्गीय लिपिक।—यह प्रोन्नति का पद होगा। निम्न वर्गीय लिपिक का पारस्परिक वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
04. निम्न वर्गीय लिपिक।—यह सीधी नियुक्ति का पद होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य मापदंड लागू होगा। इस पद पर नियुक्ति कर्मचारी चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।

इस पद के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पद पर बिहार अग्निशमन सेवा के चतुर्थ वर्गीय संवर्ग (समूह-‘घ’) के कार्यरत कर्मी, जो इस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, के संयुक्त वरीयता क्रम से महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

अनुसचिवीय संवर्ग के मूल पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा।

ifjpkjh %fo'k"kh lox| A—इन पदों के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की जा सकेगी तथा आवश्यकतानुसार इन पदों पर सरकार के प्रावधानों के आलोक में आउटसोर्सिंग (Outsourcing) से भी सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

x/j loxh; in %&

1. jkT; vfxu'keu ijke'khl ,o lykgdkjA—

(क) अधिनियम की धारा-2 (क एवं च) एवं धारा-32 के अन्तर्गत इस पद पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक को यदि ऐसा विश्वास हो कि सीधी नियुक्ति कालसाध्य होगा अथवा अन्यथा कारणों से भी, तो उक्त पद पर संविदा के आधार पर

नियोजन हेतु प्रशासी विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। महानिदेशक से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप विभाग द्वारा एतद् संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। संविदा पर चयन प्रथमतः 3 वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिये होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 67 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार, उनके कार्यों के समीक्षा के उपरान्त, किया जा सकेगा।

संविदा पर चयन की प्रक्रिया एवं अन्य नियम वही होंगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित है एवं अपेक्षित अर्हताएँ वहीं होंगी, जो नियमावली में इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

॥[k]॥ vgrk, ॥&

- (i) me: ॥l h/kh fu; fDr gr ॥A&U; Ukre ,o vf/kdre lhek ugh gkxhA
me: ॥lfonk ij p; u gr ॥A&U; Ukre ,o vf/kdre lhek ugh gkxhA
- (ii) vkgrkA&U; ure 10 o"kk dī vuHko dī lkFk rduhdh ;kX;rk
vfXu'keu vfHk;f=dh ei Lukrd vFkok ,e0vkb0 vfXu'keu
vfHk;f=dh ;k led{kA
- (iii) vU; ;kX;rk& अग्निशमन उपकरणों एवं साधित्रों का विशिष्टियाँ निर्धारण का ज्ञान एवं तत्संबंधी संचालन गतिविधियों का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव।

॥x ॥ l h/kh fu; fDr gr p; u if0; k&

- (i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।
- (ii) अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार पद पर नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:-
(क) शैक्षणिक अहर्ता - अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव - अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार - अधिकतम 30 अंक
- (iv) शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:-

Øekd	;kX;rk	iFke Jī.kh	f}rh; Jī.kh	r rh; Jī.kh
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

- (v) 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 10 अंक प्रदान किये जायेंगे।

v/;k;&III

vu'kklu] dr0; ,o nkf;Ro

vf/kfu;e dh /kkjk&4]5% d% ,o 12

6- egkfun'kd के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारी एवं कर्मी विनिर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे ।

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ egkfun'kd d fn'kk&fun'k e Fkkuk Lrj rd lefpr vfxu'keu ;|=k ,o vfxudk gr mi;Dr l jfkk fdV k dk Ø;] ifj;ktuk ,o vuj{k.kA

7. fun'kdA&महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्याधीन रहते हुए अग्निशमन सेवा के कार्य चालन, अनुशासन एवं प्रशासन संबंधी सम्पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा, जिसके अन्तर्गत इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा—

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अग्नि सुरक्षा से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जान-माल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु करना ।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अग्निशमन के समस्त उपकरणों, मशीनरी और साधित्रों का प्रबंधन ।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण ।
- $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ व्यक्तियों एवं घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का संप्रेक्षण ।
- $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच कार्यों का बँटवारा ।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ विधियों, आदेशों तथा कार्यवाहियों की प्रक्रियाओं का यथाविहित निस्तारण ।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ कार्यपालिका विवरण के सभी विषयों या उसके अधीन अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों के कर्तव्य निष्पादन एवं अनुशासन बनाए रखना तथा उन विषयों को विनियमित करना ।
- $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण के प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना ।

8- vij fun'kd&lg&lgk;d jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh %&

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ इनके द्वारा राज्य अग्निशमन सेवा के मुख्यालय स्तर पर निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग किया जाएगा ।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ इनका दायित्व अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन विंग प्रभारी, लेखा एवं प्रशासन विंग प्रभारी, तथा प्रशिक्षण एवं अभियान प्रभारी के रूप में होगा ।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण एवं क्रय संबंधित प्रक्रिया में निदेशक का सहयोग करना ।
- $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के अवकाश में या अन्य कर्तव्य पर रहने पर ये उनके प्रभार में रह कर निर्धारित कर्तव्य निर्वहन कर सकेंगे ।

9- बिहार अग्निशमन सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, नियम 6, 7 एवं 8 में वर्णित पदाधिकारियों को छोड़ कर, का कर्तव्य एवं जबाबदेही अनुसूची—'क' के अनुसार होगी, जिसमें परिवर्तन का अधिकार निदेशक के परामर्श से महानिदेशक को होगा ।

10- ekud lpkyu ifØ;kA&अग्निशामालय पदाधिकारी एवं कार्य संचालन सदस्य अनुसूची—'ख' के अनुसार अग्निशमन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर कर्तव्य निर्वहन करेंगे ।

11- अधिनियम (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा 14, 15, 16, एवं धारा 61 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा—21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे एवं उन्हें पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक की शक्तियाँ एवं संरक्षण प्राप्त होंगे । साथ ही, बिहार राज्य के सभी सर्वमान्य नियम बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्यों पर लागू होंगे । मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली में सरकार द्वारा समय—समय पर किये गए संशोधित उपबंध एवं यथाविहित परिवर्तन बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्यों तक विस्तारित होंगे ।

12- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा राज्य के आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई होगी, जिसका विस्तारण बाध्यकारी रूप से राज्य के सभी अग्नि आपदाओं के राहत एवं बचाव के अलावे आपदा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों तक होगा ।

13- अधिनियम (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा 17 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा समुदाय की अनिवार्य एवं विशेष सेवा होगी । अग्निशमन सेवा के सभी कर्मी हमेशा कर्तव्य पर माने जायेंगे ।

v/;k;&IV

vfxu fuokj.k ,o vfxu ljjkk mik;
(अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-छ के अधीन)

14- अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध (विंग):-निदेशालय स्तर पर निदेशक के नियंत्रणाधीन एक अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (विंग) कार्यरत होगा, जिसमें एक (01) अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) उप निदेशक-सह-प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01)सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) जिला अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सदस्य होंगे। इसके अलावे, अग्निशमन परामर्शी एवं अग्निशमन सलाहकार इस स्कंध के सदस्य होंगे। महानिदेशक उपलब्धता के आधार पर वास्तुविद परामर्शी एवं सलाहकार तथा विधिक परामर्शी एवं सलाहकार को इस स्कंध के सदस्य के रूप मनोनीत कर सकेंगे। विंग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य निष्पादन बैठक में कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। भविष्य में आवश्यकता होने पर ऐसे विंगों का विस्तारण अग्नि क्षेत्र (राजस्व प्रमंडल) एवं अग्नि प्रमंडल (राजस्व एवं पुलिस जिला) स्तर पर किये जाने का निर्णय महानिदेशक द्वारा लिया जा सकेगा। इस स्कंध का निम्न दायित्व होगा:-

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ भवन निर्माण की अग्नि निवारण एवं सुरक्षा योजना का निरीक्षण एवं तत्संबंधी प्रमाणपत्रों का निर्गमन की अनुशंसा।
- $\frac{1}{4}l\frac{1}{2}$ राष्ट्रीय भवन संहिता, बिहार भवन उपविधि एवं अन्य विहित विधि के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा एवं निवारण नियमों का अनुपालन, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक विहित कार्रवाई एवं दंडों के अधिरोपण की अनुशंसा।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के नवीन नियमों एवं वैज्ञानिक विधियों का अन्वेषण एवं अनुसंधान संबंधी नीति निर्माण की अनुशंसा।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं सुरक्षा सम्बन्धी सभी न्यायालय संबंधी कार्य।
- $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं सुरक्षा संबंधी आपदा न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का निरूपण एवं संपादन।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ स्थानीय प्राधिकार या अन्य सांविधिक प्राधिकार के अनुरोध पर अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध अधिभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए भवन/परिसर में अंतर्विष्ट किये जाने वाले अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपाय किये जाने का परामर्श दे सकेगा।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध किसी विनिर्दिष्ट तिथि को भवन मालिक या अधिभोगी को स्वयं या उनके द्वारा नियोजित वास्तुविद से अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपाय की प्रस्तुतीकरण किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।
- $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध भवन मालिक या अधिभोगी को स्वयं या उनके द्वारा नियोजित वास्तुविद को प्राप्त भवन योजनाओं में उपांतरण करने का निदेश देगा एवं 30 दिनों के अंतर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में उक्त भवन योजना नामंजूर की जा सकेगी।
- (झ) $lHkh\ 0;kolkf;d\ ,o\ lko\ tfud\ Hkouk\ fo'k''kdj\ ukt\ d\ lLFkkuk\ ;Fkk\ vLirkyk\ d\ fy;\ ,\ vfxu\ ljjkk\ ,o\ fudkl\ ;ktuk\ \text{Fire Safety and evacuation plan}\ fodflr\ djukA$

15- vfxu fuokj.k ,o ljjkk vukiflr iek.k i= %&

(क) अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता:- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le;\≤\ ij\ ;Fkk\ l\ 'kkf/kr$ के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग-IV के निमित्त निम्न प्रकार के भवन हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी-

- (i) सभी श्रेणी के बहुमंजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)
- (ii) विशिष्ट भवन, जैसे- होटल, शैक्षिक, सांस्थिक, वाणिज्यिक, मर्कन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण, जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिक फर्शों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।

- (iii) शैक्षिक, सांस्थिक भवन जिसकी उँचाई 09 मीटर या उससे अधिक हो।
- (iv) सभी सभा भवन
- (v) भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिन्हित हो।
- (vi) दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना वाला भवन।
- (vii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भवन के स्वामी के द्वारा भी राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग-IV के प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ उपरोक्त उप नियम- “क” से संबंधित सभी भवनों में राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* बिहार भवन उपविधि, 2014 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि, नियम, आदेश में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु भवनों/परिसरों के स्वामी को उक्त भवन/परिसर हेतु निदेशक या प्राधिकृत विंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन निर्माण की तीन स्थिति में दिया जाएगा, यथा—
- (i) भवन निर्माण के पूर्व औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो अग्नि आपदा से भवन को सुरक्षित बनाने हेतु सलाह माना जाएगा।
- (ii) भवन निर्माण के बाद औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिए गए सलाह के अनुपालन का जाँचोपरान्त अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- (iii) अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के बाद विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए प्रमाण पत्र की विहित वैधानिक अवधि के समाप्ति बाद निर्धारित समय के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना होगा।
- (iv) $\frac{1}{4}$ *fuek.k d nkjku Hkh fujh{k.k fd;k tk ldxk ftll fd vfre vukifÜk iek.k i= d fux'eu l io vfxu'kke lok lfuf'pr dj ik; fd iko/kkfur vfxu l j{kk d iic/k ftld vk/kkj ij fuek.k d io vukifÜk iek.k i= fux'r fd;k x;k g] d vu:i gh dk; gk jgk gA*
- $\frac{1}{4}2k\frac{1}{2}$ अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्क:— औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र/अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्रका नवीनीकरण हेतु भवन की श्रेणी एवं सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) का कुल फर्श क्षेत्र के आधार पर चार श्रेणी में शुल्क देय होगा (अनुसूची-‘ग’)
- $\frac{1}{4}M-\frac{1}{2}$ अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन (अनुसूची-‘घ’)यथा प्रावधानित एकल खिड़की क्लियरन्स के माध्यम से अथवा तत्समय महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र:—
- (i) भवन के स्वामी को भवन निर्माण विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार में सूचीबद्ध वास्तुविद्/अभियंता के माध्यम से भवन निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र (प्रपत्र-‘ख’) भवन योजना से संबंधित नक्शा, विहित चेक लिस्ट (प्रपत्र-‘ग’), राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* बिहार भवन उपविधि, 2014 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण में व्यय का गारंटी आदि संबंधी अन्डरटेकिंग्स (प्रपत्र-‘घ’) एवं निर्धारित शुल्क सहित निदेशक अथवा तत्समय प्राधिकृत पदाधिकारी के पदनाम से तत्समय प्रक्रियानुसार समर्पित करना होगा।
- (ii) भवन में आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्रावधान से संबंधित प्राक्कलन समर्पित करना होगा। उक्त प्राक्कलन का पाँच वर्षों के लिए 15% बैंक गारंटी इस आशय के अन्डरटेकिंग्स के साथ देना होगा कि आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर स्थिति में रखा जाएगा अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर रखने में अग्निशमन विभाग द्वारा व्यय किया जा सकेगा।

- (iii) संबंधित भवन योजना के नियमानुकूल पाये जाने पर आवेदक को तत्समय निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।(प्रपत्र-‘ड’)
- (iv) संबंधित भवन योजना में त्रुटि पाये जाने पर भवन योजना को अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए आवेदक को पुनः विधिवत त्रुटि का निराकरण कर आवश्यक अभिलेख के साथ आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु निदेश दिया जा सकेगा।(प्रपत्र-‘च’) इस हेतु शुल्क पुनः देय नहीं होगा।
- (v) आवेदक की जबाबदेही होगी कि वे भवन निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना कार्य प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व एवं कार्य प्रगति अन्तर्गत भवन अर्धनिर्माण की स्थिति में सूचना निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रत्येक छः माह पर देंगे। (प्रपत्र-‘छ’)
- (vi) निर्माणाधीन भवन में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गए सलाह के अनुपालन की स्थिति की जाँच निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जाँच में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुपालन में कमी अथवा शर्तों से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में भवन निर्माता को संबंधित त्रुटि सुधार हेतु लिखित निदेश दिया जाएगा।(प्रपत्र-‘ज’)

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

- (i) भवन निर्माण कार्य के सभी प्रकार से पूर्ण हो जाने के बाद भवन स्वामी/संबंधित पैनलित वास्तुविद्/ अभियंता द्वारा भवन निर्माण पूर्णता की सूचना बिहार भवन उपविधि, 2014 $le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr$ की उपविधि-15(2) के अन्तर्गत प्राधिकार को देने के साथ-साथ औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी दिया जाएगा।(प्रपत्र-‘झ’)
- (ii) निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तत्समय अन्य अग्नि सुरक्षा उपायों के आलोक में उक्त भवन में संस्थित अग्नि सुरक्षा उपायों एवं उपकरणों की जाँच की जाएगी। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषप्रद होने की स्थिति में अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा (प्रपत्र-‘ञ’), अन्यथा अग्नि सुरक्षा उपायों, जिसमें उपकरणों का अधिष्ठापन भी सम्मिलित है, में आवश्यक सुधार का निदेश दिया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।(प्रपत्र-‘ट’)
- (iii) भवन निर्माण पूर्णता की सूचना प्राप्ति पश्चात् भवन स्वामी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु प्राधिकार द्वारा जाँच के लिए गठित समिति में निदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी होंगे जो अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक पैसिव एवं एक्टिव अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित लिखित मंतव्य देंगे।

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ औपबंधिक अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित भवन श्रेणी (Occupancy Class), ऑकुपेन्ट लोड एवं आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित विवरणी की सीमा तक के लिए ही वैध होगा। भवन श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ किसी भी प्रकार का निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, परन्तु उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो, तो महानिदेशक अथवा अग्निशमन सेवा का कोई भी प्राधिकृत सदस्य इसका संज्ञान लेगा एवं विधिवत अग्नि अंकेक्षण कर संबंधित भवन निर्माता को प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु निदेश देगा। साथ ही संबंधित निकाय/प्राधिकार को सूचित करेगा। (प्रपत्र-‘ठ’)

अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण:-

- (i) निदेशक या अन्य प्राधिकृत विंग द्वारा निर्गत अग्निनिवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, उक्त प्रमाण पत्र रद्द किये जाने की दशा को छोड़कर, आवासीय भवनों (होटल आदि से भिन्न) के लिए पाँच वर्ष एवं होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान एवं अन्य सभी गैर आवासीय भवनों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जोखिम श्रेणी के भवनों के लिए तत्संबंधी वैधता दो वर्षों की होगी। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आवासीय भवनों (होटल आदि से भिन्न) के लिए पाँच वर्ष तथा अन्य मामलों (जोखिम श्रेणी के भवन को छोड़कर) में तीन वर्ष के लिए तथा जोखिम श्रेणी के भवनों के लिए यह अवधि दो वर्षों के लिए किया जा सकेगा, किन्तु अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि नवीनीकरण की दशा में, महानिदेशक के द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा। सिनेमा हॉल के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) निदेशक या अन्य प्राधिकृत विंग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के 45 दिन के पूर्व विहित प्रपत्र (प्रपत्र-‘ड’) में भवन मालिक या अधिभोगी आवेदित करेगा एवं निदेशक या अन्य प्राधिकृत स्कंध आवश्यक जाँच एवं निरीक्षण के पश्चात निर्धारित अग्नि निवारण एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन से संतुष्ट होकर अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीकृत करेगा। (प्रपत्र-‘ड’)

अनापत्ति प्रमाण पत्र का रद्दीकरण:-

- (i) भवन स्वामी/अधिभोगियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुसार अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाये रखने में चूक होने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत प्राधिकार द्वारा लिखित आदेश से रद्द किया जा सकेगा (प्रपत्र-‘ण’)। आदेश की एक प्रति भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी, यथास्थिति, को निःशुल्क दी जाएगी।
- (ii) अनापत्ति प्रमाण पत्र के रद्द होने की दशा में भवन का सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- (iii) अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किये जाने की दशा में भवन मालिक अथवा अधिभोगियों द्वारा आदेश की प्रति सहित सक्षम अपीलीय प्राधिकार से 90 दिनों के भीतर अपील किया जा सकेगा, जो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्गत आदेश की पुष्टि, उपक्रमित एवं उपांतरित कर सकेगा। (प्रपत्र-‘त’)

16- fuokj.k vkj Lo; fofu;eu d fy, lkekU; mik; &

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr एवं बिहार भवन उप विधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr के अन्तर्गत अधिभोग के विभिन्न वर्गों के भवनों एवं परिसरों के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रावधानित बनावट के अनुसार निर्माण एवं उपयोग नहीं होने, अधिभोग में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील, विस्फोटक, जहरीला, उत्तेजक(Irritant), संक्षारक(Corrosive), विषैला (Toxic) सामग्रियों का निर्माण, संसाधन (Processing) भंडारण करने, पंडाल के निर्माण में IS8758:1993 का पालन नहीं होने को तथा तत्समय निर्धारित अन्य मानक का अनुपालन नहीं होने को अग्नि के खतरे का कारक माना जाएगा।

महानिदेशक द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं तत्कालिक आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित कारकों को चिन्हित किया जा सकेगा।

महानिदेशक के परामर्श से सरकार द्वारा आग के खतरों के चिन्हित अन्य संबंधित कारकों को राजपत्र में घोषित किया जा सकेगा।

अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा आग के खतरे का तात्कालिक संबंधित कारकों को दूर करने हेतु उपायों का अनुपालन करने के लिए भवनों अथवा परिसरों के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों को अथवा पंडाल निर्माता को निर्देश दिया जा सकेगा।

अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत महानिदेशक के परामर्श से सरकार, भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों अथवा पंडाल के निर्माणकर्ता द्वारा भवन अथवा परिसर अथवा पंडाल, यथास्थिति, के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश अधिसूचना द्वारा जारी कर सकेगी।

17- Hkouk ,o ifj ljk d vfxu fuokj.k ,o vfxu ljjkk gr ekud %&

अधिनियम की धारा 25(2), 27, 32, 34 एवं 35 के प्रयोजनार्थ भवन एवं परिसर के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr एवं अन्यविधि के अन्तर्गत निर्धारित मानक लागू होंगे।

भवन एवं परिसर के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु न्यूनतम मानक का अनुपालन संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों के द्वारा स्वयं किया जाएगा। अनुपालन की स्थिति से संबंधित जानकारी स्वमूल्यांकन प्रपत्र-‘थ’ में निर्धारित अन्तराल पर संबंधित अग्निशामालय पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। स्वमूल्यांकन प्रपत्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन निदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

18- iMky d vfxu fuokj.k ,o vfxu ljjkk gr ekud %&

अधिनियम की धारा— 25,26 एवं 27 के प्रयोजनार्थ पंडाल के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित IS 8758:1993 एवं अन्य विहित विधि के अन्तर्गत निर्धारित मानक लागू होंगे जिसका अनुपालन संबंधित पंडाल का निर्माण कर्ता स्वयं करेगा।(अनुसूची-‘ड’)

अधिनियम की धारा— 26 (2) के प्रयोजनार्थ पंडाल सुरक्षा संबंधी घोषणा पत्र,पंडाल निर्माता संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी को समर्पित करने के साथ-साथ पंडाल के द्वार एवं अन्य दृश्यमान मुख्य स्थल पर प्रदर्शित करेगा।(प्रपत्र-‘द’)

(ग) 1000 oxl QhV rd d iMky l lcf/kr iMky fuekrk d ?kk"kk i= dh lR;kiu fun'kd vFkok ukfer inkf/kdkjh }kjk vfuok;l ugh gkxkA

1001 oxl QhV l 5000 oxl QhV rd d iMky l lcf/kr iMky fuekrk d ?kk"kk i= dh lR;kiu fun'kd vFkok ukfer inkf/kdkjh }kjk vko';drkul kj fd;k tk l drk gA

5001 oxl QhV l mij d iMky l lcf/kr iMky fuekrk d ?kk"kk i= dh lR;kiu fun'kd vFkok ukfer inkf/kdkjh }kjk djokuk vfuok;l gkxkA

अग्नि सुरक्षा उपाय में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर पाई गई कमियों को दूर करने अन्यथा निर्धारित अवधि के बाद पंडाल को सील कर देने संबंधी नोटिस दिया जाएगा।(प्रपत्र-‘ध’)

iMky fuekrk d }kjk mDr ?kk"kk i= fcgkj vfxu'keu lok d oolkbV ij Hkh viykM fd;k tk l drk gA

(घ) बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें हजारों व्यक्तियों के रहने एवं खाने, टेन्ट सिटी एवं लंगर का प्रबंध होता है, के तैयारी के समय ही अग्नि सुरक्षा प्रबंध यथा-टेन्ट में प्रयोग होने वाला कपड़ा आदि का फायर retardant सोलुशन के माध्यम से सुरक्षित करना, ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की सुरक्षित अधिष्ठापन से संबंधित कार्य भी निविदा का ही भाग होगा। ऐसे आयोजन में अग्निशाम सेवा एवं ऊर्जा विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

19- vfxu'keu dh fd l h ck/kk vFkok vlx d tkf[ke d lHkkfor dkjd d :lk e vfrØe.k vFkok oLr vFkok eky dk gV;k tk kuk %&

अधिनियम की धारा— 27 के अन्तर्गत निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी को प्रतीत होता हो कि किसी भवन अथवा परिसर अथवा पंडाल अथवा आस-पास आग की जोखिम के संभावित कारक के रूप में किसी वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण से अग्निकाण्ड होने अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है,तो उक्त भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा

अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता अथवा उक्त वस्तु एवं माल के स्वामी को उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर हटाने का निर्देश देगा।(प्रपत्र-‘न’)

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}]$ भवन अथवा परिसर के स्वामी, अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता के द्वारा निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल दण्डाधिकारी से विधिक कार्रवाई करने हेतु सूचना दी जाएगी।(प्रपत्र-‘प’)

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा उक्त भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल के निर्माता को युक्तियुक्त आदेश देते हुए कारण पृच्छा की जा सकेगी।(प्रपत्र-‘फ’)

$\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता का कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित अतिक्रमण अथवा माल अथवा वस्तु अथवा पंडाल को सूचीबद्ध करते हुए अधिग्रहण, निरुद्ध अथवा हटाने का आदेश किसी लोक सेवक अथवा कर्मी को दे सकेगा।(प्रपत्र-‘ब’)

$\frac{1}{4}M-\frac{1}{2}$ उक्त आदेश के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा अधिग्रहण हेतु उन वस्तुओं को और माल की सूची के अनुसार जप्ती सूची बनवाया जाएगा एवं उस स्थान, जहाँ वह उचित समझे, जप्त माल एवं वस्तुओं को रख सकेगा।(प्रपत्र-‘भ’)

$\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ तत्पश्चात जब्त किए गए सामानों को उस स्थान से जहाँ उन्हें जप्ती के पश्चात रखा गया है, से हटाने संबंधी आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं करने पर नीलामी कर देने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने अथवा असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उक्त वस्तु/माल को नीलाम करते हुए राशि का विधिवत निपटारा किया जाएगा।(प्रपत्र-‘म’)

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ अनुमंडल दण्डाधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।(प्रपत्र-‘य’) अपील हेतु शुल्क का दर अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

20- $vfxu\ l\{j\{kk\ inkf/kdkjh\ dh\ fu;fDr\ ,o\ if'k\{k.\&$

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-29 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रावधानित भवनों अथवा परिसरों को संबंधित निकाय/प्राधिकार के साथ-साथ अग्निशमन विभाग के द्वारा भी चिन्हित जाएगा एवं अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक अथवा उपेक्षा की जाँच की जाएगी।

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}]$ अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निदेशक या नामित प्राधिकार चिन्हित भवन या परिसर के मालिक अथवा अधिभोगी अथवा मालिक एवं अधिभोगी के संघ को नोटिस कर नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की अपेक्षा कर सकेगा (प्रपत्र-‘र’)।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत जिस भवन/परिसर के अधिभोगी अथवा उनके संघ के द्वारा नियुक्त किये गए अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी जो राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हों, वे अगर अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते हैं, तो संबंधित भवन/परिसर के अधिभोगी अथवा उनके संघ को संबंधित प्रशिक्षण हेतु, निदेशक अथवा नामित प्राधिकार द्वारा नोटिस दिया जायेगा (प्रपत्र-‘र’)।

$\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नोटिस के बाद भी अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक करने की दशा में निदेशक या महानिदेशक द्वारा नामित प्राधिकार संबंधितों से अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के आलोक में दण्ड अधिरोपित करने हेतु नोटिस देगा (प्रपत्र-‘ल’)।

$\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक अथवा उपेक्षा करने वाले भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ से अधिनियम की धारा-31 की उप धारा-2 के अधीन निर्धारित दर पर अधिनियम की धारा-31 की उपधारा-3 के आलोक में अधिरोपित दण्ड की वसूली संबंधित क्षेत्र के निकाय अथवा प्राधिकार द्वारा भू-राजस्व बकाया के रूप में किया जाएगा।

- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध नहीं कराने अथवा अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं कराने की स्थिति में प्रति माह 5,000 हजार रुपये दण्डशुल्क वसूलनीय होगी। उक्त शुल्क की वसूली संबंधित क्षेत्र के नगर निकाय/प्राधिकार के द्वारा की जाएगी।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्राचार्य के परामर्श से महानिदेशक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अनुसूची में निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के आधार पर होगा। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रायोजक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जायेगा।

21- $vfxu'keu i'ke'kh\&$

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति को भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा परामर्श हेतु अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण किया जा सकेगा। निदेशक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। (अनुसूची-‘छ’)
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ विभिन्न श्रेणी के भवन अथवा परिसर के सभी मंजिलों के कुल फर्श क्षेत्र एवं भवन की श्रेणी के आधार पर परामर्श शुल्क का निर्धारण निदेशक के परामर्श से महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अग्निशमन परामर्शी के द्वारा भवन योजना में अग्नि सुरक्षा प्रावधान, भवन निर्माण/भवन निर्माण पूर्णता के क्रम में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन में वांछित प्रावधान करने, भवनों का अग्नि ऑडिट प्रतिवेदन आदि पर परामर्श दिया जा सकेगा। उनके प्रमाण पत्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

22- $vfxu v d\{k.k\&$

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-33 एवं 43 (1) के अन्तर्गत भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता, अपर्याप्ता अथवा उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी को भवन अथवा परिसर का निरीक्षण हेतु अग्निशामालय पदाधिकारी एवं उनसे वरीय पदाधिकारी के द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा। (प्रपत्र-‘व’) नोटिस का तामिला व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन तामिला के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-33 एवं 43(2)(3) के अंतर्गत भवनों का अग्नि अंकेक्षण राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le;\≤ ij ;Fkk l'kkf/kr$, बिहार भवन उपविधि, 2014 $le;\≤ ij ;Fkk l'kkf/kr$ एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों के आलोक में किया जा सकेगा। विभिन्न श्रेणी के $Hkouk e lo'iFke vLirkyk rFkk mld ckn 'k\{kf.kd lLFkkuk dk ikFkfedr d vk/kkj ij vfxu v d\{k.k\&Qk;j vkfMV\frac{1}{2} djk;k tk$,। उक्त श्रेणी के भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के आलोक में किया जा सकेगा। साथ ही निदेशक की सहमति से संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी को अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता का जवाबदेही लेने तथा उसे दूर करने हेतु सलाह (विहित प्रपत्र-‘श’ में) दिया जा सकेगा। तत्संबंधी प्रपत्र में निदेशक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ पुराने विद्यमान भवन-अधिनियम की धारा 33,34,35 एवं 43 (1)(2)(3) के अधीन पुराने भवन, जिसमें अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो, उसमें न्यूनतम अग्नि सुरक्षा उपाय करने हेतु निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिये गये परामर्श का अनुपालन करना संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ के लिए अनिवार्य होगा (अनुसूची-ज)।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-34, 35 एवं 43 (2) के अन्तर्गत निदेशक द्वारा भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण के बाद अथवा अग्निशामालय पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में अपर्याप्तता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करते हुए भवन अथवा

परिसर के स्वामी को संबंधित जिम्मेवारी लेते हुए न्यायसंगत समयावधि के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने संबंधी नोटिस देगा।(प्रपत्र-‘ष’)

$\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-36 के अन्तर्गत उपरोक्त उप नियम-“ख” के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा।(प्रपत्र-‘स’)

$\frac{1}{4}Pk\frac{1}{2}$ अधिनियम की धारा-36 की उपधारा-2 के अन्तर्गत प्रति अपील 1000 रुपये अपील शुल्क के रूप में देय होगा, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चलान के माध्यम से निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पदनाम से भुगतये होगा।

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ भवन निर्माण के बाद भवन स्वामी अथवा अधिभोगियों को भवन/परिसर हस्तगत कराने के वक्त संबंधित भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जबाबदेही भवन निर्माता की होगी। इस संबंध में त्रुटि पाए जाने पर भवन निर्माता के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त विधि एवं नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को बनाए रखे जाने की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार एपार्टमेन्ट ऑनरशिप एक्ट, 2006 के अन्तर्गत भवन स्वामी/अधिभोगियों/अधिभोगियों के संघ (Association) की होगी।

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ उपरोक्त उपनियम-“ख” “ग” एवं “घ” के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा-37 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई, अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत भवन अथवा परिसर को खाली करने, सील करने का नोटिस (प्रपत्र-‘ह’), भवन अथवा परिसर को सील करने की कार्रवाई (प्रपत्र-क्ष) तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* की उपविधि-16 (7) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित भवन अथवा परिसर को असुरक्षित घोषित किए जाने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित निकाय अथवा प्राधिकार को लिखित रूप से प्रतिवेदन समर्पित किया जा सकेगा (प्रपत्र-‘त्र’)। साथ ही तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अथवा प्रशासनिक आदेश के आलोक में विधि के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

$\frac{1}{4}\sim\frac{1}{2}$ बहुमंजिली भवनों के स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा वांछित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं करने पर भवन स्वामी/अधिभोगियों अथवा दोनों के विरुद्ध सामुहिक जुर्माना किया जाएगा जो भवन की अग्नि संवेदनशीलता श्रेणी के आधार पर औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क का दोगुना होगा।

$\frac{1}{4}V\frac{1}{2}$ भवन/परिसर के स्वामी द्वारा भवनों का अग्नि अंकेक्षण अग्निशमन सेवा द्वारा पंजीकृत अग्निशमन परामर्शी से अथवा अग्निशमन सेवा के प्राधिकृत पदाधिकारी से पूर्व निर्धारित दर पर करवाया जा सकेगा।

23- *vfxu ij dkc iku d fy, ty dh lk; kIr ,o vck/k vkifr%&*

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ *ty thou gfj; kyh dk; Øe d ifji; ; e vkink ic/ku d lkFk&lkFk i; koj.k lryu dk Hkh /; ku j[kuk gkxk] bl gr igy lrg ty Jkr %Surface Water Source% ; Fkk& unh] rkyk ,o d vk vkfn d ty dk gh i; kx fd; k tk, xk A mDr ty Jkrk d vuyC/k gku dh fLFkfr e gh Hkfexr ty Jkr %Ground Water Source% dk mi; kx fd; k tk, xkA*

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम अथवा नियमावली के प्रतिकूल होते हुए भी निदेशक कम से कम 100 मिमी व्यास के हाईड्रेंट को सार्वजनिक या निजी जलश्रोत के सामरिक अवस्थानों (Strategic Location) पर वहाँ के क्षेत्राधिकार वाले ऐसे प्राधिकार से इसकी अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) हाईड्रेंट पर जल का दबाव 3.5 बार से कम नहीं होगा।

- (घ) प्रत्येक हाईड्रेन्ट एवं जलश्रोतों के आकार को उपदर्शित किये जाने वाला पहचान प्लेट संबंधित भवन, परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा लगाया जायेगा एवं ऐसे सभी हाईड्रेन्ट एवं जलश्रोतों का अनुरक्षण सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा की जाएगी।
- (ङ.) ग्राम/पंचायत स्तर पर जल स्रोतों (सार्वजनिक एवं निजी जल स्रोतों सहित) की पहचान तथा समुचित स्थलों पर मोटर पम्पों के माध्यम से, आग लगने पर, जल की व्यवस्था करने हेतु पंचायतों के साथ समन्वय।
- (च) सभी सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन हेतु अबाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

24- *vflu vflk;=.k dk"kkx dk xBu A* भवन निर्माण कार्य में संलग्न विभागों/इकाईयों जैसे—भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम इत्यादि में अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जा सकेगा। सभी विभागों के लिए एक ही संवर्ग होगा, जिसका गठन एवं नियंत्रण अग्निशमन सेवा के द्वारा किया जा सकेगा। अग्निशमन सेवा के सदस्य संबंधित विभाग/इकाई में प्रतिनियुक्त किये जा सकेंगे। इस कोषांग द्वारा नागरिकों एवं निर्माणकर्ताओं को भवन निर्माण के समय अग्नि सुरक्षा पर तकनीकी परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन एवं कार्य के संबंध में महानिदेशक द्वारा यथाआवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

25- *vflu'keu ifronu&*

- (क) प्रत्येक अग्निकाण्ड संबंधी अग्निशमन प्रतिवेदन अग्निशमन के पश्चात् *U;ure 5 dk;l fno l vkj vfkdre 10 dk;l fno l e* बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकेगा।
- (ख) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अग्निशमन निदेशालय से अथवा महानिदेशक के द्वारा तत्समय निदेशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय से कार्यवधि के अंदर यह प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेगा। (प्रपत्र—झ)
- (ग) निर्गत अग्निशमन प्रतिवेदन में यदि भवन मालिक अथवा अधिभोगी किसी संशोधन की इच्छा रखता है, तो कारण सहित सक्षम प्राधिकार को घटना के 15 दिनों के अन्दर आवेदन दे सकेगा (प्रपत्र—क-1)। सक्षम प्राधिकार, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर, लिखित कारण सहित आवेदन को स्वीकार कर अग्निशमन प्रतिवेदन में सुधार कर सकेगा अथवा आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा।

v/;k;&V

vflu'keu dj l Qh l vkj vU; iHkkjk dk mnxg.k

26- अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों सहित सभी भवनों से प्राधिकार द्वारा प्रभारित सम्पत्ति कर का ढाई प्रतिशत की दर से अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से अधिभार, अग्निशमन कर के रूप में, कर वसूली से सम्बन्धित निकाय/प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

27. *¼d½* अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1), धारा 33,34,35 एवं 43(2)(3) तथा नियमावली का नियम 15(घ) एवं 22(ट) के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्य उपक्रमों के भवनों तथा गैरसरकारी भवनों का औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक अग्नि अंकेक्षण एवं अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण अनुसूची 'ग' में निर्धारित शुल्क के दर पर करेगा।

¼[k½ निर्धारित शुल्क दर में परिवर्तन सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। शुल्क वसूली सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

¼x½ शुल्क की अदायगी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चालान के माध्यम से की जा सकेगी।

28- *¼d½* अधिनियम की धारा 22 के उपधारा-01 के अंतर्गत राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों को आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा (*vu l ph&>*)। तैनाती शुल्क के भुगतान के संबंध में संबंधित प्राधिकार को *i i =&[k&1* में मांग पत्र दिया जा सकेगा।

निर्धारित शुल्क दर में सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

शुल्क की अदायगी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चालान के माध्यम से की जा सकेगी ।

शुल्क की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी ।

29- अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जहाँ बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों अथवा उपकरणों एवं साधित्रों अथवा दोनों का आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्त हेतु वैध समझौता लागू हो, वहाँ कोई प्रभार संभारित नहीं होगा ।

30- अधिनियम की धारा 29 एवं 31 के अधीन अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की चूक अथवा उपेक्षा की दशा में निर्धारित दर एवं विहित प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क एवं शास्ति का भुगतान स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले विहित प्राधिकार को किया जायेगा ।

31- अधिनियम की धारा 30 के अधीन अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी विहित प्रावधान के अनुपालन में चूक अथवा उपेक्षा की दशा में निर्धारित दर एवं विहित प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क की वसूली की जा सकेगी ।

32- किसी व्यक्ति या संस्था के अनुरोध पर किसी जन समारोह के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों को उपकरणों एवं साधित्रों के साथ किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ अधिनियम प्रवृत्त हो, निश्चित अवधि के लिए अवलंब (Standby duty) में प्रतिनियुक्त किये जाने की दशा में प्रभार देय होगा ।

33- अधिनियम की धारा 54 में उल्लेखित धाराओं तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई उपविधियों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का शमन अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा निम्नवत किया जा सकेगा:-

i) जिला अग्निशमन पदाधिकारी 5000/-रु० (पाँच हजार) सहित और तक के जुर्माना से दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा ।

ii) प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी 10000/-रु० (दस हजार) सहित और तक के जुर्माना से दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा ।

iii) महानिदेशक एवं निदेशक द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराधों का शमन किया जा सकेगा ।

iv) निर्धारित दण्ड शुल्क के सम्बन्ध में नोटिस का तामिला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन के तामिला हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुरूप की जा सकेगी ।

v) निर्धारित दण्ड शुल्क, निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा के पदनाम से पटना में भुगतये बैंक ड्राफ्ट, अथवा कोषागार चालान के माध्यम से जमा कराया जायेगा ।

v/;k;&VI
i.dh.k

34- vihyA& इस नियमावली के अधीन किसी पदाधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार संबंधी विशेष उपबंध नहीं होने की दशा में सूची के स्तम्भ 2 में अंकित पदाधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील स्तम्भ 3 में अंकित पदाधिकारियों द्वारा सुना जा सकेगा:-

Ø0	inkf/kdkjh ftud: vkn'k d fo:) vihy dh xb gA	vihyh; ikf/kdkj
1	2	3
1-	जिला अग्निशमन पदाधिकारी	उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी
2-	उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा
3-	निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा	महानिदेशक, अग्निशमन सेवा
4-	महानिदेशक, अग्निशमन सेवा	राज्य सरकार

35- fcgkj vfxu'keu lok dY;k.k dk"KA&बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कल्याणार्थ बिहार अग्निशमन सेवा हितकारी कोष का गठन किया जायेगा, जिसका संचालन महानिदेशक द्वारा तत्संबंधी बनाये गए उपविधियों (By-laws) के अनुसार किया जाएगा।

36- i'kklfud vun'kA&महानिदेशक, सरकार की पूर्वानुमति के उपरांत सेवा से संबंधित सभी विषयों के सम्बन्ध में विहित रूप से प्रशासनिक अनुदेश समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्गत कर सकेंगे।

37- fujlu ,o 0;kofUk;kA&राज्य सरकार के सभी नियम/परिपत्र एवं आदेश इस सेवा के सदस्यों के ऐसे सभी मामलों में जो इस नियम के अन्तर्गत आच्छादित न हो, हू-ब-हू लागू होंगे। अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हो, के सम्बन्ध में बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधान लागू होंगे। इससे पूर्व के सभी नियम/आदेश/अनुदेश निरसित समझे जाएंगे, किन्तु पूर्व में प्रवृत्त ऐसे सभी नियम/आदेश/अनुदेश के अधीन लंबित कार्यवाई जारी रहेगी, मानों यह निरसन हुआ ही नहीं हो।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(हो)-अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।

v/;k;&VII

ii= ,o vu lfp;k

38- ii=k dk lph %&

- i** अधिनियम की धारा-10 की उपधारा-(1) के अधीन नियमावली के नियम 06 के अन्तर्गत प्रपत्र-d में "नियुक्ति प्रमाण पत्र" दिया जाएगा।
- ii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-[k(अनुलग्नक सहित) में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र दिया जाएगा।
- iii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-x में भवन योजना से संबंधित नक्शा एवं विहित चेक लिस्ट आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा।
- iv** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-?k में अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण में व्यय का गारंटी आदि संबंधी अन्डरटेकिंग्स आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा।
- v** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत प्रपत्र-M- में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- vi** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(iv) के अन्तर्गत प्रपत्र-p में भवन निर्माण योजना में त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि के निराकरण हेतु दिए जाने वाले निर्देश दिया जाएगा।
- vii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(v) के अन्तर्गत प्रपत्र-N में भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य प्रगति की सूचना दिया जाएगा।
- viii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(vi) के अन्तर्गत प्रपत्र-t में भवन निर्माणकर्ता द्वारा औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुपालन में कमी अथवा शर्तों से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में भवन निर्माता को त्रुटि सुधार हेतु निर्देश दिया जाएगा।
- ix** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-> में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भवन निर्माणकर्ता द्वारा दिया जाएगा।
- x** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र-' में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन का जाँचोपरान्त औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का शर्तों के अनुरूप निर्माण होने की स्थिति में अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन निर्माणकर्ता को दिया जाएगा।
- xi** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र-V में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन के जाँचोपरान्त औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का शर्तों के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में सुधार हेतु नोटिस भवन निर्माणकर्ता को दिया जाएगा।
- xii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (झ) के अन्तर्गत प्रपत्र-B में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन के स्वामी को अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नोटिस दिया जाएगा।
- xiii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र-M में अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा।
- xiv** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र-< में अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाएगा।
- xv** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-.k में अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को

- बनाए रखने में चूक होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने संबंधी नोटिस दिया जाएगा।
- xxvi** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र-*r* में अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्दीकृत के बाद भवन मालिक अथवा अधिभोगियों द्वारा अपील किया जाएगा।
- xxvii** अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(छ) के अधीन नियमावली के नियम 17 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र-*fk* में भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों के द्वारा अग्निशामालय पदाधिकारी को समर्पित किए जाने वाले स्वमूल्यांकन प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाएगा।
- xxviii** अधिनियम की धारा-26 की उपधारा-(2) के अधीन नियमावली के नियम 18 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र-*n* में पंडाल निर्माता द्वारा पंडाल के द्वार तथा दृश्यमान मुख्य स्थल पर पंडाल सुरक्षा संबंधी घोषणा पत्र प्रदर्शित किया जाएगा।
- xxix** अधिनियम की धारा-26 की उपधारा-(2) के अधीन नियमावली के नियम 18 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र-*k* में पंडाल के अग्नि सुरक्षा उपाय में कमी पाए जाने पर पंडाल निर्माता को कमियों को दूर करने अथवा पंडाल को सील कर देने संबंधी नोटिस दिया जाएगा।
- xxx** अधिनियम की धारा-27(1) के अधीन नियमावली के नियम 19 (क) के अन्तर्गत प्रपत्र-*u* में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस दिया जाएगा।
- xxxi** अधिनियम की धारा-27(1) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र-*i* में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को विधिक कार्यवाई हेतु सूचना दिया जाएगा।
- xxxii** अधिनियम की धारा-27(2) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र-*Q* में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी सूचना प्राप्ति के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता से कारण पृच्छा नोटिस जारी किया जाएगा।
- xxxiii** अधिनियम की धारा-27(2) के अधीन नियमावली के नियम 19 (घ) के अन्तर्गत प्रपत्र-*C* में आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने में चूक होने के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा पूछे गए कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने अथवा कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाए जाने पर अधिग्रहण, निरुद्ध अथवा हटाने संबंधी अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा।
- (xxiv)** अधिनियम की धारा-27(4) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ड.) के अन्तर्गत प्रपत्र-*hk* में आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती संबंधी पंचनामा तैयार किया जाएगा।
- (xxv)** अधिनियम की धारा-27(4/5) के अधीन नियमावली के नियम 19 (च) के अन्तर्गत प्रपत्र-*e* में आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती के बाद उसे रखे गए स्थान से हटाने तथा उक्त वस्तु अथवा माल को नहीं हटाने अथवा दावा नहीं करने की दशा में उक्त वस्तु अथवा माल को नीलाम कर देने का नोटिस दिया जाएगा।
- (xxvi)** अधिनियम की धारा-27(6/7) के अधीन नियमावली के नियम 19 (छ) के अन्तर्गत प्रपत्र-*;* में आग की जोखिम के संभावित कारक वस्तुओं का नीलामी के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील किया जाएगा।
- (xxvii)** अधिनियम की धारा-29 के अधीन नियमावली के नियम 20 (ख) एवं अधिनियम की धारा-30 के अधीन नियम 20 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र-*j* में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति करने अथवा उसके प्रशिक्षण हेतु नोटिस दिया जाएगा।
- (xxviii)** अधिनियम की धारा-29 एवं 31 के अधीन नियमावली के नियम 20 (घ) के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु दिए गए नोटिस के बावजूद अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक किए जाने की स्थिति में अधिरोपित दण्ड के संबंध में प्रपत्र-*y* में नोटिस दिया जाएगा।
- (xxix)** अधिनियम की धारा-33 एवं 43 (1) के अधीन नियमावली के नियम 22(क) के अन्तर्गत प्रपत्र-*o** में भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस दिया जाएगा।

- (xxx½) अधिनियम की धारा-33 एवं 43(2)(3) के अधीन नियमावली के नियम 22(ख) के अन्तर्गत अग्नि अंकक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस। विभिन्न श्रेणी के भवनों का अग्नि अंकक्षण $ii=\&^{\wedge}k^*$ में चेक विन्दु (यथा आवश्यक परिवर्तनीय) के आधार पर किया जा सकेगा तथा उस प्रपत्र के अंत में अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता का जवाबदेही लेने एवं उसे दूर करने हेतु नोटिस दिया जा सकेगा।
- (xxxi½) अधिनियम की धारा-34, 35 एवं 43 (2) के अधीन नियमावली के नियम 22(घ) के अन्तर्गत स्वयं अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा किए गए अग्नि अंकक्षण बाद भवन अथवा परिसर के स्वामी को संबंधित जिम्मेवारी लेते हुए निर्धारित अवधि के अंतर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को दूर करने हेतु निदेशक के द्वारा प्रपत्र-‘ष’ में नोटिस दिया जा सकेगा।
- (xxxii½) अधिनियम की धारा-36 के अधीन नियमावली के नियम 22(घ) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘I’* में अधिनियम की धारा-34 एवं 35 के अधीन भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी दिए गए नोटिस से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा।
- (xxxiii½) अधिनियम की धारा-34, 35, 37 एवं 44 एवं नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘g’* में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन स्वामी/अधिभोगी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई तथा भवन अथवा परिसर को खाली करने/सील किए जाने संबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस दिया जाएगा।
- (xxxiv½) अधिनियम की धारा-34, 35 एवं 44 के अधीन नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘क्ष’ में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को खाली करने संबंधी नोटिस के बाद भवन को सील किए जाने संबंधी कार्रवाई।
- (xxxv½) अधिनियम की धारा-44 के अधीन नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘=* में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को बिहार भवन उपविधि, 2014 $le;\≤ ij ;Fkk l'kkf/kr$ की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत भवन को असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस/संबंधित निकाय अथवा प्राधिकार को विधिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन दिया जाएगा।
- (xxxvi½) अधिनियम की धारा-02 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 25(ख) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘K’ में भवन अथवा परिसर में अग्निकाण्ड के संबंध में अग्नि प्रतिवेदन दिया जाएगा।
- (xxxvii½) अधिनियम की धारा-02 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 25(ग) के अन्तर्गत प्रपत्र-‘d*&l में भवन अथवा परिसर में अग्निकाण्ड के संबंध में दिये गये अग्नि प्रतिवेदन में संशोधन हेतु भवन मालिक अथवा अधिभोगी के द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा।
- (xxxviii½) अधिनियम की धारा-22 की उपधारा-01 अधीन नियमावली के नियम 28(क) के अन्तर्गत $ii=-'ख'\&l$ में राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा की सदस्यों की आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित तैनाती शुल्क के भुगतान हेतु संबंधित प्राधिकार को मांग पत्र दिया जाएगा।
- 39- $vu\lf p;_k dh\lp^h\&$
 अनुसूची-d- अधिनियम की धारा-04, 5(क) एवं 12 के अधीन नियमावली के नियम 09 के अन्तर्गत अग्निशमन सेवा के विभिन्न संवर्गों का कर्तव्य एवं जवाबदेही।
- अनुसूची-[k- अधिनियम की धारा-04, 5(क) एवं 12 के अधीन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत अग्निशमालय पदाधिकारी एवं कार्य संचालन सदस्य हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया।
- अनुसूची-x- अधिनियम की धारा-2 (छ), 20 (1), 33/34/35/43(2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 15(घ), 22(ट) तथा 27(क) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक अग्नि अंकक्षण एवं अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क।
- अनुसूची-?k- अधिनियम की धारा-2 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 16 (ड़) के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑन-लाईन प्रक्रिया।

- अनुसूची-M- अधिनियम की धारा-25,26 एवं 27 के अधीन नियमावली के नियम 18(क) के अन्तर्गत पंडाल एवं अस्थाई ढांचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय (भारतीय मानक ब्यूरो, आई.एस. 8758-1993) एवं अग्नि निरोधक (Fire retardant) पंडाल बनाने की प्रक्रिया/सामग्री उपलब्धता।
- अनुसूची-p- अधिनियम की धारा-30 के अधीन नियमावली के नियम 20(छ) के अन्तर्गत अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क।
- अनुसूची-N- अधिनियम की धारा-32 के अधीन नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत अग्निशमन परामर्शी के पंजीकरण हेतु नियम/आवेदन/शुल्क आदि।
- अनुसूची-t- अधिनियम की धारा-33,34,35 एवं 43(1)(2)(3) के अधीन नियमावली के नियम 22 (ग) के अन्तर्गत पुराने भवनों में न्यूनतम अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी परामर्श।
- अनुसूची->- अधिनियम की धारा-22(01) के अधीन नियमावली के नियम 28 (क) के अन्तर्गत राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किए जाने पर निर्धारित देय शुल्क।
- अनुसूची- ' - नियमावली का नियम 32 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या संस्था के अनुरोध पर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवश्यक उपकरणों एवं साधित्रों के साथ प्रतिनियुक्ति पर अबिलम्ब (Standby duty) प्रभार।
- अनुसूची-V- अधिनियम की धारा-3,4,5(क), 6 एवं 9 के अधीन नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा का संगठनात्मक संरचना।

$i \parallel i = \& d$

$fu; fDr iek.k i =$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-10 की उपधारा-(1) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 06 के अन्तर्गत) ।

$jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh\lg\&fun'kd dk dk;k\&y;] fcgkj] iVuk A$

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

पिता का नाम श्री.....

आवास.....

सदस्य का पासपोर्ट
साईज फोटो सहायक
निदेशक, अग्निशमन
सेवा द्वारा अनुप्रमाणित

जिनका फोटो प्रमाण-पत्र के दाहिने भाग में ऊपर लगा हुआ है, को बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) के अधीन, पद पर नियुक्त किया गया है और दिनांक के प्रभाव से बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ निहित की गई हैं। श्री की वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तारीख है।

सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

जिनके द्वारा अनुप्रमाणन किया गया।

स्थान : पटना

$fun'kd]$
 $fcgkj vfxu'keu l ok$

$i i = \&[k$

$vkicf/kd\ vukif\Uk\ iek.k\ i = gr\ vkonu\ i = \frac{1}{4}vuy\Ud\ lfgr^{\frac{1}{2}}$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत)

संदर्भ संख्या—
प्रेषक,

.....
.....

सेवा में,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

$fo''k; \& Hkou\ fuek.k\ d\ fy, \ vkicf/kd\ vf\Uu\ fuokj.k, o\ vf\Uu\ lj\{kk\ vukif\Uk\ iek.k$
 $i = grA$

महाशय,

मैं/हमलोग भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव समर्पित कर रहा हूँ/कर रहे हैं, जो संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार भवन उपविधि, 2014 $le; \& le; ij; Fkk\ l'kkf/kr$ राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le; \& le; ij; Fkk\ l'kkf/kr$ के अन्तर्गत मुझे/हमें अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। संबंधित सभी अधिनियम एवं नियमावली तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन करने हेतु शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

निम्नलिखित विवरणी के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

- (1) प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए चिन्हित प्लॉट का विवरणी:—

(क) क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)–	(ख) मौजा/वार्ड का नाम–
(ग) एम०एस०/सी०एस०/प्लॉट नंबर–	(घ) खाता संख्या/शीट संख्या–
(ड.) तौजी संख्या/चक्र संख्या–	(च) थाना संख्या/मोहल्ला–
- (2) संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम/जिला–
- (3) संबंधित अग्निशामालय का नाम–
- (4) प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुँचने के लिए मार्ग विवरणी–
- (5) दूरी के साथ जल का सबसे निकटतम श्रोत(नदी/झील/तालाब/कुआँ/नगरपालिका जल स्रोत/सार्वजनिक-निजी जल हाईड्रेंट्स)–
- (6) लाईसेंसिंग प्राधिकरण का पदनाम और पता जिसके लिए एन०ओ०सी० को भेजा जाना है–
- (7) भूमि के मालिक का नाम व पता (सम्पत्ति-खुद का/किराए पर/पट्टे पर)–
- (8) सम्पर्क नंबर/फैक्स/ई-मेल आई०डी० आदि के साथ वास्तुविद् का नाम और पता–
- (9) सम्पर्क नंबर/फैक्स/ई-मेल आई०डी० आदि के साथ भवन निर्माता का नाम और पता–

 $gLrk\{kj$

vkonu d l kfk vuyXud

¼d½ Hkou ;k t uk %&

- (1) एक योग्य सिविल या संरचनात्मक अभियंता, एक वास्तुविद् और मालिक/भवन निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित भवन योजनाओं के दो सेट (1:200 पैमाना से कम नहीं), जिसमें पहुँच पथ, मृत अंत, भवन के सभी अधिभोग/फर्श, एयर कंडीशनिंग और डंपर्स, सीढ़ियों, कोरिडोर, लिफ्ट, रैंप दिखाया गया हो ।
- (2) स्थल योजनाओं के 2 सेट, जिसमें सभी तरफ खुले स्थानों को चिन्हित किया गया हो ।
- (3) अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को चिन्हित करते हुए बेसमेंट/स्टिल्ट सहित फर्शवार योजनाओं के 2 सेट ।
- (4) छत योजनाओं के 2 सेट ।
- (5) दो तरफ के अनुभाग (सेक्सन) योजनाओं के 2 सेट ।
- (6) दो तरफ की उँचाई की योजनाओं के 2 सेट ।
- (7) सीढ़ियों के माध्यम से दो खंड ड्रॉविंग्स (सेक्सन ड्रॉविंग्स)(NBC-p-2&12-2-5-1-b/c) ।
- (8) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।

¼[k½ p dfyLV&

- (9) किसी भी सुधार और अंतरप्रविष्टि के बिना स्वच्छ रूप से टंकित चेक लिस्ट ।

¼x½ vUMjVfdXl&

- (10) निम्नलिखित के बारे में शपथ पत्र/वादा—
 - (क) अंतिम एन०ओ०सी० के अनुसार निर्देशों का अनुपालन ।
 - (ख) कार्य के प्रारंभ होने के बारे में जानकारी ।
 - (ग) आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
 - (घ) सभी मामलों में निर्माण पूरा होने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ।
 - (ङ) अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए अंतिम एन०ओ०सी० प्राप्त करना ।
 - (च) अग्निरोधक उपकरणों का रख-रखाव ।
 - (छ) नियमित नकली ड्रिल करने के लिए कर्मचारियों और अधिवासियों को प्रशिक्षण ।
 - (ज) आवधिक अग्नि अंकेक्षण के लिए बुलाना ।
 - (झ) अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान हेतु प्राक्कलन और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के प्राक्कलन का 15% बैंक गारंटी के रूप में जमा करने के लिए ।
 - (ञ) स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, le;≤ ij ;Fkk l l'kkf/kr बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l l'kkf/kr बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 और सभी लागू भवन कानून/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने संबंधी ।

$i \parallel i = \&^{\wedge} x^*$

$Hk\text{ou} \text{ fuek}.k \text{ l} \text{ lcf/kr } t \text{ kp } l \text{ ph}$

$\frac{1}{4}vkicf/kd, u\mathbb{E}vk\mathbb{E}lh\mathbb{E}@vfre, u\mathbb{E}vk\mathbb{E}lh\mathbb{E}\%$

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-15 (च)(झ) के तहत)

lffkr& भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग-4 (NBC-p-4)/भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le;\≤ ij ;Fkk \text{ l}'kkf/kr$ भाग-4 (NBC-P-4)/बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित(BL)। भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le;\≤ ij ;Fkk \text{ l}'kkf/kr$ के प्रावधान भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 पर प्रभावी होंगे, जिनका संदर्भ मात्र दिशा निर्देश हेतु दिया गया है।

1	प्रस्तावित भवन अधिभोग का प्रकार		प्रस्तावित /पूर्ण/ लागू नहीं	
2	उप.कब्जे के प्रकार			
3	प्रस्तावित भवन का नाम-			
4	जमीन के स्तर से प्रस्तावित भवन की ऊँचाई- संदर्भ-(NBC-P-4-3-4-4)/Table-7		(मीटर में)	
5	प्रस्तावित निर्माण स्थल के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई (दो भवनों के बीच न्यूनतम दूरी ऊँचे भवन की ऊँचाई के 1/3 से कम नहीं होगी या 18 मीटर, जो कम हो (BL-7))		दिशा	मीटर
			उत्तर	
			दक्षिण	
			पूरब	
			पश्चिम	
6	बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (BL-31)		खड़ा	मीटर
			क्षैतिज	मीटर
7	प्रस्तावित भवन का आच्छादित क्षेत्र- वर्ग मीटर में			
	तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का कुल निर्मित क्षेत्र-वर्ग मीटर में			
8	क	मंजिलों की संख्या-		
	ख	तलघर की संख्या-		

ग	स्टिल्ट/भूतल की संख्या-						
घ	ब्लॉक की संख्या-						
ड.	प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार						
च	मंजिल	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अधिभोग का वर्गीकरण	भवन निर्माता द्वारा घोषित निवासियों की संख्या	रा०भ०सं०-तालिका के आधार पर रहने वालों की संख्या अर्थात फर्श क्षेत्र को अधिभोग भार से विभाजित	सीढ़ी की कुल चौड़ाई (जैसा बिल्डर द्वारा घोषित किया गया है) मीटर में	
	तलघर-1						
	तलघर-2						
	स्टिल्ट-1						
	भूतल						
	स्टिल्ट-2						
	मंजिल-1						
	मंजिल-2						
	मंजिल-3						
	मंजिल-4						
	अन्य						
9	पहुँच के साधन-						
क	पहुँच सड़क- सड़कों की संख्या जो परिसर तक पहुँच रहा है-						
ख	पहुँच स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई)- पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए (BL-33,34) (nbc-p-3-4.6.a;4.8/ p-4-7.4.1.a)			पहुँच स्ट्रीट का नाम-			
पहुँच स्ट्रीट-1 की चौड़ाई (मीटर में)							
पहुँच स्ट्रीट-2 की चौड़ाई (मीटर में)							
ग	क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है-						
घ	क्या मृत अंत में समाप्त हो रहा है-(nbc-p-3-4.7;/ p-4-3.4.6)						

10	क	पहुँच/ खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक (BL-35,36,37)(nbc-p-3-4.6:4.2.4.6 8.2.3.1:8.4.1:9.4.1.a/p-4-3.4.6:5.1.6:7.4.1)	दिशा	मीटर	
			उत्तर		
			दक्षिण		
			पूरब		
			पश्चिम		
			आगे की दिशा	पूरब/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण	
	ख	भवन और भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच-(nbc-p-2-12.2.5.1.a / p-3-4.6/7)			
	ग	भवन तक पहुँच और चारों ओर 06 मीटर पहुँच हेतु स्थान 45 टन के अग्निशमन वाहनों के भ्रमण हेतु कठोर प्रकृति का होगा। पहुँच हेतु इस 06 मीटर के स्थान को पार्किंग से मुक्त एवं अन्य अवरोध, संरचना या फिक्स्चर से 4.5 मीटर की ऊँचाई तक मुक्त रखा जाएगा, जिसके उपर 1.25 मीटर का खुला बालकोनी का अनुमति होगा। (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय)			
	घ	अगर पानी टंकी या पुल पर छत है और पहुँच पथ में है, तो छत को 45 टन के अग्निशमन वाहन का भार का सामना करना चाहिए। (nbc-p-4-5.1.6)			
	ड.	भवन की ऊँचाई के अनुसार भवन के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए एवं यह ध्यान में रखना चाहिए कि अग्निशमन एवं बचाव हेतु अग्निशमन वाहनों का चालन सुनिश्चित हो।			
	च	भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनों के घूमने हेतु और हवाई सीढ़ी लगाने हेतु न्यूनतम मार्ग होना चाहिए।			
	छ	भवन के आस पास अनिवार्य खुली जगह का उपयोग पार्किंग स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा।			
	ज	अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5.00 मीटर होगा। वाहन चालन के रास्ते में आवश्यक ऊँचाई निकासी (5.00 मीटर) में कोई अवरोध नहीं होगा। बड़ी अग्निशमन वाहनों के मुक्त भ्रमण और विशेषकर विशाल हवाई सीढ़ी हेतु इस न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता है।			

11	कार पार्किंग (NBC-p-2-12.2.51.g/ p-3-10/Appdx.B)		विवरणी	वाहनों की संख्या		
			तलघर			
			स्टिल्ट			
			भूतल			
12	खुले स्थान में प्रोजेक्शन :-		दिशा	मीटर		
			सामने			
			साईड 1			
			साईड 2			
			पीछे			
13	प्रवेश/ निकासी (NBC-p-3-4.6)					
	क	प्रवेश द्वार की संख्या :-				
		निकासी द्वार की संख्या :-				
	ख	प्रवेश/निकास विवरणी	प्रवेश पहुँच	सड़क की ओर चौड़ाई (मीटर में)		
			प्रवेश 1			
			प्रवेश 2			
	ग	सिर के तरफ खुला स्थान	मीटर में			
14	सीढ़ियाँ					
	क	आंतरिक सीढ़ी की संख्या-	(न्यूनतम-1)			
		बाहरी सीढ़ी की संख्या-	(न्यूनतम-1)			
	आंतरिक सीढ़ी(NBC-P-4-4.4.2.4.3.1/4.4.2.4.3.2/4.4.2.4.3.3)					
	क	आंतरिक सीढ़ियों की संख्या और चौड़ाई-(NBC-p-4-4.9.6)	सीढ़ियों की संख्या	स्थान	चौड़ाई (मीटर में)	
				मंजिल संख्या से	मंजिल संख्या पर	
			1			
			2			
			3			
			अन्य			

ख	ट्रीड्स की चौड़ाई -(NBC-p-4-4.9.7)	सेंमी०	
ग	राईजर की उँचाई-(NBC-p-4-4.9.8)	सेंमी०	
घ	राईजर की संख्या-(NBC-p-4-4.9.9)	प्रति फ्लाइंट	
ड.	हैण्ड रेल की उँचाई(100 सेंमी० की उँचाई पर)-(NBC-p-4-4.9.9)	मीटर	
च	दो उर्ध्वाधर के बीच का स्थान-	सेंमी०	
छ	सिर के उपर खुला स्थान-	मीटर	
ज	निर्माण गैर-दहनशील सामग्री से होनी चाहिए- (NBC- p-4-4.9.1)		
झ	कम से कम एक बाहरी दीवार के साथ एक आत्म निहित इकाई और पूरी तरह से बंद होना चाहिए- (NBC- p-4-4.9.2)		
ञ	लिफ्ट के आस-पास न हो-(NBC- p-4-4.9.3)		
ट	डिजाईन इस प्रकार हो कि मंजिल की लैंडिंग के बीच में लोगों की संख्या, प्रत्येक मंजिल की तुलना में कम नहीं हो(NBC-p-4-4.9.10)		
ठ	सीढ़ी में बिजली के पैनल/ ए०सी० नलिकाएँ या गैस पाईप की अनुमति नहीं दी जाएगी। (NBC- p-4-4.9.4/10f)		
ड	सीढ़ियों तक पहुँच 2 घंटे की फायर रेटिंग/धुआँ दरवाजा की तरफ से हो (NBC- p-4-4.9.10b)		
ढ	यात्रा दूरी		
	1	सबसे दूर के स्थान से दूरी	मीटर
	2	गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी	मीटर
	बाहरी सीढ़ी (NBC-P-4-4.4.2.4.4.3)		
क	सीढ़ी की संख्या (न्यूनतम एक) और	सीढ़ियों	स्थान
			सीढ़ी की चौड़ाई (मीटर में)

	चौड़ाई	की संख्या	मंजिल संख्या से	मंजिल संख्या पर	
		1			
		2			
		3			
		अन्य			
ख	ट्रीड्स की चौड़ाई -		सेंमी०		
ग	राईजर की उँचाई-		सेंमी०		
घ	राईजर की संख्या-		प्रति फ्लाईट		
ङ	हैण्ड रेल की उँचाई-		मीटर		
च	दो उर्ध्वधर के बीच का स्थान-		सेंमी०		
छ	सिर के उपर खुला स्थान-		मीटर		
ज	यह भूतल/ स्टिल्ट फ्लोर पर ही समाप्त होगा। यह तलघर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें आंतरिक सीढ़ियों से दूरस्थ और अलग प्रवेश द्वार होगा ।				
झ	सीढ़ी के प्रेशराईजेशन(NBC-P-4-4.2.5)				
	सीढ़ियों के दबाव को उच्चतर भवनों के लिए और 500 मर्ग मीटर से अधिक अच्छादन क्षेत्र वाले मिश्रित अधिभोग/ मल्टीप्लैक्स वाले भवनों के लिए अपनाया जाएगा ।				
15	निकास द्वार(NBC-P-4-4.2.4.1)				
	अधिभोग वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार चौड़ाई वाला प्रत्येक निकास द्वार एक संलग्न सीढ़ी या एक गलियारे या पारगमन के क्षेतिज निकास में खुल जाएगा, जो कि निरंतर और संरक्षित तरीके से बाहर निकलने के साधन प्रदान करेगा।				
16	रैम्प(NBC-P-4-4.4.2.4.3.5) (NBC- p-4-4.14/ p-3-10)				

	क	रैम्प की संख्या-		
	ख	चौड़ाई-	रैम्प	रैम्प की चौड़ाई(मीटर)
			रैम्प-1	
			रैम्प-2	
	ग	10 में 1 से अधिक स्टीप न हो और कभी भी 8 में 1 नहीं हो। सतह स्कीड-प्रुफ हो ।		
17	लिफ्ट (NBC-P-8-7.1ls 7.2.4 / NBC-P-2-अनुलग्नक-E) (NBC- p-4-Annex-C-1.5)			
	क	यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता	संख्या	क्षमता (कि०ग्रा०)
			1	
			2	
			अन्य	
	ख	सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता	संख्या	क्षमता (कि०ग्रा०)
			1	
			2	
			अन्य	
	ग	लिफ्ट मोटर रूम प्राथमिक रूप से शाफ्ट के शीर्ष पर स्थित होगा और कमरे की मंजिल द्वारा शाफ्ट से अलग होगा । हालांकि एम०आर०एल० लिफ्टों के लिए यह लागू नहीं है।		
	घ	लिफ्ट एन्कलोजर्स में लैंडिंग के दरवाजे का अग्नि प्रतिरोधी क्षमता 1 घंटे से कम नहीं होगी।		
	ङ	एक लिफ्ट बैक के लिए एक पंक्ति में लिफ्टों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी और लिफ्टों का बैक (दो पंक्तियों का) में लिफ्टों की कुल संख्या 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे की अग्नि प्रतिरोधी क्षमता का एक दीवार लिफ्ट बैक में स्थित व्यक्तिगत शाफ्ट को अलग करेगा ।		
	च	लिफ्ट कार का दरवाजा आधा घंटे का अग्नि प्रतिरोध रेटिंग का होगा ।		
	छ	बंधने योग्य फाटकों को लिफ्टों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और कम से कम 1		

	घंटे के अग्नि प्रतिरोध क्षमता के साथ ठोस लिफ्ट दरवाजे होंगे ।	
ज	यदि लिफ्ट शाफ्ट और लॉबी भवन के मुख्य भाग में है, तो लिफ्ट शाफ्ट में 50 पास्कल्स का एक सकारात्मक दबाव बनाए रखा जाएगा। दबाव के लिए तंत्र स्वचालित रूप से अग्नि अलार्म के साथ कार्य करेगा इसे यंत्रवत् भी संचालित करना संभव होगा ।	
झ	यदि लिफ्ट लॉबी से निकासी भवन के मुख्य भाग में स्थित हो तो आगे घंटे की अग्नि प्रतिरोध क्षमता का एक स्वतः बंद घुआ दरवाजा होगा ।	
ञ	लिफ्ट आम तौर पर तलघर के साथ संचार नहीं करेगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऐसे संचार में है तो तलघर का लिफ्ट लॉबी उपरोक्त प्रकार से स्वतः बंद दरवाजा से प्रेशराईज्ड होगा ।	
ट	भूतल पर स्थित स्वीच सभी लिफ्टों पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अग्निशमन सेवा भूतल से लिफ्ट तक प्रदान किया जा सके ।	
ठ	30 मीटर या अधिक की ऊँचाई वाले भवन के लिए लिफ्ट कारों में टेलीफोन या अन्य संचार सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। लिफ्टों के लिए संचार प्रणाली भवन के लिए बनाए गए अग्नि नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा ।	
ड	किसी भी लैंडिंग पर अग्निशमन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को लिफ्ट शाफ्ट में प्रवेश करने से रोकने के लिए लिफ्ट लॉबी के तल में ढलान देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी ।	
ढ	लिफ्ट के उपर या उसके पास हर मंजिल पर संकेत रखा जाएगा जो इंगित करेगा कि आग की स्थिति में अधिवासियों को सीढ़ियों का उपयोग तब तक करना है जब तक अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है। इस संकेत में प्रत्येक मंजिल के लिए सीढ़ियों के स्थान दिखाए जाने की योजना भी शामिल होगी ।	
ण	हस्तसंचालित बदलाव स्वीच के माध्यम से सभी लिफ्टों के लिए बिजली आपूर्ति का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाएगा ।	
18	फायर लिफ्ट (NBC-P-2-4.4.2.5) (NBC- p-4-Annex-C-1.5)	संख्या.....
क	प्रत्येक 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम 545 कि०ग्रा०/8 व्यक्तियों के लिए एक फायर लिफ्ट	विवरणी
		क्षमता
		फायर लिफ्ट-1
		फायर लिफ्ट-2

ख	ऊँचे श्रेणी के भवनों के लिए फायर लिफ्ट आवश्यक है। फायर लिफ्ट के लिए निम्नलिखित विवरणी लागू होगा:-	
	1 अग्निशमन सेवा कर्मियों के न्यूनतम विलंब के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुँचने के लिए प्रति 1200 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट प्रदान किया जाएगा और आपातकाल में अग्निशमन कर्मियों के अनन्य (Exclusive) उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।	
	2 लिफ्ट का फर्श क्षेत्र 1.4 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा । न्यूनतम 0.8 चौड़ाई का स्वचालित बंद दरवाजा के साथ 545 किलो ग्राम (लिफ्ट में 8 व्यक्ति) से कम नहीं वहन क्षमता होगा ।	
	3 भवन में विद्युत आपूर्ति से अलग विद्युत अपूर्ति किया जाएगा और केबल (वायर) अग्नि से सुरक्षित मार्ग में अर्थात् लिफ्ट शाफ्ट के अन्दर रहेगा। लकड़ी का पैन्लिंग या शीट स्टील निर्माण के साथ एलिभेटर में रोशनी और पंखे 24V आपूर्ति द्वारा संचालित होगा।	
	4 आपातकाल में प्रयोग हेतु अग्निशमन लिफ्ट छत के छल्ले के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि कार अटक जाए, तो आसानी से खोला जा सके।	
	5 सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से बैकल्पिक आपूर्ति पर यात्रा करेगा । भवनों के लिए हस्तसंचालित बदलाव के स्विच के माध्यम से आपूर्ति का यह परिवर्तन किया जा सकता है। बैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस प्रकार वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता के मामले में यह जमीनी स्तर पर नीचे आ जाए और दरवाजा खुलने के साथ रूक जाय ।	
	6 लिफ्ट के समीप प्रवेश स्तर पर ग्लास फ्रोंटेड बक्सा में स्थित एक सामान्य टॉगल्स या दो बटन स्वीच द्वारा फायर लिफ्ट का संचालन होगा । स्वीच के चालू होने पर लैंडिंग कॉल-प्वाइंट निष्क्रिय हो जाते हैं और लिफ्ट सिर्फ कार नियंत्रण पर या प्राथमिकता नियंत्रण डिवाइस पर होगी । स्वीच के बंद होने पर लिफ्ट सामान्य काम पर वापस आ जाएगी । यह लिफ्ट अधिवासियों द्वारा सामान्य समय में उपयोग करने योग्य है।	
	7 प्रत्येक मंजिल के स्तर पर लिफ्ट लैंडिंग दरवाजे पर चमकने वाले रंग में 'फायर लिफ्ट' शब्दों को प्रदर्शित किया जाएगा ।	
	8 फायर लिफ्ट की गति ऐसी होगी कि यह 1 मिनट के भीतर जमीनी स्तर से शीर्ष मंजिल या किसी शरण स्थल तक पहुँच सकता है।	

19	शरण क्षेत्र(NBC-P-2-3.4.5.5/अनुलग्नक- E-4)(NBC- p-4-4.12.3 &Appendix-D)मंजिल पर.....	वर्ग मीटर	
20	फायर टॉवर-(NBC- p-4-3 एवं 4.13)उँचाई पर-मीटर		
21	निकासी की व्यवस्था एवं निकासी हेतु अन्य आवश्यकताएँ (NBC-P-4.4.2/4-4.4.2.2 /4.4.2.3) (NBC- p-4-4 Appendix-C)		
	क	निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार किसी खास श्रेणी के अधिभोग के लिए फर्श पर यात्रा दूरी निर्धारित सीमा के भीतर होगी और कोरिडोर के मृत छोर से यात्रा दूरी का आधा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपवाद स्वरूप सभा और संस्थागत श्रेणी के लिए यह 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
	ख	लिफ्ट और एस्केलेटर को निकास के रूप में नहीं माना जाएगा ।	
	ग	किसी दूसरे कब्जे वाले इकाई से गुजरे बिना प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर पर्याप्त सुरक्षित निकास होगा।	
	घ	निकास की क्षमता (सकल चौड़ाई) अधिमानी भार (प्रभावित मंजिलों में) और अधिवासियों के आधार पर होगी ताकि प्रति 50 सेंटीमीटर निकास से सुरक्षित रूप से निकाला जा सके।	
	ङ	अग्निशमन मार्गों में, विशेष रूप से लिफ्टों और सीढ़ियों के प्रवेश पर, जो अग्नि/ धुआँ के प्रभाव से ग्रस्त होते हैं,आग और धुआँ का फैलाव रोकने के लिए दो घंटे की आग प्रतिरोधी क्षमता का अग्नि चेक दरवाजा दिया जाना।	
	च	किसी भी फर्श क्षेत्र या कब्जे वाले भार के भीतर व्यक्तियों की संख्या वास्तविक पर आधारित होगी ।	
	छ	निकासी सीढ़ियों का यात्रा दूरी भवन की श्रेणी के अनुसार होनी चाहिए । ये एक दूसरे से दूर होना चाहिए और अलग-अलग दिशाओं में बाहर निकलना चाहिए। तलघर के लिए यात्रा दूरी 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	
	ज	सतत सुरक्षित निकासी के लिए गलियारों में या लैंडिंग के माध्यम से बंद सीढ़ियों में खुलनी चाहिए।	
	झ	सीढ़ियाँ बंद प्रकार की होगी ।	

	ज	निकासी दरवाजा बिना किसी चाभी के खुलने में सक्षम होने चाहिए ।	
	ट	रास्ते बिना किसी रूकावट के होने चाहिए ।	
22	बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान (NBC-P-3.4.5.6)		
	भवन के फर्शों के बीच प्रत्येक उर्ध्वाधर खुलने वाले स्थान बंद रहेंगे अथवा अग्नि /धुआँ के फैलाव को उर्ध्वाधर खुला स्थानसे होकर मंजिल/दरमंजिल फैलने हेतु रोकने के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि अधिवासी द्वारा उसे अग्निकाण्ड की स्थिति में निकासी हेतु उपयोग कर सकें।		
23	कोरिडोर और मार्ग(NBC-P-4.4.4.2.4.2) (NBC- p-4-4.8.1/4.8.3)		
	क	कोरिडोर और मार्ग की चौड़ाई निकासी दरवाजे की कुल वांछित चाड़ाई से कम नहीं होगी ।	
	ख	उपरोक्त (और सीढ़ियों/लिफ्टों) में आग/धुआँ प्रतिरोध दरवाजे होंगे।	
	ग	बाहर निकलने के कोरिडोर और पारगमन में एक विशेष श्रेणी के अधिभाग के लिए निर्धारित पर्याप्त चौड़ाई होगी ।	
	घ	पर्याप्त वेंटिलेशन होगा।	
	ङ	सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रौशनीकरण ।	
24	क्षैतिज निकास(NBC-P-4-4.2.4/अनुलग्नक- E-4) (NBC- p-4-4.12.1/2,5)		
	क	एक ही चौड़ाई के साथ स्वयं समापन प्रकार के कम से कम एक आग दरवाजा हो।	
	ख	सेवारत पक्षों से हर समय दरवाजे खोलने योग्य है।	
	ग	क्षैतिज निकास की चौड़ाई निकास द्वार के लिए समान होगी। प्रत्येक क्षैतिज निकास हेतु न्यूनतम 1 घंटा का फायर रेटिंग के साथ कम से कम एक आग एवं धुआँ जाँच दरवाजा ।	
25	निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:(NBC-P -4-3.4.7) (NBC- p-4-4.2.7:4.16.3/4/10,C1.14b/4.16:Appendix-D1.14)		
	क	आपातकालीन प्रकाश एक स्रोत से संचालित किया जाएगा जो सामान्य प्रकाश की आपूर्ति से स्वतंत्र होगा । निकासी हेतु प्रकाश निम्नलिखित कार्यो हेतु सक्षम होगा :-	

		(क) बचने के मार्गों को स्पष्ट रूप से दर्शाना । (ख) निकासी मार्ग के तरफ एवं सुरक्षित निकास हेतु रास्तों में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराना। (ग) फायर अलार्म कॉल प्वाइंट्स और एस्केप रूट तक अग्निशमन कर्मियों/उपकरणों का आसानी से पहुँच सुनिश्चित करना । (घ) सामान्य प्रकाश आपूर्ति की विफलता के 1 सेकंड के भीतर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था को सक्रिय होना चाहिए । (ङ) छोटे से परिसर के लिए भी 1 घंटे और 30 मिनट की न्यूनतम अवधि के लिए सतत संचालन करने में सक्षम आपातकालीन प्रकाशन प्रणाली होगी ।	
	ख	बैट्री बैकअप सहित आपातकालीन बैकल्पिक बिजली आपूर्ति के साथ सभी निकासी रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हो और चमक वाले संकेत दृष्टिगोचर हो ।	
	ग	डेढ़ घंटे का बैट्री बैकअप के साथ सीढ़ी/निकासी रास्ते एवं फायर एलार्म के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र स्रोत होना चाहिए ।	
26	तलघर(NBC-P-4.4.2.1 9) (NBC- p-3-12.9.3 & p-4-C.1.6)		
	क	प्रत्येक तलघरका फर्श से छत के स्लैब या सीलिंग का निचला भाग से कम से कम 2.4 मीटर की ऊंचाई पर होगा।	
	ख	किसी भी तलघर की छत की न्यूनतम ऊंचाई 0.9 मीटर होगी और आस-पास के औसत जमीनी स्तर से अधिकतम 1.2 मीटर होगी।	
	ग	तलघर तक पहुँच मुख्य और वैकल्पिक सीढ़ियों से अलग होगा, जो उच्च मंजिलों से पहुँच और बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगा।	
	घ	एक सीढ़ी से अधिक की सेवा वाली सीढ़ी के मामलेमें भवन में सीढ़ी लगातार हो तो। तलघर और ऊँचे मंजिल के लिए अग्नि अलगाव का काम करते हुए बन्द प्रकृति का होगा।	
	ङ	तलघर की परिधि में स्थित तलघर की सीढ़ी बन्द प्रकार का होगा जो केवल खुली हवा से ही जमीन के स्तर पर प्रवेश के लिए होगा ।	
	च	यह ऐसी स्थिति में होगा जिससे कि तलघर में किसी भी प्रकार की आग का धुआँ भवन के भूतल या उपरी तल से संबंधित निकास को बाधित नहीं करेगा ।	
	छ	यह 1 घंटा का अग्नि प्रतिरोध क्षमता के स्वतः बंद होने वाले दरवाजा के साथ एक	

	लॉबी के माध्यम से तलघर के साथ संचार करेगा ।	
ज	खुले रैप की अनुमति दी जाएगी यदि वे बिल्डिंग लाइन के भीतर बने हैं।	
झ	यदि यात्रा दूरी आवश्यक होने से अधिक है, तो अतिरिक्त सीढ़ी उचित स्थान पर दिया जाएगा ।	
ञ	तलघर के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा। नियमों के अनुसार खास श्रेणी के भवनों के लिए आवश्यक वेंटिलेशन की आवश्यकता के समान ही वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी ।	
ट	किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर ब्लोअर, निकासी पंखे, वातानुकूलन प्रणाली आदि के माध्यम से पर्याप्त यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान की जा सकती है।	
ठ	प्रत्येक तलघर अलग से हवादार किया जाएगा ।	
ड	तलघर के फर्श स्तर तथा सीलिंग स्तर पर धुआँ निकासी के रास्ते पर वैकल्पिक रूप से एक एयर इनलेट की एक प्रणाली प्रदान की जाएगी।	
ढ	स्टॉल बोर्ड और फुटपाथ रोशनी अग्निशमन सेवा के लिए आसानी से पहुँच की स्थिति में होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से चिह्नित होनी चाहिए।	
ण	बहुमंजिली तलघर में सेवन नलिकाएं सभी तलघर के स्तर पर काम कर सकती हैं, लेकिन प्रत्येक तलघर के स्तर और तलघर के डिब्बे में अलग धुआँ आउटलेट वाहिनी या नलिकाएं होंगे।	
त	प्रदान किए गए नलिकाएं एवं डिब्बा एक ही आग प्रतिरोध रेटिंग का होगा ।	
थ	तलघर की आग से धुआँ किसी भी परिस्थिति में निकासी रास्ते एवं उपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी में प्रवेश नहीं करेगी।	
द	नीचे के तलघर के स्तर से धुआँ निकासी हेतु यांत्रिक निकासी व्यवस्था की जाएगी।	
ध	प्रणाली ऐसे डिजाइन की होगी, जो स्थापित होने पर गर्मी/धुआँ संवेदनशील डिटेक्टरों या आग बुझाने वाले उपकरण के संचालित होने पर काम करती है ।	
न	मैकेनिकल एग्जस्टर के पास एक आंतरिक लॉकिंग व्यवस्था होगी, ताकि एग्जस्टर काम जारी रख सके और अग्नि सूचक के चालू होने तक सामान्य पंखे स्वचालित रूप से बंद हो जाए।	

	प	इसे हस्तचालित करने की भी व्यवस्था भी होगी ।	
	फ	तलघर में एलपीजी/प्रेसर स्टोव का प्रयोग निषिद्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 4 घंटे की अग्निरोधी बाड़ों के लिए अनुमति है।	
	ब	जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ताकि जल निकासी सतह तलघर में प्रवेश न करें ।	
	भ	तलघर की दीवार और फर्श वाटर टाइट होगी ।	
27	फायर रेटिंग-(NBC-P-4-एनेक्श्चर-सी)(NBC-p-4-.4.7/3.4.8/3.4.8.1/3.4.8.2/3 & C1.9)		
	क	यदि भवन एक से अधिक अधिभोग का हो, तो यह सबसे खतरनाक अधिभोग हेतु आवश्यकताओं का पालन करेगा, जब तक कि 4 घंटे की रेटिंगका अलग करने वाली दीवार प्रदान न की जाय ।	
	ख	एक घंटे की फायर रेटिंग का दरवाजा पलायन के रास्ते में खासकर लिफ्ट और सीढ़ी में प्रवेश करने के स्थान पर हो ।	
	ग	आग के प्रसार को सीमित करने के लिए द्वार/फर्श में दो घंटे की फायर रेटिंग का दरवाजा या स्टील रोलिंग शटर हो।	
	घ	2 घंटे की फायर रेटिंग काडक्ट/शाफ्ट के अन्दर दिवाल एवं फर्श का केबुल, प्लंबिंग इत्यादि एक घंटे की फायर रेटिंग का निरीक्षणदरवाजे के साथ हो ।	
	ङ	सभी प्रकार के अग्नि सुरक्षा संबंधी वस्तु जैसे-अग्नि निरोधक दरवाजे आदि दिया जाएगा ।	
	च	दीवारों/छतों/बहाने पर सतह फिनिशिंग आग या विषाक्त धुएं के प्रसार को कम करेगा।	
	छ	आंतरिक सतहों और सजावट के लिए प्रयोग किए जाने वाले फिनिशिंग सामग्री जहरीले धुएं उत्पन्न नहीं करेंगे ।	
	ज	“क्लास 1 लो-स्प्रेड” सर्फिंग सामग्री, और डिकोरेशन, कालीन पर्दे के लिए प्रयुक्त फैब्रिक्स सामग्री आदि हेतु आई०एस० 2777 का उपयोग करें।	
	झ	आग के तेजी से फैलाव को रोकने तथा अधिवासियों के सुरक्षा हेतु ज्वलनशील सामग्री के साथ लाईनिंग किए हुए दीवार, विभाजन या फर्श आई०एस० 1642 के अनुरूप हो।	

28	कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:(NBC-P-4-4.5)	
	क	उच्च उदय भवनों का उचित रूप से कम्पार्टमेन्टलाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि आग/धुआँ उस क्षेत्र तक ही सीमित रहें जहाँ आग की घटना हुई है और भवन के शेष हिस्से में नहीं फैल सके।
	ख	कम्पार्टमेन्टेशन (यदि कोई हो), आग प्रतिरोधी दरवाजे/स्टॉप के विशिष्ट विवरणी दिखाएं।
	ग	2 घंटे की फायर रेटिंग का सेप्रेशन दिवार हो कर सभी फर्श को 750 वर्ग मीटर में बांटा जाएगा ।
	घ	क्या जहाँ आग लगी हो वही पर आग और धुआँ को सीमित करने के लिए कम्पार्टमेंट का प्रावधान किया गया है?(CL C.9 Annexure-C,NBC-p-4)
29	धुआँ निकासी (NBC-P-4-4.4.2.5/4.6)(NBC-p-4-3.4.1/12,4.2.9, C.1.6, 3.4.6.4.2.6, 4.4, 6.4.6.11,3.4,6.4.4,6.4.5)	
	क	सभा क्षेत्र एवं बालकनी में फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 3.3%,स्वचालित धुआँ निकासी भेन्ट को स्थापित किया जाएगा ।
	ख	स्वचालित धुआँ की निकासी को विभागीय अनुमति से बिजली पर संचालित एग्झॉस्टर से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
	ग	ए०सी० के आउटलेट पर आग या धुआँ की स्थिति में धुआँ का फैलाव रोकने हेतु स्वचालित डंपर्स बंद होना चाहिए।
	घ	यांत्रिक वेंटिलेशन और धुआँ निकास प्रणाली ।
	ङ	धुआँके फैलाव को कम करने के लिए छेद(Vents) तलघर के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 2.5% छेद(Vents) होना चाहिए।
	च	वेन्ट्स जो न्यूनतम 2.5% मंजिल है, वे तलघर के है ।
30	विद्युत अधिष्ठापन(NBC-P-4-3.4.6./3.4.5.4और भाग-8) नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, 2011 की धारा-7 (NBC- p-8-3.9.1.5/9.2)	
	क	विद्युत प्रतिष्ठापन लाइसेंसड विद्युत ठीकेदार द्वारा किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी योग्यता-प्रमाण पत्र/परमिट के धारक द्वारा पर्यवेक्षण किया

	जाएगा।	
ख	सभी सर्किट का कार्यान्वयन चेकिंग हेतु पूर्ण ड्रॉइंग ।	
ग	विद्युत वितरण केबल/तारों को एक अलग नलिका में रखा जाएगा। नलिका को हर मंजिल पर गैर-दहनशील पदार्थों के साथ सील कर दिया जाएगा, जिसमें वाहिनी के समान आग प्रतिरोध होना चाहिए। शाफ्ट में और झूठी छत में चलने वाले कम और मध्यम वोल्टेज तारों को अलग-अलग नलियों में चलाना होगा।	
घ	पानी के साधन, टेलीफोन लाइन, इंटरकॉम लाइन, गैस पाइप या किसी अन्य सेवा लाइन बिजली केबल के नलिका में नहीं रखी जाएगी, केबलों के बजाय बस नलिकाएं/टोस बढ़ते साधनों का उपयोग अच्छा रहता है।	
ङ	फायर अलार्म/पीए सिस्टम (नोट: सामान्य से आपातकालीन स्रोत पर जाने हेतु ऑटोमेटिक स्वीच होना चाहिए)	
च	फायरफाइटिंग पंपों, लिफ्टों, सीढ़ियों, गलियारे प्रकाश और दबाव प्रणाली हेतु ब्लोअर के लिए अलग सर्किट सीधे मुख्य स्वीच गियर पैनल से उपलब्ध कराए जाएंगे और इन सर्किटों को अलग पाइप में लगाया जाएगा, ताकि एक सर्किट में आग का दूसरों पर असर न पड़े।	
छ	इस तरह के सर्किट मूल स्थल पर एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर में रक्षा करेगा।	
ज	आवश्यक सेवा सर्किट को नियंत्रित करने वाले मास्टर स्वीच को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा।	
झ	प्रत्येक मंजिल स्तर पर आग को रोकने के लिए, पिलर के साथ केबल आदि और शाफ्ट के बीच की सील स्थान।	
ञ	शाफ्ट में निरीक्षण पैनल के दरवाजे और किसी भी अन्य खुले स्थान को कम से कम 1 घंटे की आग प्रतिरोधी क्षमता वाले एयरटॉयट फायर दरवाजा के साथ प्रदान किया जाएगा।	
ट	आपातकालीन/वैकल्पिक बिजली आपूर्ति और संबंधित बच निकलने और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की प्रभावकारिता का आवधिक सत्यापन(आईएस०-1643-3.6 और 11.6)	
ठ	आग का सामान्य कारण विद्युत आग होने के कारण I.E.R. 30(ISI,	

		विद्युत सामग्री) एवं आई०एस०-732 एवं NBC-P-2, (विद्युत वायरिंग) का अनुपालन आवश्यक है। भवन का अग्नि सुरक्षाएँ बिजली वायरिंग एवं ट्रांसफार्मर सुरक्षा संबंधी आई०एस०-1646,732,10028 का अनुपालन आवश्यक है। पुनः विद्युत सुरक्षा के लिए भारतीय विद्युत नियमावली, एवं संबंधित आई०एस०/संहिता का अनुपालन आवश्यक है। (N.E.C.-Part-3-3 एवं आई०एस०-4878-14; आई०एस०-1646 एवं 732) ।	
31	सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर(NBC-P-4-3.4.6.3/भाग-8)		
	क	ट्रांसफॉर्मर्स रूम/बाड़े, स्थान और वेंटिलेशन/निकास ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से कोई धुआँ बाहर निकलने/भागने वाले मार्गों या पार्किंग या भवन के अन्य भागों में प्रवेश नहीं कर सके।	
	ख	ट्रांसफार्मर की कुंडली कम से कम 15 सेमी ग्रेड से ऊपर होनी चाहिए और यदि तेल भरा हुआ है तो किसी भी पार्किंग क्षेत्र में तेल को लीक करने से रोकने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए।	
	ग	इंडोर ट्रांसफार्मर को ऑटो उच्च वेग जल स्प्रे या इमलसिफाईंग सिस्टम होना चाहिए(IS-15.10.3) ।	
	घ	ट्रांसफार्मर के पास गड्ढे, बाड़ लगाहो और 45 लीटर फोम ट्रॉली के साथ प्रदान किया जाएगा ।	
	ङ	तेल भरा उपकरण के साथ उप-स्टेशन या स्वीच स्टेशन भवन में स्थित नहीं होगा।	
	च	उप-स्टेशन संरचना की अलग-अलग आग प्रतिरोधी दीवार/परिवेश होंगे।	
	छ	अग्नि निकासी सीढ़ी से अलग से पहुँच के साथ प्रवाह की परिधि के पास अनिवार्य रूप से सब-स्टेशन संरचना होगी।	
	ज	सब-स्टेशन क्षेत्र में दरवाजे और खिड़कियाँ सहित बाहरी दीवार, छत, फर्श, खुला स्थान 2 घंटे की आग प्रतिरोधक क्षमता का होना चाहिए।	
	झ	ट्रांसफार्मर कमरे तक सीधे पहुँच प्रदान की जाएगी, प्राथमिकता के तौर पर आग से बच सीढ़ी के बाहर।	
32	बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत- (NBC-P-4-3.4.6.2) स्वचालित- मैन्युअल-		

33	एयर कंडीशनिंग सिस्टम-(NBC-P-4-4.3.4.8)		
	क	सीढ़ियां, आम गलियारा, लिफ्ट लॉबी आदि जैसे एस्केप मार्गों को रिटर्न वायु मार्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।	
	ख	डक्टिंग का निर्माण पर्याप्त गेज वाले धातु से किया जाएगा।	
	ग	जहाँ अग्नि दरवाजा या फर्श से डक्ट गुजरता हो डक्ट के चारों ओर का खुला स्थान कम्पार्टमेंट के अग्निरोधी क्षमता से बंधित सामग्री से सील करना है।	
	घ	जहाँ एक नलिका एक कक्ष पार करती है, जो कि फायर रेटेड है तो डक्ट की वही फायर रेटिंग होगी ।	
	ङ	डक्ट सिस्टम (अंदर या बाहर) को इन्सुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री गैर-दहनशील सामग्री का होनी चाहिए। ग्लास उसदहनशील प्रकृति की किसी भी सामग्री से लपेटा या सुरक्षित नहीं होगा।	
	च	फर्श का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर से अधिक होने पर एक अग्नि दीवार और स्वचालित फायर डैम्पर से अलग किया जाएगा ।	
	छ	मुख्य मंजिल क्षेत्र, गलियारों आदि की सेवा करने वाली वायु वाहिनी सीढ़ी के बाड़े से नहीं गुजरेगी।	
	ज	प्रत्येक मंजिल के लिए एयर-हैंडलिंग इकाइयाँ अलग-अलग होंगी और प्रत्येक फर्श के लिए वायु नलिकाएँ अलग हो जाएगी और किसी अन्य मंजिल के डक्टिंग से अंतर-जुड़ा नहीं होगा।	
	झ	ताजी हवा के लिए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट गैर-दहनशील सामग्री का हो।	
	ञ	एयर हैंडलिंग इकाइयों का हवा फिल्टर गैर-दहनशील सामग्री का होगा।	
	ट	एयर हैंडलिंग यूनिट कमरे किसी भी दहनशील सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।	
	ठ	डक्ट की सफाई की सुविधा हेतु मुख्य ट्रंक में इन्पेक्शन पैनल प्रदान किया जाएगा ।	
	ण	अग्नि डैम्पर-	

		(क) ये वातानुकूलित वायु नलिकाएँ में स्थित होंगी और निम्नलिखित बिंदुओं पर वायु नलिकाओं/मार्गों की वापसी होगी: (i) आग अलग दीवार पर (ii) जहाँ डुकाएँ फर्श से गुजरती हैं, और (iii) हर मंजिल पर प्रत्येक डिब्बे की आपूर्ति वायु वाहिनी और वापसी वायु नलिका के प्रवेश पर (ख) डैपर्स स्वचालित रूप से काम करेंगे और साथ ही एयर-हैडलिंग पंखे को बंद कर देगी। मैन्युअल ऑपरेशन सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।	
34	आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान-(NBC-P-4.3.4.6.5.)		
35	न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन-(NBC-P-4 का तालिका-7) (एनबीसी-भाग 4) तालिका 07 में निर्धारित न्यूनतम निश्चित अग्निशमन प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाना चाहिए।		
	क	डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम-(NBC-P-4-4.9) 15 मीटर या उससे ऊपर की ऊँचाई वाले सभी भवनों को मैन्युअल रूप से संचालित विद्युत फायर अलार्म (एमओईएफए) प्रणाली और अच्छे अभ्यास के अनुसार स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा।	
	A-1	मैन्युअली संचालित विद्युत एलार्म सिस्टम।(MOEFA-NBC टेबल-7)	
	A-2	संपूर्ण भवन में मैनुअल कॉल अलार्म प्वाइंट्स	कुल संख्या-
	A-3	भवन के प्रत्येक मंजिल पर स्थित एक या अधिक कॉल बक्से के साथ एमओईएफए स्थापित किया जाएगा। कॉल बक्से अच्छे अभ्यास के अनुरूप होंगे।	
	A-4	छात्रावास में कॉल बक्सों की स्थापना और ऐसी अन्य जगहों पर जहाँ इन्हें दुरुपयोग होने की संभावना है, से बचा जाना चाहिए। आवासीय इकाइयों में सभी बक्से के स्थान प्राथमिकता के तौर पर भवन के अंदर होंगे।	
	ख	स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम(NBC-P-4-4.9 और टेबल-7)	
	B-1	धूम्र संसूचक	कुल संख्या.....।

B-2	हीट डिटेक्टर,	कुल संख्या	
B-3	बीम डिटेक्टर (आई०एस०-2189:1999 देखे)	कुल संख्या	
B-4	मंजिल में अग्नि संसुचक नियंत्रण पैनल-	कुल संख्या	
ग	स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम (NBC-P-4-2.6.4.2/5.1.3 और टेबल-7)(आई०एस०-15105:2002 देखें)	कुल संख्या	
घ	नली रील।(NBC-P-4-5.1 और तालिका-7)	कुल संख्या	
ड.	वेट राईजर्स-(NBC-P-4-2.6.5 और टेबल-7)	कुल संख्या	
च	सूखी राईजर (स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार सूखी राईजरों का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में या आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।)		
छ	डाउन कमर		
ज	यार्ड हाइड्रेंट (NBC-P-4-2.6.4.1 और टेबल-7) भवन की फायर पम्प के लिए	कुल संख्या	
झ	प्रत्येक मंजिल, तलघर और छतों सहित, पर आंतरिक हाइड्रेंट्स	संख्या	
ञ	राज्य जल भंडारण जलाशय (NBC-P-4-5.1.2.1 और तालिका-07)- अग्निशमन के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट क्षमता के साथ भूमिगत/टेरेस स्तर पर पानी की एक संतोषजनक आपूर्ति हमेशा स्थिर भंडारण टैंक के रूप में उपलब्ध होगी। भूमिगत स्टैटिक टैंक के लिए 1000 लीटर प्रति मिनट की दर से आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से पुनः पूर्ति की व्यवस्था होगी। जब यह व्यवहारिक नहीं है, तो स्थानीय अग्नि ब्रिगेड के परामर्श से स्टैटिक भंडारण टैंक की क्षमता अनुपात में वृद्धि होगी।		
ट	भूमिगत स्टैटिक जल	विवरणी	लीटर

	टैंक कुल क्षमता.....लीटर..	भूमिगत स्टैटिक जल टैंक 1				
		भूमिगत स्टैटिक वॉटर टैंक 2				
ठ	छत टैंक कुल क्षमता लीटर.....	विवरणी	लीटर			
		छत टैंक 1				
		छत टैंक 2				
ड	वेट राईजर पर दबाव डालने के लिए स्टेशनरी फायर पंप (NBC-P-4-5.1.2.2 और टेबल-07)					
1	पम्पस्:	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
		जॉकी पम्प 1				
		जॉकी पम्प 2				
2	इलेक्ट्रिकल मुख्य पंप:	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
		पंप 1				
		पंप 2				
3	स्टैंडबाय डीजल पम्प	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
		पंप 1				
		पंप 2				
4	छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
		इलेक्ट्रिकल पंप 1				
		इलेक्ट्रिकल पंप 2				
5	बूस्टर पंप	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
		बूस्टर पंप 1				
		बूस्टर पंप 2				
36	प्राथमिक मदद हेतु अग्निशमन उपकरण/एक्सटिंग्वीशर्स(NBC-P-4-5.1.1 और तालिका-07)		संख्या			
	आईएस 2190:1992 के अनुसार प्राथमिक मदद हेतु अग्निशामकों को मुहैया कराया जाना चाहिए। नोट:- आग बुझाने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में अग्निशामक यंत्र प्रदान की जानी चाहिए।					

	(1) 5 किलो की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर और प्रत्येक 8 कारों के लिए साफ, सूखी, महीन रेत से भरा 2 आग बाल्टी का मुहैया कराया जाना चाहिए।										
	(2) 2 किलोग्राम की क्षमता का एक एक्सटिंग्वीसर क्षमता प्रत्येक मुख्य स्विच बोर्ड कक्ष के द्वार के पास प्रदान की जानी चाहिए।										
	(3) 5 किग्रा की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर ट्रांसफार्मर (यदि स्थापित हो तो) के पास प्रदान की जानी चाहिए।										
	(4) 5 किग्रा की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर प्रत्येक लिफ्ट रूम में प्रदान की जानी चाहिए।										
	(5) प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक सीढ़ी के लैंडिंग के पास 9 लीटर क्षमता का वाटर पाईप गैस काट्रीज एक्सटिंग्वीसर रखी जानी चाहिए।										
	(6) अन्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त एक्सटिंग्वीसर का पैमाना अलग से निर्धारित करना होगा । प्रत्येक क्षेत्र की उपयोगिता को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए विभाग के पास आने से पहले अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एक्सटिंग्वीसर के पैमाने एकत्र किए जाएंगे।										
	(7) ऊपर सुझाए गए सभी एक्सटिंग्वीसर बीआईएस मार्क के साथ होनी चाहिए और सामान्य रास्ते को बाधित किए बिना सुलभ पहुँच की स्थिति में हो ।										
	क्रमांक	एक्सटिंग्वीसर का प्रकार	क्षमता	गुणवत्ता	मेक	क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०।	विनिर्माण का वर्ष	खरीद का वर्ष	आईएस आई का मार्क	अभ्युक्ति/रिफिलिंग की तिथि	
37	हेलीपैड(NBC-P-4,Annexure&E&8)										
	200 मीटर से अधिक उचाई वाले भवनों के लिए (अगर हेलीपैड व्यवस्था की जाती है)।										
38	अग्नि नियंत्रण कक्ष:- (प्रवेश-लॉबी में) (NBC-P-4-3.4.12)										
	1. विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के साथ										
	2.विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच इंटरकॉम व्यवस्था -										

39	अग्नि सुरक्षा अधिकारी-(NBC-P-4-4.4.10.1/4.10.2)(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा- 29 के तहत) व्यक्तिगत तौर पर- अन्य बिल्डरों के साथ-		
40	फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर:- (NBC-P-4-4.4.1.1 और अनुलग्नक-D)		
	क	आग रोकथाम हेतु अधिवासियों का नियमित प्रशिक्षण का प्रावधान	
	ख	आपातकाल की स्थिति में भवन में अग्निशमन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भवन से निकासी संबंधी अग्नि सूचना/आदेश तैयार किए जाएंगे। आपात स्थिति में अधिवासियों को अग्नि सूचनाएं प्रदर्शित करके और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यों से अच्छी तरह से परिचित कराया जाएगा। इस तरह के नोटिस को मोटे अक्षरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।	
41	फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट:- (NBC-P-4-अनुलग्नक-E-7) अग्नि अंकेक्षण की तारीख		
42	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए प्राक्कलन(वास्तुकार द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत किए गए हैं?		
43	क्या बैंक गारंटी के रूप में अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्राक्कलन का 15% जमा किया गया है?		
44	क्या एन०ओ०सी० प्राप्ति हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है?		
45	तकनीकी स्टाफ के नाम, पता, लाइसेंस नंबर, हस्ताक्षर प्रदान करें।		
	क	भवन निर्माता	
	ख	वास्तुकार	
	ग	संरचनात्मक इंजीनियर	
	घ	विद्युत ठीकेदार	
	ड.	अग्नि सुरक्षा सिस्टम ठीकेदार	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है, गलत प्रतिनिधित्व नहीं है या गलत नहीं है। मैं समझता हूँ कि उपरोक्त जाँच सूची में दी गई किसी भी गलत जानकारी की स्थिति में, औपबधिक/अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र को राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा वापस किया जा सकता है/रद्द किया जा सकता है।

आर्किटेक्ट/इंजीनियर/बिल्डर/विद्युत ठीकेदार/अग्नि सुरक्षा प्रणाली समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-?k

fofHkUu vf/kfu;e ,o fu;eki d vUrx'r iko/kkuk d vUiky dju] vfxu l j{kk i. kkyh ,o midj.k
ij 0;; dk xkjVh ,o vU; l lcf/kr 'kiFk i=@oknk %vUMjVfdx·l½

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार के पक्ष में निम्नप्रकार से शपथ लिया जाता है:-
हमलोगों का कहना है कि-.....पर स्थित भवन के हमलोग भवन निर्माता, प्रमोटर एवं डेवलपर्स हैं।

- हमलोग राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग विनियम, 1981, बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में प्रावधानित एवं औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के परामर्श के अनुसार सभी निष्क्रिय और सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली के उपायों का अनुपालन करने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr के उपविधि 10 के तहत कार्यारंभ के संबंध में जानकारी देने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr के उपविधि 12 के तहत निर्माण की आवधिक रिपोर्ट देने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr की उपविधि 15 के अनुपालन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में नोटिस देने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए अंतिम एन०ओ०सी० का शपथ लेते हैं।
- हमलोग भवन कब्जे की तारीख से 6 महीने के अन्दर भवन के 40% अधिवासियों एवं कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में अग्नि की रोकथाम और अग्निशमन की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण कराने का वादा करते हैं।
- हमलोग नियमित अंतराल पर अग्नि अंकेक्षण के लिए अग्निशमन सेवा को खबर करने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से सर्विसिंग कर और अप्रचलित उपकरणों को बदल कर हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में बनाए रखने का वादा करते हैं।
- सभी अग्निशमन प्रणाली के प्रवधान के लिए व्यय का प्राक्कलन तैयार किया गया है और अग्नि सुरक्षा उपायों पर खर्च हेतु प्राक्कलन चेक लिस्ट के साथ मूल रूप में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जा रहा है।
- उपरोक्त अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के लिए कुल अनुमानित लागत का 15% बैंक गारंटी राज्य अग्निशमन सेवा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत करने का शपथ लेते हैं।
- हमलोग इस बात से सहमत हैं कि हमलोगों के भवन में संबंधित संहिता, अधिनियम, नियम, विनियमन के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्रावधान नहीं रहने या रख-रखाव नहीं करने की स्थिति में अथवा औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के परामर्श का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किसी भी समय बैंक गारंटी जब्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

स्थान.....
दिनांक.....

%Hkou fuekrk@iekVj@Moyij@Hkou Lokeh½
uke&
inuke&
i=kpkj dk irk&
lEid uEcj&

$i \parallel i = \&M$

$vki\text{cf}/kd \text{ } vfxu \text{ } fuokj.k \text{ } ,o \text{ } vfxu \text{ } l\{kk \text{ } vukif\ddot{U}k \text{ } iek.k \text{ } i =$

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत)

$\underline{fun'kd]jkT; \text{ } vfxu'keu \text{ } l\{ok] \text{ } fcgkj] \text{ } iVuk \text{ } dk \text{ } dk;k;y;A}$

$i'kd]$

$l\{ok \text{ } e]$

निदेशक,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना ।

$lnHk \text{ } \&$

$\text{Øekd} \text{-----} \text{fnukd} \text{-----}$

आवेदनकर्ता मे०..... (विशिष्ट आई.डी.नं०.....)

$fo'k; \text{ } \&$

$Hkou \text{ } fuek.k \text{ } d \text{ } fy, \text{ } vki\text{cf}/kd \text{ } vukif\ddot{U}k \text{ } iek.k \text{ } i = \text{ } fux'r \text{ } A$

$egk'k;]$

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार के भवन योजना सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता मे०..... के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च) (iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम..... अधिभोग..... उप श्रेणी..... भवन की ऊँचाई.....(मीटर में) फर्श क्षेत्र.....वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या.....तलघर की संख्या..... स्लिट/भूतल की संख्या....., भवन के ब्लॉक की संख्या....., प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार....., लिफ्ट की संख्या....., फायर लिफ्ट की संख्या..... रैम्प की संख्या....., आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या....., फायर टावर की संख्या....., है । राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा ।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर.....,दक्षिण..... पूर्व.....पश्चिम.....) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या..., चौड़ाई..., (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या..., चौड़ाई..., (मीटर) प्रस्तावित किया गया है ।

(2) $\underline{[kyk \text{ } LFkku \text{ } ,o \text{ } ig|p\&}$

(क) भवन के चारो तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके ।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ।

(3) $\underline{cukoV \text{ } \&}$

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 $le;\≤ \text{ } ij \text{ } ;Fkk \text{ } l'kkf/kr$ तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

- (ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।
- (ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा ।
- (घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) **सीढ़ी**

- (क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।
- (ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।
- (घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।
- (ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।
- (च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) **सुरक्षा उपकरण**—राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के अनुसार; **सुरक्षा उपकरण** के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:—

- (क) होज रील
- (ख) वेट राईजर—सह—डाउन कमर सिस्टम (..... अदद)
- (ग) यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम
- (घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
- (ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
- (च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
- (छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता.....लीटर
- (ज) ओभर हेड वाटर टैंकलीटर क्षमता
- (झ) एक पम्प हाउसएल.पी.एम., इलेक्ट्रीक एवं डीजल.....एल.पी.एम., जॉकी पम्पएल.पी.एम. बूस्टर पम्प
- (ञ) फायर एक्सटींग्यूअर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे— बिहार भवन उपविधि, 2014, के अनुसार; **सुरक्षा उपकरण** के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:—

विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) **fy¶V %&**

- (I) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।
 - (ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।
 - (iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।
 - (iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्पीक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।
 - (v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।
 - (vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।
- (ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भत्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्ताचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।
- (ग) तलघर में स्वचालित स्पीक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।
- (घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।
- (ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए।
- (च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।
- (छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

- (i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।
- (ii) दो घंटों की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।
- (iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।
- (iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।
- (v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराइजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* के अनुसार करना होगा।
- (vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।
- (vii) *fo |r vf/k"Bkiu-* विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसपेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।
- (viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।
- (ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।
- (x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।
- (xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।
- (xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् राज्य अग्निशमन पदाधिकारी—सह—निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

7. अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

8. इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

9. अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

10. हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन निर्गत किया जाता है।

आपका विश्वासी

प्रतियौ (जैसा आवश्यक है)

1) मे०.....

2) अध्यक्ष नगर निगम.....

$\frac{1}{4}$ ----- $\frac{1}{2}$

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd]

बिहार, पटना।

i i = & p

Hkou fuek.k ; ktuk e =fV ik, tku ij =fV dk fujkdj.k gr| fn, tku oky| fun|'k A
(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा
नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iv) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun|'kd dk dk;ky;] fcgkj] iVuk A

दिनांक...../

सेवा में,

.....
.....

प्रसंग:- आपका पत्रांक- दिनांक-.....

fo"K; %& Hkou fuek.k ; ktuk e ik, x, =fV d fujkdj.k gr| A

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण योजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच भवन निर्माण योजना परामर्शी समिति के द्वारा किया गया। जाँचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी हैं:-

.....
.....
.....
.....
.....

अतः आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण योजना से संबंधित सभी अभिलेख वापस किया जाता है। कृपया पायी गयी त्रुटियों का निराकरण करते हुए बिना किसी प्रकार के काट/अन्तरलेपन/अन्तरलेखन के संबंधित अभिलेखों का स्वच्छ एवं सुस्पष्ट प्रति 10 दिनों के अन्दर राज्य अग्निशमन मुख्यालय में जमा करें, ताकि आपके भवन निर्माण योजना से संबंधित औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में भवन निर्माण योजना परामर्शी समिति के द्वारा विचार किया जा सके।

*jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun|'kd
fcgkj] iVukA*

$i \parallel i = \&N$

$Hkou\ fuek.k\ dju\ oky\ 0; fDr\ }kjk\ dk; l\ ixfr\ dh\ lpuk$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(v) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-.....दिनांक.....

$fo"k; \% \&$

$vkicf/kd\ vfxu\ fuokj.k\ ,o\ vfxu\ lj\{kk\ vukif\Uk\ iek.k\ i= d\ vk/kkj$
 $ij\ Hkou\ fuek.k\ dk; l\ e\ ixfr\ dh\ lpuk\ A$

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक-..... निर्गत किया गया है जिसके आधार पर अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांक-..... से प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भवन का निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (क) भवन निर्माण:- नीव/कुर्सी/बेसमेंट/सतही मंजिल/..... तक हुआ है।
(ख) भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित:- अन्डर ग्राउण्ड टैंक/..... निर्मित/ निर्माणाधीन है।

विश्वासभाजन

निर्माणाधीन भवन का पता:-
दिनांक:-

वास्तुविद् का हस्ताक्षर,
नाम-
सूचीकरण संख्या-
अभियंता का हस्ताक्षर,
नाम-
सूचीकरण संख्या-
संरचना अभियंता का हस्ताक्षर
नाम-
सूचीकरण संख्या-
स्वामी/आवेदक का नाम-
स्वामी/आवेदक हस्ताक्षर-

i i = & t

*Hkou fuek.kdrk }kjk vkicf/kd vukifÜk iek.k i = d 'krk d vuiky e deh vFkok
'krk l fHkUrk ik; tku dh fLFkfr e Hkou fuekrk dk =fV l/kkj gr funi'k*

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा
नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(vi) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&funi'kd dk dk;kj;] fcgkj] iVuk A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

प्रसंग:-

आपका पत्रांक- दिनांक-.....

fo"k;%&

dk; ixfR dk tkpkijUr Hkou fuek.k e ik, x, =fV;k dk l/kkj grA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा भवन निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना दी गई है। इसकी जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त औपबधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के कतिपय शर्तों के अनुपालन में कमी/ शर्तों से भिन्नता पायी गयी है जो निम्न प्रकार है:-

.....
.....
.....
.....
.....

अतः कृपया भवन निर्माण के क्रम में पाई गई उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा अन्तिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

*jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&funi'kd
fcgkj] iVukA*

$i||i=\&>$

$vf\text{re } vf\text{xu } fuokj.k ,o, vf\text{xu } l\{j\{kk \text{ } vukif\text{Ük } iek.k \text{ } i= gr\text{ } Hkou } fuek.kdrk\text{ } \}kjk \text{ } fn; \text{ } tku$
 $oky\text{ } Hkou } fuek.k \text{ } i.krk \text{ } dh \text{ } lpuk$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(i) के अन्तर्गत)

$l'ok \text{ } e]$

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-.....दिनांक.....

$fo''k; \& \text{ } vkicf/kd \text{ } vf\text{xu } fuokj.k ,o, vf\text{xu } l\{j\{kk \text{ } vukif\text{Ük } iek.k \text{ } i= d\text{ } vk/kkj \text{ } ij \text{ } Hkou$
 $fuek.k \text{ } dk; \text{ } i.krk \text{ } dh \text{ } lpukA$

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-.....दिनांक-.....निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांक-..... से प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य किया गया। भवन निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना पत्रांक-..... दिनांक-..... द्वारा दी गई थी। उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रमाणित किया जाता है कि औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग-4) के प्रावधानों के आलोक में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। सुविधा हेतु संबंधित चेक लिस्ट अद्यतन स्थिति के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि निर्मित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँच कर अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट किया जाय ताकि अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्ति की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक-चेक लिस्ट

विश्वासभाजन

निर्माणाधीन भवन का पता:-
दिनांक:-

वास्तुविद् का हस्ताक्षर,
नाम-
सूचीकरण संख्या-
अभियंता का हस्ताक्षर,
नाम-
सूचीकरण संख्या-
संरचना अभियंता का हस्ताक्षर
नाम-
सूचीकरण संख्या-
स्वामी/आवेदक का नाम-
स्वामी/आवेदक हस्ताक्षर-

$y\text{xkrkj}\&$

vfre vukifÜk iek.k i= gr p d fyLV

- (1) औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित पूर्व में पारित नक्शा का प्रति।
- (2) भवन निर्माण हेतु नगर निकाय प्राधिकार का अनुमोदन, जिसमें स्थल से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख हो—
 - (क) खुला स्थान एवं पार्किंग स्थल।
 - (ख) भवन तक पहुँच हेतु 5 मीटर का उर्ध्व (Vertical) क्लियरेंस के साथ 6 मीटर का पहुँच पथ। (भवन श्रेणी के अनुसार आवश्यक)
 - (ग) सीढ़ियों का सेक्शन स्केच, जिससे उसके निर्माण एवं धुआँ निकासी की व्यवस्था स्पष्ट हो।
 - (घ) निकासी रास्ता, लिफ्ट, सीढ़ी एवं डिब्बाकरण (कम्पार्टमेन्टेशन) हेतु अग्नि एवं धुआँ रोकने हेतु चेक दरवाजा का वास्तविक स्थल।
 - (ङ.) अग्नि सूचक, हस्तचालित कॉल प्वाइन्ट्स, स्प्रिंकलर्स, हॉज रील, यार्ड हाईड्रेंट एवं वेट राईजर का स्थान।
 - (च) तलघर भेन्टीलेशन, धुआँ निकासी/निकासी करने वाला, निकासी सीढ़ी।
 - (छ) ट्रान्सफर्मर्स का स्थान एवं जेनरेटर का स्थान, और बाहर की ओर हवा/धुआँ निकासी की व्यवस्था।
 - (ज) अग्निशमन हेतु पानी टंकी एवं पम्प का क्षमता एवं स्थान।
 - (झ) अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु बिना खिड़की के भवन के उँचे मंजिलों एवं रिफ्युजी क्षेत्र में पहुँचने का साधन।
- (3) निम्नलिखित के संबंध में तकनीकी विवरणी, विशिष्टियाँ, विक्रेता का संबंधित कागजात तथा आई०एस० का सम्पुष्टि हेतु संबंधित अभिलेख:—
 - (क) आग एवं धुआँ के फैलाव को रोकने हेतु उपयोग किए गए विभिन्न मॉडल के अग्नि प्रतिरोधक दरवाजा।
 - (ख) पम्प, हॉज रील, अग्नि/धुआँ सूचक, स्प्रिंकलर, हाईड्रेंट प्रणाली, अग्निशामक यंत्र।
 - (ग) धुआँ निकासी करने की व्यवस्था, भेन्टीलेशन/वातानुकूलन व्यवस्था का अधिष्ठापन के संबंध में अभियंता/तकनीकी व्यक्ति का लिखित दस्तावेज।
- (4) अलग सर्किट दिखाने हेतु विद्युत एकल पंक्ति का डायग्राम (विद्युत अभियंता/संवेदक के द्वारा सत्यापित)—
 - (क) फायर पम्प, फायर एलार्म लिफ्ट एवं पी०ए० सिस्टम।
 - (ख) धुआँ नियंत्रण/निकासी उपकरण एवं संबंधित भेन्टीलेशन।
 - (ग) बैट्री बैकअप दिखाते हुए निकासी रास्ता का रोशनीकरण।
 - (घ) सामान्य से आपातकाल स्थिति में परिवर्तनीय आपातकालीन जेनरेटर व्यवस्था।
- (5) विद्युत नियमों का अनुपालन संबंधी विद्युत अभियंता/संवेदक का प्रमाण पत्र।
- (6) अग्नि नियंत्रण कक्ष एवं अग्नि कर्मी—
 - (क) अधिवासियों एवं अग्निशमन सेवा को सचेत करने हेतु एलार्म डिटेक्शन एवं संचार व्यवस्था।
 - (ख) आपातकालीन निकासी योजना।
 - (ग) अग्नि काण्डों की स्थिति में किए जाने वाले/नहीं किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दृष्टिगोचर स्थलों पर प्रदर्शन।
 - (घ) अग्निशमन हेतु निर्देश।
 - (ङ.) अग्निशमन हेतु अग्नि कर्मी/प्रशिक्षित अधिवासियों का संगठन।
 - (च) अग्नि ड्रील का आयोजन एवं संबंधित अभिलेख संधारण हेतु जबाबदेह व्यक्तियों की सूची।
- (7) भवन निर्माता/वास्तुविद्/अभियंता/विद्युत संवेदक/अग्नि सुरक्षा प्रणाली संवेदक का नाम/दूरभाष संख्या/अनुज्ञप्ति संख्या/हस्ताक्षर।

$i|i=\&'$
 $vfure\ vukif\dot{u}k\ iek.k\ i=$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत)

$jkT; \ vfxu'keu\ inkf/kdkjh\&lg\&fun'kd\ dk\ dk;k y;] \ fcgkj] \ iVuk\ A$
 $-----\&ikf/kdr\ inkf/kdkjh\&-----$

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रेषक,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
 बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी,.....।

सेवा में,

.....

प्रसंग:- आपका पत्रांक-.....दिनांक-.....

औपबधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का पत्रांक-.....दिनांक.....

$fo''k; \& \ vfre \ vfxu \ fuokj.k \ ,o \ vfxu \ l\{kk \ vukif\dot{u}k \ iek.k \ i= \ gr \ A$

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण पूर्णता की सूचना की जाँच आपके द्वारा संलग्न चेक लिस्ट के आलोक में की गयी। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है:-

(1) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित, बिहार भवन उपविधि, 2014 $le;\≤ \ ij \ ;Fkk \ l'kkf/kr$, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007, बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम, 2006, मल्टी स्टोरी भवन अधिनियम, 1981 एवं भवन श्रेणी के आलोक में तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम/ नियम/निर्देश का अनुपालन करेंगे।

(2) औपबधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट/अन्डरटेकिंग का पालन करेंगे।

(3) भवन के चारो ओर भवन रेखा तक पहुँच हेतु न्यूनतम 6 मीटर (भवन श्रेणी एवं भवन निर्माण के अनुसार) चौड़ा रास्ता को पार्किंग बाधा/जेनरेटर/ट्रान्सफार्मर/सुरक्षा बल/डाक घर/खुदरा विक्रेता/विविध/ अन्य निर्माण/फिक्चर्स/बालकोनी की उँचाई 5 मीटर (विधिसम्मत यथाआवश्यक) से मुक्त रखेंगे।

(4) अधिवासियों के सुरक्षित निकासी हेतु निकास सीढ़ी की क्षमता एवं चौड़ाई राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 $le;\≤ \ ij \ ;Fkk \ l'kkf/kr$ के प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित रखेंगे।

(5) आग के फैलाव को सीमित करने तथा बाहरी सीढ़ी/लिफ्ट में धुआँ का प्रवेश रोकने हेतु अग्नि प्रतिरोध दरवाजा की स्थिति सही रखेंगे।

(6) भूतल/तलघर में पार्किंग के स्प्रिंकलर पूर्ण क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

(7) सीढ़ी एवं लिफ्ट पूर्ण क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

(8) अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्र, एलार्म आदि को संबंधित प्रावधान के आधार पर नियमित रूप से जाँच करते हुए क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

- (9) प्रथम 2 वर्षों में त्रैमासिक तथा उसके बाद अर्द्धवार्षिक अग्नि सुरक्षा ड्रिल करेंगे।
- (10) आपातकालीन जेनरेटर आदि एवं संबंधित उपकरण का जाँच राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* एवं आई०एस० 1644 के अनुसार करेंगे।
- (11) अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरण (राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 *le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr* का भाग-4 का टेबुल संख्या-7 के अनुसार)
- (क) भूतल पानी टंकी की क्षमता—
 - (ख) छत पर पानी टंकी की क्षमता—
 - (ग) भूतल पर विद्युत/डीजल/जॉकी पम्प की क्षमता—
 - (घ) छत पर विद्युत/अन्य पम्प की क्षमता—
 - (ङ) स्वचालित अग्नि सूचक एवं एलार्म प्रणाली—
 - (च) हस्तचालित अग्नि एलार्म प्रणाली—
 - (छ) स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली—
 - (ज) हॉज रील—
 - (झ) वेट राईजर—
 - (ञ) डाउन कमर—
- (12) पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की संख्या(प्रकार एवं क्षमता के अनुसार अलग-अलग)–
- (13) दृष्टिगोचर स्थलों पर निकासी रास्ता दिखाते हुए निकास योजना का प्रदर्शन करेंगे ।
- (14) अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी (भवन श्रेणी के अनुसार) रखेंगे ।
- (15) अग्नि नियंत्रण कक्ष।
- (16) भवन श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की स्थिति में नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

jkT; vfxu'keu
inkf/kdkjh&lg&fun'kd]
fcgkj] iVuk
 प्राधिकृत पदाधिकारी,.....

i i = &V

*Hkou fuek.k i.kirk dh lpuk d ckn Hkou dk tkpkijUr vkicf/kd vukifUk iek.k
i = d 'krk d vu:lk fuek.k ugh gku dh fLFkfr e Hkou fuek.kdrk dk l/kkj gr
fn; tku oky ukfVl*

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;ky;] fcgkj] iVuk A

दिनांक...../

सेवा में,

.....
.....

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांकदिनांक..... एवं
आपका पत्रांक- दिनांक-.....

*fo"K;%& Hkou fuek.k i.kirk dh lpuk d ckn Hkou dk tkpkijUr vfxu lj{kk mik;k e
ikb x b =fV;k dk fujkdj.k dju d lc/k eA*

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। आपके द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्णता की सूचना दी गई एवं आपके द्वारा प्रमाणित किया गया कि औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग-4) के प्रावधानों के आलोक में उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है, परन्तु उक्त निर्मित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँचोपरान्त औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों का पालन में निम्न प्रकार त्रुटियाँ पायी गयी हैं:-

अतः कृपया भवन निर्माण में पायी गयी उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, ताकि पुनः जाँचोपरान्त विधिवत अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।

*jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd]
fcgkj] iVukA*

i i = & B

fcuk vukifŭk iek.k i= d fufe'r vFkok fuek.k.kh Hkou d Lokeh dk vfXu l j{kk mik;k
dk lfuf'pr dju gr ukfVl

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k y;] fcgkj] iVuk A

दिनांक...../

सेवा में,

.....
.....

fo" k; & fcuk vfXu fuokj.k ,o vfXu l j{kk vukifŭk iek.k i= iklr fd, Hkou fuek.k
dju ,o vf/kokfl;k d tkf[kei.k fLFkfr e jgu d dkj.k okfNr vfXu l j{kk
mik;k dk lfuf'pr dju gr ukfVlA

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि

1. आप.....(भवन)
के स्वामी/अधिवासी/बिल्डर/ अपार्टमेन्ट के एशोसिएशन के पदधारक हैं ।
2. आपके द्वारा उक्त भवन का निर्माण हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
किया गया है ।
3. उक्त भवन का अग्नि अंकेक्षण के बाद पाया गया कि भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी व्यवस्था
में घोर कमी है जिस कारण अग्नि आपदा के दृष्टिकोण से भवन के अधिवासियों के जान-माल
का खतरा बना हुआ है ।

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-35 के अन्तर्गत निर्देश दिया जाता है कि
संलग्न अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित सलाहों के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को दिनों के अन्दर
अधिष्ठापित करना सुनिश्चित करें । तत्पश्चात उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित अग्नि निवारण
एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 का नियम-15 (च)(झ) के
अन्तर्गत विधिवत आवेदन पत्र दें ।

निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की
धारा-37, 44 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 की उपविधि-16 (7) एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली,
2021 का नियम-22(ग)(छ)(ज)(झ) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।

vu yXu d& vfXu v d{k.k i fronu!

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd]
fcgkj] iVukA

$i \cdot i = \&M$

$vukif\dot{U}k\ iek.k\ i = d\ uohdj.k\ gr\ Hkou\ d\ Lokeh\ vFkok$
 $vf/kHkkxh\ }kjk\ fn;\ tku\ oky\ vkonu\ i =$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (अ)(ii) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

fo"K;%&
महाशय,

$vf\dot{r}e\ vfxu\ fuokj.k\ ,o\ vfxu\ l\{j\{kk\ vukif\dot{U}k\ iek.k\ i = dk\ uohuhdj.k\ gr\ A$

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भवदीय के कार्यालय पत्रांक-.....दिनांक-..... के द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्णता की सूचना के आलोक में भवन निर्माण स्थल के जाँचोपरान्त अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसकी वैधता की अवधि दिनांक..... तक निर्धारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, (भाग-4)/राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग-4) के प्रावधानों के आलोक में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया था जो क्रियाशील स्थिति में है। इसकी जाँच अग्नि विशेषज्ञ से करायी गयी है। अग्नि सुरक्षा उपायों का वर्तमान व्यवस्था से संबंधित चेक लिस्ट (औपबंधिक तथा अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित चेक लिस्ट प्रपत्र में) में भर कर तैयार किया गया है। अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन एवं चेक लिस्ट संलग्न किया जा रहा है। सुविधा हेतु अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु पूर्व में समर्पित किए गए चेक लिस्ट का छायाप्रति भी संलग्न है।

प्रमाणित किया जाता है कि अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के बाद भवन की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुरोध है कि विषयांकित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँच कर अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक-1. चेक लिस्ट

विश्वासभाजन

2. अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन

$Hkou\ Lokeh@0;oLFkkiid\ dk\ gLrk\{kj\}$

नाम-

पता-

भवन का पता:-

दिनांक:-

$i \cdot i = \<$

$vukif\ddot{U}k \ iek.k \ i = dk \ uohuhdj.k$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (अ)(ii) के अन्तर्गत)

$jkT; \ vfxu'keu \ inkf/kdkjh\&lg\&fun'kd \ dk \ dk;ky;] \ fcgkj] \ iVuk \ A$

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

.....

.....

प्रसंग:- आपका पत्रांक-.....दिनांक.....

$fo'k;\& \ vfxu \ fuokj.k \ ,o \ vfxu \ lj\{kk \ vukif\ddot{U}k \ iek.k \ i = dk \ uohuhdj.k \ iek.k$
 $i = A$

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु विहित प्रपत्र में चेक लिस्ट एवं अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित अग्नि विशेषज्ञ का जाँच प्रतिवेदन के साथ समर्पित आवेदन पत्र की जाँच की गयी/करायी गयी। जाँचोपरान्त आपके भवन से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण.....अवधि के लिए सशर्त किया जा रहा है।

कृपया अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे तथा समर्पित चेक लिस्ट के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को क्रियाशील स्थिति में रखेंगे। साथ ही अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, (भाग-4)/राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग-4), बिहार भवन उपविधि, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं संबंधित अन्य अधिनियम/नियम/विनियमन के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। विशेष रूप से नियमित अंतराल पर अग्नि सुरक्षा उपायों की जाँच अग्नि विशेषज्ञ से तथा विद्युतीकरण की जाँच विद्युत अभियंता या सक्षम प्राधिकार से कराएँगे।

पुनः भवन की श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के पूर्व अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

$jkT; \ vfxu'keu$
 $inkf/kdkjh\&lg\&fun'kd]$
 $fcgkj] \ iVukA$

$i \cdot i = \&.k$

$vukif\bar{U}k \ iek.k \ i = d \ vu \ lkj \ v\bar{f}xu \ fuokj.k \ ,o \ lj\{kk \ mik;_k \ dk \ cuk, \ j[ku \ e \ pd \ gku \ dh \ n'kk \ e \ vukif\bar{U}k \ iek.k \ i = dk \ jnn \ dju \ lc/kh \ ukfVI \ A$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत)

$jkT; \ v\bar{f}xu'keu \ inkf/kdkjh \ \&lg \ \&fun'kd \ dk \ dk;ky;] \ fcgkj] \ iVuk \ A$

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

.....

.....

$fo''k; \ \& \ v\bar{f}xu \ fuokj.k \ ,o \ lj\{kk \ mik;_k \ dk \ cuk, \ j[ku \ e \ pd \ d \ dkj.k \ vukif\bar{U}k \ iek.k \ i = jnn \ dju \ lc/kh \ ukfVIA$

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके भवन/परिसर से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक-.....दिनांक-.....द्वारा निर्गत किया गया था। पत्रांक-.....दिनांक-.....द्वारा नवीनीकरण किया गया था। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके भवन का अग्नि अंकेक्षण की गयी/करायी गयी, जिससे पाया गया कि आपके द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित परामर्श का अनुपालन में चूक किया गया है जो निम्नप्रकार हैं:-

(1)

(2)

(3)

(4)

अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन में आपके द्वारा की गई कोताही के कारण उक्त भवन/परिसर एवं समीपवर्ती भवन/परिसर के अधिवासियों का अग्नि आपदा से जान-माल का खतरा संभावित है।

कृपया.....दिनों के अन्दर स्पष्ट किया जाय कि क्यों नहीं आपके भवन/परिसर से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दी जाय। अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द होने की दशा में उक्त भवन का सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

$jkT; \ v\bar{f}xu'keu \ inkf/kdkjh \ \&lg \ \&fun'kd] \ fcgkj] \ iVukA$

i i i = & r

vukifÜk iiek.k i= jnnhd'r d' ckn Hkou ekfyd vFkok vf/kHkkfx;k }kjk vihy

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत)

सेवा में,

महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंग:- राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक.....दिनांक.....
.....(प्राधिकृत पदाधिकारी) का पत्रांक.....दिनांक.....

विषय:- अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी नोटिस के विरुद्ध अपील।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के भवन/परिसर (नाम/पता-.....
.....) से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
(पत्रांक-.....दिनांक-.....)/ नवीनीकरण (पत्रांक-.....दिनांक-.....) को रद्द करने हेतु
.....के द्वारा पत्रांक-.....दिनांक-.....द्वारा नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस में अग्नि
सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी के भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण किए/कराये जाने के बाद अग्नि
निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक होने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किए
जाने की बात अंकित की गई है। संबंधित नोटिस का जवाब देने हेतु.....दिनों का समय सीमा निर्धारित
किया गया है। उक्त नोटिस के विरुद्ध निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुनवाई हेतु भवदीय से अपील किया जाता
है:-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

अनुरोध है कि उक्त विन्दुओं पर अविलम्ब सुनवाई करते हुए यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

*vkond dk uke@irk@lEidl
njHkk"r rFkk ekckby ucjA*

iii=&Fk

Hkou vFkok ifj lj d Lokeh vFkok vf/kHkkxh vFkok nkukd }kjk Hkouk dk U;ure vfXu ljjkk
0;oLFkk d lcvk e vfXu'kkeky; inkf/kdkjh dk lefir fd, tku oky LoeY;kdu iii=A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 17(ख) के अन्तर्गत)

भवन के अधिवासियों के जान माल का अग्नि से सुरक्षा की जवाबदेही भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/सोसायटी की है। अग्निशमन विभाग फायर ऑडिट कर सलाह देगी जिसका अनुपालन करना है। अग्निशामालय पदाधिकारियों के द्वारा फायर ऑडिट के पूर्व ही भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/सोसायटी द्वारा प्रत्येक माह स्वमूल्यांकन कर लेने से भवन की अधिकतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। कृपया निम्नलिखित प्रपत्र भरकर प्रत्येक माह अपने क्षेत्र के अग्निशामालय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय एवं उनसे आवश्यक सलाह ले ली जाय ताकि भवन/परिसर में अधिकतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था क्रियाशील बनी रहे।

lok e]

- (1) भवन मालिक का नाम :-
(अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट के निवासियों के संघ के सचिव का नाम)
- (2) भवन का नाम/पता/निर्माण वर्ष :-
- (3) भवन का प्रकार (आवासीय/व्यावसायिक/शैक्षणिक/सांस्थिक आदि):-
- (4) भवन की ऊँचाई एवं तल (बेसमेंट है या नहीं) :-
- (5) भवन तक अग्निशमन वाहनों का पहुँच (भवन के चारो ओर या मात्र भवन के समीप तक) :-
- (6) भवन में सीढ़ी की संख्या :-
- (7) भवन में लिफ्ट की संख्या :-
- (8) भवन से बिजली तार की दूरी :-
- (9) भवन बनने के पूर्व अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं:-
- (10) अग्निशामालय पदाधिकारी द्वारा जाँच की तिथि:-

0010	Hkou e fd, x, vfXu'keu 0;oLFkk	ekg		
		iFke	fjrh;	rrh;
1	फायर एस्टीग्यूसर का प्रकार/क्षमता :- / एक्सपायरी तिथि/रिफिलिंग तिथि :- /			
2	डाउन कमर सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
3	वेट राइजर सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
4	होज रिल क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
5	फायर हाईड्रेंट भत्व की संख्या (.....)/यार्ड हाईड्रेंट की संख्या (.....) एवं कारगर (हाँ या नहीं)			
6	होज बॉक्स में होज एवं ब्रॉच की संख्या :-			
7	स्प्रिंकलर क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
8	स्मॉक डिटेक्शन सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
9	फायर अलार्म सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :-			
10	पब्लिक एड्रेस सिस्टम (हाँ या नहीं) :-			
11	फायर कंट्रोल रूम (हाँ या नहीं) :-			
12	भवन में ग्लो सिग्नेज (EXIT साइन आदि) (हाँ या नहीं) :-			
13	भूतल पानी टंकी की क्षमता (.....) पानी भरा (हाँ या नहीं) :-			
14	ओवर हेड पानी टंकी की क्षमता (.....) पानी भरा (हाँ या नहीं) :-			
15	भवन में एयर कंडीनशर का प्रकार (स्पिलिट/विंडो/सेंट्रलाइज) की संख्या :-			
16	भवन का विद्युत लोड क्षमता (.....KVA) के अनुसार विद्युत कनेक्शन (हाँ या नहीं)			
17	अल्टरनेट विद्युत व्यवस्था (हाँ या नहीं) :-			
18	भवन में रहने वाले/कार्य करने वालों के साथ अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल किए जाने की तिथि:-			

Hkou ekfyd dk gLrkfj

तिथि:-

i i = & n

iMky fuekrk }kj iMky d }kj@e[; n'; eku LFky ij iMky l j {kk lc/kh inf'kr
fd; t ku oky ?kk" k. kk i =

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-26 की उपधारा-(2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 (ख) के अन्तर्गत)

l'ok e]

मैं.....(पंडाल निर्माता का नाम), पंजीकृत कार्यालय स्थल.....
पंजीयन संख्या.....उद्घोषणा करता हूँ कि स्थल पर
.....वर्गमीटर का बनाया गया पंडाल/अस्थाई ढाँचा उक्त स्थल पर दि०.....से
.....तक रहेगा। उक्त पंडाल बनाने में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय हेतु
अग्निशमन सेवा के अधिनियम एवं भारतीय मानक ब्यूरो, IS-8758-1993 के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था किया
गया है। साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) एवं भारतीय विद्युत नियमावली
के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि अग्निकांड से बचने के लिए
पंडाल/अस्थायी ढाँचा में निम्नलिखित प्रशिक्षित व्यक्ति उपस्थित रहेंगे—

- 1- -----
- 2- -----
- 3- -----

fnukd-----

LFky-----

iMky fuekrk@ekfy d dk gLrk{kj

ifrifyi%& vfxu'keu inkf/kdkjh]----- dk d i;k lpukFk if'krA

i i = & / k

iMky d vfxu l j f k k m i k ; e d e h i k , t k u i j i M k y f u e k i r k d k d f e ; k n j d j u
v F k o k i M k y d k l h y d j n u l c / k h u k f V l A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-26 की उपधारा-(2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 (ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

j k T ; v f x u ' k e u i n k f / k d k j h & l g & f u n ' k d d k d k ; k y ;] f c g k j] i V u k @ -----

i k f / k d ' r i n k f / k d k j h d k d k ; k y ;] ----- A

दिनांक..... /

सेवा में,

.....
.....

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- दिनांक-

f o " k ; % & i M k y l j { k k l c / k h i n f ' k r ? k k " k . k k i = d h l R ; r k d k t k p k i j k U r i k , x ,
= f V ; k d k f u j k d j . k g r A

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा

.....(स्थल) पर पंडाल का निर्माण किया गया है एवं
पंडाल का अग्नि से सुरक्षा के संबंध में घोषणा पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया है। निर्मित पंडाल
का जाँच.....के द्वारा किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि घोषणा पत्र
सही नहीं है एवं इसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी हैं:-

.....
.....
.....
.....

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त पायी गयी त्रुटियों का निराकरणघंटों के
अन्दर करते हुए इसकी सूचना तत्काल दें अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा की धारा-27 के अन्तर्गत बिहार
अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-19 के अन्तर्गत आपके पंडाल का विधिवत हटाने/जप्ती/नीलामी
आदि की कार्रवाई की जाएगी।

f u n ' k d @ i k f / k d ' r i n k f / k d k j h d k g L r k { k j

नाम-

पदनाम-

मुहर

i.i=&u

vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd vFkok vfxu'keu e ck/kk mRiUu dju oky oLr
vFkok eky vFkok vfrØe.k dk gVku gr ukfVl A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(1) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (क) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k;y;] fcgkj] iVuk@-----
---ikf/kdr inkf/kdkjhdk dk;k;y;]-----A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- दिनांक-.....

fo"k;%& vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd dk gVku gr fun'kA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि—

(1) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में.....
..... सामान/वस्तु हैं जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में
अथवा आस-पास के परिसर/भवन /पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा आग लगने की
स्थिति में उस पर काबू पाने में रुकावट का कारण बनते हैं।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 की उपधारा 1 एवं बिहार
अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19(क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत निर्देश दिया जाता है कि
उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/घंटे/दिनों के अन्दर हटा लें।

(3) उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को
अधिनियम की धारा-27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर दिया
जाएगा।

fun'kd@ikf/kdr inkf/kdkjh dk gLrk{kj

नाम—

पदनाम—

मुहर

i:i=&i

vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd vFkok vfxu'keu ei ck/kk mRiUu dju oky oLr
vFkok eky vFkok vfrØe.k dk gVku gr fn, x, ukfVl dk vuiky ugh fd, tku
dh fLFkr ei vueMy n.Mkf/kdkjh dk fof/kd dkjokb gr lpuk

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(1) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ख) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k;] fcgkj] iVuk@

----- ikf/kd'r inkf/kdkjh dk dk;k;]-----A

दिनांक...../

सेवा में,

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

.....

fo"K; vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd dk gVku gr Hkou] ifjlj] iMky d
Lokeh@ vfkHkkxh dk fn, x, fun'k dk vuiky ei pd d dkj.k fof/kLEer
dkjokb gr vujk/kA

egk'k;]

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि :-

(1) के स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों
/भवन/उनके द्वारा लगाये गए पंडाल में दिनांककोबजे जाँच के क्रम में.....
.....सामान/वस्तु पाये गये हैं जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा
आस-पास के परिसर/भवन/पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अग्निकाण्ड की घटना
होने पर आग पर काबू पाने में रूकावट का कारण बनते हैं।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 की उपधारा 1 एवं बिहार
अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 19(ख) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत परिसर/भवन/पंडाल के
स्वामी/अधिभोगी को उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/दिनों के अन्दर हटा
लेने का निर्देश इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक.....द्वारा दिया गया। साथ ही उक्त निर्देश
का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा-27 (2)(3)(4)(5)एवं(6)
के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी उन्हें अवगत कराया गया,
परन्तु उनके द्वारा अगलगी/अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया। उनके द्वारा
पत्रांक.....दिनांक..... के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन असंतोषजनक पाये गये। आग का जोखिम के
संभावित कारक अथवा अतिक्रमण अभी भी उक्त स्थल पर मौजूद है जिससे आम जनता की जान-माल की
सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत
विधिसम्मत कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

fun'kd@ikf/kd'r inkf/kdkjh dk gLrkfj

नाम—

पदनाम—

मुहर—

i i = & Q

*vkx dh tkf[ke d l Hkkfor dkjd vFkok vfXu'keu ei ck/kk mRiUu dju oky oLr
vFkok eky vFkok vfrØe.k dk gVku gr fn, x, ukfVl dk vuikyu ugh fd, tku
lc/kh lpuk ikflr d ckn vueMy n.Mkf/kdkjh }kjk Hkou vFkok ifjlj d Lokeh
vFkok vf/kHkkxh vFkok iMky fuekrk l dkj.k iPNkA*

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(2) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

vueMy n.Mkf/kdkjh] ----- dk dk;kj;A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक- दिनांक-.....

fo" k; %&

*vkx dh tkf[ke d l Hkkfor dkjd dk gVku gr vfXu'keu lok }kjk fn, x, funi'k
dk vuikyu ei pd d fy, dkj.k&iPNkA*

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि-

(1) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन सेवा के द्वारा दिनांककोबजे जाँच किया गया, जिस संबंध में उनके द्वारा पत्रांकदिनांक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा जाँच के क्रम में आपके स्वामित्व अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में सामान/वस्तु पाये गये अथवा अतिक्रमण पाया गया है, जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा आस-पास के परिसर/भवन/पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अगलगी पर काबू पाने में रुकावट का कारण बनते हैं।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-19(ग) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उनके द्वारा आपको उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/घंटे/दिनों के अन्दर हटा लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा-27 (2)(3)(4)(5) एवं (6) के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी आपको अवगत कराया गया, परन्तु आपके द्वारा अगलगी/अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया। आपके द्वारा पत्रांक.....दिनांक..... के माध्यम से समर्पित अभ्यावेदन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये गये।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (2) के अधीन इस नोटिस की प्राप्ति सेदिनों के अन्दर आप अपना कारण पृच्छा दायर करें कि क्यों नहीं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (2)(3)(4)(5) एवं (6) के अन्तर्गत उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्रवाई की जाय।

vueMy n.Mkf/kdkjh]

i i = & c

v k x d h t k f [k e d l H k k f o r d k j d d k g V k u e p d g k u d c k n v u e M y n . M k f / k d k j h } k j k i N x ,
d k j . k i P N k i k I r u g h g k u v F k o k i k I r d k j . k i P N k v l r k " k i n i k , t k u i j v f / k x g . k f u :) v F k o k
g V k u l c / k h v u e M y n . M k f / k d k j h } k j k v k n ' k A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (घ) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

v u e M y n . M k f / k d k j h] ----- d k d k ; k y ; A

दिनांक..... /

सेवा में,

fo " k ; % &

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी / अधिभोगी का नाम एवं पता)

v k x d h t k f [k e d l H k k f o r d k j d d k g V k u g r v f x u ' k e u l o k } k j k f n , x , f u n i ' k
d k v u i k y u e p d d k j . k d h x b d k j . k & i P N k i k I r u g h g k u @ v l r k " k i n i k ;
t k u d i d k j . k v f / k x g . k f u :) v F k o k g V k u g r v k n ' k A

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि—

(1) आपके स्वामित्व / अधिभोग वाले परिसरों / भवन / आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में निदेशक / प्राधिकृत पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन सेवा के द्वारा दिनांक को बजे जाँच किया गया, जिस संबंध में उनके द्वारा पत्रांक दिनांक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा जाँच के क्रम में आपके स्वामित्व / अधिभोग वाले परिसरों / भवन / आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में सामान / वस्तु पाये गये जिस कारण उक्त परिसर / भवन / पंडाल में अथवा आस-पास के परिसर / भवन / पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अगलगी पर काबू पाने में रुकावट का कारण बनते हैं।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उनके द्वारा आपको उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल / घंटे / दिनों के अन्दर हटा लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा-27 (2)(3)(4)(5) एवं (6) के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी आपको अवगत कराया गया, परन्तु आपके द्वारा अगलगी / अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया। आपके द्वारा पत्रांक दिनांक के माध्यम से समर्पित अभ्यावेदन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये गये।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (2) के अधीन आपको सूचित किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति से दिनों के अन्दर आप अपना कारण पृच्छा दायर करें कि क्यों नहीं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (2)(3)(4)(5) एवं (6) के अन्तर्गत उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्रवाई की जाय।

(4) आपके द्वारा कारण पृच्छा दायर नहीं किया गया / आपके द्वारा दायर कारण पृच्छा सम्यक विचारोपरान्त असंतोषप्रद पाया गया। आपके द्वारा उक्त भवन / परिसर में आग के संभावित कारक रखे जाने / अतिक्रमण किए जाने से आम जनता के जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(5) मैं (प्राधिकार का नाम) (पदनाम) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27 (3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 की धारा-19(2)(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निम्नांकित वस्तुओं / सामानों को उपर्युक्त कारणों से जब्त करने / रोक रखने / उनके अतिक्रमण को हटाने का आदेश देता हूँ—

क्र०सं०	जप्ती स्थल	जब्त किए गए वस्तुओं / चल सम्पत्तियों का विवरण (मात्रा / संख्या सहित)	जब्त करने या रोक रखने के कारण ।

v u e M y n . M k f / k d k j h]

ii=&Hk

vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd dk tIrh lc/kh ipukek A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(4) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ड.) के अन्तर्गत)

1. मामला संख्या
2. स्थान
3. दिनांक
4. समय
5. मालिक/अधिभोगी का नाम व पता.....
6. उपस्थित व्यक्ति का नाम व पता.....
7. पंचों के नाम और पता.....
 - अ. (क) श्री/श्रीमती
 - (ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी
 - (ग) निवासी
 - (घ) उम्र (वर्ष में)
 - (ङ) व्यवसाय
 - ब. (क) श्री/श्रीमती
 - (ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी
 - (ग) निवासी
 - (घ) उम्र (वर्ष में)
 - (ङ) व्यवसाय

उपर लिखित हम सभी पंच श्री/श्रीमती पदनाम स्थान .
..... द्वारा आज बुलाए गए भवन/परिसर/पंडाल के पते पर कतिपय चल संपत्तियों अथवा वस्तुओं की जप्ती के दरम्यान गवाह रहे हैं, जिन्हें मालिक/अधिभोगी के परिसर/भवन/पंडाल में रखा गया था एवं जिसे सामने लाया गया। हमारी उपस्थिति में, उक्त (पदाधिकारी का नाम व पता) ने निम्नलिखित वस्तुओं/सामानों को जब्त किया, जिसे हमने सही पाया :

क्रम संख्या	जप्ती स्थल	जप्त चल संपत्तियों/ वस्तुओं की सूची	मात्रा	जप्त किए जाने और रोके रखने के कारण
-------------	------------	--	--------	---------------------------------------

पंचनामा हमलोगों के सामने पढ़ा गया और उसे हमारे सामने स्पष्ट किया गया एवं हमारी नजर में यह सही पाया गया।

पंचों के हस्ताक्षर :

lkeku tCr dju oky ikf/kdkj dk gLrk{kj½

1.

2.

पंचनामा की कॉपी प्राप्त की गई।

ekfyd@vf/kHkkxh dk gLrk{kj

i.i=&e

vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd dk tIrh d ckn j[k x, LFkku l gVku rFkk nok
dju l pd tku ij uhykeh gr ukfVI A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(4/5) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (च) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

vueMy n.Mkf/kdkjh] ----- dk dk;ky;A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- दिनांक-.....

fo"K; %& vkx dh tkf[ke d lHkkfor dkjd dk gVku rFkk nok djui l pd tku ij
uhykeh gr ukfVIA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) कतिपय वस्तु/चल संपत्ति अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा संख्या
... दिनांक के तहत मामला संख्या दिनांक में (परिसरों का
पता पर अवस्थित परिसरों से) दिनांक को जब्त किए गए।

(2) उक्त चल संपत्ति/वस्तुएँ अभी (परिसर का पता) में रखी गई है।

(3) अब, इसलिए मैं (नाम) (पदनाम)
(कार्यालय का पता) आपको आपकी जोखिम और लागत पर
..... दिनों के अंतर्गत बजे से बजे तक किसी भी कार्य दिवस को उक्त
वस्तु/चल संपत्तियों को एतद्वारा हटाने का निदेश देता हूँ। आपके द्वारा इसमें चूक करने पर ऐसा समझा
जाएगा कि उक्त वस्तुओं/चल संपत्तियों पर दावेदारी की आपकी कोई इच्छा नहीं है और फिर आगे बिना
कोई नोटिस दिए हुए उक्त वस्तुओं/चल संपत्तियों का निपटान बिहार अग्निशमन सेवा, 2014 की धारा 27 की
उप धारा (5) के उपबंध के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा।

%gLrk{kj½

दिनांक-.....

नाम-.....

स्थान-.....

पदनाम-.....

i.i=&;

vkx dh tkf[ke d l Hkkfor dkjd oLrvk dk uhykeh d fo:)
i Hkkfor 0;fDr }kjk vihy A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-27(6/7) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (छ) के अन्तर्गत)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार, (अनुमंडल दण्डाधिकारी से उच्च स्तर के पदाधिकारी होने चाहिए।)

.....

प्रसंग:- अनुमंडल दण्डाधिकारीका पत्रांक-.....दिनांक-.....

fo"K;%& vkx dh tkf[ke d l Hkkfor dkjd dk eDr dju vFkok nkok dju l pd tku
ij uhykeh d fo:) vihyA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) मेरे अधीन भवन/परिसर से संबंधित कतिपय वस्तु/चल संपत्ति बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा संख्या दिनांक के तहत, मामला संख्या दिनांक में जब्त किए गए।

(2) उक्त चल संपत्ति/वस्तुओं की नीलामी अनुमंडल दण्डाधिकारीद्वारा दिनांक.....को की गई है/निर्धारित की गई है।

(3) इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने का कृपा की जाय तथा उक्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करते हुए जप्त वस्तुओं को मेरे पक्ष में मुक्त किया जाय ।

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

uke@irk@fnukd

i:i=&j

vfxu l j{kk inkf/kdkjh dh fu;fDr@if'k{k.k gr| ukfVl A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-29 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 20(ख) एवं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा-30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियम 20(ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;kly;] fcgkj] iVuk @

-----ikf/kdr inkf/kdkjh dk dk;kly;]----- A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

fo'k;%&

महाशय,

vfxu l j{kk inkf/kdkjh dh fu;fDr@ if'k{k.k d l c/k eA

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि—

(1) आपका भवन/परिसर मेंतलघर एवंमंजिल है जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-29 एवं 30 के प्रावधानों से आच्छादित है । धारा-29 के अन्तर्गत भवन मालिक अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ से अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति एवं धारा-30 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने की अपेक्षा की गई है।

(2) आपके भवन/परिसर की जाँच दिनांक—..... कोपदाधिकारी के द्वारा की गई। जाँचोपरान्त पाया गया है कि उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(3) आपके भवन/परिसर के जाँचोपरान्त पाया गया है कि उक्त भवन/परिसर में नियुक्त अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी विधिवत् प्रशिक्षित नहीं हैं।

अतः मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उक्त भवन/परिसर हेतु अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाय/नियुक्त किए गए अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय अथवा नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी का नामांकन अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु कराया जाय। ऐसा नहीं करने पर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-31 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-20(ड.)(च) के अन्तर्गत दण्डित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

fun'kd@ikf/kdr inkf/kdkjh dk gLrk{kj

नाम—

पदनाम—

मुहर

iii=&y

vfxu ljj{kk inkf/kdkjh dh fu;fDr gr| fn, x, ukfVI d| ckotn vfxu ljj{kk
inkf/kdkjh dh fu;fDr e| pd fd, tku dh fLFkfr e| vf/kjkfir
n.M d| lc/k e| ukfVI A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-29 एवं 31 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 20 (घ)(ड)(च) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k|y;] fcgkj] iVuk @

-----ikf/kdr inkf/kdkjh%dk dk;k|y;]----- A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-.....दिनांक-.....

fo"K;%& vfxu ljj{kk inkf/kdkjh dh fu;fDr@if'k{k.k d| lc/k e| fn, x, ukfVI dk
vuikeyu ugh dju d| lc/k eA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) आपका भवन/परिसर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-29 एवं 30 के प्रावधानों से आच्छादित है। अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति एवं धारा-30 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने की अपेक्षा की गई थी।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने अथवा उन्हें प्रशिक्षण दिलाने हेतु दिनांक..... को विधिवत निदेश दिया गया था, किन्तु आपके द्वारा अभी तक उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है जबकि नोटिस में 30 दिनों का समयावधि निर्धारित किया गया था।

(3) आपके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर उक्त भवन/परिसर में नियुक्त अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने के संबंध में न तो कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है और न ही अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु नामांकित कराया गया है।

(4) नोटिस में उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-31 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-20(ड)(च) के अन्तर्गत दण्ड हेतु कार्रवाई किए जाने की बात अंकित की गई थी।

अतः कारण पृच्छा दिया जाय कि बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-29 एवं 30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-20(ख)(ग) के अन्तर्गत दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-31 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-20(घ)(ड)(च) के अन्तर्गत विहित दण्ड का वसूली हेतु कार्रवाई क्यों नहीं की जाय। आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और दण्ड वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

fun'kd@if'k{k.k d| lc/k e| fn, x, ukfVI dk

नाम-

पदनाम-

मुहर-

i.i=&o

Hkou vFkok ifj lj dk vfxu vid{k.k gr ukfVI

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (1) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(क) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k;y;] fcgkj] iVuk @

-----ikf/kdr inkf/kdkjhdk dk;k;y;]-----A

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....
(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

fo"K; %&

महाशय,

Hkou vFkok ifj lj dk vfxu vid{k.k gr ukfVIA

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि—

(1) आपका भवन/परिसर मेंतलघर एवंमंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण आवश्यक है ।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(1) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-22(क) के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु 3 घंटे की नोटिस के पश्चात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अथवा अत्यावश्यक समझे जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस के किसी भी भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर अग्नि अंकेक्षण करने हेतु शक्ति प्रदत्त है ।

अतः उक्त प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण दिनांक-----
..को बजे किया जाएगा । कृपया स्वयं/ प्रतिनिधि के माध्यम से अग्नि अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख के साथ उपस्थित रहेंगे ।

fun'kd @ikf/kdr inkf/kdkjh dk gLrk{kj

नाम—

पदनाम—

मुहर

$i \cdot i = \&^{\wedge} k^*$

$v\{x\}u \ v\{d\}\{k.k \ d\} \ p\{d \ f\}o\{l\}n\} , o \ v\{x\}u \ v\{d\}\{k.k \ c\}k\{n \ v\{x\}u \ l\{j\}\{k\}k \ m\{i\}k;\{k \ l\} \ l\{c\}f\{k\}r$
 $o\{k\}f\{N\}r \ d\{k\}j\{o\}k\{b\} \ g\{r\} \ u\{k\}f\{V\}l \ A$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:-
2. भवन का निर्माण वर्ष:-
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):-
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:-
5. भवन अधिभोग का प्रकार:-
6. उप.कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:-
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):-
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:-
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):-
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):-

(तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)

11. मंजिलों की संख्या:-
12. तलघर की संख्या:-
13. स्टील्ट/भूतल की संख्या:-
14. ब्लॉक की संख्या:-
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:-
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):-
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):-

(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)

18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है?
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:-
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:-
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है?
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):-
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारो तरफ दूरी):-
25. प्रवेश द्वार की संख्या:-
26. निकासी द्वार की संख्या:-
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:-
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):-
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):-

30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):—
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):—
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:—
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:—
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:—
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):—
36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):—
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:—
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):—
39. क्वालिटी विकास की स्थिति:—
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:—
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:—
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:—
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:—
44. धुआँ निकासी व्यवस्था:—
45. विद्युत अधिष्ठापन:—
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:—
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत:—
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:—
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:—
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):—
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):—
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:—
53. नली रील:—
54. वेट राईजर्स:—
55. सूखी राईजर्स:—
56. डाउन कमर:—
57. यार्ड हाइड्रेंट:—
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):—
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):—
60. पम्पों की विवरणी— इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):—
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र(प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/ विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):—
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:—
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):—
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:—
65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

fluek gky d fy, dN /;kr0; fcUn%&

- (क) Emergency Evacuation Plan बनाया गया है या नहीं? अगर हाँ तो लाईसेंसी प्राधिकार से अनुमोदित है या नहीं?
- (ख) सिनेमा हॉल के द्वारा Exits, Emergency Escape Route *vfXu ;k vU; vkink dh fLFkr e D;k dj@D;k ugh dj* संबंधी छोटा Documentry प्रत्येक प्रदर्शन के दौरान दिखाया जा रहा है या नहीं?
- (ग) सिनेमा हॉल के सभी कर्मचारीगण **Fire drill** एवं **Evacuation** प्रक्रिया में प्रशिक्षित है या नहीं? सिनेमा हॉल द्वारा प्रवेश द्वार को छोड़कर निकास द्वार का उपयोग निकास हेतु किया जाता है लेकिन किसी परिस्थिति में प्रवेश द्वार को बाहर से बंद नहीं करना है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में प्रवेशद्वार का भी प्रयोग निकास द्वार के रूप में किया जा सकता है। *D;k in'ku d vr e io'k }kj d ikl vklkuh l gVu okyk vojk/k yxk;k tkrk g ,o D;k io'k }kj ckj l cn rk ugh fd;k tkrk g*
- (घ) क्या अग्निशमन सेवा/विद्युत विभाग/लाईसेंसिंग प्राधिकार द्वारा सुरक्षा उपकरणों आदि का जाँच हेतु छमाही निरीक्षण किया गया है?
- (ङ.) सिनेमा हॉल को अग्निशमन विभाग द्वारा दिया गया फायर सेफ्टी रेटिंग-Green (Fully compliance), yellow (Satisfactory Compliance), Red (Poor Compliance) को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है?
- (च) सिनेमा हॉल में साल में कम-से-कम एक बार मॉक ड्रिल किया गया है या नहीं?

vLirky d fy, dN Kkr0; fcUn%&

vfXu l l j{kk gr io r ;kfj;k dh pdfyLV

Ø-I-	<i>dh tku okyh dkjokb</i>	<i>gk</i>	<i>ugh</i>
1.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों की मरम्मत/देखभाल (यदि पूर्व से अवस्थित हो)		
2.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों को यथोचित स्थलों तक नियमानुकूल लगाने की व्यवस्था (यदि पूर्व से नहीं उपलब्ध हो तो)		
3.	संभावित क्षेत्रों (संवेदनशील)/जगहों की पहचान एवं नक्शा तैयार करना।		
4.	संसाधन मानचित्र।		
5.	विद्युतचालित उपकरणों, विद्युत संचरण लाईन इत्यादि की मरम्मत एवं देखभाल		
6.	विद्युत संचरण हेतु ट्रांसफॉर्मर की स्थिति।		
7.	जेनरेटर, पेट्रोमेक्स, बैट्रीचालित प्रकाश उपकरण आदि की उपलब्धता (आकस्मिकता हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत)।		
8.	संबंधित दवाओं का समुचित मात्रा में उपलब्धता।		
9.	मरीजों/परिजनों के निष्क्रमण हेतु कार्य योजना की तैयारी।		
10.	परिजनों के उपचार एवं मरीजों के अनवरत उपचार सहित निष्क्रमण कार्य योजना।		
11.	मरीजों/परिजनों के निष्क्रमण के पश्चात सुरक्षित स्थल की पहचान।		
12.	जल श्रोत एवं जल भंडारण की उपलब्धता।		
13.	आपातकालीन निकास की व्यवस्था।		
14.	नोडल अफसर की पहचान/पर्यवेक्षक की नियुक्ति।		
15.	अस्पतालों तक पहुँच सड़कों की स्थिति (व्यवस्थित आवागमन हेतु)।		
16.	आपातकालीन संचालन/नियंत्रण कक्ष को कार्यान्वित करना।		
17.	संचार योजना।		
18.	प्रशिक्षित कर्मियों के परिनियोजन हेतु आकस्मिक योजना।		
19.	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कमिटी का गठन।		
20.	फायर रिसोन्स प्लान (एफ०आर०पी०) बनाया जाना।		
21.	अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति (राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 <i>le;&le; ij ;Fkk l'kkf/kr</i> के अनुसार)		

उपरोक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय विन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतःदिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37, 44 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गई त्रुटियों का समेकित ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
-

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd]

बिहार, पटना /

..... नामित पदाधिकारी।

पत्रांक..... /

पटना, दिनांक..... /

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd] dk dk;kj;] fcgkj] iVukA

-----%ukfer inkf/kdkjh% dk dk;kj;]-----

प्रतिलिपि:-..... (भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/संघ के सचिव/अध्यक्ष/संबंधित व्यक्ति को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd]

बिहार, पटना /

..... नामित पदाधिकारी।

i.i=&"k

fun'kd }kjk Lo; vFkok ukfer inkf/kdkjh }kjk fd, x, vfxu vid{k.k ckn Hkou
vFkok ifjlj d Lokeh dk lcf/kr ftEeokjh yr g, U;k;l xr vof/k d vrx'r vfxu
fuokj.k ,o vfxu ljjkk mik;k e ik;h x;h vi;kIrrk dk nj dju gr fun'kd d
}kjk fn; tku oky ukfVI A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-34, 35 एवं 43 (2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(घ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;ky;] fcgkj] iVuk A

-----ikf/kdr inkf/kdkjh dk dk;ky;-----

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी / अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- (नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक-..... दिनांक.....

fo"K;%& Hkou vFkok ifjlj dk vfxu vid{k.k ckn vfxu fuokj.k ,o vfxu ljjkk l
lcf/kr 0;oLFkk e ikb xbl vi;kIrrk dk nj dju gr ukfVI A

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) आपका भवन/परिसर मेंतलघर एवंमंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा
उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा
किया गया / (नामित पदाधिकारी)..... द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन
पत्रांक-.....दिनांक-..... (संलग्न) द्वारा समर्पित किया गया है।

(3) भवन/ परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था
सुनिश्चित करने की जवाबदेही भवन/परिसर हस्तगत कराने के पूर्व भवन निर्माता की है तथा भवन/परिसर
का अधिभोग प्राप्त करने के बाद तत्संबंधी जवाबदेही भवन/परिसर का स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके
संघ की है ।

(4) अग्नि अंकेक्षण के बाद उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई
अपर्याप्तता अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित है, जिसे दूर करने की जवाबदेही आपकी है।

(5) कृपया.....दिनों के अन्दर अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई
अपर्याप्तता को दूर करें अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37 एवं 44 तथा बिहार
भवन उप विधि, 2014 की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

fun'kd&

प्राधिकृत पदाधिकारी-

नाम-

पदनाम-

मुहर-

i i i = & l

Hkou vFkok ifj lj d Lokeh vFkok vf/kHkkxh dk vfxu l j {kk mik; k l c / kh fn, x, ukfVl l 0; fFkr 0; fDr } kjk vihy A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-34 एवं 35 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ड.) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... / दिनांक..... /

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-..... दिनांक-.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक-..... दिनांक.....

fo" k; % & Hkou vFkok ifj lj dk vfxu v d {k. k ckn vfxu fuokj. k , o vfxu l j {kk l l c f / kr 0; oLFkk e i kb l x b l vi; k l r r k dk nj d ju gr i k l r ukfVl d fo :) vihyA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) मेरा / हमलोगों का भवन / परिसर में तलघर एवं मंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु मेरे / हमलोगों के भवन / परिसर का जाँच आपके द्वारा / नामित पदाधिकारी के द्वारा किया गया ।

(3) मेरे / हमलोगों के / भवन / परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था दिनों के अन्दर सुनिश्चित करने की जवाबदेही हमें / हमलोगों को दी गई है अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की बात अंकित की गई है ।

(4) इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु अनुरोध है-

(क).....

(ख).....

(ग).....

.....

fo'ok l Hkk t u

भवन का पता :-

Hkou Lokeh@vf/kok l h@l :?k l nL; dk gLrk{kj@ uke@irk

दिनांक :-

वास्तुविद् / अभियंता / संरचना अभियंता / भवन निर्माता का
हस्ताक्षर / नाम / पता / सूचीकरण संख्या

i.i=&g

vfXu fuokj.k ,o vfXu ljj{kk mik;k e ikb! xb! vi;kIrrk dk Hkou Lokeh vFkok
vf/kHkkxh d! }kjk nj ugh fd, tku dh fLFkfr e Hkou vFkok ifj lj dk [kkyh
dju@lhy fd, tku lc/kh Hkou Lokeh vFkok vf/kHkkxh dk ukfVI A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-34, 35, 37 एवं 44 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;kky;] fcgkj] iVuk A
-----ikf/kdr inkf/kdkjh dk dk;kky;-----

दिनांक..... /
सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी / अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-..... दिनांक-.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक-..... दिनांक.....

fo" ;& vfXu vid{k.k ckn vfXu fuokj.k ,o vfXu ljj{kk l lcf/kr 0;oLFkk e ikb! xb!
vi;kIrrk dk nj djv gr fn, x, ukfVI dk vuiky ugh djv d! dkj.k
Hkou @ifj lj dk [kkyh djv@lhy fd, tku lc/kh ukfVIA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) आपका भवन/परिसर, जिसमेंतलघर एवंमंजिल है, का अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा/(नामित पदाधिकारी)..... द्वारा किया गया।

(2) भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जवाबदेही आपका होने के कारण अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को.....दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37 एवं 44 तथा बिहार भवन उप विधि, 2014 की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी /नामित पदाधिकारी के द्वारा आप को दिया गया था।

(3) निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपके द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(4) अतः कारण पृच्छा दें कि आपके विरुद्ध बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जाय। आपका कारण पृच्छा 10 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विधिवत दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

(5) आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक है। अतः कारण पृच्छा दें कि बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाय, अथवा बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई क्यों नहीं की जाय।

निदेशक-

प्राधिकृत पदाधिकारी-

नाम-

पदनाम-

मुहर

ii=&{k

vfXu fuokj.k ,o vfXu ljjfkk mik;k e ikb xbl vi;kIrrk dk Hkou Lokeh vFkok vf/kHkkxh
d }kjk nj ugh fd, tku dh fLFkfr e Hkou vFkok ifj lj dk [kkyh dju lc/kh ukfVl d
ckn Hkou dk lhy fd, tku lc/kh dkjokb d lc/k e lpuk A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-34, 35 एवं 44 के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

jkT; vfXu'keu inkf/kdkjh&lg&fun'kd dk dk;k;] fcgkj] iVuk A

-----ikf/kdr inkf/kdkjh dk dk;k;-----

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक-.....दिनांक-.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक-..... दिनांक.....

fo"K;%&

vfXu vid{k.k ckn vfXu fuokj.k ,o vfXu ljjfkk l lc/kf/kr 0;oLFkk e ikb xbl
vi;kIrrk dk nj dju gr fn, x, ukfVl dk vuiky ugh dju d dkj.k
Hkou@ifj lj dk [kkyh dju lc/kh fn, x, ukfVl] d ckctn Hkou@ifj lj
[kkyh ugh fd, tku d dkj.k Hkou@ifj lj dk lhy dju dh dkjokbA

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) आपका भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता से संबंधित अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को.....दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी नामित पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(2) आपसे कारण पृच्छा की गई कि आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक होने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाय, अथवा बिहार भवन उपविधि, 2014 le;≤ ij ;Fkk l'kkf/kr का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई क्यों नहीं की जाय।

(3) आपके द्वारा भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया।

अतः अधिवासियों से भवन/परिसर को विधिवत् खाली कराया गया है। तत्पश्चात भवन/परिसर को सील किया जाता है। इस सील को हटाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-44(5) के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक-

प्राधिकृत पदाधिकारी-

नाम-

पदनाम-

मुहर

Hkou@ifj lj d nhokj ij fpidk;k tk,A

i i = & =

vfXu fuokj.k ,o vfXu l j f k k m i k ; k e i k b l x b l v i ; k l r r k d k H k o u L o k e h v F k o k
v f / k H k k x h d l } k j k n j u g h f d , t k u d h f l F k f r e i H k o u v F k o k i f j l j d k f c g k j H k o u
m i f o f / k l 2014 l e ; & l e ; i j ; F k k l ' k k f / k r d h m i f o f / k & 16 7 / 2 d l v U r x l r H k o u d k
f o f / k o r v l j f f k r ? k k f ' k r f d , t k u l c / k h v x R r j d k j o k b l l c / k h H k o u L o k e h v F k o k
v f / k H k k x h d k l p u k @ l c f / k r f u d k ; v F k o k i k f / k d k j d k f o f / k d d k j o k b l g r l i f r o n u A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-44 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

j k T ; v f X u ' k e u i n k f / k d k j h & l g & f u n ' k d d k d k ; k y ;] f c g k j] i V u k A

दिनांक..... /

सेवा में,

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-..... दिनांक-.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक-..... दिनांक.....

f o " k ; % & v f X u v d f k . k c k n v f X u f u o k j . k , o v f X u l j f k k l l c f / k r 0 ; o l F k k e i
v i ; k l r r k d k n j d j u g r l f n , x , u k f V l d k v u i k y u u g h d j u d l d k j . k
H k o u @ i f j l j d k v l j f f k r ? k k f ' k r f d , t k u l c / k h A

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

(1) आपका भवन/परिसर, जिसमेंतलघर एवंमंजिल है, का अग्नि निवारण एवं
अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा/(नामित
पदाधिकारी).....द्वारा किया गया।

(2) भवन/ परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था
सुनिश्चित करने की जवाबदेही आपका होने के कारण अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को.....
.....दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37 एवं 44 तथा बिहार
भवन उप विधि, 2014 l e ; & l e ; i j ; F k k l ' k k f / k r की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई
किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी/नामित पदाधिकारी के द्वारा आप को दिया गया था।

(3) निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपके द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि
सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(4) आपसे बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37 के अन्तर्गत दण्डात्मक
कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ किए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी। आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं
हुआ/असंतोषजनक पाया गया।

(5) आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक
होने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी
अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों
नहीं दिए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी, परन्तु आपके द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया
गया/कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाया गया। आपके द्वारा भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को

दूर रखने संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन भी नहीं किया गया, जिस कारण भवन/परिसर को विधिवत सील किया गया/सील किए जाने की कार्यवाई की जा रही है।

(6) आपसे बिहार भवन उपविधि, 2014 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाई क्यों नहीं किए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी, परन्तु आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं हुआ/असंतोषजनक पाया गया।

(7) चूँकि अग्नि सुरक्षा उपायों में काफी अपर्याप्तता के कारण भवन/परिसर की स्थिति अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है, इसलिए बिहार भवन उपविधि, 2014 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाई की जा रही है।

fun'kd dk uke@inuke@egj

ifrifyfi& (सक्षम प्राधिकार/नगर निकाय).....को कृपया सादर सूचनार्थ एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 *le; & le; ij ; Fkk l'kkf/kr* का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत् असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रपत्र-K

vfɪudk.M dɪ lɪc/k eɪ vfɪu'keu ifronu

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 (छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 25(ख) के अन्तर्गत)

अग्निशमन प्रतिवेदन संख्या-.....

1. अग्निशामालय का नाम :-
2. अग्निकांड की तिथि :-
3. घटना स्थल का पता :-
पंचायत थाना..... प्रखंड.....
4. अग्निशामालय से घटना स्थल की दूरी :-
5. घटना स्थल का ब्योरा :-
पक्का (कितने मंजिल).....
झुग्गी / झोपड़ी / खेत / खलिहान.....
6. सूचना प्राप्ति का समय / माध्यम / मूल सूचक का नाम एवं मो० नं० :-
7. आग लगने का समय :-
8. अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान का समय :-
9. अग्निशमन दस्ता के घटना स्थल पहुँचने का समय :-
10. अग्निशमन दस्ता के घटना स्थल छोड़ने का समय :-
11. अग्निशमन दस्ता के अग्निशामालय वापसी का समय :-
12. घटना स्थल पर वरीय पदाधिकारी / कर्मियों का नाम :-.....
.....
13. फायर टेंडर का प्रकार / पोर्टेबल पम्प (रजिस्ट्रेशन सं०) एवं पम्पिंग कि०मी० :-.....
.....
14. आग का प्रकार (छोटी / मध्यम / बड़ी / गंभीर) :-
15. आग से क्षति हुए सामानों का नाम / क्षति का प्रतिशत :-.....
.....
16. आग से बचाये गये सामानों का नाम :-.....
17. आग से घायल व्यक्ति / व्यक्तियों की संख्या :-
18. आग से जलकर मृत व्यक्ति / व्यक्तियों की संख्या :-.....
19. आग से घायल / मृत व्यक्तियों / पशुओं का विवरण :-
.....
20. आग लगने का स्पष्ट कारण (जैसे- चुल्हा का आग / राख का आग / ढिबरी / मोमबत्ती / बीड़ी-
सिगरेट / थ्रेसर / गैस सिलिंडर / बिजली का शॉर्ट सर्किट / ट्रांसफॉर्मर / रेलवे की चिंगारी / ईट-भट्ठा की
चिंगारी / ज्वलनशील पदार्थ / आसमानी बिजली / स्वतः आग इत्यादि) :-
.....
21. मालिक का नाम :-.....
22. नजदीकी जल स्रोत का ब्योरा :-
23. घटना एवं की गयी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण :-
ज्ञापांक..... / दिनांक..... /
कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी / प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी..... ।

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

gɪrɪkɪj

ɪnkɪ/kɪkɪh dɪ uke

अग्निशामालय पदाधिकारी / प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी..... /

$i \cdot i = \& d \& 1$

$vxyxh \ d \ l \ c/k \ e \ fn; \ x; \ vfxu'keu \ ifronu \ e \ l'kk/ku \ gr \ Hkou \ ekfyd \ vFkok$
 $vf/kHkkxh \ d \ }kjk \ fn;k \ tku \ okyk \ vkonu \ i = A$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 (छ) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 25(ग) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
 बिहार, पटना ।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-.....दिनांक-.....

fo" k; %&

$Hkou \ @ifj \ lj \ dk \ uke \ -----irk \ -----d \ ekey \ e$
 $dEI;Vj \ vkb \ EMhE \ l \ ;k \ -----fnukd \& \ -----vfxu'keu \ ifronu$
 $l \ ;k \& \ -----fnukd \& \ -----l \ lcf/kr \ vfxu \ ifronu \ e \ l'kk/ku \ gr$
 $vujk/kA$

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

- (1) विषयांकित अग्निशमन प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हैं-
- (2) उपरोक्त तथ्यात्मक अशुद्धि (अशुद्धियों) से जुड़े वास्तविक तथ्य निम्नलिखित हैं-
- (3) अपने उपरोक्त दावों के समर्थन में मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ-

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित अग्निशमन प्रतिवेदन में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

$vi \ hyd \ Ukk \ dk \ gLrk \{kj \ ,o \ ijk \ irk$

$i \cdot i = \&[k \&1$

$jkT; dh lhek d ckgj vko'; d midj. k d l k Fk fcgkj vfxu'keu lok d lnL; k dh$
 $ifrfu; fDr fd; tku ij fu/kk fjr rlu krh 'kYd Hkxrku gr lcf/kr ikf/kdkj dk fn; k$
 $tku okyk ekx i = A$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-22 (01) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 28(क) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

$jkT; vfxu'keu inkf/kdkjh \& lg \& fun'kd dk dk; ky;] fcgkj iVuk A$

दिनांक...../

सेवा में,

.....
 संबंधित प्राधिकार।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-..... दिनांक-.....
 इस कार्यालय का पत्रांक-..... दिनांक-.....

$fo" k; \& jkT; dh lhek d ckgj vfxu'keu lok dk rlu krh 'kYd d Hkxrku gr ekx i = A$
 महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि-

- आपके अनुरोध पर आवश्यक उपकरणों के साथ बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति..... स्थान पर..... दिनों के लिए किया गया था।
- बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों द्वारा दिनांक-..... से दिनांक-..... तक अग्निशमन का कार्य किया गया।
- अग्निशमन कार्य में निम्नलिखित वाहन एवं उपकरणों का प्रयोग हुआ। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 का अनुसूची-‘झ’ के आधार पर तैनाती शुल्क का ब्यौरा निम्नप्रकार है-

अनुरोध है कि वांछित तैनाती शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से करने की कृपा की जाय।

$jkT; vfxu'eu inkf/kdkjh \& lg \& fun'kd] fcgkj iVukA$

vu|lph&^d**

vfxu'keu lok d: fofHkUu loxki d: inkf/kdkfj; k@dfe!; k dk dr0; ,o nkf; Ro

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-04, 5(क) एवं 12 के अधीन,
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 09 के अन्तर्गत)

¼1½ mi fun'kd&lg&ieMyh; vfxu'keu inkf/kdkjh&

- ¼d½ ये राजस्व प्रमंडल स्तर पर गठित अग्नि क्षेत्र के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- ¼[k½ ये अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सभी जिला स्तरीय अग्नि प्रमंडल, अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों एवं अन्य दमकल केन्द्रों के नियंत्री एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- ¼x½ गंभीर अगलगी एवं आपातकाल के समय की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित अभियान के सामान्यतया ये सम्पूर्ण प्रभार में रह कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- ¼?k½ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के प्राचार्य के रूप में पदस्थापन होने पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सम्पूर्ण प्रशिक्षण के नियंत्री एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- ¼M-½ राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

¼2½ lgk; d ieMyh; vfxu'keu inkf/kdkjh&

- ¼d½ ये उप निदेशक-सह-प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग करेंगे।
- ¼[k½ ये उनके अवकाश या अन्य कर्तव्य पर रहने की स्थिति में उनके प्रभार में रहेंगे।
- ¼x½ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में पदस्थापन होने पर प्राचार्य के सहयोगी के रूप में वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- ¼?k½ राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

¼3½ ft yk vfxu'keu inkf/kdkjh&

- ¼d½ ये जिला स्तर पर गठित अग्नि प्रमंडल के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- ¼[k½ ये अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों एवं अन्य दमकल केन्द्रों के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- ¼x½ गंभीर अगलगी एवं आपातकाल के समय की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित अभियान के सामान्यतया ये सम्पूर्ण प्रभार में रह कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- ¼?k½ राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

¼4½ lgk; d ft yk vfxu'keu inkf/kdkjh&

- ¼d½ ये जिला अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग करेंगे।
- ¼[k½ ये उनके अवकाश या अन्य कर्तव्य पर रहने की स्थिति में उनके प्रभार में रह कर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- ¼x½ राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

¼5½ vfxu'kkeky; inkf/kdkjh&ये दमकल केन्द्र के प्रभारी के रूप में कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे। अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालय में पदस्थापित अग्निशामालय पदाधिकारी अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी कहलायेंगे जो अपने अग्निशामालय के दायित्व के अतिरिक्त अनुमंडल क्षेत्र के सभी अग्निशामालयों के नियंत्री एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी होंगे।

इनके कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

- ¼d½ किसी भी समय अग्नि आपदा से जान-माल की सुरक्षा एवं अन्य कर्तव्य के लिए स्वयं हमेशा तत्पर रहना तथा अपने अधीनस्थों को तैयार एवं तत्पर रखना।
- ¼[k½ वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन तत्परतापूर्वक शालीनता के साथ करना।

- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अपने अग्निशामालय एवं अन्य अग्निशामालयों में अग्नि संबंधी सभी गतिविधियों से बड़े पदाधिकारियों को अवगत कराना।
- $\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$ फायर स्टेशन के सभी Appliances, Store एवं equipments आदि का प्रभार लेना एवं उसे कारगर रखना तथा उसके सही रूप से क्रियाशील होने के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन देना। साथ ही अन्य आवश्यकताओं के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित करना।
- $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ सभी फायर ऑफिसर/सभी कर्मियों को फायर स्टेशन में उपलब्ध यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग करने एवं उसको दुरुस्त रखने के संबंध में निर्देश देना तथा तत्संबंधी ड्रिल करवाना, ताकि अगलगी की सूचना पर तत्काल अग्निशमन कर्तव्य में किसी भी प्रकार का परेशानी न हो।
- $\frac{1}{4}Pk\frac{1}{2}$ फायर स्टेशन में कर्मियों की पोशाक, किताबें एवं उपकरणों की जाँच हेतु माह में कम-से-कम एक बार परेड करवाना।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ फायर उपकरणों के साथ-साथ कर्मियों की उपस्थिति की जाँच करना।
- $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ माह में कम-से-कम एक बार कर्मियों के टर्न आउट का जाँच करना। यह कार्य औचक रूप से भी किया जाना चाहिए।
- $\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ कार्यालय की घड़ी की जाँच दिन में दो बार नियमित अंतराल पर करना।
- $\frac{1}{4}\sim\frac{1}{2}$ कार्य स्थल पर कर्तव्य हेतु उपस्थित कर्मियों के उचित पोशाक में रहने एवं उन्हें कर्तव्य की जानकारी होना सुनिश्चित करना।
- $\frac{1}{4}V\frac{1}{2}$ संचार व्यवस्था को कारगर रखना सुनिश्चित करना। संचार प्रणाली के नेटवर्क से स्वयं एवं अपने कर्मियों को परिचित रखना। संचार व्यवस्था की स्थिति सही नहीं रहने पर तत्काल संबंधित प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।
- $\frac{1}{4}B\frac{1}{2}$ फायर स्टेशन में लेखा से जुड़े सभी मामलों की सही जानकारी रखना।
- $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ सप्ताह में कम-से-कम एक बार वाटर पम्प का पूर्ण चेकिंग करना।
- $\frac{1}{4}<\frac{1}{2}$ किसी प्रकार का दुर्घटना, जान-माल की क्षति के संबंध में तत्काल ही वरीय पदाधिकारियों तथा संबंधित थाना को जानकारी देना।
- $\frac{1}{4}.k\frac{1}{2}$ अपने क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था से स्वयं अवगत रहना एवं अपने कर्मियों को अवगत कराना। क्षेत्र में फायर हाईड्रेंट होने की स्थिति में उसका नियमित जाँच करना एवं उन्हें दुरुस्त रखना/रखवाना।
- $\frac{1}{4}r\frac{1}{2}$ अपने क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्र के अग्नि आपदा एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखना तथा अपने अधीनस्थों को भी अवगत कराना।
- $\frac{1}{4}Fk\frac{1}{2}$ फायर स्टेशन के सभी रजिस्टर, लॉग बुक, घटना पंजी, उपस्थिति पुस्तिका आदि को अद्यतन रखना। साथ ही अग्नि प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकार के विवरणी एवं प्रतिवेदन, सरकारी बंदी को छोड़ कर 48 घंटों के अन्दर समर्पित करना।
- $\frac{1}{4}n\frac{1}{2}$ संबंधित भवन का फायर ऑडिट भवन के स्वामी/ अधिवासी के समक्ष करना। उन्हें अग्निशामक यंत्रों की आवश्यकता तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित अन्य वांछित उपकरण/उपायों के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराना। तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य अग्निशमन, मुख्यालय को देना तथा संबंधित भवन के स्वामी/अधिवासी को दिए गए सलाह का अनुपालन करवाना।
- $\frac{1}{4}/k\frac{1}{2}$ भवन में मॉक ड्रिल का आयोजन पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति में करना एवं भवन के स्वामी/अधिवासी को अग्नि आपदा की स्थिति में व्यवहारिक रूप से सुरक्षित पलायन करने का तरीका के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। गोष्ठी में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले/नहीं किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बताना।
- $\frac{1}{4}u\frac{1}{2}$ अपने कर्मियों को अग्नि आपदा/अग्नि सुरक्षा के संबंध में विधिवत् प्रशिक्षण देना।
- $\frac{1}{4}i\frac{1}{2}$ अपने अधिनस्थ कर्मियों के कार्य सराहनीय होने की स्थिति में पुरस्कार तथा कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में सजा हेतु निष्पक्ष रूप से अनुशंसा करना।
- $\frac{1}{4}Q\frac{1}{2}$ राज्य अग्निशमन मुख्यालय/प्रमंडलीय अग्निशमन कार्यालय/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित कार्यालय प्रधान के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- $\frac{1}{4}6\frac{1}{2}$ $mikf/kdkjh4lc&vkfQLj\frac{1}{2}\&$
- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ जिस अग्निशामालय में अग्निशामालय पदाधिकारी एवं उपाधिकारी पदस्थापित होंगे, वहाँ पर अग्निशामालय पदाधिकारी संबंधित अग्निशामालय के प्रभारी होंगे तथा उपाधिकारी के द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य निर्वहन में सहयोग किया जाएगा।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अग्निशामालय पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उपाधिकारी संबंधित अग्निशामालय के प्रभार में रह कर अग्निशामालय पदाधिकारी के लिए निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ प्रमंडलीय अग्निशमन कार्यालय/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित कार्यालय प्रधान के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$ अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित अग्निशामालय पदाधिकारी के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}7\frac{1}{2}$ $i/kku\ vfxud$ **Leading Fireman** & ये अग्निशमन कार्य संचालन दल के प्रभारी एवं अग्निशामालय के सामान्य कार्यों के दैनिक प्रभारी होंगे। उनका मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होगा—

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अपने कर्तव्य स्थल पर उपलब्ध रहना।

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अपने अधीनस्थ कर्तव्यरत कर्मियों को कर्तव्य हेतु ठीक से तैयार करना। उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा अग्निशमन उपकरणों का जानकारी देना।

$\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$ अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।

$\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ अग्निशामालय के सभी उपकरणों के प्रभार में रहते हुए उन्हें सुव्यवस्थित एवं उपयोगी रखना।

$\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ सभी प्रकार के उपकरण, वर्दी कपड़े, अभिलेख एवं अन्य सामग्रियों का देख-रेख करना तथा किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ अपने अधीनस्थ कर्मियों का ड्रिल परेड एवं संबंधित अन्य कार्य करवाना।

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अग्निशामालय के अधीनस्थ कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}8\frac{1}{2}$ $i/kku\ pkyd$ **Leading Driver** & ये अग्निशमन कार्य संचालन दल के वाहन चालन एवं संबंधित साधित्रों के प्रभारी होंगे। साथ ही प्रधान अग्नि की अनुपस्थिति में कार्य संचालन दल के प्रभारी एवं अग्निशामालय के सामान्य कार्यों के दैनिक प्रभारी होंगे। इनका मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होगा—

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अपने कर्तव्य स्थल पर वाहन चालन आदि कर्तव्य हेतु उपलब्ध रहना।

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अपने अधीनस्थ कर्तव्यरत कर्मियों को कर्तव्य हेतु ठीक से तैयार करना। उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा अग्निशमन उपकरणों का जानकारी देना।

$\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$ अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।

$\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ अग्निशामालय के वाहनों एवं साधित्रों के प्रभार में रहते हुए उन्हें सुव्यवस्थित एवं कार्यकारी स्थिति में रखना। वाहनों के क्रियाशीलता के संबंध में दिन में कम से कम 2 बार परीक्षण करना एवं तत्संबंधी अभिलेख संधारित करना।

$\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ वाहन एवं उपकरणों के प्रभार में रहते हुए वाहन के कार्य, माईलेज, ईंधन खपत आदि का अभिलेख संधारित करना।

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ वाहन एवं संबंधित अग्निशमन उपकरणों में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अग्निशामालय के अधीनस्थ कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}9\frac{1}{2}$ $vfxud$ **Fireman** &

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अपने कर्तव्य स्थल पर उपलब्ध रहना।

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ अपने क्वार्टर/बैरक को साफ-सुथरा रखना।

$\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$ अपने कर्तव्य के दौरान अपना पूरा समय एवं ध्यान अग्निशमन सेवा पर देना।

- $\frac{1}{4}M-\frac{1}{2}$ स्वच्छता, शीघ्रता एवं कर्तव्य के संबंध में अन्य के लिए उदाहरण पेश करना।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ अग्निशामालय परिसर, वाहन एवं पम्पों, उपकरण कक्ष, अधिकारी कक्ष, ड्रील यार्ड, वाच रूम, कर्मशाला, निवास स्थल, ड्रील टावर, हॉज(नली) सुखाने वाले टावर को साफ रखना तथा उपकरण, गीयर आदि को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित रखना।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ आग लगने पर, विशेष सेवा, अग्निशमन अभ्यास आदि में उपस्थित होने के लिए एलार्म बजने पर कम से कम समय में उपस्थित होना।
- $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अपने एवं आस-पास के इलाकों की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ आग के जोखिम से संबंधित स्थलों की पहचान कर याद रखना एवं वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।
- $\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ उपकरणों एवं वाहनों के रख-रखाव में चालक का सहयोग करना।
- $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ अग्निशामालय पदाधिकारी/दैनिक प्रभारी के निर्देशानुसार गार्ड/कर्मशाला/नियंत्रण कक्ष/दूरभाष/वित्तु संबंधी कर्तव्य का निर्वहन करना।
- $\frac{1}{4}V\frac{1}{2}$ अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण कर प्रधान अग्नि क को प्रतिवेदन देना। दस्ता के ईमानदारी, स्वच्छता, आवंटित उपकरणों का रख-रखाव, फर्श, दिवाल, खिड़की, हॉज आदि की धुलाई की जबाबदेही पृथक एवं संयुक्त रूप से संबंधित दस्ता के अग्निकों की होगी।
- $\frac{1}{4}B\frac{1}{2}$ अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के साथ पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर उनके निदेशानुसार अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

$\frac{1}{4}10\frac{1}{2}$ $v\frac{1}{4}xud\ pkyd$ Fireman Driver

- $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ अपने कर्तव्य स्थल पर वाहन चालन आदि कर्तव्य हेतु उपलब्ध रहना।
- $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।
- $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अपने कर्तव्य हेतु ठीक से तैयार एवं जागरूक रहना।
- $\frac{1}{4}2k\frac{1}{2}$ अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।
- $\frac{1}{4}M-\frac{1}{2}$ वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार अग्निशामालय के वाहनों एवं साधित्रों को सुव्यवस्थित एवं कार्यकारी रखना। वाहनों के क्रियाशीलता के संबंध में दिन में कम से कम 2 बार परीक्षण करना एवं तत्संबंधी अभिलेख संधारित करना।
- $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ वाहन एवं उपकरणों के प्रभार में रहते हुए वाहन के कार्य, माईलेज, ईंधन खपत आदि का अभिलेख संधारित करना।
- $\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ वाहन एवं संबंधित अग्निशमन उपकरणों में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।
- $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ अग्निशामालय के अन्य कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

$\frac{1}{4}11\frac{1}{2}$ $jkt; v\frac{1}{4}x'u'keu\ i'jke'khi ,o\ v\frac{1}{4}x'u'keu\ lykgdkj$ अग्नि से सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न अधिनियम/नियमावली एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य प्रावधानों के आलोक में अग्निशमन वाहनों/यंत्रों/व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विशिष्टीय निर्धारण एवं क्रय तथा भवन निर्माण योजना में अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी परामर्श तथा अग्निशमन सेवा के हित में आवश्यक परामर्श निदेशक को देना।

$\frac{1}{4}12\frac{1}{2}$ $xj\ onh/kkj\ in\ v\frac{1}{4}vul\ fpo;$ $lox\frac{1}{2}$ संबंधित कार्यालय के सभी मामलों से संबंधित अभिलेखों का संधारण प्रशासी विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार करना।

$\frac{1}{4}13\frac{1}{2}$ $xj\ onh/kkj\ in\ v\frac{1}{4}k'fyfid\ lox\frac{1}{2}$ संबंधित कार्यालय के प्रभारी के निजी संचिकाओं एवं अन्य कार्यों से संबंधित अभिलेखों का संधारण एवं कार्य प्रशासी विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार करना।

$\frac{1}{4}14\frac{1}{2}$ $xj\ onh/kkj\ in\ pr\ Fk\ oxh;$ $lox\frac{1}{2}$ प्रशासी विभाग के द्वारा इस संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। अपने वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या सौंपे गए दायित्व का तत्परतापूर्वक निर्वहन किया जाएगा।

*vu|lph&^k***

vfXu'keu lc/kh dk;| lpkyu lnL; gr ekud lpkyu ifØ;k %SOP%

॥बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा-04, 5(क) एवं 12 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 10 के अन्तर्गत)

%d% vflky|/kh; dkjokb lc/kh&

1. *lpkj 0;oLFkk&* अपने क्षेत्र के राजस्व नक्शा एवं थानों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का नाम, एवं मोबाईल न० प्राप्त करते हुए संचार/संवाद व्यवस्था (Communication Plan) तैयार करना । तैयार किए गए (Communication Plan) को अग्निशामालय में रखना तथा इसकी एक प्रति अग्निशामक वाहनों में वाहन चालक एवं अन्य के दृष्टि में रखते हुए सुरक्षित रखना ।
 2. *ty Lkk&* सभी प्रकार के सरकारी एवं निजी जलस्रोत की सूची तैयार कर रखना एवं उसका एक-एक प्रति अग्निशामालय / अग्निशामक वाहन में रखना । इसे लगातार अद्यतन रखना ।
 3. *vfXu'keu dUn ei ift;k dk l/kj.k&*
- (A) स्टॉक पंजी/बुक-टूल्स तथा प्लांट/क्लोदिंग/स्टेशनरी/उपभोग्य सामग्री/ईंधन स्टॉक पंजी/कंडम सामग्री स्टॉक बुक/कंडम सामग्री की नीलामी पंजी/(B) हौज कार्ड रजिस्टर (C)लॉग बुक-गाड़ियों का पूर्ण इतिहास (खरीद तिथि/विभिन्न गतिशीलता/कार्यस्थल/पुर्जे/टायर/बैटरी आदि) संबंधी (D) कार्यशाला हेतु आदेश पंजी (E) अवकाश पंजी (F) रिपोर्ट लेखन संचिका (बीमारी/अवकाश/अनुपस्थिति आदि के संबंध में वरीय पदा० को प्रतिवेदन) (G) रिक्वेस्ट रूम रजिस्टर (H) आडरली रूम रजिस्टर (I) ऑकुरेन्स बुक (गाड़ी, व्यक्ति, आग आदि के संबंध में अग्निशमन केंद्र की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का इतिहास) (J) फायर रिपोर्ट ।

%k% fujk/kkRed dkjokb lc/kh&

1. क्षेत्र के नागरिकों से समय-समय पर वार्ता कर आत्मीय संबंध बनाना ।
 2. अग्निशामालय का संपर्क नंबर अपने क्षेत्र में परिचालित करना ।
 3. स्थानीय थाना/अंचल/प्रखंड एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क रखना एवं उनसे सहयोग प्राप्त करना ।
 4. थाना/अंचल/प्रखंड/जिला स्तरीय आम जनता/पदाधिकारियों के निर्धारित बैठक में भाग लेना तथा अग्निकांड/अग्निशमन संबंधी जानकारी से आम जनता तथा पदाधिकारियों को अवगत करा कर उन्हें जागरूक करना ।
 5. *Qk;j vkfMV rFkk ekd Mhy-* अग्नि आपदा से बचने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई के तहत अपने क्षेत्र के विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी इलाके/विद्यालय/महाविद्यालय/अस्पताल/सिनेमा घर/बहुमंजिला भवन आदि का फायर ऑडिट करना तथा मॉक ड्रिल कर आम जनता को अग्नि से बचाव से संबंधित जानकारी देकर अग्नि आपदा के विरुद्ध उन्हें जागरूक करना । आवश्यक अग्नि निरोधक उपकरणों के संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी एवं सलाह देना । फायर ऑडिट एवं मॉक ड्रिल हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करना—
- (क) अग्नि कार्यक्रम बनाना जिसमें कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थल एवं तिथि हो । स्थल चिन्हित करने के क्रम में ध्यान रखा जाय कि बारी-बारी से विभिन्न प्रकार के मकान आदि का चयन हो ।
- (ख) संबंधित स्थल के लोगों से संपर्क कर, लिफलेट बॉट कर, पम्पलेट साट कर, बच्चों के बीच बैलून/टॉफी बॉट कर कार्यक्रम का पूर्व जानकारी देना । कार्यक्रम की तिथि तक लोगों को कार्यक्रम के महत्व की जानकारी देते हुए उन्हें आमंत्रित करना एवं उनका संपर्क नंबर प्राप्त कर उनके संपर्क में रहना । कार्यक्रम की जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को भी देकर उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाकर आमंत्रित करना ।
- (ग) फायर ऑडिट एवं मॉक ड्रिल के दिन संबंधित भवन का फायर ऑडिट करना एवं पायी गयी त्रुटि/सुझाव के संबंध में लिखित रूप से उक्त भवन के व्यवस्थापक/मालिक को जानकारी देना । तत्पश्चात आमंत्रित लोगों के साथ विधिवत बैठक करना । उपस्थित लोगों का नाम, पता एवं संपर्क नंबर गोष्ठी की कार्रवाई संबंधी वृत्त में अंकित करना । उन्हें विभिन्न प्रकार के अग्नि आपदा तथा विभिन्न प्रकार के बचाव के उपाय की जानकारी देना । स्थल पर ही आग जलाकर आग बुझाने के तरीका के संबंध में व्यवहारिक रूप से आम जनता को दिखाना तथा यथासंभव उन्हें अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना । साथ ही अग्नि आपदा की स्थिति में अग्नि स्थल से सुरक्षित निकलने का व्यवहारिक तरीका बतलाना ।

- (घ) मॉक ड्रील के क्रम में फायर रिटार्डेंट झोपड़ी/पंडाल बनाने के संबंध में जानकारी देना तथा व्यवहारिक रूप से दिखाना।
 (ङ.) कार्यक्रम का फोटोग्राफी करवाना।
 (च) कार्यक्रम के बाद प्रतिवेदन समर्पित करना जिसमें कार्यक्रम के संबंध में पूर्ण व्यौरा के साथ-साथ कार्यक्रम में भाग लेने वाले आम नागरिकों की संख्या, पदाधिकारियों का नाम/पद हो। साथ ही अखबार में संबंधित समाचार की छाया प्रति/बैठक का वृत्त आदि का छाया प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न हो।

6. $xkeh.k \{k=k e Qk;j cFk dh LFkkiuk-$ प्रत्येक गाँव में पंचायत की मदद से फायर बूथ की स्थापना की जाय, जिसमें फायर बीटर्स, फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि के साथ-साथ छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण एवं आग की सूचना देने के लिए घंटी की व्यवस्था हो।

7. $vfxu vkink d fo: } ipkj@iikj\&$ आम लोगों को अग्नि आपदा एवं आगजनी से बचाव हेतु मौखिक रूप से जानकारी देने के अतिरिक्त लिफलेट बॉटकर, सार्वजनिक स्थलों पर पम्पलेट साटकर, स्टेण्डी लगाकर, बच्चों के बीच पेंटिंग/स्लोगन/कवीज प्रतियोगिता का आयोजन कर, सिनेमा स्लाइड, अखबार में विज्ञापन का सहारा लेकर आदि द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ $vfxu dkM dh lpuk ikflr d io dh r;kjh\&$

1. अग्निशमन केंद्र में नियमित कार्यवाई—

- (A) पदा0/कर्मियों द्वारा दैनिक ड्रील, विशेष फायर ड्रील, रेस्क्यू ड्रील किया जाना।
 (B) बीमार/अक्षम कर्मियों के स्थान पर स्वस्थ कर्मियों को तैयार रखना।
 (C) वाहनों को चालन योग्य रखने हेतु वाहनों एवं अन्य साज-सामानों की टूट-फूट होने या गायब होने पर तत्संबंधी नियमित मरम्मत/आपूर्ति कार्यवाई।
 (D) विभिन्न साज-सामानों की साफ-सफाई, मरम्मत, नियमित जाँच
 (E) विशिष्ट प्रकार के उपकरण (जैसे—ब्रिदिंग एपरेटस, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण इत्यादि) का विशेष साफ-सफाई एवं नियमित जाँच।
 (F) विभिन्न प्रकार के उपकरणों (हाइड्रेंट, फायर अलार्म, हौज, लैंडर, पम्प, बी0 ए0, सेट रसायनिक अग्निशामक यंत्र इत्यादि) का यथा निर्धारित सावधिक (साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक) परीक्षण करना एवं विभिन्न प्रकार के पंजी एवं आकुरेंस बुक में अंकित करना।

2. अग्निशमन वाहनों के चालन योग्य नहीं रहने की स्थिति में वाहन का पूर्ण मरम्मत तत्काल करवाना।

3. अग्निशामक वाहन के वाटर टैंक में हमेशा पर्याप्त जल भंडार रखना।

4. अग्निशामक वाहन का ईंधन टैंक में हमेशा पर्याप्त ईंधन भरवाकर रखना।

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ $vfxudk.M dh lpuk ikflr d ckn dh dkjokb\&$

1. अग्नि कांड की स्थिति में अग्निशमन हेतु अग्निशमन वाहन/उपकरण की आवश्यकता एवं अग्निशमन की प्रक्रिया विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे संबंधित स्थल अग्निशामालय से कितनी दूरी पर है? रास्ता कैसा है? आग पक्का मकान/पंडाल या झोपड़ी या खेत/खलिहान/जंगल में लगी है? आग अगर भवन में लगी है तो भवन किस प्रकार का (आवासीय/..... है? भवन किस उँचाई का है एवं कितने उँचाई पर आग लगी है? रसोई गैस, बिजली का शॉट-सर्किट, या अन्य कारण से आग लगी है? क्या ज्वलनशील पदार्थ/खतरनाक केमिकल में आग लगी है? भवन में मानव बचाव के क्या व्यवस्था है? भवन में फायर फाइटिंग उपकरण की क्या उपलब्धता है? भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005/2016, बिहार बिल्डिंग वाइलॉज, 2014, बिहार फायर एक्ट, 2014 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है? निर्धारित निदेश का अनुपालन होता है? संबंधित भवन के अगल-बगल की क्या स्थिति है? झोपड़ी या खेत-खलिहान/जंगल का लगातार क्या दायरा है? हवा का रुख किस दिशा में है। पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है? क्या आग वाहन में लगी है? आदि। अतः संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेना है।

2. अग्निशामालय में अग्निशमन दस्ता निर्धारित है। प्रथम या अन्य समुदाय के प्रत्येक अग्निशमन दस्ता में 6 कर्मी रहते हैं। प्रधान अग्नि दस्ता के प्रभारी होते हैं एवं दस्ता के 6 नंबर कर्मी प्रधान चालक होते हैं, जो अग्निशमन वाहन चलाते हैं। अन्य 4 अग्नि दस्ता प्रभारी के द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशों के आलोक में अग्निशमन संबंधी कार्य करते हैं।

दस्ता प्रभारी को पूर्व में ही निर्धारित कर देना है कि कौन अग्नि क्या कार्य करेगा, अग्निशमन वाहन में घंटी/सायरन कौन बजाएँगे। घटना स्थल पर डिलेवरी हॉज बिछाने एवं फिट करने का कार्य कौन करेगा। प्रधान चालक पम्प संचालन का कार्य करेंगे। घटना स्थल पर दस्ता के सभी

- सदस्य अपने पूर्व निर्धारित कर्तव्य के अतिरिक्त अग्निशमन संबंधी कार्य दस्ता प्रभारी के निदेशानुसार करेंगे।
3. अग्निशमन दस्ता के प्रथम समुदाय के कर्मी वर्दी में हमेशा तैयार रहेंगे।
 4. दस्ता प्रभारी पूर्व में ही सूचना दाता से जानकारी प्राप्त करने, संचार योजनांतर्गत संबंधित घटनास्थल के लोगों से सम्पर्क करने, फायर घंटी बजाने, कॉल की सूचना संबंधित प्रतिष्ठान को देने, मैसेज बुक में अंकित करने आदि संबंधी जवाबदेही दस्ता के सदस्यों के लिए निर्धारित कर देंगे।
 5. अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर पूर्व से निदेशित अग्निफायर कॉल का घंटी बजाएंगे।
 6. दस्ता प्रभारी प्रथम सूचनादाता/मूल सूचनादाता का नाम, पता तथा मोबाइल/फोन नंबर उनसे प्राप्त कर लेंगे।
 7. दस्ता प्रभारी सूचनादाता से आग का प्रकार, आग का फैलाव, घटना स्थल का पूर्ण विवरण, पहुँचने का सही रास्ता, जलस्रोत आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे।
 8. पूर्व निदेशित अग्निफायर कॉल की सूचना ट्रैफिक, संबंधित थाना, एम्बुलेंस तथा नियंत्रण कक्ष को तत्काल ही देंगे।
 9. पूर्व से निदेशित अग्निफायर अग्निकांड की सूचना प्राप्त, प्रथम समुदाय के अग्निशमन वाहन (संख्या सहित)/कर्मियों (नाम सहित) का प्रस्थान का समय संबंधित पंजी में अंकित करेंगे।
 10. अग्निकांड की सूचना प्राप्ति एवं अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान के बीच की अवधि दो मिनट से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।
 11. प्रथम समुदाय के अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान के पूर्व अग्निशामालय का द्वितीय दस्ता, अग्निशामालय में सूचना आदान-प्रदान का कार्य करेंगे। साथ ही आकस्मिक स्थिति में प्रस्थान हेतु वे तैयारी भी करेंगे।
 12. अग्निशमन वाहन प्रस्थान करने पर अग्निफायर घंटी/सायरन बजाने का कार्य करेंगे।
 13. अग्निशमन वाहन के घटना स्थल पर पहुँचने के पूर्व रास्ते में दस्ता प्रभारी मोबाइल सेट से सूचनादाता/संवाद योजना में शामिल संबंधित स्थल के व्यक्तियों से आग की स्थिति, रास्ता, जलस्रोत की जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही वे कंट्रोल रूम को अग्निशमन वाहन का लोकेशन एवं अन्य जानकारी देते रहेंगे एवं कंट्रोल रूम से सूचना यदि कोई होतो प्राप्त करेंगे। प्राप्त जानकारी से अगर प्रतीत होता है कि प्रथम समुदाय के द्वारा अग्नि पर नियंत्रण संभव नहीं हो पायेगा तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देकर अन्य अग्निशामालय से अतिरिक्त दस्ता का तत्काल माँग करेंगे। वित्तु सेट पर भी आवश्यक सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।
 14. घटनास्थल पर पहुँचने पर दस्ता प्रभारी अग्नि की स्थिति देखकर सुरक्षित एवं निकटतम स्थल पर अग्निशामक वाहन रोकेंगे। घटना स्थल पर दस्ता प्रभारी तत्काल ही अग्निकांड की स्थिति का जायजा लेकर फायर प्वाइंट को चिन्हित करेंगे। दस्ता के अन्य सदस्य दस्ता प्रभारी के संकेत पर पूर्व निर्धारित कार्य करेंगे एवं तत्काल ही आग बुझाने की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।
 15. पूर्व निर्धारित कर्तव्य के अनुसार प्रधान चालक पम्प संचालन का कार्य संभालेंगे एवं चारों अग्निफायर डिग्रेडिरी हॉज बिछाने/ फिट करने का कार्य करेंगे तथा अग्निशमन संबंधी अन्य कार्य दस्ता प्रभारी के निदेशानुसार करेंगे। दस्ता प्रभारी अपने विवेक एवं पूर्व अनुभव के आधार पर त्वरित गति से आम जनता के सहयोग से अग्निशमन का कार्य करेंगे।
 16. दस्ता प्रभारी आग की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार कंट्रोल रूम/नजदीकी अग्निशामालय से संपर्क कर अन्य दस्ता का माँग करेंगे।
 17. घटनास्थल पर पहुँचने वाले अन्य अग्निशमन दस्ता पूर्व से पहुँचे दस्ता प्रभारी के निदेशानुसार एवं आपसी सलाह से अग्निशमन कार्य करेंगे।
 18. अग्निशमन संबंधी घटना का फोटोग्राफी/विडियोग्राफी भी करेंगे ताकि किसी प्रकार का आक्षेप की स्थिति में अग्निशमन कर्मियों का पक्ष मजबूत रहे।
 19. आग पूर्ण रूप से बुझ जाने के बाद दस्ता प्रभारी सभी कर्मियों के सहयोग से अग्निशमन उपकरणों को अग्निशमन वाहन में रखने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
 20. पूर्ण रूप से आग बुझ जाने एवं घटनास्थल से प्रस्थान की सूचना (क्षति का आकलन, घायल/मृतपशु/मनुष्य संबंधी आँकड़ा आदि सहित) तत्काल ही कंट्रोल रूम को दी जाएगी।
 21. इस क्रम में अन्य स्थल पर अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम के निदेशानुसार वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जलस्रोत से अग्निशमन वाहन के पानी टंकी में जल अवश्य भर लेंगे।
 22. अग्निशामालय में वापसी की सूचना कंट्रोल रूम को देंगे।
 23. संबंधित पत्रों में अग्निकाण्ड सम्बंधी आवश्यक ब्यौरा अंकित करेंगे।
 24. अग्निकांड संबंधी अग्नि प्रतिवेदन तत्काल तैयार करेंगे तथा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में या यथानिर्देशित कार्यालय को भेजेंगे।

वृद्धि

अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नवीनीकरण/अग्नि अंकेक्षण/अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क दर ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-2 (छ), 20 (1), 33/34/35/43 (2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमनसेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (घ), 22 (ट) एवं 27(क) के अंतर्गत)

भवन का श्रेणी	भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारण				
	औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अग्नि अंकेक्षण	अग्नि परामर्श
आवासीय	02	01	01	01	01
सभा भवन/ सांस्थिक भवन	04	02	02	02	02
शैक्षिक	06	03	03	03	03
वाणिज्यिक/मर्केनटाईल/	08	04	04	04	04
भण्डारण/औद्योगिक/खतरनाक भवन	10	05	05	05	05

$vu|lph\&^?k^{**}$

$Hkou\ fuek.k\ d\ fy, jkT; vfxu'keu\ lok\ fcgkj\ iVuk\ }kjk\ vkuymbu\ vfxu$
 $fuokj.k\ ,o\ vfxu\ lj\{kk\ vukif\{k\ iek.k\ i = \frac{1}{4}, uEvkElhE\%$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-2 (छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 16 (ड.) के अंतर्गत)

1. वेबसाइट **www.biharfireservice.gov.in** पर लॉग इन करें—प्रदर्शित— $gke\ i\ t\&, uEvkElhE\%$
2. क्लिक— $gke\ i\ t\ ij\&, uEvkElhE$ —प्रदर्शित— $, uEvkElhE\ dh\ vko'; drk$ (एन०ओ०सी० की आवश्यकता प्रकार)
3. क्लिक— $, uEvkElhE\ dh\ vko'; drk$ —प्रदर्शित—निम्नलिखित मामलों में अग्नि सुरक्षा जरूरी है—
 - (क) सभी ऊँचे इमारतों, तथा
 - (ख) विशेष इमारत, ये हैं—
 - (i) होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यापार, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण, खतरनाक और मिश्रित अधिभोग वाले भवन, जिसमें कोई भी एक या एक से अधिक मंजिलों का फर्श क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो ।
 - (ii) 9 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले शैक्षिक भवन,
 - (iii) 9 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले संस्थागत इमारतें,
 - (iv) सभी सभा भवनों,
 - (v) इमारतों, जिसके किसी भी मंजिल पर 300 मीटर से अधिक क्षेत्र वाले आकस्मिक सभा अधिभोग हो, तथा
 - (vi) दो बेसमेंट या अधिक के साथ इमारतों या 500 मीटर से अधिक क्षेत्र के एक तहखाने के साथ भवन में ।

जबतक कि भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 (भाग-4 फायर और लाईफ सेफ्टी) के प्रावधानों में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो ।

4. क्लिक& $, uEvkElhE\ dh\ vko'; d\ idkj$ —प्रदर्शित— $vkicf/kd@vfre@uohuhdj.k$
5. क्लिक— $vkicf/kd@vfre@uohuhdj.k$ —प्रदर्शित— $vkonu\ iIk =$ (संबंधित एन०ओ०सी० प्रपत्र भरें)
 $v\gamma Xud\ d\ lkFk\ vkonu\ iIk =$ /आवेदन प्रपत्र tek करें
 $, uEvkElhE\ fux'r\ dh\ fLFkfr$
6. क्लिक— $v\gamma Xud\ d\ lkFk\ vkonu\ iIk =$ —प्रदर्शित— $vko'; d\ Hkou\ ; ktuk@tkp$
 $lph@vUMjVfdXl\ ii =$
7. क्लिक— $vko'; d\ Hkou\ Iyku$ —इंटर— $Hkou\ Iyku\ dh\ Ldu\ dh\ xbl\ ifrA$
8. क्लिक— $tkp\ lph$ —प्रदर्शित— $foLr'r\ tkp\ lph$ (ठीक से भरें)
9. क्लिक— $vMjVfdx\ ii =$ —प्रदर्शित— $vMjVfdx\ ii =$ (ठीक से भरें)।
10. क्लिक— $vkonu\ i =$ — प्रदर्शित— $; Evkb\ Evkb\ EMhE\ iph$ (यू०आई०आई०डी०, दिनांक और आवेदन जमा करने का समय)। यूनिफ आई०डी० के साथ-साथ सभी आवश्यकताओं की हार्ड कॉपी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के कार्यालय में जमा की जाएगी अन्यथा यूनिफ आई०डी० स्लीप की बैधता शून्य होगी । उस स्थिति में आवेदक को पुराने यू०आई०डी० का उल्लेख करके उपयोगकर्ता विंडों पर फिर से आवेदन करना होगा ।

11. क्लिक— ,uEvkElhE fux'r fLFkfr—प्रदर्शित—,uEvkElhE vkifÜk@,uEvkElhE tkjh
12. क्लिक— ,uEvkElhE vkifÜk—प्रदर्शित—vkifÜk;k@l/kkj
13. क्लिक— vkifÜk;k—प्रदर्शित—vkifÜk;k d fCUn (उन्हें सुधारें)
14. क्लिक— l/kkj— आपत्तियों का सुधार करें
15. क्लिक— ,uEvkElhE tkjh— प्रदर्शित—,uEvkElhE lC/kh i= (डाउनलोड)
16. राज्य अग्निशमन कार्यालय द्वारा की गई कोई भी पृच्छा यू०आई०ई०आई० के संदर्भ के साथ वेबसाईट खोलकर प्राप्त किया जा सकता है।
17. यदि सभी आवश्यकताएँ/पृच्छा सही पाया जाएगा तो एन०ओ०सी० वेबसाईट पर 15 दिनों के भीतर लोड हो जाएगा।

vu|lph&MM-**

*iMky ,o vLFkkb| <kpk cukr| le; vfxu l| l|j{kk gr| mik; %Hkkjrh; ekud C;jk|
vkb-; l- 8758&1993% ,o vfxu fujk/kd %Fire retardant% iMky cuku dh
ifØ;k@lkexh miyC/krk*

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-25,26 एवं 27 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली,
2021 के नियम 18 (क) के अंतर्गत)

1. किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से कम ऊँचाई का न लगाया जाये।
2. पंडाल बनाने में सिन्थेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग न किया जाये।
3. पंडाल के चारों तरफ 4-5 मीटर खुला स्थान होना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सके।
4. पंडाल बिजली की लाईन के नीचे किसी भी दशा में न लगाया जाये।
5. कोई भी पंडाल रेलवे लाईन, बिजली के सब-स्टेशन, चिमनी या भट्टी से कम-से-कम 15 मीटर दूर लगाया जाये।
6. बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा न हो और अगर रास्ता मेहराबदार (आर्च) बनाया जाये तो भूमि तल से मेहराब (आर्च) की ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
7. बाहर निकलने के कम-से-कम दो रास्ते होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
8. बाहर निकलने के गेट समुचित संख्या में उचित तरीका से बनाये जायें ताकि किसी भी दशा में पंडाल के किसी भी स्थान से किसी व्यक्ति को बाहर निकलने हेतु 15 मीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।
9. कुर्सियाँ दोनों किनारे से 1.2 मीटर जगह छोड़कर लगायी जाये व बारह कुर्सियों के बाद 1.5 मीटर की जगह छोड़ी जाये एवं इसके बाद पुनः बारह कुर्सियाँ लगाई जा सकती है। कुर्सियों को 10 कतारों के बाद 1.5 मीटर की जगह (गैन्गवे) छोड़ी जाये।
10. कुर्सियों को कम-से-कम चार-चार के समूह में नीचे से बांध कर जमीन में लोहे की छड़ गाड़कर स्थिर कर दिया जाये जिससे भगदड़ के समय वह कुर्सियाँ अव्यवस्थित होकर बाहर निकलने के मार्गों को अवरुद्ध न कर सकें।
11. तारों के जोड़ किसी भी दशा में खुले नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो पोर्सलीन कनेक्टरों का प्रयोग करना चाहिए।
12. ईमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था होनी चाहिए।
13. विद्युत का कोई भी सर्किट, बल्ब, ट्यूब लाईट आदि पंडाल के किसी भी भाग से कम-से-कम 15 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए।
14. हैलोजन लाईट का प्रयोग किसी भी दशा में पंडाल या अस्थाई निर्माण के अन्दर में नहीं किया जाना चाहिए।
15. पंडाल के अंदर किसी भी दशा में भट्टी, का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर करना ही पड़े तो तीन शेड लगाकर किया जाये जो पंडाल से अलग हो। ;fn gou d|.M dk i;|kx vfrvko'; d gk rk ml LFky ,o vkl&ikl vfxu l|j{kk l| lcf/kr fu/kkifjr ekudk dk vuikyul fuf'pr djxA
16. पंडाल अग्नि सुरक्षा हेतु 0.75 लीटर पानी प्रति वर्गमीटर स्थान हेतु ड्रम या बाल्टियों में सुरक्षित रखा जाये व इसका प्रयोग अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में कदापि न किया जाये। कुल पानी की आधी मात्रा पंडाल के अन्दर व आधी पंडाल के बाहर रखी जाये।
17. प्रत्येक 50 वर्गमीटर जगह हेतु कम-से-कम दो बाल्टी पानी व प्रत्येक 100 वर्गमीटर स्थान हेतु फायर एक्सटींग्यूअर (9 लीटर क्षमता का वाटर टाईप) अग्नि सुरक्षा हेतु उपलब्ध रखा जाये।

18. स्विच गेयर, मेन मीटर और स्टेज के पास विद्युत की आग से सुरक्षा हेतु एक कार्बन डाई ऑक्साईड गैस एक्सटींग्यूशर या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटींग्यूशर उचित मानक क्षमता के लगाए जायें।
19. आतिशबाजी का प्रयोग पंडाल के निकट अथवा अंदर न करें।
20. पंडाल के अंदर तथा निकट धूम्रपान न करें।
21. पंडाल में प्रयोग आने वाले कपड़ों को अग्नि निरोधक घोलसे उपचारित करें।
22. बहुत बड़े पंडाल व अस्थाई निर्माण के पूर्व अग्निशमन विभाग को सूचित कर उनसे सुझाव प्राप्त करें।

vfxu fujk/kd ?kky (Fire Retardant Solution) gr l kexh] cuku dk rjhd ,o miyC/krk

(क) अग्नि निरोधक घोल हेतु सामग्री की भाग का अनुपात—

1. अमोनियम सल्फेट	—	4 भाग (मात्रा से)
2. अमोनियम कार्बोनेट	—	2 भाग (मात्रा से)
3. बोरैक्स	—	1 भाग (मात्रा से)
4. बोरिक एसिड	—	1 भाग (मात्रा से)
5. एलम	—	2 भाग (मात्रा से)
6. पानी	—	35 भाग (मात्रा से)

(ख) अग्नि निरोधक पंडाल बनाने का तरीका—

उपरोक्त निर्धारित अनुपात में सभी सामग्रियों को मिलाकर घोल बनाना है, घोल बनाने के बाद पंडाल के कपड़ों को उक्त घोल में भीगने हेतु छोड़ देना चाहिए। कपड़ा के पूर्ण रूप से भीगने के बाद उसे सुखाकर पंडाल बनाना है। ऐसे पंडाल में आग मुश्किल से लगता है। अगर आग लग भी जाता है तो कपड़ा काफी धीरे-धीरे बिना फलेम का जलता है। कपड़ा सिकुड़ जाता है।

(ग) अग्नि निरोधक सामग्री की उपलब्धता —

उपरोक्त सभी समान केमिकल के दूकान में 500 ग्राम के पैकेट में प्राप्त किया जा सकता है।

$v f_{\lambda u} i f'_{\{k,k} v d k n e h e i v f_{\lambda u} l j_{\{k k} i n k f / k d k f j ; k d k i f'_{\{k,k} g r i f'_{\{k,k} ' k Y d d k n j A$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 20 (छ) के अंतर्गत)

- 1- if'k{k.k 'kYd %अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी या निदेशक द्वारा यथाअवधारित किसी अन्य स्थान पर संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकन के समय प्रत्येक वाह्य प्रशिक्षणार्थी द्वारा भुगतान किए जानेवाले प्रशिक्षण शुल्क पाठ्यक्रम की अवधि के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार होंगे:-

Ø-l-	ikB; Øe dh vof/k ¼, d ekg½ ¼: Ik, ½	v/; ki u i; 'kYd	i; kx 'kk yk 'kYd	if'k{k.k iHkkj ¼#i; e½			
				vkxyxh ij vk/kkfjr dkjokb iHkkj		vkok lu iHkkj ¼ifr ekg #i; ½	
				if'k{k.k.kkFkhl l₁[k& lfo/kk, iHkkj			
				cjd	, dy	Mcy	
1	500	—	500	250	1000	500	100
2	1000	—	1000	250	1000	500	200
3	1000	500	1000	250	1000	500	300
4	1500	500	1500	250	1000	500	400
6	2000	1000	3000	250	1000	500	600
7	4000	2000	4000	250	1000	500	1200
8	8000	2000	5000	250	1000	500	2400

- 2- *fcgkj vfxu'keu llok d lnl; k }kjk if'k{k.kkFkh l[k&lfo/kk; iHkkj dk Hkxrku* & बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य खंड (1) के अधीन अवधारित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी के पाठ्यक्रम में नामांकन के समय प्रशिक्षणार्थी सुख-सुविधाएँ प्रभार का भुगतान करेंगे।
- 3- *if'k{k.kkFkh iHkkj dk iujh{k.k* & सरकार द्वारा अवधारित दर पर प्रत्येक तीन वर्षों में प्रशिक्षणार्थी प्रभार पुनरीक्षित की जा सकेगी।

*vu|lph&^N***

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अंतर्गत)

*vfXu'keu ijke'kh dk i|thdj.k A
jkT; vfXu'keu lok] fcgkj] iVukA*

ukfVI l|;k

jkEvElE@i|thdj.k@-----@20---&&20---

अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-32 के अधीन बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना निर्धारित नियम, शर्तों और प्रक्रिया के तहत अग्निशमन परामर्शी पंजीकृत करने का इरादा रखती है।

अग्निशमन परामर्शी के रूप में इम्पैनलमेन्ट हेतु दि०.....तक व्यक्ति अथवा फर्म के प्रोपराइटर/भागीदारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी अभिलेखों के साथ आवेदन प्रपत्र बिना मूल्य के वेबसाइट www.gov.bihar.nic.in राज्य अग्निशमन सेवा से डाउनलोड किया जा सकता है और कार्यालय का पता जैसा कि यहाँ नीचे बताया गया है, से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पृच्छा हेतु निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना को ईमेल—**sfocumdirector.bihar01@gmail.com** पर संबोधित किया जा सकता है।

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा इम्पैनल करने या नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

*fun'kd] jkT; vfXu'keu lok]
fcgkj] iVukA*

fcgkj vfxu'keu lok

अग्निशमन परामर्शी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत)

(I) lkekU; ekxnf'kd k vkj fn'kk&funi'k

¼1½ ;kX;rk] vuHko vkj ik=rk

1. मैट्रिक या एस०एस०सी० या उसके समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण।
2. (क) फायर इंजीनियरों का संस्थान, इंग्लैंड से स्नातक अथवा
(ख) फायर इंजीनियर्स भारत से स्नातक अथवा
(ग) राष्ट्रीय फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से एडवांस डिप्लोमा और राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर से प्रमंडलीय पदाधिकारी का कोर्स पूरा किया हो अथवा
(घ) ए०एम०आई०एफ०ई०, लंदन (अग्नि अभियंता संस्थान, लंदन से एसोसिएट सदस्यता) अथवा
(ङ.) किसी भी सरकारी या स्थानीय संस्थान में निदेशक/मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर तीन वर्षों का अनुभव अथवा
(च) किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानीय संस्थान में उप निदेशक/उप मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी/प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी या समकक्ष के पद पर 5 वर्षों का अनुभव
3. प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के रूप में पांच साल का अनुभव अथवा सरकार या स्थानीय निकायों या सरकारी उपक्रम बोर्ड या निगम में अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में फायर स्टेशन ऑफिसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव।
4. हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और यदि नहीं, तो इसे 2 वर्ष के भीतर राज्य अग्निशमन सेवा के संतुष्टि स्तर तक प्राप्त करना होगा।
5. राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी कानून द्वारा स्थापित अथवा किसी भी बोर्ड या निगम या संगठन अथवा सरकारी विभाग या प्राधिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

¼2½ dk;l dk nk;jk

अग्निशमन परामर्शी के कार्य का क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए होगा। कार्य का दायरा निम्न प्रकार होगा—

- (क) नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 और बिहार बिल्डिंग बाई लॉज, 2014 के अनुसार निष्क्रिय और सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधानों के संबंध में भवन योजना नक्शा का सत्यापन के बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की सिफारिश।
- (ख) भवन में विद्युतीकरण, अग्नि प्रतिरोध आदि जैसी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना।
- (ग) सक्रिय फायर फाईविंग सिस्टम (जैसे कि हाईड्रेन्टस्, स्प्रिंकलर्स, पम्पिंग इत्यादि) का भवन में स्थापना।
- (घ) भवन में अग्नि जाँच और अलार्म सिस्टम की स्थापना।
- (ङ.) औपबंधिक अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण।
- (च) औपबंधिक अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन के संबंध में निर्मित भवन का विधिवत सत्यापन के बाद अंतिम अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश।
- (छ) अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का जाँच के बाद अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए सिफारिश।
- (ज) भवनों का अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट)।

3- $vfxu\ ijke'k\ d\ fy, fu/kk\ fj\ r\ 'kYdA$ भवनों के श्रेणी के आधार पर सभी मंजिलों के कुल फर्श क्षेत्र का प्रावधानित प्रति वर्ग मीटर की दर से अग्निशमन परामर्श का शुल्क निर्धारित किया जाएगा—

कार्य क्षेत्र		Hkoui dh Ji.kh vkj ox ehVj nj ¼: Ik; e				
		आवासीय	सभा	शैक्षणिक और संस्थागत	मर्कटाईल एण्ड बिजनेस	औद्योगिक, भंडारण और खतरनाक
01	औपबंधिक एन.ओ.सी के लिए सिफारिश	01	03	05	08	10
02	निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना	02	06	10	16	20
03	सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना	02	06	10	16	20
04	फायर सिस्टम जाँच की स्थापना	02	06	10	16	20
05	औपबंधिक एन.ओ.सी. के परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण	01	03	05	08	10
06	अंतिम एन.ओ.सी. के लिए सिफारिश	01	03	05	08	10
07	एन.ओ.सी के नवीनीकरण के लिए सिफारिश	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5
08	फायर ऑडिट	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5

4- $vkou\ vkj\ p;u\ if\ Ø;k$

- पंजीकरण के लिए आवेदक (व्यक्तिगत या फर्म के मालिक/साझेदार) आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
- प्रारंभिक पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन फार्म के साथ गैर-वापसी योग्य जांच शुल्क (1000/—रुपये) का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।
- आवेदन की जाँच के बाद, यदि कोई आवेदक पंजीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे तो आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- अंतिम चयन आवेदक के अनुभव, क्रेडेंशियल, तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर आधारित होगा।
- पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति/फर्म के स्वामी/पार्टनर्स को आवश्यक तकनीकी योग्यता है तो कुल आवश्यक न्यूनतम योग्य इंजीनियरों की संख्या उनके सहित होगी।
- किसी व्यक्ति या स्वामित्व वाले फर्म के आवेदक होने के मामले को छोड़कर कम्पनी के किसी भागीदार या निदेशक के पास वांछित योग्यता और अनुभव होगा।
- अग्निशमन परामर्शी पंजीकरण के अनुमोदन के बाद आवेदक द्वारा अनुभवी स्टाफ या सहयोगियों को परामर्शी/व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिन्हें अग्निशमन प्रणाली, अधिष्ठापन, आवश्यक चित्रों का अध्ययन/तैयारी से संबंधित सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्याप्त ज्ञान हो। यदि आवश्यक हो तो चर्चा के लिए अग्निशमन सेवा द्वारा अग्निशमन परामर्शी को बुलाया जा सकता है। अग्निशमन परामर्शी को भवन योजना, यांत्रिक/विद्युत अधिष्ठापन का पर्याप्त ज्ञान तथा अग्निशमन व्यवस्था एवं इसके अधिष्ठापन का ज्ञान होना चाहिए।

8. वित्तीय क्षमता— अपनी वित्तीय क्षमता स्थापित करने के लिए अग्निशमन परामर्शी द्वारा बैंक सोलभेन्सी प्रमाण पत्र या वांछित बैंक सोलभेन्सी के मूल्य से 10% अधिक का राजस्व प्राधिकार द्वारा निर्गत सोलभेन्सी प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
9. आवेदन के अनुमोदन बाद आवेदक को प्रारंभिक पंजीकरण के लिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा 3,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
10. पंजीकृत अग्निशमन परामर्शी राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार के साथ काम करने के लिए पात्र होंगे।
11. अग्निशमन परामर्शी का प्रारंभिक पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
12. प्रारंभिक पंजीकरण के बाद पंजीकरण की वैधता विस्तार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पांच साल या उसके भाग के लिए बढ़ा दी जा सकती है।
13. 5 साल या उसके भाग के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 5000 रुपये के भुगतान के बाद किया जाएगा। पंजीकरण की तिथि समाप्ति के तीन माह पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन देना होगा। अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण हेतु 10000 रु० का शुल्क बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन देने पर विहित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण किया जाएगा।
14. पंजीयन प्राधिकारी हर वर्ष उनके द्वारा प्रभावित होने वाले पंजीकरण की समीक्षा उन्हें हटाने की कार्रवाई हेतु करेगा।
15. यदि उनके संविधान में कोई परिवर्तन होगा, तो उसके तुरंत बाद राज्य अग्निशमन सेवा के संज्ञान में लाया जाएगा। इसी तरह तकनीकी कर्मियों में कोई भी परिवर्तन तुरंत राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार के ध्यान में लाया जाएगा।
16. ब्लैक लिस्टेड/डिवाइड अग्निशमन परामर्शी को उस समय के लिए फिर से पंजीकरण नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वे ब्लैक लिस्ट/डिवाइड हैं। हालांकि वह ब्लैक लिस्टिंग अवरुद्ध अवधि के पूरा होने के बाद फिर से पंजीकरण किया जा सकता है।
17. यदि आवेदन प्रस्तुत करने में तीन महीनों से अधिक की अवधि का अविलम्ब हो, परन्तु एक वर्ष तक हो, तो नवीनीकरण दो गुणा पंजीकरण फीस प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। हालांकि अगर आवेदन जमा करने में एक वर्ष से अधिक का विलंब हो, तो प्रारंभिक पंजीकरण समाप्त हो जाएगा और अग्निशमन परामर्शी को नए पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा।

5- *vfXu'keu ijke'khi dk gV;k;k tkuk*

1. यदि कोई पंजीकृत अग्निशमन परामर्शी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, भ्रष्ट प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है या राज्य अग्निशमन सेवा के लिए मौद्रिक नुकसान का कारण बनता है और/या इसके काम को रोकता है या ऐसा करने के लिए उकसाता है या अगर वित्तीय परिस्थिति या अग्निशमन परामर्शी का तकनीकी क्षमता बिगड़ जाता है, तो उसका नाम अनुमोदित सूची के अस्थायी या स्थायी रूप से हटाने या ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उसे कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से सुनवाई के लिए उसे उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
2. अग्निशमन परामर्शी जिसका नाम स्वीकृत सूची के रजिस्टर से हटा दिया गया है और पुनः नामांकन के लिए इच्छित है, तो उसे नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। इस तरह के आवेदन पत्रों पर विचार इसके गुणों पर किया जाएगा।
3. किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के रजिस्टर से हटाए गए अग्निशमन परामर्शी, उक्त हटाने के आदेश के विरुद्ध, महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष अपील कर सकता है। महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

$\frac{1}{4}v\frac{1}{2} vkonu ik:Ik$

$vfXu'keu ijke'khi d\ bEi\ uyeUV d\ fy, vkonu$
(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-32 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत)

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

$fo''k;\& vfXu'keu ijke'khi d\ :Ik e\ i\ thdj.k d\ fy, vkonuA$

महाशय,

1. मैं/ हम/हमारी फर्म एक अग्निशमन परामर्शी के रूप में अपना /हमलोगों का नाम पंजीकृत करना चाहता हूँ /चाहते हैं।
2. आवश्यक स्क्रूटनी शुल्क रू0 1000/- डिमांड ड्राफ्ट नंबर.....दि०..... बैंक शाखा..... निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से संलग्न है।
3. प्रारंभिक एक वर्ष के लिए आवश्यक पंजीकरण शुल्क रू0 3000/- का डिमांड ड्राफ्ट बैंक..... शाखा..... निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से संलग्न है।
4. जरूरी विवरणी के रूप में आवश्यक प्रमाणित (सच्ची प्रतियाँ) दस्तावेजों के साथ भरे गए फॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं।

सधन्यवाद,

$vkidk vkHkkjh]$

$\frac{1}{4}vkond dk gLrk\{kj\frac{1}{2}$

अनुलग्नक-1 पंजीकरण हेतु सामान्य बायोडाटा

अनुलग्नक-2 अग्निशमन परामर्शी की योग्यता और अनुभव के बारे में व्यक्तिगत बायोडाटा

$j\ lhn$	
जाँच शुल्क:.....	पंजीयन शुल्क:.....
रसीद संख्या:.....	रसीद संख्या:.....
तारीख:.....	तारीख:.....

प्राप्त करने वाले कर्मि का हस्ताक्षर,

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा,

बिहार, पटना का कार्यालय।

vuyXud&1

i thdj.k gr lkekU; ck;kMkVk

1.	1. नाम 2. आवेदक / एजेंसी का पता 3. सम्पर्क विवरण (i) फोन नंबर (ii) फैक्स नंबर (iii) ईमेल (iv) मोबाईल	
2.	आवेदक की स्थिति व्यक्तिगत/मालिकाना फर्म/पार्टनरशिप फर्म आदि।	
3.	पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करने वाले व्यक्ति का नाम (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
4.	वर्तमान और स्थायी पते के साथ भागीदारों के नाम तथा अन्य कंपनियों में उनकी देयताएँ, जिसमें वे या उनके कर्मचारी हैं या भागीदार हैं (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
5.	1. पैन कार्ड की विवरणी 2. जीएसटी(GST)पंजीकरण विवरणी 3. व्यावसायिक कर विवरणी 4. ईएसआई पंजीकरण 5. पी०एफ० पंजीकरण 6. सेवा कर (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
6.	किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकरण/इनरॉलमेन्ट/ इम्पैनलमेन्ट का विवरणी। (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
7.	आवेदक पटना, बिहार में कार्यालय बनाए रखने में सक्षम हैं।	
8.	चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ पिछले तीन वर्षों के वित्तीय कारोबार का विवरण। साल साल साल	

9.	केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी साल्वेन्सी सर्टिफिकेट/राजस्व प्रमाण पत्र का विवरणी 1. नाम 2. शाखा 3. दिनांक 4. रुपये (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)										
10.	बैंकर्स का विवरणी 1. बैंक का नाम 2. शाखा 3. पता										
11.	आवेदक या उसके सहयोगी या साझा धारक को किसी भी संगठन से काली सूचीबद्ध/बहिष्कृत कर दिया गया है, को कृपया विशिष्ट विवरणी दें। अग्निशमन परामर्शी अपने पत्र पैड पर उपक्रम (Undertaking) प्रस्तुत करेगा कि किसी भी संगठन द्वारा उसे या उसके फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।										
12.	अग्निशमन परामर्शी या ग्राहक द्वारा त्याग किए गए किसी भी काम का विवरणी।										
13.	अनुलग्नक के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुभव का विवरण (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)										
14.	वर्तमान कार्यरत स्थिति का विवरण (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)										
15.	स्वामित्व वाले/भागीदारों/अटॉर्नी धारक का तस्वीर के साथ हस्ताक्षर और नाम <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 80px;"></td> <td style="height: 80px;"></td> <td style="height: 80px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										

?kk"'.kk

मैं/हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम वैसे फर्म में पार्टनर/पाटनर्स नहीं हूँ/हैं जिसे किसी भी संगठन के साथ व्यापार करने हेतु प्रतिबंधित करने के लिए निलंबित, हटाया गया एवं दण्डित किया गया है अथवा वैसे फर्म से सम्बंधित नहीं हूँ/हैं जिसे किसी भी संगठन के साथ व्यापार करने हेतु प्रतिबंधित करने के लिए निलंबित, हटाया गया एवं दण्डित किया गया है।

हम, इस फर्म के सहयोगीगण, एतद्द्वारा एक उपक्रम (undertaking) देते हैं कि हम इस फर्म के व्यवसाय पर सभी देनदारियों को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार हैं और दिए गए कामों को हमारे द्वारा त्यागने के परिणाम स्वरूप राज्य अग्निशमन सेवा को होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे।

मैं/हम इस तरह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।

मैं, एतद् द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और सही है। मैं वादा करता हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को झूठा पाया जाएगा तो किसी पूर्व सूचना के बिना मेरा पंजीकरण रद्द होने के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा और मैं अपनी किसी त्रुटि के लिए किसी भी मुआवजा के लिए दावा नहीं करूँगा। बाद में मिलने वाली किसी भी तरह की विसंगति के मामले में मैं कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सजा के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

gLrk{kj

vkond dk uke] inuke vkj ijk irk

frfFk ,o ekgj d l kFk

तारीख:.....

स्थान:.....

vuYXu d&2

vfXu'keu ijke'khi dh vgrk vkj vuHko d ckj e 0;fDrxr ck;kMkVk

1. नाम —
2. पिता/पति का नाम—
3. स्थायी पता—
4. पत्राचार का पता—
5. मोबाईल नंबर/टेलीफोन नंबर—
6. ईमेल आईडी—
7. जन्म तिथि—
8. राष्ट्रीयता—
9. सामान्य शैक्षणिक योग्यता (पासिंग और विशिष्ट उपलब्धि का वर्ष)—

(क) एस०एस०सी० परीक्षा.....

(ख) एच०एस०सी०/इंटर/समकक्ष परीक्षा.....

(ग) बैचलर डिग्री/समकक्ष.....

(घ) मास्टर डिग्री/समकक्ष.....

10. अग्निशमन सेवा में सामान्य कार्य अनुभव—.....वर्ष
11. अग्निशमन सेवा में विशिष्ट तकनीकी अनुभव—

in ij jg	ikfLVx dk txg	vof/k ¼-----l ¼-----rd½	dy ekfld oru@ikfjJfed	vU; HkÜk@HkÜk
----------	---------------	-------------------------	--------------------------	---------------

मैं एतद् घोषित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित जानकारी मेरी ज्ञान से पूरी सही और सही है ।

vfXu'keu ijke'khi d gLrk{kj

तारीख:

ukV& पिछले वर्ष का अंकपत्र/प्रमाण पत्र/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित कॉपी संलग्न है।

vfXu'keu ijke'khi dk iu% i:thdj.k@i:thdj.k dk uohuhdj.k d fy, vkonu

(बिहार फायर सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा-32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 की धारा-21 के अन्तर्गत)

प्रेषक—

.....
.....
.....

l ok e]

निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

fo"%;%& ikjfhkd i:thdj.k d ckn vxyk 5 o"kk d fy, vfXu'keu ijke'khi d :lk e i:thdj.k d fy, vkonu@vfXu'keu ijke'khi d :lk e vxy 5 o"kk d fy, i:thdj.k d uohuhdj.k d fy, vkonuA

egkn;]

मैं यह कहना चाहता हूँ कि

1. मैं/हम/हमारी फर्म 1 वर्ष के लिए प्रारंभिक रूप से पंजीकृत है/5 साल के लिए पंजीकृत किया गया है।
2. मैं/हम/हमारी फर्म अगले 5 वर्षों के लिए खुद के/हमारे नाम से अग्निशमन परामर्शी के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण कराना चाहता हूँ/हैं।
3. निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से देय आवश्यक शुल्क के रूप में रु०.....का बैंक ड्राफ्ट दि०—.....बैंक.....शाखा.....संलग्न है।
4. मैं/हम/हमारे फर्म के द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को सफलतापूर्वक किया गया है।
5. फॉर्म में जरूरी विवरणी प्रमाणित (सच्ची प्रतियाँ) दस्तावेजों के साथ भरे गए हैं और इसके साथ ही प्रस्तुत भी किए गए हैं।
6. मैं/हम/हमारी फर्म अग्निशमन परामर्शी के रूप में अगले 5 साल तक पंजीकरण/नवीनीकृत करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

/kU;okn]

vkidk vkHkkjh]

¼vkond d gLrk{kj½

अनुलग्नक—

1. पंजीकरण के लिए सामान्य बायोडाटा,
2. योग्यता और अनुभव के साथ व्यक्तिगत बायोडाटा
3. पिछला पंजीकरण पत्र

रसीद	
जाँच शुल्क :	पंजीयन शुल्क :
रसीद संख्या :	रसीद संख्या :
तिथि :	तिथि :

प्राप्त करने वाले कर्म का हस्ताक्षर,
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना का कार्यालय।

vulph&Mt**

ekitnk ijku Hkouk ei vko'; d vfxu ljjkk mik;A

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33,34,35 एवं 43(1)(2)(3)के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ग) के अंतर्गत)

निम्नलिखित श्रेणी के मौजूदा पुराने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं—

- (1) 15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई के सभी भवन
 - (2) सभी सभा भवन
 - (3) 9 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई के संस्थागत और शैक्षिक भवन
 - (4) किसी भी ऊँचाई के विशेष भवन (जैसे—होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यापार, व्यवसायिक, औद्योगिक, भंडारण, खतरनाक और मिश्रित अधिभोग) जिसके किसी भी मंजिल का फर्श क्षेत्र 500 वर्ग मीटर या अधिक हो ।
 - (5) एक तहखाना (500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र) अथवा दो या अधिक तहखाना के साथ भवन ।
- उपरोक्त श्रेणी के भवनों में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं:—

(I) igp d lku&

- (1) अग्निशामक वाहनों का पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केबल, तार, मेहराव आदि को हटाकर 5.00 मीटर की सिर निकासी एवं न्यूनतम 4.50 मीटर की चौड़ाई के साथ एक प्रवेश और एक निकास प्रदान करें ।
- (2) स्पष्ट रूप से चिह्नित खुली जगह, बंद बाल्कनियों में खिड़कियाँ और कांच के मुखौटे में पैनल आदि के माध्यम से अग्निशमन कर्मियों का उपरी मंजिल तक बाहर से पहुँच बनाकर बचाव और अग्निशमन उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाना ।

(II) vkiu LiLk&

आम तौर पर भवन के चारों ओर अग्निशामक वाहनों के भ्रमण के लिए लगभग 6 मीटर की खुली जगह की आवश्यकता होती है। मौजूदा भवनों के एक तरफ या तीन तरफ खुले स्थान और सड़क की तरफ पहुँच रास्ता में 6 मीटर की कमी हो सकती है। ऐसे मामलों में, अधिभोग के अनुसार आवश्यकताओं और अतिरिक्त सावधानी बरतना है। इस परिपेक्ष्य में जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए,

- (1) अग्निशमन कर्मियों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भवन के चारों ओर खुली जगहों को अवरोध रहित बनाना ।
- (2) फायर वाहनों के लिए 6 मीटर का एक्सेस स्पेस में नो-पार्किंग नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा ।
- (3) स्टिल्ट फ्लोर और तहखाने का इस्तेमाल केवल पार्किंग के लिए और उपयोग की जाने वाली सुविधाएँ के लिए किया जाएगा ताकि अग्निशमन वाहनों के पहुँच के स्थान पर पार्किंग अतिक्रमण को रोकने में मदद मिल सके ।
- (4) अग्नि वाहन के वजन (25 टन) को सहन करने के लिए पर्याप्त ताकत के साथ जल निकासी/मैनहोल/पानी की टंकी प्रदान करें ।
- (5) भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए फिक्सचर, संरचनाएँ, पार्किंग, बुथ्स, केबिन, जनरेटर, आदि जैसे अवरोधों को हटाकर 6 मीटर समतल, पक्की, पहुँच रास्ता (आकाश की ओर खुला) प्रदान करें ।
- (6) यदि उपर्युक्त मौजूदा परिसर में यह संभव नहीं हो, तो चिनाई वाली कम्पाउंड दीवार के स्थान पर हटाने योग्य विभाजन बना कर 9 मीटर की मोड़ त्रिज्या के साथ 6 मीटर का संयुक्त प्रवेश स्थान प्रदान करें ।

- (7) यदि भवन के चारों ओर वांछित खुली जगह उपलब्ध कराना संभव नहीं हो, तो भवन निर्माता/ भवन मालिक द्वारा अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपाय प्रदान किया जाएगा एवं भवन के जिस तरफ वांछित सेट बैक में कमी होगी, उस तरफ अतिरिक्त उपकरण (बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा निर्धारित) स्थापित किया जाएगा ।

(III) *fudkl dk rjhd* बाहरी सीढ़ी—

- (1) आर०सी०सी०/अग्नि सुरक्षित एम०एस० से निर्मित 1.25 मीटर की चौड़ाई का कम से कम एक बाहरी सीढ़ी बनाना ।
- (2) एक तरफ खुली जगह और सड़क के पहुँच पथ में 6 मीटर में कमी वाले वाणिज्यिक/ व्यवसायिक/सभा भवन/होटल और शैक्षणिक भवन के मामले में आर०सी०सी० या एम०एस० 1.25 मीटर की चौड़ाई का एक अतिरिक्त बाहरी सीढ़ी देना होगा जो भूमि तल से छत तक अग्नि सुरक्षा दरवाजे होकर सभी मंजिलों को जोड़ेगा एवं खुला स्थान की कमी वाले फर्श के सभी भाग से (सड़क तरफ पहुँच को छोड़ कर) पहुँचा जा सकेगा। वैसे मामले जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उपरी छत से भूतल तक एक रणनीतिक जगह पर सीढ़ी (छत निकास) बिहार अग्निशमन सेवा के परामर्श से प्रदान किया जाएगा।
- (3) तीन तरफ खुली जगह और सड़क के पहुँच पथ में 6 मीटर में कमी वाले वाणिज्यिक/ व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षणिक भवनों के मामले में विल्ट-अप क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम होने पर अधिवासियों के सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए आर०सी०सी० या एम०एस० 1.25 मीटर की चौड़ाई का एक अतिरिक्त बाहरी सीढ़ी एक रणनीतिक जगह पर देना होगा जो भूमि तल से छत तक अग्नि सुरक्षा दरवाजे होकर सभी मंजिलों को जोड़ेगा एवं फर्श के सभी भाग से पहुँचा जा सकेगा ।

अगर विल्ट-अप क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो तो अधिवासियों के सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए खुला स्थान की कमी वाले प्रत्येक भाग (सड़क तरफ पहुँच को छोड़ कर) इसी प्रकार का सीढ़ी प्रदान किया जाएगा। वैसे मामले जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उपरी छत से भूतल तक एक रणनीतिक जगह पर सीढ़ी (छत निकास) बिहार अग्निशमन सेवा के परामर्श से प्रदान किया जाएगा।

- (4) यदि मौजूदा परिसर में उपरोक्त संभव न हो तो नजदीकी भवनों के बीच उचित पूल के माध्यम से क्षैतिज आपातकालीन निकासी प्रदान करें, जो आमतौर पर छत स्तर पर हो। आपातकालीन निकास के लिए आग प्रतिरोधी दरवाजे को प्राथमिकता दी जाय।
- (5) जहाँ कुल निकास की चौड़ाई की कमी हो, वहाँ न्यूनतम 1.50 मीटर की चौड़ाई का अतिरिक्त आंतरिक सीढ़ी/सीढ़ियाँ प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही निकासी के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा दूरी 30/45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (प्रत्येक 50 सें०मी० की चौड़ाई वाले निकास सीढ़ी के लिए ए,बी,सी एवं जे श्रेणी के भवनों के मामले में अधिवासियों की संख्या-50 और ई, एफ, जी और एच श्रेणी में भवनों के लिए अधिवासियों की संख्या 50 होनी चाहिए)।
- (6) उपरोक्त मौजूदा परिसर में यदि यह संभव नहीं हो तो उपयुक्त ऊँचा क्षैतिज निकास आग दरवाजे के माध्यम से नजदीकी अग्नि डिब्बा तक जाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि मर्कटाईल एवं अन्य मामले में फ्लोर एरिया 500 वर्ग मीटर/750 वर्ग मीटर से अधिक होने पर यह अपेक्षित है।
- (7) औद्योगिक श्रेणी के भवन में आंतरिक भवनों और अग्नि आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- (8) *vkikr dkyhu i'dk'k 0;OLFkk*— निकास के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरिडोर/ सामान्य मार्गों और सीढ़ियों में न्यूनतम 4 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ प्रदान की जाएगी।
- (9) विद्युत आपूर्ति के विश्वसनीय बैकल्पिक स्रोत के लिए जनरेटर
- (10) धुआँ का निकास बैटरी बैकअप के साथ *iflyd ,Ml fLLVe*
- (11) धुआँ का निकास के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी मंजिलों में बाहरी सीढ़ी के प्रत्येक लैंडिंग स्थल पर वेंटीलेशन प्रदान किया जाएगा।
- (12) निकास के साधनों को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ को वस्तुओं, मर्चेडाइज आदि जैसी अवरोधों से मुक्त रखना होगा।
- (13) दो घंटे का अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा के अग्नि दरवाजे निकासी मार्ग एवं उपयुक्त स्थानों पर (विशेष रूप से आग और धुएँ के प्रसार को लॉबी और सीढ़ी में प्रवेश रोकने के लिए) प्रदान किया जाएगा।
- (14) 500 वर्ग मीटर/750 वर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र होने पर उपयुक्त स्थानों पर आग और धुएँ फैलाने को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिरोधी दीवारों/दरवाजों को उपलब्ध कराना।
- (15) सभी उच्च उदय भवनों एवं 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र युक्त मिश्रित अधिवास वाले भवनों के लिए आंतरिक सीढ़ियों (संरक्षित निकास मार्ग) के संबंध में धुआँ प्रबंधन उपाय।
- (16) मल्टीप्लेक्स, बड़े शॉपिंग मॉल में यदि अंतर-मंजिल डिब्बेनेशन(Compartmentation)संभव नहीं है तो विशेष धुआँ प्रबंधन उपाय प्रदान की जानी चाहिए।
- (17) ट्रांसफॉर्मर, ईंधन टैंक, पार्क की गई कार, खाना पकाने के क्षेत्र आदि में आग के ज्वाला या धुएँ के भवन या बाहर निकलने के रास्ते में प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा।
- (18) अस्पतालों में रोगियों को बाहर निकलने के लिए अस्पताल के प्रत्येक 280 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र एवं रैम्प से धुआँ के लिए बाधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- (19) सिनेमा हॉल, डी-3 सभा भवन, मर्केटाईल, संस्थागत और औद्योगिक भवन में विशेष रूप से धुआँ/ निकासी हेतु उपाय किए जाएंगे।
- (20) अगर भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो तो प्रत्येक 1200 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए फायरमैन लिफ्ट प्रदान करें। आवश्यकतानुसार मौजूद लिफ्ट/लिफ्टों में उपयुक्त संशोधन के जरिए यह व्यवस्था हो।
- (21) लिफ्ट में आने वाले धुएँ से बचने के लिए सभी ग्रिल प्रकार और बंधन योग्य दरवाजा प्रकार लिफ्टों में एक स्विंग दरवाजा प्रदान किया जाएगा।

IV½ *vfXu'keu midj.k&*

खुली जगह में कमी के मामले में प्रत्येक मंजिल या 500 वर्ग मीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए न्यूनतम(क) 2 किलोग्राम का एक सूखी रसायनिक पाउडर या 2 किलोग्राम का एक कार्बन-डाय ऑक्साईड और (ख) 9 लीटर जल प्रकार का आग बुझाने की एक मशीन प्रदान की जानी चाहिए।

लेकिन वाणिज्यिक/व्यवसाय/सभा/होटल और शैक्षणिक के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ घूमने पर 6 मीटर खुली जगह की कमी हो तो अग्निशामक यंत्र का उपरोक्त सेट प्रत्येक दुकान/ कमरे में उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

॥V॥ fQDl Qk;j QkbVx vf/k"Bkiu&

निर्धारित ऊँचाई और अधिभोग के आधार पर बिहार अग्निशमन सेवा के अनुमोदन के बाद निर्धारित अग्निशमन प्रतिष्ठान प्रदान किए जाएंगे। यह अधिष्ठापन पड़ोसियों से साझा किया जा सकता है।

- (1) वेट राईजर-कम-डाउन कमर सिस्टम— वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर की खुली जगह की कमी की स्थिति में लैंडिंग वाल्व, 2 डिलिवरी हॉज और एक हॉज रील के साथ सभी मंजिलों पर अतिरिक्त सीढ़ियों पर wet riser cum down comer system प्रदान की जाएगी।
- (2) स्वचालित छिड़काव प्रणाली(ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम)— वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर से कम खुली जगह होने पर पूरी भवन में Automatic Sprinkler System प्रदान की जानी चाहिए।
- (3) मैन्युअली संचालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम— वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुली जगह में कमी की स्थिति में सभी मंजिलों पर MOEFAS प्रदान की जाएगी।
- (4) स्वचालित डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम— वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुली जगह में कमी की स्थिति में पूरे भवन में स्वचालित डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम प्रदान की जाएगी।
- (5) यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम— आवासीय अपार्टमेंट भवन के मामले में भवनों के सभी तरफ यह प्रदान किया जाना चाहिए।
वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर का खुली जगह में कमी की स्थिति में खुली जगह की कमी वाले भाग में दो निर्धारित मॉनिटर के साथ भवन के सभी तरफ यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम प्रदान किया जाना चाहिए।
- (6) भूमिगत स्टैटिक जल संग्रहण टैंक/छत टैंक—
उच्च उदय वाले आवासीय अपार्टमेंट भवनों में कम से कम 10,000 लीटर क्षमता का एक अतिरिक्त स्टैटिक जल आपूर्ति भंडारण अंडरग्राउण्ड/ओवरहाइड टैंक में होना चाहिए और किसी भी कमी को पूरा किया जाएगा।
वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर कमी की स्थिति में कम से कम 15,000 लीटर की क्षमता का एक अतिरिक्त स्टैटिक जल आपूर्ति भंडारण होगा, लेकिन यदि उपरोक्त प्रकार के भवन (वाणिज्यिक/आदि) में खुली जगह की कमी तीन तरफ हो, तो कम से कम 25,000 लीटर की क्षमता का अतिरिक्त स्थिर जल आपूर्ति भंडारण होगा।
- (7) Qk;j iEi— उच्च वृद्धि वाले आवासीय अपार्टमेंट भवनों में न्यूनतम 5 एच०पी० क्षमता का एक पम्प प्रदान किया जाना चाहिए और अग्निशमन प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए।
वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुला स्थान में कमी होने के स्थिति में 2850 एल०पी०एम० क्षमता का एक डीजल पम्प और 180 एल०पी०एम० क्षमता का एक पम्प प्रदान किया जाना चाहिए। अगर वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में तीन तरफ खुली जगहें और सड़क की तरफ 6 मीटर से कम खुली जगह होने की स्थिति में 2850 एल०पी०एम० क्षमता वाला एक जॉकी पम्प दिया जाना चाहिए।
- (8) ikuh dk ink& भवन के चारों ओर एवं सभी मंजिल को कवर करते हुए पड़ोसी संपत्ति के आग के जोखिम को पार करने के लिए यह प्रदान किया जाना चाहिए। यह उस तरफ प्रदान किया जाएगा जहाँ खुले स्थान में कमी हो।
- (9) कॉमर्शियल/व्यवसायिक/सभा/होटल एवं शैक्षिक के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ खुली जगह में कमी की स्थिति में प्रति स्थापन में प्रति बालकनी एक अग्नि दरवाजा प्रदान किया जाना चाहिए।

VI. fo |r l j f k k &

- (1) अपार्टमेंट के लिए 5 साल में एक बार तथा अन्य अधिभोग वाले भवनों के लिए 2 साल में एक बार विद्युत तारों और विद्युत स्थापना को इलेक्ट्रिकल अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यू०पी०एस० में बैटरी सिस्टम की अग्नि सुरक्षा की जाँच विशेष रूप से की जानी चाहिए।
- (2) सभी उच्च वृद्धि वाले आवासीय परिसरों और गैर-आवासीय अधिभोग वाले भवन (जैसे मर्केटाईल, व्यापार, सभा, भंडारण) में प्रदान करें:-
 - (a) आग के विकसित होने से पहले, शॉर्ट सर्किट को साफ करने के लिए फास्ट एक्शन लघु सर्किट तोड़ने वाले (एमसीबी)
 - (b) वैसे भवना जहाँ निकास न हो वहाँ बिजली को अलग करने और शॉर्ट-सर्किट को स्थापित करने और परिणामी आग बचाने के लिए वाह्य मुख्य शक्ति स्वीच प्रदान करना।
 - (c) सुरक्षा/फायर अलार्म और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था अलग-अलग कम बिजली वाले सुरक्षित सहायक सर्किट के माध्यम से संचालित रहना चाहिए।

VII. , ; j d M h ' k f u x -

धुआँ और धुएँ के प्रसार को रोकने के लिए एयर कंडीशनिंग में अग्नि सुरक्षा उपायों जैसे स्वचालित डंपर्स, आदि होंगे, जो अन्यथा जीवन सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

VIII. V k l Q e l | -

- (1) ट्रांसफर्मरों को 4 घंटे रेटिंग के आग प्रतिरोधी निर्माण के साथ सुरक्षित किया जाएगा, जब तक कि मुख्य भवन से 6 मीटर की दूरी तक अलग नहीं हो।
- (2) ट्रांसफर्मर अगर इनडोर या तहखाने में प्रदान किए गए हैं, तो स्वचालित उच्च दबाव जल स्प्रे (मोल्सीफेरे) प्रणाली प्रदान की जाएगी।
- (3) ट्रांसफर्मर या डीजल इंजनों में इस्तेमाल होने वाले दहनशील तेल से अन्य क्षेत्रों में आग फैलाने को रोकने के लिए गड़ढ़ा और प्रतिबंध दिया जाना।
- (4) किसी भी भवन के 6 मीटर के भीतर ट्रांसफर्मर होने की स्थिति में ट्रांसफर्मर के कम से कम तीन तरफ से आग से लड़ने हेतु पहुँच होगी। ट्रांसफर्मर और परिवेश की अग्नि सुरक्षा में गंभीर कमी को दूर करने में यह सक्षम होगा जो अन्यथा मुश्किल और सुधारने के लिए महँगा है।
- (5) विद्युत ट्रांसफर्मर के पास 22.5 लीटर क्षमता का एक फोम ट्रॉली आई०एस० 219 के अनुसार अनिवार्य रूप से आश्रयक है।

IX. , y E i h E t h E &

- (1) एल०पी०जी० पाईप लाईन बाहरी दीवारों पर सीढ़ियों से दूर अलग शाफ्ट में चलानी होगी।
- (2) एल०पी०जी० सिलेंडर के भंडारण के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।
- (3) गैस वितरक के अधिकृत मैकेनिक द्वारा एल०पी०जी० स्टोव/पाईप/सिलेंडर की आवधिक जाँच।

X. v f x u l j f k k ; k t u k v k j v f x u M h y &

- (1) अग्नि सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए।
- (2) निकास स्थल पर बड़े अक्षरों में अग्नि सूचनाएँ प्रदर्शित करके आपात स्थिति में निवासियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पूरी तरह से परिचित किया जाएगा।
- (3) आग और अन्य आपात स्थितियों की स्थिति में अग्निशमन और निकासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्नि नोटिस/आदेश तैयार किए जाएँगे।
- (4) पहले दो वर्षों में प्रत्येक तीन महीनों पर और बाद में 6 महीनों में एक बार अग्नि ड्रील आयोजित किया जाएगा।
- (5) सुरक्षा/शिक्षण/चिकित्सा और चयनित कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन और निकासी के संबंध में प्रशिक्षण।

¼XIX½ *Ikku;*

- (1) अच्छी भवन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) छत का दरवाजा हमेशा चाबी के बिना अंदर से खुलने योग्य होना चाहिए।
- (3) यदि बेसमेन्ट 200 वर्ग मीटर से अधिक हो तो उस तहखाने में स्वचालित सिंचन प्रणाली प्रदान की जाएगी।
- (4) आवासीय/मर्कटाईल क्षेत्रों में फायर ब्रेकर गोदाम, आदि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (5) विशेषकर उच्च मंजिलों में जहाँ भी संभव हो, उच्च खतरा वाले अधिभोग को कम खतरा वाले अधिभोग में परिवर्तन किया जाय।
- (6) भवन के जिस तरफ खुला स्थान में कमी हो, वहाँ एवं पड़ोसी का भवन जहाँ अग्नि एम्पोजर का खतरा हो, फायर फ्रूट का प्रावधान हो।
- (7) परिधि या आसन्न भवनों के आग से लड़ने के लिए उपयुक्त पोर्टेबल मोनीटर्स रखना है।
- (8) होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और इंस्टीट्यूशनल (हॉस्पिटल) अधिभोगों के लिए जहाँ बड़ी संख्या में अधिवासी/जनता की उपस्थिति के कारण काफी जीवन जोखिम है, उन्हें वहाँ निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:-
 - (क) न्यूनतम 3 साल के अनुभव वाले एक योग्य अग्नि अधिकारी को पूरे परिसर के लिए एक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें ऊपर सुझाए गए सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
 - (ख) भवन के प्रवेश फर्स पर भवन की लॉबी में एक फायर कमांड स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए और ऐसे कमांड स्टेशन को पर्याप्त रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
 - (ग) पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम का मुख्य नियंत्रण फायर कमांड स्टेशन पर होना चाहिए।
 - (घ) भवन के लिए एक अग्नि सुरक्षा निदेशक/भवन निर्वासन पर्यवेक्षक को नामित किया जाना चाहिए। उसे बिल्डिंग के प्रत्येक मंजिल के लिए अग्नि वार्डन नामित करना चाहिए, जो कि अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित में उचित समझे जाने वाले कार्य करेगा।
 - (ङ.) प्रशिक्षित अग्निशामक दल को 9 लीटर का न्यूनतम दो धुंध उपकरण (Mist Equipment) के साथ लगातार रखना होगा। उनके अनुरोध पर बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
 - (च) वाटर टैंडर टाईप-‘बी’ या 600 लीटर का धुंध उपकरण ट्रॉली पर रखना है।

$vu|ph\&^M>^{**}$

$jkT; dh lhek d\ ckgj fcgkj vfxu'keu lok d\ lnL; k dh vko'; d midj.kk d\ lkFk$
 $ifrfu; fDr fd; tku ij fu/kkfr n; 'kYdA$

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-22(01) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 28(क) के अंतर्गत)

1- $jkT; dh lhek l\ ij\ vfxu'keu lok dh r'ukrh ij voyc dr0; 'kYdA$ अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती बिहार राज्य की सीमा से परे करने हेतु वहाँ के निदेशक या समकक्ष पदाधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी, जिला प्राधिकार या किसी अन्य प्राधिकार का अनुरोध प्राप्त होने पर, उपलब्धता के अधीन, जनहित में, बिहार राज्य की सीमा से परे निदेशक या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के द्वारा, निम्न तालिका में यथाउल्लेखित शुल्क के भुगतान पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती की अनुमति दिया जा सकेगा ।

$\emptyset-l-$	$vfxu'keu midj.kk d\ idkj$	$iR;d cyko\ ij r'ukrh 'kYd \#e e$	$ehy 'kYd \#e iR;d fd-eh-$	$ifEix vkij'ku \#e iR;d ?kV$	$vU; 'kYd \#e e$
1	वाटर टैंडर/ वाटर बॉउजर/ फोम टैंडर/ ड्राई केमिकल पाउडर टैंडर	10000.00	25.00	1000.00	I खपत किया गया फोम सॉँध/प्रति लीटर @50.00 II न्यूनतम 25000 रु० के अधीन खपत किए गए शुष्क रसायनिक पाउडर प्रति किलोग्राम @25000.00 III कार्यरत उपकरण सेट इस्तेमाल का दर @200.00
2.	झूलने वाली रस्सी की सीढ़ी/प्लेटफॉर्म हैजमेट (Hazmet) वैन/बचाव टैंडर/ बचाव रेस्पॉडर	15000.00	150.00	—	—
3.	मोटर पंप	2000.00	25.00	500.00	
4.	कार्यरत उपकरण वैन	5000.00	25.00	—	कार्यरत उपकरण सेट के इस्तेमाल का दर/200.00

2- $r'ukrh 'kYd e\ okf'kd c<kUkj$ — तैनाती शुल्क उप खंड (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के प्रभाव से 10% की दर से बढ़ाया जाएगा ।

3- $vfxu'keu nLrk d\ oki l h d\ ckn r'ukrh 'kYd e\ c<kUkj$ &

अग्निशमन दस्ता सहित प्रभारी पदाधिकारी के तैनाती-स्थल से अग्निशामालय लौटने के पश्चात्, वहाँ पर की गई कार्रवाई एवं माइलेज का ब्यौरा, सहायता का अनुरोध करनेवाले जिला प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या सम्बंधित पदाधिकारी को शुल्क में बढ़ोतरी हेतु उपलब्ध करायेंगे ।

4- $vfxu'kkeky; inkf/kdkjh d\ fu;=.kk/khu vfrfjDr jkT; \{k=h; e\ r'ukrh A$ उप खंड (1) के अधीन अतिरिक्त राज्यक्षेत्रीय में तैनाती वैसे किसी पदाधिकारी के प्रभार में होगी जो अग्निशामालय पदाधिकारी से न्यून स्तर का नहीं हो ।

vulph&^**

0;fDrxr vujk/k ij fdlh tu lekjk d nkjku fcgkj vfxu'keu lok d lnL;k dk midj.kk, o lkf/k=k d lkFk ifrfu;Dr fd; tku dh n'kk ei n; iHkkjA

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 32 के अंतर्गत)

1- vfxu'keu lok dh riukrh ij voyc dr0; iHkkjA जन समारोह के दरम्यान अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर, उपलब्धता के अध्यधीन, जनहित में, निदेशक या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के द्वारा, निम्न तालिका में यथाउल्लेखित प्रभारों के भुगतान पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती की अनुमति दिया जा सकेगा ।

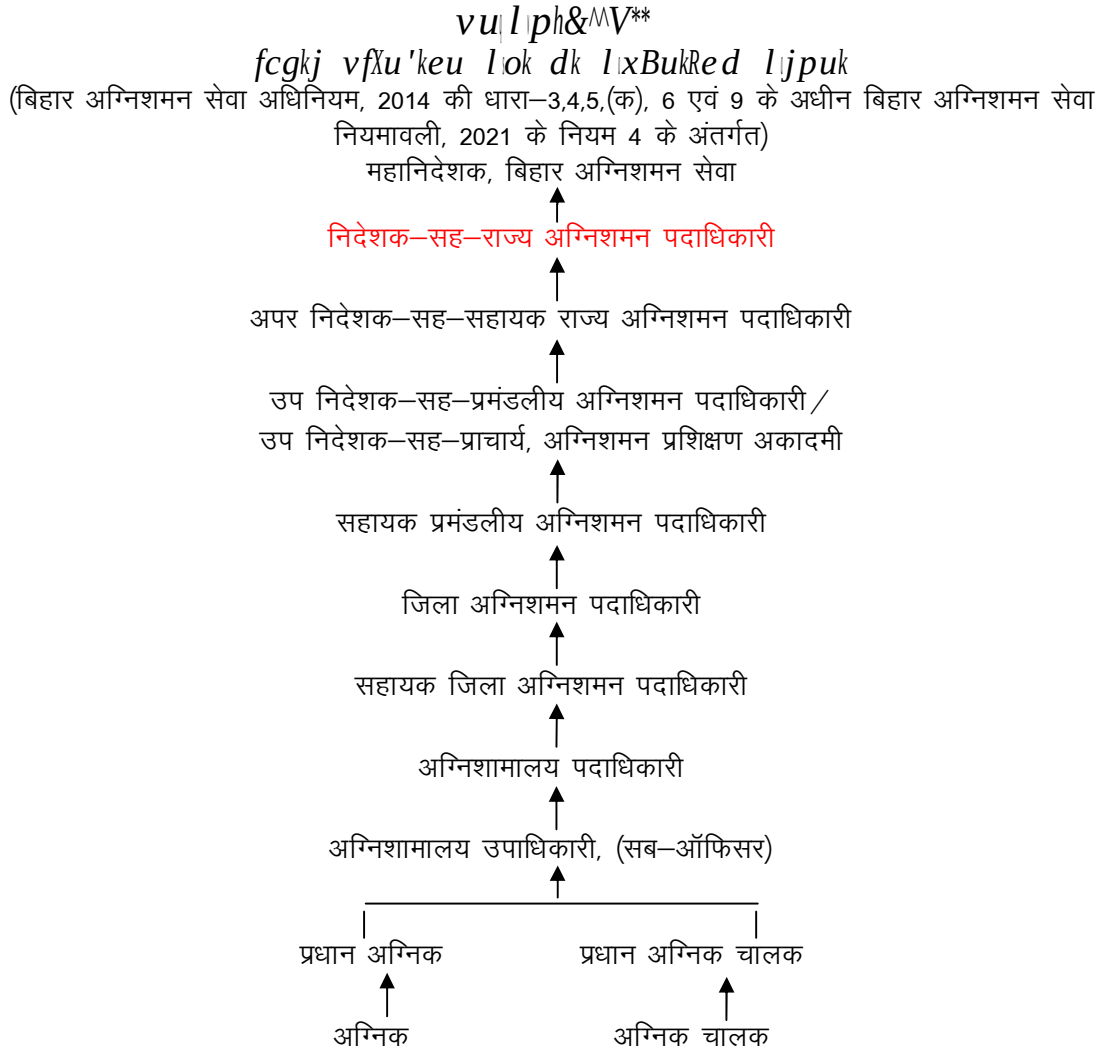
Ø-l-	midj.kk d idkj	ifr N% ?kV d iHkkj vFkok ml dk Hkkx %i; e%	ifeix dkjokb %E ifr ?kV%	vU; iHkkj #i; e
1.	वाटर टैंडर/फोम टैंडर/ वाटर वांउजर	5000.00	1000.00	खपत किया गया फोम सांद्रण प्रति लीटर@50
2.	झूलनेवाली रस्सी की सीढ़ी/प्लेटफार्म	10000.00	2500.00	

2- voyc iHkkjk dk vfxe HkxrkuA& उप खंड (1) के अधीन अग्रिम भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार अग्निशमन सेवा के पक्ष में पटना में भुगतये बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चलान से किया जाएगा ।

3- vfxu'keu lok d lnL;k d fy, vkokluA& यदि अवलंब कर्तव्य के रूप में अग्निशमन सेवा के सदस्यों की तैनाती लगातार 24 घंटे से अधिक होती है, तो प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करनेवाला पक्ष बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवासन के लिए निःशुल्क आवश्यक व्यवस्था करेगा ।

4- mi vfxu'keu inkf/kdkjh d iHkkjk/khu voyc dr0; dk iHkkjA&अवलंब कर्तव्य एक अग्निशमन पदाधिकारी, जो उप अग्निशमन पदाधिकारी से न्यून स्तर का नहीं हो, के प्रभाराधीन होगा ।

5- voyEc iHkkj ei c<krjhA&निर्धारित अवधि हेतु भुगतान किये गये अवलंब प्रभार संबंधी अग्रिम से अधिक अवलंब प्रभार होने की स्थिति में आवेदक से अतिरिक्त राशि की वसूली हेतु विहित प्रपत्र में निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी नोटिस देगा, जिसका भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा ।



Home Department

Notification

20th March 2021

Bihar Fire Service Rules, 2021

No.-6/Agni0Se0-01-11/2017(khand-III)-2706/H.P.— In exercise of powers conferred by proviso of Article- 309 of the Constitution of India and section-63 of the Bihar Fire Service Act, 2014 (Bihar Act 6, of 2014), the Governor of Bihar hereby makes the following rules: -

Chapter - I –Preliminary

1. Short title, extent and commencement: -

- (i) These Rules may be called "Bihar Fire Service Rules, 2021".
- (ii) It shall extends to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions: - In this Rules, unless the context otherwise requires: -

- (a) **"Act"** means the Bihar Fire Service Act, 2014 (Bihar Act 6, of 2014);
- (b) **"Administrative Department "** means the Home Department of Bihar Government;
- (c) **"Director General"** means the Director General, Bihar Fire Service appointed by the Governor of Bihar State;
- (d) **"Director"** means the Director, Bihar Fire Service appointed by the Government under sub-section (1) of section-8 of Bihar Fire Service Act, 2014;
- (e) **"District Magistrate"** means the officer appointed by the Government as District Magistrate under sub-section 1 of Section 20 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974);
- (f) **"Police Superintendent"** means Police Superintendent of revenue or police district;
- (g) **"State Fire Officer"** means a class-A Officer appointed by the Government under section-7 of the Act;
- (h) **"Additional Director"** means the Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer appointed by the Government under section 7 of the Act;
- (i) **"Deputy Director"** means the Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer appointed by the Government under section 7 of the Act;
- (j) **"Principal"** means the Principal of Fire Training Academy, Anandpur, Bihta of the level of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer, appointed by the Government under section 7 and 38 (1) of the Act;
- (k) **"Assistant Divisional Fire Officer"** means the Assistant Divisional Fire Officer appointed by the Government under section 7 of the Act;
- (l) **"District Fire Officer"** means the District Fire Officer appointed by the Government under section 7 of the Act;
- (m) **"Assistant District Fire Officer"** means the Assistant District Fire Officer appointed by the Government under section 6 (3) of the Act;
- (n) **"Sub-Divisional Fire Officer"** means the officer-in-charge of the sub divisional level fire station under Section 6 (3) of the Act;
- (o) **"Fire Station Officer"** means the officer-in-charge of the fire station appointed under section 6 (3) of the Act;
- (p) **"Sub-Officer"** means the officer, just below the rank of Fire Station Officer of Bihar Fire Service under the section 6 (3) of the Act,
- (q) **"The Designated Officer"** means the authorized officer / personnel of the fire service for the specified work under this Act;
- (r) **"Controlling Authority"** means the Director, Bihar Fire Service;
- (s) **"Subordinate Operating Staff"** means Fireman/Fireman Driver/Leading Fireman/ Leading Fireman Driver and any member of equivalent rank of the fire service;

-
- (t) **"Permanent order and administrative instruction"** means permanent order and administrative instruction issued by the Government/ Director General or by the Director with their prior approval ;
 - (u) **"Cadre"** means a group of posts;
 - (v) **"Police Manual"** means the Bihar Police Manual, 1978, and shall include Rules and Manual formulated by the State Government under Bihar Police Act, 2007 (Bihar Act-1, 2007).
 - (w) **"Indian National Building Code of India"** means Part 4-"Fire and Life Safety" of the Indian National Building Code, 2016 **as amended from time to time** published by Bureau of Indian Standards;
 - (x) **"Fire Safety Certificate"** means fire safety certificate issued by the authorized authority of Bihar Fire Service under this rule for compliance of standard level of fire prevention and safety of a building or premises;
 - (y) **"Commission"** means Bihar Public Service Commission, in connection with the Gazetted posts and Bihar Police Subordinate Service Commission, in respect of non-gazetted posts;
 - (z) **"Local Authority"** means authority declared under the Bihar Rajya Panchayati Raj Act, 2006, Bihar Rajya Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015 and the Bihar Municipality Act, 2007 and under other related Acts for the time being in force;
 - (A-1) The words unused / used but undefined in this rules , but the words and clauses defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Bihar Fire Service Act, 2014;
 - (B-1) **"No Objection Certificate"** means the fire prevention and fire protection certificate issued by the prescribed authority;
 - (C-1) **"Fire Audit"** means the inspection by the designated authority to ensure the adequacy of fire prevention and fire safety measures in any building or premise;
 - (D-1) **"Rules"** means the Bihar Fire Service Rules, 2021;

Chapter –II

Establishment and administration

3. Organisation.—Under section 5 and 9 of the Act, for the purpose of smooth functioning, professional efficiency, control and supervision of work, the Bihar Fire Service shall be extended at the level of headquarter, divisions, district, sub-divisions, police stations as follows:-

- (a) At the state headquarter level, the office of the Director, Bihar Fire Service, will be under the control of the Director General, Bihar Fire Service, in which there shall be such number of officers of the rank of Additional Director-cum-Assistant Fire Officer as may be determined by the State Government, who will work for fire safety and management, accounting and administration, training and operation, materials and equipments (provision) and welfare. The State Government may appoint Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer, as such as number it thinks fit, to assist them.
- (b) For purpose of fire prevention and fire safety, all the revenue "divisions" of Bihar State shall be called "Fire Zones" of Bihar Fire Service. Each Fire Zone will be under the charge of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer, under whose control and supervision, as specified, shall be all the fire offices and fire stations situated in the division. The State Government may appoint the officers of the rank of the Assistant Divisional Fire Officer, as such as number it thinks fit, to assist them.
- (c) The Principal of the Bihar Fire Training Academy shall be of the level of the Deputy Director, who shall put or in the work of control and management of the institute. The State Government may appoint the officers of the rank of Assistant Divisional Fire Officer, as such as number it thinks fit, to assist him.
- (d) Each revenue district of the Bihar State shall be called a Fire Division of Bihar Fire Service. The in-charge of each fire division, shall be District Fire Officer, who shall be responsible for the control, according to prescribed of all fire stations of the district as well as the prescribed responsibilities. The State Government may appoint the officers of the rank of Assistant District Fire Officer, as such as number it thinks fit, to assist them.
- (e) The revenue sub-division of each fire division shall be called "Fire Subdivision", which shall be under charge of the Sub-Divisional Fire Officer. The Sub-Divisional Fire Officer shall be officer of the rank of Fire Station Officer who shall be supervisory officer of all fire stations and police station level fire stations of the Fire Subdivision, in addition to the responsibilities of his own fire station.
- (f) The number and posting of Fire Station Officers, Sub-Officers, Leading Fireman, Leading Fireman Drivers, Fireman, Fireman Drivers, etc. in all fire stations and in the offices of fire sub-division, fire division, fire zone, Training Institute and Director, shall be determined by the Director after approval of the Government, taking in view the standards laid down by the Standing Fire Advisory Council, ministry of Home Affairs Government of India and according to the assessment of local requirements.

4. Under section 3,4,5 (a) and 6, the officers and personnel of Bihar Fire Service shall be a single force (closed cadre), under the control and supervision of the Director General, Bihar Fire Service, which shall be divided in the cadres and posts mentioned below:-

Post/Cadre of Senior Service

(A) Senior Service Cadre(gazetted)

SL. No.	Name and designation	Direct appointment / promotional post	Post equivalence
01	Director-cum-State Fire Officer	Direct appointment/ promotional post	Equivalent to Deputy Inspector General of Police
02.	Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer	Promotional post	Equivalent to Staff Officer
03.	Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer	Promotional post	Equivalent to Additional Superintendent of Police
04.	Assistant Divisional Fire Officer	Promotional post	Equivalent to Senior Deputy Superintendent of Police
05.	District Fire Officer	50%Direct appointment/ 50%Promotional post	Equivalent to Deputy Superintendent of Police

(b) Junior Service Cadre (Non-gazetted)

(i) Fire Station Officer Cadre:-

01	Assistant District Fire Officer	Promotional post	Equivalent to Inspector of Police
02.	Sub-Divisional Fire Officer	50% Direct appointment/ 50%Promotional post	Equivalent to Sub-Inspector of Police
03.	Fire Station Sub-Officer (Sub-Officer)	Promotional post	Equivalent to Assistant Sub-Inspector of Police

(ii) Fireman Cadre

01	Leading Fireman	Promotional post	Equivalent to the rank of Havaldar
02	Leading Fireman Driver	Promotional post	Equivalent to the rank of Havaldar Driver
03	Fireman	Direct appointment	Equivalent to the rank of Police Constable
04	Fireman Driver	Direct appointment	Equivalent to the rank of Police Constable Driver

(c) Group "C" Non-uniformed post

1. Steno Clerk Cadre-

01.	Head Stenographer	Promotional post
02.	Stenographer- Grade - I	Promotional post
03.	Stenographer - Grade - II	Promotional post
04.	Stenographer - Grade -III	Direct appointment

2.Ministerial Cadre -

01.	Office Supervisor	Promotional post
02.	Head Clerk	Promotional post
03.	Upper Division Clerk	Promotional post
04.	Lower Division Clerk	Direct appointment

(D) Parichari (suited) Cadre-		
<u>Non-Cadre Post-</u>		
01.	Fire Adviser and Consultant	He will directly advise Director General-cum-Commandant General of Home Guards & fire services, Bihar, Patna.

- (e) Under section-5 (b) of the Act, the officers and personnel of the Fire Service equivalent to the State Police Force, mentioned in rule-4, shall be eligible for same pay and allowance (including uniform allowance) in accordance with equivalence of the post of the State Police Force.
- (f) All the members of Fire Service, below the rank of Fire Station Officer shall stay in Fire Station for 24 hours. Normally they will be entitled for one day rest after each six working days, but Fire Station Officer shall have discretion to deny it or change in it, in the interest of public service. Normally the period of rest will commence from six hour forenoon.

Appointment and promotion

5. Under section 4,5 (b), 7, 8, 10 of the Act appointment / promotion shall be as follows and the appointment certificate shall be issued in Form- "A" to every fire officer of the rank of Sub-Officer and of below rank, after his nomination as a member of the service-

(A) Senior Service Cadre (Gazetted)

1. Director-cum-State Fire Officer: -

- (a) It shall be the apex post of the Fire Services Cadre and in usual course will be filled by promotion. Additional Director-cum-Assistant State Fire Officers may be promoted to this post on the basis of seniority-cum-merit on the advice of the Bihar Public Service Commission as per the procedure laid down by the Government. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.
- (b) Provided, in case there is no availability of eligible departmental officer for promotion to the post of Director-cum-State Fire Officer in the near future, the Director General shall send requisition to the Bihar Public Service Commission, Patna for direct appointment on the post of Director-cum-State Fire Officer .
- (c) In special circumstances if required, the option of deputation of such officers of other states or of any other cadres/ undertakings having equivalent qualification shall be available.
- (d) Promotions to the post of Director-cum-State Fire officer from the post of Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer will be subject to the existing rules at the time of such promotion as framed by the General Administration Department. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.
- (d) **Qualifications for direct appointment: -**
- (i) Age: - Minimum 50 years - Maximum 55 years on 1st August of the year of publication of advertisement;

- (ii) Educational Qualification— Bachelor from science faculty from a recognized institution or Bachelor (Fire Engineering) or Engineering Bachelor degree in mechanical/ automobile subject with passed in Divisional Officer Course from the National Fire College, Nagpur, or completed the prescribed training for the senior supervisory officer of minimum three months from other institutions recognized by the Central Government.
- (iii) Work experience - Work experience of at least 20 years in fire fighting area, in which the work experience of minimum two years should be of the Divisional Fire Officer or work experience of two years of the senior supervisory equivalent post.

(e) **Selection Process :-**

- (i) Bihar Public Service Commission shall invite applications from eligible candidates. Keeping in mind the number of candidates, the Commission may in its discretion organize screening tests or determine other criteria. The Commission may in its discretion determine the number of candidates for interview on the basis of screening test or the criteria prescribed by the Commission.
- (ii) Appointment on the post of Director-cum-State Fire Officer shall be made on the basis of academic qualification, work experience and marks obtained by the candidate out of total marks for interview.
- (iii) The total 100 marks determined for the selection process shall be divided as follows: -
- Educational qualification - maximum 50 marks
 - Work experience - Maximum 20 marks
 - Interview - Maximum 30 marks
- (iv) Maximum 50 points for the academic qualification shall be decided as follows:-

Sl. No.	Qualification	First Division	Second Division	Third Division
1	2	3	4	5
1.	Matric	12marks	08 marks	04 marks
2	Intermediate (+2)	16marks	12 marks	08 marks
3	Graduate	22 marks	18 marks	14 marks
4	Total :-	50marks	38 marks	26 marks

- (v) For work experience over 20 years, two marks for each full year shall be maximum up to 20 marks shall be awarded.

2. Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer

- (a) It shall be the promotional post. Promotions and appointments on this post from the rank of the Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer shall be made on the basis of seniority-cum-merit according to the procedure prescribed by the Government.

- (b) Provided, in case there is no availability of eligible departmental officer for promotion to the post of Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer in the near future the Director General shall send requisition to the Bihar Public Service Commission, Patna for direct appointment on the post of Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer .

In special circumstances if required, the option of deputation of such officers of other states or of any other cadres/ undertakings having equivalent qualification shall be available.

- (c) Promotions to the post of Additional Director-cum-Assistant State Fire officer from the post of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer will be subject to the existing rules at the time of such promotion as framed by the General Administration Department. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.

(d) **Qualifications for direct appointment:-**

- (i) Age: - Minimum 45 years - Maximum 55 years on 1st August of the year of publication of advertisement;
- (ii) Educational Qualification— Bachelor from science faculty from a recognized institution or Bachelor (Fire Engineering) or Engineering Bachelor degree in mechanical/ automobile subject and must have passed in Divisional Officer Course from the National Fire College, Nagpur, or completed the prescribed training for the senior supervisory officer of minimum three months from other institutions recognized by the Central Government.
- (iii) Work experience - Work experience of at least 15 years in fire fighting area, in which the work experience of minimum two years should be of the Divisional Fire Officer or work experience of two years of the senior supervisory equivalent post.

(e) **Selection Process:-**

- (i) Bihar Public Service Commission shall invite applications from eligible candidates. Keeping in mind the number of candidates, the Commission may in its discretion organize screening tests or determine other criteria. The Commission may in its discretion determine the number of candidates for interview on the basis of screening test or the criteria prescribed by the Commission.

- (ii) Appointment on the post of Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer shall be made on the basis of academic qualification, work experience and marks obtained by the candidate out of total marks for interview.
- (iii) The total 100 marks determined for the selection process shall be divided as follows: -
- Educational qualification - maximum 50 marks
 - Work experience - Maximum 20 marks
 - Interview - Maximum 30 marks
- (iv) Maximum 50 points for the academic qualification shall be decided as follows:-

Sl. No.	Qualification	First Division	Second Division	Third Division
1	2	3	4	5
1.	Matric	12marks	08 marks	04 marks
2	Intermediate (+2)	16marks	12 marks	08 marks
3	Graduate	22 marks	18 marks	14 marks
4	Total :-	50marks	38 marks	26 marks

- (v) For work experience of over 15 years, two marks for each full year maximum 20 marks shall be awarded.

3. Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer

- It shall be the promotional post. Promotions and appointments on this post from the rank of the Assistant Divisional Fire Officer shall be made on the basis of seniority-cum-merit according to the procedure prescribed by the Government.
- Provided, in case there is no availability of eligible departmental officer for promotion to the post of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer in the near future the Director General shall send requisition to the Bihar Public Service Commission, Patna for direct appointment on the post of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer.

In special circumstances if required, the option of deputation of such officers of other states or of any other cadres/ undertakings having equivalent qualification shall be available.

- Promotions to the post of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer from the post of Assistant Divisional Fire Officer will be subject to the existing rules at the time of such promotion as framed by the General Administration Department. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.
- Qualifications for direct appointment:-**
 - Age: - Minimum 40 years - Maximum 55 years on 1st August of the year of publication of advertisement;

- (ii) Educational Qualification– Bachelor from science faculty from a recognized institution or Bachelor (Fire Engineering) or Engineering Bachelor degree in mechanical/ automobile subject and must have passed in Divisional Officer Course from the National Fire College, Nagpur, or completed the prescribed training for the senior supervisory officer of minimum three months from other institutions recognized by the Central Government.
- (iii) Work experience - Work experience of at least 12 years in fire fighting area, in which the work experience of minimum two years of the senior supervisory equivalent post.

(e) Selection Process: -

- (i) Bihar Public Service Commission shall invite applications from eligible candidates. Keeping in mind the number of candidates, the Commission may in its discretion organize screening tests or determine other criteria. The Commission may in its discretion determine the number of candidates for interview on the basis of screening test or the criteria prescribed by the Commission.
- (ii) Appointment on the post of Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer shall be made on the basis of academic qualification, work experience and marks obtained by the candidate out of total marks for interview.
- (iii) The total 100 marks determined for the selection process shall be divided as follows: -
- Educational qualification - maximum 50 marks
 - Work experience - Maximum 20 marks
 - Interview - Maximum 30 marks
- (iv) Maximum 50 points for the academic qualification shall be decided as follows:-

Sl. No.	Qualification	First Division	Second Division	Third Division
1	2	3	4	5
1.	Matric	12marks	08 marks	04 marks
2	Intermediate (+2)	16marks	12 marks	08 marks
3	Graduate	22 marks	18 marks	14 marks
4	Total :-	50marks	38 marks	26 marks

- (v) For work experience of over 12 years, two marks for each full year maximum 20 marks shall be awarded.

4. Assistant Divisional Fire Officer

- (a) It shall be the promotional post. Promotions and appointments on this post from the rank of the District Fire Officer shall be made on the basis of seniority-cum-merit according to the procedure prescribed by the Government.

- (b) Provided, in case there is no availability of eligible departmental officer for promotion to the post of Assistant Divisional Fire Officer in the near future the Director General shall send requisition to the Bihar Public Service Commission, Patna for direct appointment on the post of Assistant Divisional Fire Officer.

In special circumstances if required, the option of deputation of such officers of other states or of any other cadres/ undertakings having equivalent qualification shall be available.

- (c) Promotions to the post of Assistant Divisional Fire Officer from the post of District Fire Officer will be subject to the existing rules at the time of such promotion as framed by the General Administration Department. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.

(d) **Qualifications for direct appointment:-**

- (i) Age: - Minimum 40 years - Maximum 55 years on 1st August of the year of publication of advertisement;
- (ii) Educational Qualification— Bachelor from science faculty from a recognized institution or Bachelor (Fire Engineering) or Engineering Bachelor degree in mechanical/ automobile subject and must have passed in Divisional Officer Course from the National Fire College, Nagpur, or completed the prescribed training for the senior supervisory officer of minimum three months from other institutions recognized by the Central Government.
- (iii) Work experience - Work experience of at least 10 years in fire fighting area, in which the work experience of minimum two years of the senior supervisory equivalent post.

(e) **Selection Process: -**

- (i) Bihar Public Service Commission shall invite applications from eligible candidates. Keeping in mind the number of candidates, the Commission may in its discretion organize screening tests or determine other criteria. The Commission may in its discretion determine the number of candidates for interview on the basis of screening test or the criteria prescribed by the Commission.
- (ii) Appointment on the post of Assistant Divisional Fire Officer shall be made on the basis of academic qualification, work experience and marks obtained by the candidate out of total marks for interview.
- (iii) The total 100 marks determined for the selection process shall be divided as follows: -
 - (a) Educational qualification - maximum 50 marks
 - (b) Work experience - Maximum 20 marks

- (c) Interview - Maximum 30 marks
 (iv) Maximum 50 points for the academic qualification shall be decided as follows:-

Sl. No.	Qualification	First Division	Second Division	Third Division
1	2	3	4	5
1.	Matric	12marks	08 marks	04 marks
2	Intermediate (+2)	16marks	12 marks	08 marks
3	Graduate	22 marks	18 marks	14 marks
4	Total :-	50marks	38 marks	26 marks

- (v) For work experience of over 10 years, two marks for each full year maximum 20 marks shall be awarded.

5. District Fire Officer

- (1) In this cadre 50% appointment may be made by direct recruitment and 50% by promotion.
- (2) (a) For direct appointment to this post, requisition shall be sent to the Administrative Department by the Director General. The Department may send requisition for direct appointment to this post to the Bihar Public Service Commission, Patna. In the light of the recommendation received from the Commission for appointment to the said post, the process of appointment of District Fire Officer may be completed by the Administrative Department.
- (b) Provided, in case there is no availability of eligible departmental officer for promotion to the post of District Fire Officer in the near future the Director General shall send requisition to the Bihar Public Service Commission, Patna for direct appointment on the post of District Fire Officer.

In special circumstances if required, the option of deputation of such officers of other states or of any other cadres/ undertakings having equivalent qualification shall be available.

(c) Qualifications for direct appointment: -

- (i) Age: - Age determined from time to time, by the General Administration Department for direct appointment to the post of Deputy Superintendent of Police.
- (ii) Educational Qualification –Bachelor from science faculty from a recognized institution or Bachelor (Fire Engineering) or Engineering Bachelor degree in mechanical/ automobile subject.
- (iii) The physical standard and efficiency of the candidates for direct appointment shall be the same, which is prescribed for direct appointment to the post of Deputy Superintendent of Police at that time.

- (d) Selection Procedure for direct appointment: - (i) Bihar Public Service Commission shall select the eligible candidates through joint competitive examination.
- (e) The probation period of appointment to the post of District Fire Officer shall be of 2 years. The newly appointed District Fire Officer shall have to pass the prescribed 1 year institutional and 1 year training at work place successfully.
- (f) Training -The officers appointed on the post of District Fire Officer, through direct appointment, shall have to pass successfully the training course of one year period from the National Fire College, Nagpur / Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna. In case of training in Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna, the training syllabus shall be formulated by Director General, State Fire Service after consultation with the Principal, Fire Training Academy, Anandpur, Bihta. In addition, one year practical training shall be completed successfully in different units of Bihar Fire Service.
- (3) The rules for the time being in force laid down by the General Administration Department regarding Promotion to the posts of equivalent rank shall be applicable for promotion on the post of District Fire Officer from Assistant District Fire Officer.
- (4) Departmental Examination- The officer appointed through the direct appointment or promotions to the post of District Fire Officer shall have to pass departmental examination conducted for Gazetted Officers by the board of Revenue. In addition to Hindi & Accounts papers prescribed for the State Gazetted Officers in the departmental examination, subject related with provisions of fire prevention and safety as described in Fire Engineering and Building Byelaws shall also be included.
- (5) Confirmation: -
 - (a) The service of officers appointed by direct recruitment to the post of District Fire Officer may be confirmed after successful completion of probation period prescribed training, and passing of the departmental examination. In case of not passing the departmental examination during probation period, the probation period may be extended for such period as the Director General, State Fire Service may think fit.
 - (b) The service of the officers appointed to the post of District Fire Officer by promotion may be confirmed after passing of the departmental examination.

(B) Junior Service Cadre (Non Gazetted) - Fire Station Officer Cadre**1. Asst. District Fire Officer**

- (a) It shall be promotional post. The Fire Station Officers eligible for this post may be promoted to the post of Assistant District Fire Officer on the interse seniority-cum-merit basis, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, as prescribed.
- (b) The tenure required for the promotion to the post of Assistant District Fire Officer will be of similar to that envisaged by the General Administration Department for the similar category of post at the time of such promotions.
- (c) Assistant District Fire officer, promoted from the rank of Fire Station Officer, shall remain on probation for one year.
- (d) The other rules, for the time being in force, in Police Department for promotion from Police Sub-Inspector to the rank of Police Inspector shall be applicable for promotion to the post of Assistant District Fire Officer from the rank of Fire Station Officer.
- (e) The rules for the time being in force laid down by the General Administration Department regarding promotion to the post of equivalent rank shall applicable for promotion on the post of Assistant District Fire Officer from Fire Station Officer.

2. Sub-Divisional Fire Station Officer

- (1) In this cadre 50% appointment may be made by direct recruitment and 50% by promotion.
 - (a) The Director General may send requisition for direct recruitment on the post of Sub-Divisional Fire Station Officer to the Bihar Police Sub Ordinate Service Commission through the Administrative Department. The appointment to the post of Sub-Divisional Fire Station Officer will be done by the Director-cum-State Fire Officer in light of recommendation of the Commission for such posts.
 - (b) Qualifications for direct appointment: -
 - (i) Age: - Age determined from time to time, by the General Administration Department for direct appointment to the post of Police Sub-Inspector.
 - (ii) Educational Qualification –Bachelor from a recognized institution.
 - (iii) Physical standard and efficiency- The physical standard and efficiency of the candidates for direct appointment shall be the same, which is prescribed for direct appointment to the post of Police Sub-Inspector at that time.
 - (c) Selection Procedure for direct appointment: -
 - (i) Bihar Police Sub- Ordinate Service Commission shall invite the applications from eligible candidates. The selection procedure and syllabus shall be the same to

the selection procedure and syllabus for the Police Sub-Inspector.

- (d) Training- The officers appointed on the post of Sub-Divisional Fire Station Officer, through direct appointment, shall have to pass successfully the training course of six months period from the National Fire College, Nagpur / Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna. In case of training in Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna, the training syllabus shall be formulated by Director General, State Fire Service after consultation with the Principal, Fire Training Academy, Anandpur, Bihta; In addition, six months practical training shall be completed successfully in different units of Bihar Fire Service.
- (2) (a) The promotion to the post of Sub-Divisional Fire Station Officers from Fire Station Sub-Officers may be given by Director General on the basis of interse seniority-cum- merit of Fire Station Sub-Officers on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, as prescribed.
- (b) For promotion to the post of Sub-Divisional Fire station Officer, the personnel who have completed minimum length of service prescribed by the General Administration Department shall have to complete successfully the Station Officer Course organized by the Fire Training Academy, Bihta or Station Officer Course from N.F.S.C., Nagpur or Diploma in Fire Engineering or equivalent from aforesaid college, as per their seniority. The syllabus for the course of Station Fire Officer at Bihta will be prescribed by the Director General, State Fire Services in consultation with the Principal, Fire Training Academy, Bihta. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.
- (c) Sub-Divisional Fire Station Officers, promoted from the rank of Fire Station Sub-Officers shall remain on probation for one year.
- (d) The others rules, for the time being in force, in Police Department for promotion from Assistant Sub-Inspector of Police to the rank of Police Sub-Inspector shall be applicable for promotion to the post of Fire Station Officers from the rank of Fire Station Sub-Officer.
- (e) The rules, for the time being in force, laid down by the General Administration Department for the posts of equivalent rank shall be applicable for promotion to the post of Fire Station Officer from Fire Station Sub-Officer.
- (f) Sub-Divisional Fire Station Officer may be posted on the post of Sub-Divisional Fire Officer at sub-division level fire stations, or at other fire stations but they may be posted by the Director-cum-State Fire Officer at any place as per requirement.

- (3) Officers appointed directly or by promotion on the post of Sub-Divisional Fire Station Officer, shall have to pass the Hindi noting and drafting examination organised by the Rajbhasha Department, if they have not passed this examination earlier. In additions, they have to pass accounts paper of the examination organised by the Board of Revenue for non-gazetted employees.
- (4)(a) The service of officers appointed by direct recruitment to the post of Sub-Divisional Fire Station Officer may be confirmed after, successful completion of probation period, prescribed training, and passing of the departmental examination. In case of not passing the departmental examination during probation period, the probation period may be extended for such period as the Director General, State Fire Service may think fit.
- (b) The service of the officers appointed to the post of Sub-Divisional Fire Station Officer by promotion shall be confirmed after passing of the departmental examination, if they have not passed this examination before the promotion to this post.

3. Fire Station Sub-Officer

- (a) It shall be promotional post of Leading Fireman and Leading Fireman Driver.
- (b) For promotion to the post of Deputy Fire Station Officer, the personnel who have completed minimum length of service prescribed by the General Administration Department, shall have to pass successfully the training of Sub Officer Course from Fire Training Academy, Bihta (after getting affiliation from National Fire Service College, Nagpur as Regional Training Centre) or directly from N.F.S.C, Nagpur or Institution recognized by it, as per their seniority. The syllabus for such course of Sub-Officers at Fire Training Academy, Bihta will be prescribed by the Director General, State Fire Services in consultation with the Principal, Fire Training Academy, Bihta, the approval one which will be obtained from the Committee of the Ministry of Home Affairs, Government of India designated for such purpose. Eligibility tenure for promotion will be same as stated in the relevant rules of General Administrative Department for equivalent posts.
- (c) The promotion to the post of Fire Station Sub-Officer from Leading Fireman and Leading Fireman Driver may be given on the basis of passing of aforesaid training and joint gradation-cum-merit list of Leading Fireman and Leading Fireman Driver, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, as prescribed.
- (d) The probation period of the Fire Station Sub-Officer promoted from the rank of Leading Fireman/ Leading Fireman driver shall be of one year.

- (e) The other rules, for the time being in force, in Police Department for promotion from Havildar to the rank of Assistant Police Sub-Inspector shall be applicable for promotion to the post of Fire Station Sub-Officer from the rank of Leading Fireman/ Leading Fireman Driver.
- (f) The rules, for the time being in force, laid down by the General Administration Department for the post of equivalent rank shall be applicable for promotion to the post of Fire Station Sub-Officer from the rank of Leading Fireman/ Leading Fireman Driver.

(C) Fireman Cadre -

1. Leading Fireman

- (a) It shall be promotional post.
- (b) Minimum 06 years of service period must be completed from the date of appointment on original post by the concerned personnel for promotion to the post of Leading Fireman.
- (c) The promotion to the post of Leading Fireman from eligible Firemen may be given on the basis of inter-se seniority-cum-merit list of Fireman on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, as prescribed.
- (d) For selection for the promotion to the post of Leading Fireman, Firemen, in order of seniority, shall have to complete compulsorily the training course successfully in the Fire Training Academy, for the prescribed period at that time, according to the syllabus as prescribed. The syllabus and duration of training shall be determined by the Principal after consultation with the Director or according to other instructions of Director General issued at that time for the time being. After completion of training period, it shall be necessary to pass the qualifying examination. The format of the concerned examination shall be determined by the Principal after consultation with the Director.
- (e) The probation period of Leading Fireman promoted from the rank of Fireman shall be of one year.
- (f) The other rules, for the time being in force, in Police Department for promotion from constable to the rank of Havildar shall be applicable for promotion to the post of Leading Fireman from the rank of Fireman.
- (g) The rules, for the time being in force, laid down by the General Administration Department for the post of equivalent rank shall be applicable for promotion to the post of Leading Fireman from Fireman.

2. Leading Fireman Driver

- (a) It shall be promotional post.
- (b) Minimum 06 years of service period must be completed from the date of appointment on original post by the concerned

- personnel for promotion to the post of Leading Fireman Driver.
- (c) The promotion to the post of Leading Fireman driver from eligible Firemen drivers may be given on the basis of interse seniority-cum-merit of Fireman Driver on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, as prescribed.
 - (d) For selection for the promotion to the post of Leading Fireman Driver, Firemen Driver, in order of seniority, shall have to complete compulsorily the training course successfully in the Fire Training Academy, for the prescribed period at that time, according to the syllabus as prescribed. The syllabus and duration of training shall be determined by the Principal after consultation with the Director or according to other instructions of Director General for issued at that time. After completion of training period, it shall be necessary to pass the qualifying examination. The format of the concerned examination shall be determined by the Principal after consultation with the Director.
 - (e) The probation period of Leading Fireman Driver promoted from the rank of Fireman Driver shall be of one year.
 - (f) The other rules, for the time being in force, in Police Department for promotion from Constable Driver to the rank of Havildar Driver shall be applicable for promotion to the post of Leading Fireman Driver from the rank of Fireman Driver.
 - (g) The rules, for the time being in force, laid down by the General Administration Department for the post of equivalent rank shall be applicable for promotion to the post of Leading Fireman Driver from the rank of Fireman Driver.

3. Fireman

- (1) It shall be post of direct appointment.
- (2) For direct appointment to this post, requisition may be sent to the Administrative Department by the Director General. After giving consent by the Department, requisition for direct appointment to this post may be sent to the Central Selection Board of Constable, Patna or any other Selection Authority ordered by the Government. In the light of the recommendation received from the Selection Authority for appointment to the said post, the process of appointment of Firemen may be completed by the Director.
- (3) Qualifications for direct appointment:- Qualifications and selection procedure for direct appointment shall be the same to the qualifications and selection procedure for Police (Constable).
- (4) The persons appointed on the post of Firemen, through direct appointment, shall have to pass successfully the training course of six months duration from the Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna. The training syllabus shall be

determined by Director General, State Fire Service after consultation with the Principal, Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, In addition to this, six months practical training shall be completed successfully in different units of Bihar Fire Service.

- (5) The probation period in the rank of Firemen shall be of three years from the date of appointment.
- (6) Employees appointed on the post of Firemen shall have to pass Hindi Department Noting and Drafting examination organized by the Rajbhasha.
- (7) The service of the personnel appointed by direct recruitment to the post of Firemen may be confirmed after, successful completion of probation period, prescribed training, and after passing of the departmental examination. In case of not passing of the departmental examination during probation period, the probation period may be extended for such period as the Director General, State Fire Service may think fit.
- (8) **Home guards can be deputed by providing fire fighting training under the temporary arrangement to meet the requirement of fireman, but no claim for permanent appointment shall be made on the basis of this deputation.**

4. Fireman Driver

- (1) It shall be post of direct appointment.
- (2) For direct appointment to this post, requisition may be sent to the Administrative Department by the Director General. After giving consent by the Department, requisition for direct appointment to this post may be sent to the Central Selection Board of Constable, Patna or any other Selection Authority ordered by the Government. In the light of the recommendation received from the Selection Authority for appointment to the said post, the process of appointment of Fireman Driver may be completed by the Director General.
- (3) Qualifications for direct appointment:- Qualifications and selection procedure for direct appointment shall be the same to the qualifications and selection procedure for Police Driver (Constable).
- (4) The persons appointed on the post of Firemen Driver, through direct appointment, shall have to pass successfully the training course of six months duration from the Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, Patna. The training syllabus shall be formulated by Director General, State Fire Service, after consultation with the Principal, Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, In addition to this, six months practical training shall be completed successfully in different units of Bihar Fire Service.
- (5) The probation period in the rank of Firemen Driver shall be of three years from the date of appointment.

- (6) Employees appointed on the post of Firemen Driver shall have to pass Hindi Department Noting and Drafting examination organized by the Rajbhasha.
- (7) The service of the personnel appointed by direct recruitment to the post of Firemen Driver may be confirmed after, successful completion of probation period, prescribed training, and after passing of the departmental examination. In case of not passing of the departmental examination during probation period, the probation period may be extended for such period as the Director General, State Fire Service may think fit.

(C) Non uniformed post

Group - "C"

1. StenoGrapher Cadre -

1. **Head Stenographer.**— It shall be promotional post. The Stenographer-Grade-I may be promoted to the post of Head Stenographer on the basis of interse seniority-cum-merit of Stenographer- Grade-I on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.
2. **Stenographer- Grade I.**—It shall be promotional post. The Stenographer - Grade-II may be promoted to the post of Stenographer - Grade-I on the basis of interse seniority-cum-merit of Stenographer- Grade-II on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.
3. **Stenographer- Grade- II.**—It shall be promotional post. The Stenographer - Grade-III may be promoted to the post of Stenographer - Grade-II on the basis of interse seniority-cum-merit of Stenographer- Grade-III on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.
4. **Stenographer- Grade III.**—It shall be of direct appointment post. For appointment to this post, the educational and other qualifications, age limit and other criteria prescribed for appointment of the equivalent post by the General Administration Department, shall be applicable. The Appointment on this post shall be made through the Staff Selection Commission.

The personnel appointed on the post of steno clerk cadre will have to pass the Hindi noting and drafting examination conducted by the Department of Rajbhasha, if they have not passed this examination earlier.

In addition to this, they will have to pass the examination of Accounting subject, organised by the Revenue Board for non-gazetted personnel.

2. Ministerial Cadre -

1. **Office Supervisor.**—It shall be promotional post. The Head Clerk may be promoted to the post of Office Supervisor on the basis of interse seniority-cum-merit of Head Clerk on the recommendation

of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.

2. **Head Clerk.**—It shall be promotional post. The Upper Division Clerk maybe promoted to the post of Head Clerk on the basis of interse seniority- cum- merit of Upper Division Clerk on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.
3. **Upper Division Clerk .**—It shall be promotional post. The Lower Division Clerk may be promoted to the post of Upper Division Clerk on the basis of interse seniority- cum- merit of Lower Division Clerk on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of Director General.
4. **Lower Division Clerk.**— It shall be of direct appointment post. For appointment to this post, the educational and other qualifications, age limit and other criteria prescribed for appointment to the equivalent post by the General Administration Department, shall be applicable. The appointment on this post shall be made through the Staff Selection Commission.

25% of the total sanctioned strength of thispost shall be filledup by promotion of working personnel of the grade form (group-D) of Bihar Fire Service, on basis of joint seniority, who had the minimum educational qualification prescribed for this post, on the recommendation of Promotional Committee constituted under the chairmanship of Director General.

The personnel appointed on the post of Ministerial Cadre shall have to pass the Hindi Noting and Drafting examination conducted by the Rajbhasha Department, if they have not passed this examination earlier.

In addition to this, they shall have to pass the examination of Account subject, organised by the Board of Revenue Board for non-gazetted employees

Parichari (Special) Cadre.—All these posts are of direct appointment. The direct recruitment on these posts shall be made under the directions of the Director General and by the Selection Committee constituted by him under the chairmanship of the Director. Age limit, physical / educational qualifications and technical qualifications for these posts shall be the same which the State Government may determine from time to time

Non-Cadre Post: -

1. State Fire Advisor and Consultant

- (a) Direct appointment on this post will be done under rules 2(a & f) and rule 32 of the Act. Besides this if the Director General is of the opinion that such, direct appointment to this post will be subject to inordinate delays, or evenfor other reasons too, proposalfor appointment to this post on contract basis could be sent to the Administrative Department. On receipt of such proposal from the Director General, the department shall publish advertisement with respect to such proposal as per the provisions of circular No. 10000 dated 10.07.2015 (as amended from time to time), Such contractual selection will initially be done for

a period of three years or till the regular appointment on this post, and the maximum age limit of 67 years, extension of one year at a time may be done as per requirement on the basis of his work appraisal. The process of selection on contractual basis and other rules shall be the same as prescribed by the General Administration Department vide Resolution No. 10000 dated 10.07.2015 (as amended from time to time) and the required qualification shall be the same as prescribed under the rules for direct appointment on this post.

(b) **Eligibility Qualifications:-**

- (i) Age (for direct appointment)-**No minimum and maximum limit.**
Age (contractual appointment)-**No minimum and maximum limit.**
- (ii) **Eligibility – Having minimum technical qualification Bachelor of Fire Engineering or M.I. Fire Engineering or equivalent with minimum 10 years experience.**
- (iii) Other qualifications–Knowledge of determination of specifications of fire fighting equipments and additives and 5-10 years of experience of its operational activities.

(c) **Selection Process for direct appointment : -**

- (i) Bihar Public Service Commission shall invite applications from eligible candidates. Keeping in mind the number of candidates, the Commission may, in its duration, organize screening tests or may determine other criteria. On the basis of screening test or the criteria set forth by the Commission, the Commission may determine the number of candidates for interview.
- (ii) Appointment on the post of Fire Adviser and Consultant shall be made on the basis of academic qualification, work experience and the total marks obtained by the candidate out of prescribed marks for interview.
- (iii) The division of total 100 marks determined for the selection process shall be as follows: -
 - (a) Educational qualification - maximum 50 marks
 - (b) Work experience - Maximum 20 marks
 - (c) Interview - Maximum 30 marks
- (iv) Maximum 50 marks for the academic qualification shall be determined as follows:-

Sl. No.	Qualification	First Division	Second Division	Third Division
1	2	3	4	5
1.	Matric	12 marks	08 marks	04 marks
2	Intermediate (+2)	16 marks	12 marks	08 marks
3	Graduate	22 marks	18 marks	14 marks
4	Total :-	50 marks	38 marks	26 marks

- (v) Work experience over 10 years, two points for each full year maximum up to 10 marks shall be awarded.

Chapter-III Discipline, Duties and Responsibilities (Section-4, 5 (a) and 12 of the Act)

6. The officers and employees of various ranks of Bihar Fire Service will discharge the prescribed duties and responsibilities, under the control and supervision of the Director General.

- (a) Under the direction of Director General of Fire Services purchase of adequate fire fighting equipment up to Police Station Level and adequate protective kits for Fireman, project and maintenance.

7. **Director:** - Under the normal control and supervision of the Director General, the entire responsibilities of conducting operations, discipline and administration will be of the Director, under which mainly following responsibilities will be discharged by him.

- (a) To provide safety for the protection of life and property, by using the powers conferred under the Act and Rules related to fire safety for the time being in force.
- (b) Management of all the fire fighting equipments, machinery and additives.
- (c) Training and supervision of Fire Training Academy and training of officers and staff of fire service.
- (d) Communication of interpersonal relations of persons and incidents.
- (e) Distribution of the works among the officers and the men.
- (f) Execution of rules, orders and procedure of proceedings, as prescribed.
- (g) Execution of duties and maintenance of discipline among officers and all men of Fire Service under all the subjects of executive details or under them and regularisation of those subject.
- (h) To ensure the implementation of effective measures of fire safety.

8. **Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer:** -

- (a) The State Fire Officer will be assisted by him at the headquarter level of the State Fire Service.
- (b) Their responsibilities shall be in the form of fire safety and management wing in-charge, accounting and administration wing in-charge and training and operation in-charge.
- (c) To assist the Director in the determination of technical specifications for the purchase of fire fighting vehicles and equipment and in concerned purchase process.
- (d) In case of Director on leave or on other duties, he will be in-charge of the Director and he will be able to discharge his prescribed duties by staying in his charge.

9. The duties and responsibilities of all the officers and men, except of officers mentioned in rule-6,7 & 8, will be according to the Schedule-A, in which the Director will have right to change after consultation with Director General.

10. **Standard Operating Procedure:-**The Fire Station Officers and operational members will discharge duties on the basis of standard operating procedures for fire fighting according to Schedule- "B".

11. In the light of section 14, 15, 16 and Section 61 of the Act (Bihar Act 6, 2014), all the members of the Bihar Fire Service shall be deemed to be public servants under the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and he will have the powers and protection of the public servant in the discharge of his duties. Also, all the universal rule of Bihar state will be applicable to all the members of Bihar Fire Service. The amended provisions and changes made in original rules and supplementary rules by the

Government from time to time will be extended to all the members of the Bihar Fire Service.

12. In the light of the National Disaster Management Policy 2007, Bihar Fire Service will be a fundamental unit of disaster management of the state, which will be extended to cover compulsorily the disaster reduction and community awareness programme in addition to relief and rescue of all the fire disasters in the state.

13. Under section 17 of the Act (Bihar Act 6, 2014) and the National Disaster Management Policy, 2007, community of Bihar Fire Service will be a compulsory and special service. All personnel of the Fire Service will always be treated on duty.

Chapter – IV

Fire prevention and fire safety measures

(Sub-section-6 of section 2 of the Act)

14. Fire Prevention and Safety Wing: - At directorate level a Fire Prevention and Safety Wing under the control of Director shall act, in which one Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer, one Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer, one Assistant Divisional Fire Officer, one District Fire Officer, one Assistant District Fire Officer shall be member. In addition to this Fire Adviser-cum-Consultant shall be a member of this Wing. On the basis of availability, the Director General may nominate, Architect Consultant-cum-Advisor and Legal Consultant-cum-Advisor as a member of this Wing. In the work execution meeting to be conducted by the Wing, the attendance of half of the Members will be compulsory. The expansion of such Wings, as per requirement in future, at fire zones (revenue division) and fire division (revenue and police district) level may be decided by the Director General.

The responsibilities of this wing shall be as follows:-

- (a) Inspection of fire prevention and safety scheme of building construction and to recommend to issue concerned certificate.
- (b) Compliance of rules of the fire safety and prevention under the National Building Code, Bihar Building Byelaws and other prescribed rules, and to make recommendation in case of violation of rules, for taking necessary prescribed action and imposition of the punishment.
- (c) Recommend for formation of Policy for investigation and research in the field of new rules and scientific methods of fire prevention and safety.
- (d) All works related with court in respect of fire prevention and safety.
- (e) Formulation and execution of community awareness and capacity building programmes for minimising the disaster related to fire prevention and safety.
- (f) On request of local authority or other statutory authority, Fire Prevention and Safety Wing may give advice to the occupants for taking measures of fire prevention and safety, to be provided for safety of the building / premises.
- (g) Fire Prevention and Safety Wing, on any specified date may require for presentation of fire prevention and safety measures from the building owner or the occupant himself, or by the architect employed by him.
- (h) Fire Prevention and Safety Wing may direct the owner of the building or occupant himself or the architect employed by him, for modification in the building plans and the concerned building plan may be rejected in case of non-compliance of the instructions within 30 days.
- (i) To develop fire safety and evacuation plan for all commercial and public buildings especially for the critically sensitive buildings such as hospitals.

15. Fire Prevention and Safety No Objection Certificate:-

- (a) Requirement of No Objection Certificate: - For the purpose of Part-IV of the National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, related to fire and life safety, fire prevention and fire safety certificate shall be required for the following types of buildings: -
- (i) Multi-storey buildings of all categories (with height of 15 meters and above) (with height of 15 meters and above) or Ground coverage more than 500 Mtr. square (Any Floor).
 - (ii) Special buildings like hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies, where the floor area of any one or more floors exceeds 500 Sq. meters in any such type of buildings.
 - (iii) Educational, institutional building with a height of 9 meters or more
 - (iv) All the assembly buildings.
 - (v) Building having area more than 300 square meters on any floor, used for assembly or marked for the assembly.
 - (vi) Building with two or more than two basements or building having one basement with an area of more than 500 square meters.
 - (vii) In addition to the above, the decision may be taken by the owner of the other buildings for fire safety measures as per the provisions of Part-IV of the National Building Code, 2016 **as amended from time to time** related to Fire and Life Safety.
- (b) It shall be compulsory to obtain No Objection Certificate by the owner of the buildings or premises, from the Director or authorized wing, for all the buildings concerned with sub-rule- (a) for ensuring compliance of the provisions of fire and life safety, as per National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time** and other Act, rules, order for the time being in force.
- (c) No Objection Certificate shall be given in three stages of building construction, as-
- (i) Before the construction of the building, a provisional certificate will be given, which shall be considered as an advice for keeping the building safe from the fire disaster.
 - (ii) After construction of the building the final No Objection Certificate will be given after verification of the compliance of advice given in the provisional No Objection Certificate,
 - (iii) After issue of final No Objection Certificate, after expiry of the prescribed validity period of the certificates for the different category of buildings, it shall be compulsory to get the No Objection Certificate renewed within the stipulated period.
 - (iv) Inspection may be done even during construction, before issues of Final No Objection Certificate, to ensure, by the Fire Services, that the work is being carried down according to the proposed measures for fire safety on which No Objection Certificate has been issued before construction.

- (d) **Fee for No Objection Certificate:** - Fee for provisional No Objection Certificate/ final No Objection Certificate/ renewal of No Objection Certificate shall be payable, in four categories, on the basis of category of building and total floor area of all floors (including basement)(Schedule - "C ")
- (e) The process regarding No Objection Certificate shall be completed online (Schedule-'D') through the prescribed single window clearance or according to the provisions and procedure prescribed by the Director General for the time being in force.
- (f) **Provisional No Objection Certificate: -**
- (i) Before starting the construction of the building, the building owner will have to submit, to the Director or the authorized officer addressed by the postname, according to the procedure for the time being in force, an application in prescribed format(Form-'B'), through the architect / engineer enrolled in Building Construction Department or local authority alongwiththe map related to the building plan, prescribed check list(Form-'C'),undertakings regarding compliance of provisions of National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time** and other rules for the time being in force, guarantee of expenditure in the fire safety system and equipments(Form-'D') and the prescribed fee,
 - (ii) The estimate for providing the required fire protection system in the building must be submitted. Bank guarantee for 15% of the estimated cost for five years shall be given along with an undertaking that the necessary fire safety measures shall be kept in effective condition, otherwise the said bank guarantee may be spent by the Fire Department, for keeping the fire safety measures in effective condition in the building.
 - (iii) After finding the concerned building plan according to the rules, the provisional non-objection certificate shall be issued to the applicant within the time limit prescribed for the time being(Form-'E ').
 - (iv) In case of finding of defect in the concerned building plan, the building plan shall be rejected and the applicant may be instructed, showing the reason for the disapproval, to submit application, after duly rectifying the defect, along with the necessary record (form-'F'). The Fee will not be payable again for this.
 - (v) The applicant shall be responsible to give information to the Director or the authorized officer before one week of the commencement of the building construction and at interval of every six month in case the building is under construction and work is in progress.(Form-'G')
 - (vi) The status of compliance of the advice in the building under construction, given in the provisional no-objection certificate shall be checked by the Director or authorized officer. In case of the lack of compliance of the conditions of the provisional no-

objection certificate or deviation from conditions, instructions in writing shall be given to the builder to rectify the concerned deficiency. (Form-'H')

(g) Final No Objection Certificate: -

- (i) After completion of building construction work in all respect, the information of completion of building construction shall be given by the owner /concerned paneled architect / engineer to the authority under rule 15(2) of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time** as well as to the Director or authorised officer in the light of provisional non-objection certificate. (Form-'I')
 - (ii) Fire safety measures and equipments installed in the said building shall be checked by the Director or the authorized officer himself or through the officers authorized by them in the light of the provisional no-objection certificate and other fire safety measures required for the time being. In case where fire safety arrangement is found satisfactory, final no objection certificate shall be issued (Form-'J') otherwise instructions may be given for taking necessary fire safety measures in which the installation of equipments is included, the compliance of which shall be compulsory. (Form-'K')
 - (iii) After receipt of the information of the completion of the building construction, the Director or other officer authorized by the Director General, will be in the committee constituted by the Authority for enquiry for issuance of the occupancy certificate who shall give written comment with respect to the necessary passive and active fire safety system for fire safety.
- (h)** The provisional or final no-objection certificate shall be valid only to the extent of concerned occupancy class, occupant load and details mentioned in the applicant's application form. In case of any change in the building category it shall be necessary to obtain fresh no-objection certificate.
- (i)** Any type of building, constructed or under construction, for which no-objection certificate is required, but the said certificate is not obtained, then Director General or any authorized member of the Fire Service shall take cognizance and after duly conducting the fire audit shall instruct the concerned builder to ensure the fire safety measures according to the provisions as well as shall inform the concerned body /Authority. (Form-'L')
- (j) Renewal of No-Objection Certificate: -**
- (i) The fire prevention and safety no-objection certificates issued by the Director or other authorized wing, except in case of cancellation of the said certificate, shall be valid for five years for residential buildings (other than hotels) and three years for hotels, restaurants, shopping malls, educational institution, health institution and all other non-residential buildings. The said validity for the buildings of hazardous category shall be of two years. The renewal of license may be done for five years for residential buildings (other than hotels) and in another cases

(except the buildings of hazardous category) for three years and for the buildings of hazardous category this period shall be of two years, but at the time of renewal, the validity period of license may be changed by the Director General. It shall be mandatory for renewal of the cinema hall's license to attach this no-objection certificate.

- (ii) For the renewal of the no-objection certificate issued by the Director or other authorized wing, the building owner or occupant shall apply in the prescribed (form 'M') 45 days before the expiry of the license period, and the Director or other authorized wing, after necessary enquiry and inspection and being satisfied with the compliance of prescribed standards of fire prevention and safety, may renew the no-objection certificate. (Form-'N')

(k) Cancellation of No Objection Certificate: -

- (i) The no objection certificates may be cancelled by issuing authority by order in writing in case of omission by the building owner / occupant, in maintenance of fire prevention and safety measures as per the condition of no-objection certificate, (form-'O'). A copy of the order shall be given free of cost to the owner or occupant of the building, as the case may be.
- (ii) In case of cancellation of no-objection certificate, the building shall not be used for public or commercial purposes.
- (iii) In case of cancellation of no-objection certificate, an appeal may be filed accompanied with the copy of the order, by the building owner or the occupant, within 90 days, to the Competent Appellate Authority, who after giving proper opportunity of hearing, may confirm, revoke or modify the order. (form-'P')

16. General remedies for fire prevention and self-regulation: -

- (a) In case of buildings not constructed or used according to the provisions of the National Building Code, 2016 **as amended from time to time** and Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, related to fire safety for buildings or premises of different categories; manufacture, processing, storage of various types of combustible, explosive, poisonous, irritant, corrosive, toxic materials in the occupancy; non-compliance of the IS 8758:1993 in the construction of pandal and non-compliance of other standards for the time being prescribed, shall be considered as factor of risk of fire under section 25 (1) of the Act.
- (b) Director General may identify other related factors according to local conditions and immediate requirement.
- (c) Government, after consultation with the Director General may declare in the Gazette, other related factors identified as risk of fire.
- (d) The Director General, may instruct the owner of building or premises or occupant or both or erector of pandal, for compliance of measures to remove immediate related factors of fire risk under section 25 (2) of the Act.
- (e) The Government, after consultation with the Director General, may issue general or specific instructions by notification regarding fire prevention and fire safety to be adopted by the owner of building or premises or

occupant or both or erector of pandal, as the case may be, under section 25 (2) of the Act,

17. Standards for fire prevention and safety of buildings and premises -

- (a) For the purpose of section 25 (2), 27, 32, 34 and 35 of the Act, the National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time** and the standard prescribed under other rules for fire prevention and safety of building and premises shall be applicable.
- (b) Compliance of minimum standard for fire prevention and safety of building and premises shall be done by the owner or occupant or both of the concerned building himself. The information regarding status of compliance shall be made available to the concerned Fire Officer at prescribed interval in Self Assessment Form (Form-'Q'). The Director may modify the Self Assessment Form as per the requirement.

18. Standards for fire prevention and safety of Pandal-

- (a) For the purpose of section 25, 26 and 27 of the Act, the standard prescribed under the IS 8758: 1993 published by the Bureau of Indian Standards, New Delhi and the standards prescribed under other rules for fire prevention and fire safety of pandal shall be applicable, compliance of which shall be done by the concerned pandal erector himself. (Schedule - 'E')
- (b) For the purpose of section 26 (2) of the Act, the erector of pandal shall submit declaration regarding pandal safety to the Fire Station Officer as well as exhibit it, at the doors and other conspicuous places of the pandal. (Form-'R')
- (c) (i) **For Pandal upto 1000 sq. ft. area the verification of the declaration of the erector of pandal by the Director or Designated Officer shall not be mandatory.**
- (ii) **For Pandal from 1001 sq. ft. to 5000 sq. ft. area the verification of the declaration of the erector of pandal may be carried out by the Director or Designated Officer if required.**
- (iii) **For Pandal above 5001 sq. ft. area the verification of the declaration of the erector of pandal by the Director or Designated Officer shall be mandatory.**

In case of finding of any type of deficiency in fire safety measures, notice for removing the deficiency found, otherwise pandal may be sealed after the stipulated period, shall be given (Form-'S').

The erector of the Pandal may upload his declaration on the website of Bihar Fire Service.

- (d) The fire safety management such as securing clothes etc. to be used in erecting of pandal by using fire retardant solution, work related with safe installation of electrical appliances shall be part of the tender since the time of preparation for organizing of large public function in which arrangement for lodging and food for thousands of people, tent city and community kitchen (langer) is made. No Objection Certificate from Fire Services and energy Department is essential for such functions.

19. Removal of encroachment or things or goods as probable factor of any obstruction in fire fighting or fire risk: -

- (a) If it appears to the Director or Designated Officer that presence of anything or goods or encroachment in any building or premises or pandal or in the vicinity, as probable factor of fire risk and will cause fire incident or obstruction in fire fighting, then he shall instruct the owner of the aforesaid building or premises or occupant or erector of pandal or owner of the things and goods to remove the above things or goods or encroachment, immediately or within stipulated period under section 27 of the Act.(Form-'T')
- (b) In case of failure to comply with the instructions of the Director or Authorized Officer, by the owner or occupant of the building or premises, or pandal maker, the information shall be given to the Sub-Divisional Magistrate of the concerned area for taking legal action against them.(Form-'U')
- (c) The Sub-Divisional Magistrate, may pass a reasonable order and ask the owner or occupant of the building or premises, or pandal maker to show cause.(Form-'V')
- (d) In the event of non-receipt of show cause from the owner or occupant of the concerned building or premises, or pandal maker, or show cause is found unsatisfactory, the Sub-Divisional Magistrate, enlisting the concerned encroachment or thing or goods or pandal, may order any public servant or personnel to confiscate or seize or remove. (Form- 'W')
- (e) After passing of the said order, the Sub-Divisional Magistrate caused the preparation of seizure list of those things and goods as per list for confiscation, may keep the seized things and goods at any place, where he deems fit. (Form - 'X')
- (f) Thereafter, notice shall be given for auction, if the order for removal of seized things from the place where it is kept after seizure, will not be non-complied with within stipulated time. In case of non-receipt of reply of notice or reply is found unsatisfactory, the things or goods, will be auctioned and the sale proceed will be disposed of as per law. (Form - 'Y').
- (g) An appeal against the order of Sub-Division Magistrate may be filed by the affected person before the Appellate Authority within 30 days. (Form - 'Z'). Fee for appeal shall be prescribed by the Appellate Authority.

20. Appointment and training of Fire Safety Officer: -

- (a) The building and premises, for which provisions have been made under Section-29 of the Act, for appointment of Fire Safety Officer, shall be identified and default or negligence in appointment of Fire Safety Officer shall be inquired into by the Fire Department as well as the concerned Body/ Authority.
- (b) Under the section 29 of the Act, the Director or the Nominated Authority may direct for appointment of Fire Safety Officer, within the period specified in the notice, by giving notice to the owner or occupant or the association of owner or occupants of the identified building or premises.(Form- A-1').
- (c) Under Section 30 of the Act, the Fire Safety Officer appointed by the occupants of the building/premises or their association, who has not been

trained, earlier, in National Fire Service College, Nagpur or in any equivalent institution recognized by the Government, if they do not get training in Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, then the Director or the Nominated Authority shall give notice to the occupant or their association, of the building/premises for required training (Form - 'A-1').

- (d) In case of default in making appointment of Fire Safety Officer, even after notice, under section 29 of the Act, the Director or the Nominated Authority, shall give notice to the concerned for imposition of penalty in the light of sub-section (2) of Section 31 of the Act, (Form - 'B-1').
- (e) The imposed fine shall be recovered from the owner or occupant or their association, of the building, defaulting or neglecting in the appointment of Fire Safety Officer, as land revenue arrear by the Body or Authority of the concerned area, in the light of sub-section 3 of Section-31 of the Act, at the prescribed rate under sub-section-2 of Section-31 of the Act.
- (f) In case of non-submission of certificate regarding Fire Safety Officer being trained, within 30 days of receipt of the notice, or in case of non-nomination for training in Fire Training Academy, Anandpur, Bihta, the penal fee at the rate of five thousand rupees per month shall be recoverable. The said penal fee shall be recovered by the Municipal Body/ Authority of the concerned area.
- (g) Under Section 30 of the Act, the Fire Safety Officers in Fire Training Academy shall be imparted training on the basis of the syllabus for mulated by the Principal after consultation with the Director General and on payment of training charge prescribed in Schedule-'F'. The training charge shall be paid by the concerned trainee or sponsoring person or institution.

21. *Fire Adviser-*

- (a) The Fire Adviser to advice the Government or non- government institutions or person, for the fire prevention and fire safety in the building may be registered under section 32 of the Act (Schedule-'G').
- (b) The consultation fee may be determined by the Director General, after consultation with the Director, on the basis of total floor area of all stories of building or premises and category of building.
- (c) The Fire Adviser may give advice on the fire safety provisions in building plan, for providing required fire safety measures during building construction/ completion of building construction, fire audit report of buildings etc. The No-Objection Certificate may be renewed on the basis of his certificate.

22. *Fire Audit: -*

- (a) Notice of under section 33 & 43 (1) of the Act, shall be issued to the owner of the concerned building or premises by the Fire Station Officer or his superior officers, for inspection of the building or premises to determine the adequacy, inadequacy or violation of fire prevention and fire safety measures in the building or premises (Form- 'C-1') Notice may be served personally or by registered post or through the process prescribed in Criminal Procedure Code, 1973 for service of summon.
- (b) Under section 33 and 43 (2) (3) of the Act, Fire Audit of the building may be conducted in the light of the National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended**

from time to time and other rules for the time being in force. **In different category of building, the Fire Audit should be done on the basis of priority, first of all hospitals and after that educational institutions.** In addition to this, the owner of the concerned building or premises may be required to take responsibility of deficiency found in fire prevention and fire safety and advised in Form-'D-1' to remove such deficiency. The concerned form may be modified by the Director.

- (c) Old existing buildings:-Under section 33, 34, 35 & 43 (1)(2)(3) of the Act, it will be necessary for the owner or occupant or their association, of the concerned building or premises, to comply with the advice given by the Director or the Authorized Officer, for providing minimum fire safety measures in the old existing buildings for which no objection certificate regarding fire prevention and fire safety measures has not been obtained.(Schedule-'H').
- (d) After Fire Audit of the building or premises by the Director or on receipt of the Fire Audit Report of Fire Station Officer or other officer, notice under the section 34, 35 & 43 (2) of the Act, shall be given, by the Director to the owner of the building or premises, after recording his opinion regarding deficiency in fire prevention and fire safety measures in the concerned building or premises and advice regarding taking of the responsibility by the owner of the building and premises for the deficiency and the removal thereof within a reasonable period.(Form-"E-1")
- (e) The person aggrieved with the order under sub-rule -"b" mentioned above may file an appeal, under section 36 of the Act. (Form - 'F-1')
- (f) Under sub-section-2 of section 36 of the Act, Rs. 1000 /- shall be payable as appeal fee for each appeal, which shall be payable to the Director-cum-State Fire Officer, Bihar, Patna by his designation through Bank Draft or Treasury challan.
- (g) It shall be responsibility of the builder to ensure that all the measures regarding fire prevention and fire safety has been provided in the concerned building/premises at the time of handing over the building or premises to the owner or occupant of the building/premises. In case of finding of default in this regard, action may be taken against the builder under the law and rules for the time being in force.
- (h) The whole responsibility to maintain the fire prevention and fire safety measures in building/ premises under Bihar Apartment Ownership Act, 2006,shall be of the owner/ occupants/ association of the occupants of the building.
- (i) In the light of the above mentioned sub rule-'b', 'c' and 'd', in case of not removing the inadequacy found in fire prevention and fire safety measures by the building owner or the occupant,penalaction under section -37 of the Act, notice for vacating, sealing of the building or premises under section 44 of the Act, (Form-'G-1'),action to seal the building or premises (Form-'H-1') or action regarding submission of written report to the Body or Authority for taking lawful action for declaring the concerned building or premises unsafe under the provisions prescribed in sub rule (7) of rule 16 of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time** may be taken (Form-'I-1'). At the same time, action may be taken by the

Prescribed Authority under the powers conferred by other Act / Rules for the time being in force or under the administrative order.

- (J) In case of not providing required fire safety arrangements, collective fine shall be leviable on the owners/occupants or both of the multi-storied building, which shall be double of the fee prescribed for provisional no-objection certificate on the basis of the fire sensitivity category of the building.
- (k) The fire audit of the buildings may be conducted by the owner of the building / premises by the Fire Consultant registered with the Fire Service, or by the authorized officer of the Fire Service at the pre fixed rate.

23. Sufficient and uninterrupted supply of water to control fire: -

- (a) **To take care of environmental balance along with disaster management in the context of "Jal Jeevan Haryali" Program, firstly, surface water source like- River, Pond and well etc. will have to be used only.**

Ground water source will be used only in case of unavailability of the said water source.

- (b) Not with standing any contrary Act or Rule for the time being in force, the Director may require for hydrant of minimum 100 mm diameter at the strategic location of the public or private water source, from the authority having jurisdiction over such area.
- (c) Water pressure on hydrant will not be less than 3.5 bar.
- (d) The identification plate exhibiting the size of each hydrant and water source shall be affixed by the owner or the occupant of the concerned building/ premises and all other hydrants and water source will be maintained by the concerned authority.
- (e) Co-ordination with panchayats for identification of water resources (including public and private water resources) at village/ panchayat level and in case of fire, for supply of water at adequate places through motor pumps.
- (f) To ensure, the uninterrupted water supply for fire fighting in all government and public buildings.

24. Constitution of Fire Engineering cell.—Fire Engineering Cell shall be constituted in the Departments/Units engaged in building construction work, such as Building Construction Department, Health Department, Urban Development Department, Education Department, Bihar Police Building Construction Corporation etc. There shall be one cadre for all departments which shall be constituted and controlled by the Fire Service. The members of Fire Service may be deputed in the concerned Department/Units. Technical advice and guidelines on fire safety may be provided by this Cell to the public and builders during the construction of the buildings. The Director General may change the constitution and duty of the Fire Engineering Cell as per requirement.

25. Fire report-

- (a) The fire report of each fire incident shall be uploaded by the Bihar Fire Service on its website **minimum 5 working days and maximum 10 working days** after the extinguishing of the fire.
- (b) Any affected person may obtain this report from the Fire Directorate or Field Officer according to the direction of the Director General at that time within office period (Form-'J-1').

- (c) If the building owner or the occupant desires any amendment in the fire report so issued, then he may give application, with reasons, to the Competent Authority within 15 days of the fire incident (Form-'H-1'). The Competent Authority, after giving opportunity of hearing to the person concerned, within 30 days of the receipt of the application, may, with reasons in writing, allow the application and rectify the fire report or disallow the application.

Chapter -V

Fire tax, fees and other charges

26. Under the sub-section (2) of section 20 of the Act, at the rate of two and a half percent of the property tax charged by the local authority from all the buildings including all the residential and mercantile buildings situated in their jurisdiction, or at threat determined by the Government time to time. The fire tax will be charged under the procedure prescribed by the Body/Authority related to recovery of tax.

- 27.** (a) Under rule 15 (d) and 22 (k) of the Rules, under sub-section (1) of section 20 and section 33/34/35 & 43 (2) (3) of the Act, Bihar Fire Service may collect fee at the rate prescribed in Schedule-'C', for the provisional no objection certificate, final no objection certificate, renewal of no objection certificate, annual fire audit and fire consultation from all the buildings of Government or semi Government or other under takings and non Government buildings, in its jurisdiction .
- (b) The changes in the fixed fee rate may be done by the Government or Competent Authority. The collection of fee will be done under the procedure prescribed by the Government or the Competent Authority.
- (c) The payment of the fee may be done through the bank draft or treasury challans in the name of the designation of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna.
- 28.** (a) Under sub-section -01 of section 22 of the Act, the prescribed fee will be payable in case of deputation of the members of the Bihar Fire Service, with the necessary equipments, outside of the State jurisdiction. A demand letter may be given in Form-'L-1' to the concerned Authority, regarding payment of deployment fee. (Schedule-"I")
- (b) The changes in the fixed fee rate may be made by the Government or the Competent Authority.
- (c) The payment of the fee may be done through the bank draft or treasury challans in the name of the designation of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna.
- (d) The recovery of fee may be done under provisions of Public Demand Recovery Act, 1914.

29. No charge will be levied under section 22 of the Act where a valid agreement for deployment on the proportionate basis of members or equipment or additives or both of them of Bihar Fire Service, is applicable.

30. Under Section 29 and 31 of the Act, in case of defaults or neglect in appointment of Fire Safety Officers, payment of fees and penalties will be given to the Prescribed Authority of local jurisdiction at prescribed rates and under prescribed procedure.

31. Under section 30 of the Act, fees may be collected, in the case of defaults or neglect in compliance of prescribed provisions regarding the training of Fire Safety Officers, underprescribed rates and prescribed procedure.

32. Standby Charges on deputation at the individual level.—Fee will be payable, in case of deputation of members of Bihar Fire Service, along with equipments and additives, in any area where the Act is in force, as standby for a fixed period, during any public ceremony, at the request of any public or institution.(Schedule-'J')

33. Compounding of offenses.—Sections mentioned in section 54 of the Act and sub-section made under the Act, punishable offenses may be compounded by the officers of Fire Service as follow: -

- (a) (i) District Fire Officer may compound the penalty of Rs. 5000 / - (five thousand) including and up to.
- (ii) Divisional Fire Officer may compound the penalty of Rs. 10,000 / - (ten thousand) including and up to.
- (iii) Director General and Director may compound the offenses punishable by fine under the Act and Rules.
- (b) (i) Notice regarding the prescribed penalty fee, may be served in accordance with the prescribed provisions for the summon in the Criminal Procedure Code, 1973.
- (ii) The prescribed penalty charges will be deposited in Patna through the designation of the Director, Bihar Fire Service, in the form of bank draft or through treasury challans.

Chapter -VI Miscellaneous

34. Appeal.— Under this rule appeal against the order of any officer may be heard by the officers mentioned in column 3 of the list, against the order of officers mentioned in column 2, in case of non-availability of special provision regarding Appellate Authority for hearing of appeal.

Sl. No.	Officer against whose order appeal has been made	Appellate Authority
1	2	3
1.	District Fire Officer	Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer
2.	Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer	Director, State Fire Officer
3.	Director, State Fire Officer	Director General, Fire Service
4.	Director General, Fire Service	State Government

35. Bihar Fire Service Welfare Fund.— Bihar Fire Service Benevolent Fund will be constituted for the personal and family welfare of the personnel of Bihar Fire Service, which will be operated in accordance with the concerned byelaws made by the Director General.

36. Administrative Instructions.—After the prior permission of the Government, Director General may issue the administrative instructions in prescribed manner, as per necessity time to time, in respect of all the subjects related to the service.

37. Repeal and Savings.—All the rules / circulars and orders of the State Government, which are not covered under this Rule, will be applicable in toto. All other subjects which are not described in this Rule, the provisions of Bihar Police Manual, 1978 will be applicable. All the Rules / Orders / instructions before this will be deemed repealed but pending proceedings under all such Rules / Orders / instructions in force before, will continue as if this has not been repealed.

By order of Governor of Bihar,
Sd.-Illegible,
Under Secretary to the Government.

Chapter -VII

Forms and Schedules

38. List of forms : -

- (i) Under section-10(1) of the Act, under rule-06 of the Rules, appointment certificate will be given in Form-'A'.
- (ii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f)(i) of the Rules, Application form for Provisional Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate(with enclosures) will be given in Form-'B'.
- (iii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f)(i) of the Rules, Map and prescribed Check list related to building plan with application will be given in Form-'C'.
- (iv) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f)(i) of the Rules, Undertaking regarding compliance of provisions in different Act and Rules, Guarantee of expenditure in fire safety system and equipments and regarding others will be given in Form-'D'.
- (v) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f)(iii) of the Rules, Provisional No Objection Certificate will be issued in Form-'E'.
- (vi) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f) (iv) of the Rules, Instructions for remedy of default if default found in building construction scheme will be given in Form-'F'.
- (vii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f) (v) of the Rules, Information of work progress by the builder will be given in Form-'G'.
- (viii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (f) (vi) of the Rules, Instructions for remedy of default in case of finding of lapses in compliance of conditions in provisional no objection certificate or difference from conditions by the builder will be given in Form-'H'.
- (ix) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (g) (i) of the Rules, Information regarding completion of building construction to be given by the builder for obtaining final No Objection Certificate will be given in Form-'I'.
- (x) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (g) (ii) of the Rules, final No Objection Certificate will be given in Form-'J', after verification of the building following the receipt of information regarding completion of the building after finding that the construction is in accordance with the conditions of provisional No Objection Certificate.
- (xi) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (g) (ii) of the Rules, Notice to be given to the builder for remedy in case of not constructing building according to the conditions of provisional no objection certificate, found after verification of building after receipt

- of building construction completion information will be given in Form-'K'.
- (xii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (i) of the Rules, Notice for ensuring fire safety measures, to the owner of the building, constructed or under construction, without NOC will be given in Form-'L'.
- (xiii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (j)(ii) of the Rules, Application format to be submitted by owner or occupant of building for Renewal of No Objection Certificate will be given in Form-'M'.
- (xiv) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (j)(ii) of the Rules, Renewal of No Objection Certificate of building will be done in Form-'N'.
- (xv) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (k)(i) of the Rules, Notice for cancellation of No Objection Certificate of building in case of failure in maintenance of fire safety measures according to NOC will be given in Form-'O'.
- (xvi) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-15 (k)(iii) of the Rules, Appeal by owner or occupants of the building after cancellation of No Objection Certificate of building will be done in Form-'P'.
- (xvii) Under section- 2 (g) of the Act, under rule-17 (b) (i) of the Rules, Self-Appraisal Format to be submitted to the Fire Station Officer, by the owner or occupant or both of the building regarding minimum fire safety measures in the buildings will be given in Form-'Q'.
- (xviii) Under section- 26(2) of the Act, under rule-18 (b) of the Rules, Declaration regarding Pandal safety, to be exhibited by the Pandal erectors at the gate of Pandal and at main visible places will be exhibited in Form-'R'.
- (xix) Under section- 26(2) of the Act, under rule-18 (c) of the Rules, Notice to Pandal erectors for removing defaults or sealing of Pandal in case of defaults found in Fire Safety measures of Pandal will be given in Form-'S'.
- (xx) Under section- 27(1) of the Act, under rule-19 (a) of the Rules, Notice for removing things or goods or encroachment which are probable factors of fire risk or causing obstruction in fire fighting will be given in Form-'T'.
- (xxi) Under section- 27 of the Act, under rule-19 (b) of the Rules, Information to the Sub Divisional Magistrate, for legal action, in case of non-compliance of notice regarding removal of things or goods or encroachment which are probable factors of fire risk or causing obstruction in fire fighting will be given in Form-'U'.
- (xxii) Under section- 27(2) of the Act, under rule-19 (c) of the Rules, Show cause to be asked from the owner or occupant of the building or premises or Pandal erectors by the Sub-Divisional Magistrate after

- receiving information regarding non-compliance of notice for removal of things or goods or encroachment which are probable factors of fire risk or causing obstruction in fire fighting in Form-'V'.
- (xxiii) Under section- 27(2) of the Act, under rule-19 (d) of the Rules, Order of Sub-Divisional Magistrate regarding confiscation, detention or removal in case of non receipt of show cause served after default in removing probable factors of fire risk or received show cause found unsatisfactory will be given in Form-'W'.
- (xxiv) Under section-27 of the Act, under rule-19 (e) of the Rules, Seizure list of probable fire risk factors will be prepared in Form-'X'.
- (xxv) Under section-27(4)(5) of the Act, under rule-19 (f) of the Rules, Notice for auction of things or goods in case of non-removal of probable factors of fire risk from place kept after seizure and in case of non claim will be given in Form-'Y'.
- (xxvi) Under section-27(6)(7) of the Act, under rule-19 (g) of the Rules, Appeal by the affected person against auction of probable factors of fire risk items .will be done in Form-'Z'.
- (xxvii) Under section-29 of the Act, under rule-20 (b) of the Rules, Notice for appointment/ training of Fire Safety Officer will be given in Form-'A-1'.
- (xxviii) Under section- 29 and 31 of the Act, under rule-20 (d) of the Rules, Notice regarding imposition of penalty in case of default in appointment of Fire Safety Officer, in spite of notice served for appointment of Fire Safety Officer will be given in Form-'B-1'.
- (xxix) Under section- 33 and 43(i) of the Act, under rule-22 (a) of the Rules, Notice for fire audit of building or premises will be given in Form-'C-1'.
- (xxx) Under section- 33 and 43(2)(3) of the Act, under rule-22 (b) of the Rules, Check points for Fire Auditor different categories of buildings and notice for necessary action regarding compliance of fire safety measures after the audit will be given in Form-'D-1'.
- (xxxi) Under section- 34, 35 and 43(2) of the Act, under rule-22 (d) of the Rules, Notice to be given by the Director to the owner of the building or premises, after the fire audit conducted by the Director himself or by the Designated Officer, for removing the inadequacies found in fire prevention and fire safety measures, within appropriate period, after taking responsibility will be given in Form-'E-1'.
- (xxxii) Under section- 36 of the Act, under rule-22 (d) of the Rules, Appeal by the person affected by the notice served to the owner or occupant of the building premises will be given in Form-'F-1'.
- (xxxiii) Under section- 34, 35, 37 & 44 of the Act, under rule-22 (i) of the Rules, Notice to the building owner or occupant regarding the evacuation / sealing of the building or premises, in case of not

- removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant will be given in Form-'G-1'.
- (xxxiv) Under section- 34,35 & 44 of the Act, under rule-22 (i) of the Rules, Notice regarding sealing of the building after service of notice for evacuation of the building or premises, in case of not removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant will be given in Form-'H-1'.
- (xxxv) Under section 44 of the Act, under rule-22 (i) of the Rules, Notice to the building owner or occupant regarding further action for declaring the building or premises unsafe legally, under byelaws-16(7) of the Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, in case of not removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant/ related report to the concerned Body or Authority for legal action will be given in Form-'I-1'.
- (xxxvi) Under section- 2(g) of the Act, under rule-25 (b) of the Rules, fire report regarding fire incident will be given in Form-'J-1'.
- (xxxvii) Under section- 2(g) of the Act, under rule-25 (c) of the Rules, Application to be submitted by the owner or occupant of the building for amendment in the fire report regarding fire incident will be given in Form-'K-1'.
- (xxxviii) Under section- 22(1) of the Act, under rule-28 (a) of the Rules, Demand note to be submitted to the authority for payment of increased fixed deployment charges for deployment of members of Bihar Fire Service with equipments out of State jurisdiction will be given in Form-'L-1'.

39. List of schedule :-

- (i) Schedule - "A"- Under section-4, 5 (a) and 12 of the Act, under rule-9 of the Rules, Duties and Responsibilities of Officers / Employees of various cadres of Fire Service.
- (ii) Schedule - "B"- Under section-4, 5(a) and 12 of the Act, under rule-10 of the Rules, Standard Operating Procedure for Fire Station Officer & Operating Members.
- (iii) Schedule - "C"- Under section-2 (g), 20 (1), 33/34/35/43 (2) (3) of the Act, under rule-15(d) , 22(k) & 27(a) of the Rules, prescribed rate of fee for provisional No Objection Certificate, final No Objection Certificate, renewal of No Objection Certificate, Annual Fire Audit & Fire consultation.
- (iv) Schedule -"D"- Under section-2 (g) of the Act, under rule- 16(e) of the Rules, Procedure of Online No Objection Certificate.
- (v) Schedule - "E"- Under section-25, 26 & 27 of the Act, under rule-18(a) of the Rules, fire safety measures during construction of pandal

- & temporary structures (Indian Standard Bureau, I.S. 8758-1993) & procedure of preparation of fire retardant pandal/ availability of materials.
- (vi) Schedule - "F"- Under section-30 of the Act, under rule- 20(g) of the Rules, prescribed rate of training fee for training of Fire Safety Officers in Fire Training Academy.
 - (vii) Schedule - "G"- Under section-32 of the Act, under rule-21of the Rules, Rules / Application /Fee etc. for registration of fire consultant .
 - (viii) Schedule - "H"- Under section-33, 34,35 & 43 (1)(2)(3) of the Act, under rule-22(c) of the Rules, Advice regarding minimum fire safety measures in existing buildings.
 - (ix) Schedule - "I"- Under section-22(1) of the Act, under rule- 28(a) of the Rules, Prescribed charges payable in case of deputation of members of Bihar Fire Service with necessary equipments out of State jurisdiction .
 - (x) Schedule - "J"- Under rule- 32of the Rules, standbyduty charges on deputation of members of Bihar Fire Service with necessary equipments and instruments during any public ceremony, on request of any person or institution .
 - (xi) Schedule - "K"- Under section-3,4,5(a), 6 &9 of the Act, under rule- 04 of the Rules, Organizational structure of Bihar Fire Service.

FORM--A**Appointment certificate**

(Under sub-section (1) of section 10 of the Bihar Fire Service Act, 2014, under rule 06 of the Bihar Fire Service Rules, 2021).

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna

Letter number.....

Dated

It is certified that Shri

Father's Name

Residence

Passport size
photo of the
member, attested
by the Assistant
Director

Whose photograph is located in the right part of the certificate, has been appointed on the post.....under the Bihar Fire Service Act, 2014 (Bihar Act 6, 2014) and has been vested with powers, privileges and immunities of the member of Bihar Fire Service with the effect from the date,

The date of compulsory retirement of is(date)

Name and signature of the member by whom attested

Location: Patna

Director
Bihar Fire Service.

FORM--B**Application for Provisional No Objection Certificate (with enclosures)**

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f)(i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Ref no.-

Date.....

From,

.....
.....

To,

The Director,
State Fire Service,
Bihar, Patna.**Sub:- For Provisional fire prevention and fire safety no objection certificate for building construction.**

Sir,

I/We am/are proposing for building construction which shall be started only after clearance from concerned Authorities. As per requirement of Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021, Bihar Building Bylaws 2014 **as amended from time to time**, National Building code, 2016 **as amended from time to time**, I / we require fire prevention & fire safety no objection certificate. I / We swear to abide by all the provisions of fire prevention and fire safety measures provided in all concerned Acts and Rules and follow the guidelines given as per local requirements.

I/ We request for Provisional Fire prevention and fire safety no objection certificate for proposed construction of building as per following details-

1. Details of Plot marked for proposed building construction:-

(a) Area (in sq. meter)-	(b) Name of mauza/Ward No-
(c)MS/CS/Plot No.-	(d) Khata No./Sheet No-
(e) Tauji No./Circle No.-	(f) Thana No./Mohalla-
2. Name of concerned Police Station/District-
3. Name of concerned Fire Station-
4. Route details to approach on the proposed construction site-
5. Nearest source of water with distance (river/lake/pond/well/municipal water source/public-private water hydrants).
6. Designation and Address of Licensing Authority issuing building permit to whom NOC has to be sent-
7. Name and Address of Land Owner (property-own/rented/leased)
8. Name and Address of Architect with contact No./fax/e-mail id etc.-
9. Name and Address of Builder with contact No./fax/e-mail id etc.-

.....
Signature

Enclosure with application

A. Building Plan--

1. Two Sets of building plan (Not less than 1:200 scale) signed by a qualified Civil or Structural Engineer, an Architect and the Owner/Builder, showing abutting Street, dead end, occupancy of all parts/ floors, air-conditioner and dampers, stair cases, corridors, lifts, ramps.
2. 2 sets of Site plan duly marked open places on all sides.
3. 2 sets of Floor wise plans including Basements/ Stilts duly marked fire safety systems
4. 2 sets of Terrace plans
5. 2 sets of Section plans of two sides.
6. 2 sets of Elevation plans of two sides.
7. Two section drawings, through stairs (NBC-Part 2-12.2.5.1.b/c)
8. Bank draft of Fixed charges for NOC.

B. Checklist -

9. Neatly typed check list without any corrections and interpolations.

C. Undertakings-

10. Affidavit /Undertaking regarding followings-
 - (a) Compliance of instructions as per provisional NOC.
 - (b) Information regarding commencement of work.
 - (c) Submission of periodical progress report.
 - (d) Submission of completion certificate of construction in all respect.
 - (e) Receiving of final NOC for taking occupancy certificate.
 - (f) Maintenance of fire fighting equipments.
 - (g) Training of staff & occupants to carry out regular mock drill.
 - (h) Calling for periodical fire audit.
 - (i) Submission of estimates towards the provision of fire safety systems and 15% of the estimate of Fire Safety System as Bank Guarantee.
 - (j) Compliance of National Building Code of India, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021, Bihar Municipality Act, 2007 and all applicable Building Laws/ Rules/ Regulations/Guidelines as per local situations.

FORM-C

CHECK LIST RELATED TO BUILDING PLAN

(For provisional NOC/Final NOC)

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f)(i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Abbreviation-National Building Code of India, 2005 Part-4(NBC-p-4)/National Building Code of India, 2016 as amended from time to time Part-4(NBC-P-4)/Bihar Building Byelaws, 2014(BL) as amended from time to time, Provisions in National Building Code of India, 2016 as amended from time to time will prevail over National Building Code of India, 2005, which has been referred only for guidelines.

1	Type of proposed building occupancy -						Proposed / complete/ N.A.
2	Type of Sub- Occupancy -						
3	Name of Proposed Building-						
4	Height of proposed building from ground level Ref- NBC-P-4-3.4.4 /Table-7					(in meters)	
5	Height of Construction in surroundings of proposed site (The minimum distance between two buildings will not be less than 1/3 of the height of the taller building or 18 meter whichever is lower(BL-7)).					Direction	Meters
						North	
						South	
						East	
	West						
6	Distance of building from Electric Lines (BL-31)					Vertical	Meters
						Horizontal	Meters
7	Covered area of proposed building						Sq. meters
	Total built- up area of all floors including basements and stilts (in sq meters)						sq. meter
8	A Number of floors -						
	B Number of Basements -						
	C Number of Stilts/Ground Floor						
	D Number of Blocks -						
	E Average Occupant load per floor						
	F	Floor	Area in Sq. Meters.	Classification of occupancy	No. of Occupants as declared by the Builder	No. of Occupants based on Table of NBC i.e., floor area divided by occupant load	Total Aggregate width of Stair case in Meters. (as declared by the Builder)
		Basement-1					
		Basement-2					
		Stilt-1					
		G Floor					
		Stilt-2					
		Floor-1					
		Floor-2					

		Floor-3						
		Floor-4						
		Others						
9	Means of Access							
	A	Building abutting to road- Number of Roads,the premises is abutting..						
	B	Abutting Street (Name and width) : (The Abutting Road width should be minimum 12 ft/20 ft.—BL-33, 34. (nbc-p-3-4.6.a;4.8/ p-4-7.4.1.a)	Abutting Street Name-					
			Abutting Street 1 (Width in meters)					
			Abutting Street 2 (Width in meters)					
	C	Whether it is hard surfaced and motorable :						
	D	Whether terminating in dead end (nbc-p-3-4.7;/ p-4-3.4.6)						
10	A	Access /Open space and set back front and other 3 sides of the Block: (BL-35,36,37)(nbc-p-3-4.6:4.2.4.6 8.2.3.1:8.4.1:9.4.1.a/p-4-3.4.6:5.1.6:7.4.1)	Side	Meters				
North								
South								
East								
West								
	Front side direction		East/West/North/ South					
	B	Motorable access to and around building and turning radius at building Corners. (nbc-p-2-12.2.5.1.a / p-3-4.6/7)						
	C	Approach to building. and6 metersaccess space on all sides shall be hard surfaced for movement of 45 ton fire vehicles. This space of 6 meters for access shall be maintained free of parking and kept free of any obstructions, structures or fixtures up to height of 4.5 meters above which 1.25 meters. Unenclosed balconies are allowed.						
	D	If water tank or bridge, has roof and it is in access route then the roof should withstand a load of 45 ton fire vehicle. (nbc-p-4-5.1.6)						
	E	The open space around a building shall be in accordance with building height. It shall be kept in mind that maneuvering of fire vehicle for fire fighting and rescue is ensured.						
	F	Minimum driveway for movement of fire tenders and aerial ladders around the building shall be available :						
	G	The compulsory open spaces around the building shall not be used as parking space.						
	H	In order to ensure easy entry and exit of fire vehicles the main entrance and exit gate shall be minimum 4.5 meters width and 5 meters height. There shall be no obstruction of required height clearance (5 meters.) all along the driveway. This is the minimum height needed for free movement of large fire tenders, and especially the large aerial ladders.						
11	Car parking :(nbc-p-2-12.2.51.g/ p-3-10/Appendix .B)		Details	No. of Cars				
Basement								
Stilt								
Ground floor								
12	Projections into open space:-		direction	Meters				
Front								
Side 1								
Side 2								
Rear								

13	Entrances/Exit-(nbc-p-3-4.6)							
	A	Number of entry doors						
		Number of exit doors						
	B	Entrance/Exit details –		Entrance Abutting	Road side width in meters.			
				Entrance 1				
				Entrance 2				
C	Head room clearance.....		meters.					
14	STAIRCASES :							
	A	No. of Internal staircase		(Minimum 1)				
	B	No. of External staircase		(Minimum 1)				
	Internal Staircase (NBC-P-4-4.4.2.4.3.1/ 4.4.2.4.3.2 / 4.4.2.4.3.3)							
	A	No. and width of internal staircases (nbc-p-4-4.9.6)	No. of Staircase	Location		Width of Staircase Inmeters.		
From floor no.				To floor no.				
1								
2								
3								
			Others					
	B	Width of the Treads (nbc-p-4-4.9.7)			cm			
	C	Height of the riser (nbc-p-4-4.9.8)			cm			
	D	Number of riser (nbc-p-4-4.9.9)			per flight			
	E	Height of the hand rails (Hand rails at 100 cm height)(nbc-p-4-4.9.9)			meter.			
	F	Gap between two verticals...			cm			
	G	Head room clearance ...			meter.			
	H	Construction should be with non-combustibles materials (NBC- p-4-4.9.1)						
	I	There shall be a self contained unit along with at least one external wall and should be completely enclosed. (NBC- p-4-4.9.2)						
	J	It shall not be around lift (NBC- p-4-4.9.3)						
	K	It shall be so designed that the number. of people in between floor landings, is not less than those on each floor. (NBC- p-4-4.9.10)						
	L	No electrical panels/ AC ducts or gas pipes shall be allowed in staircase(NBC- p-4-4.9.4/10f)						
	M	Access to stairs shall be through two hours. rated fire/ smoke door (NBC- p-4-4.9.10b)						
	N	Travel distance						
		1	Distance from the farthest point ...		meter.			
		2	Distance from the turning dead-end of the corridor to the staircase.....		meter.			

	External staircase (NBC-P-4-4.4.2.4.4.3)						
	A	No. and width of staircase (minimum one)	No. of staircases	Location		Width of staircase in meters.	
				From floor no.	To floor no.		
			1				
			2				
			3				
			Others				
	B	Width of the Treads				cm	
	C	Height of the riser				cm	
	D	Number of riser ...				per flight	
	E	Height of the hand rails ...				meter.	
F	The gap between two verticals...				cm		
G	Head room clearance ...				meter.		
H	It shall terminate at Ground/ Stilt floor only. It should not extend to the basement. It shall have remote and separate gate entrance from the internal staircase.						
I	Pressurization of staircase : (NBC-P-4-4.2.5)						
	The pressurization of staircases shall be adopted for high rise buildings and building having mixed occupancy / multiplexes having covered area more than 500 m².						
15	Exit Doorways : (NBC-P-4-4.2.4.1)						
	Every exit doorway having width as per occupancy class requirements shall open into an enclosed stairway or a corridor or a horizontal exit for transit or providing continuous and protected means of egress.						
16	Ramps :(NBC-P-4-4.4.2.4.3.5) (NBC- p-4-4.14/ p-3-10)						
	A	Number of Ramps-					
	B	Width	Ramps		Width of ramp in meters.		
			Ramp 1				
			Ramp 2				
	C	Steep should not be more than 1 in 10 and in no case 1 in 8. Surface to be skid proof					
17	Lift- (NBC-P-8-7.1. to 7.2.4/ NBC-P-2-Annexure-E) (NBC- p-4-Annax-C-1.5)						
	A	No. of passenger lift and capacity		No.	Capacity(kg)		
				1			
				2			
				Others			
	B	No. of service liftand capacity		No.	Capacity(kg)		
				1			
				2			
				Others			

C	Lift motor room shall be located preferably on top of the shaft and separate from the shaft by the floor of the room. However, for M.R.L. Lifts, this is not applicable.				
D	Landing doors in lift enclosures shall have a fire resistance of not less than 1 hour.				
E	The number of lifts in one row for a lift bank shall not exceed 4 and the total number of lifts in the bank (of two rows) shall not exceed 8. A wall of 2 hour fire resistance shall separate individual shaft in a bank.				
F	Lift car door shall have a fire resistance rating of half an hour.				
G	Collapsible gates shall not be permitted for lifts and shall have solid lift doors with fire resistance of at least 1 hour.				
H	If the lift shaft and lobby is in the main portion of the building, a positive pressure of 50 Pascal shall be maintained in the lift shaft. The mechanism for pressurization shall act automatically with the fire alarm; it shall be operable mechanically also.				
I	Exit from the lift lobby, if located in the main portion of the building, shall be through a self-closing smoke stop door of half an hour fire resistance.				
J	Lifts shall not normally communicate with the basement; if, however, lifts are in such communication, the lift lobby of the basements shall be pressurized with self-closing door as above.				
K	Switch(es) at ground floor level, shall be provided on all the lifts to enable the fire service from ground to the lifts.				
L	Telephone or other communication facilities shall be provided in lift cars for building of 30 m height and above. Communication system for lifts shall be connected to fire control room for the building.				
M	Suitable arrangements, for providing slope in the floor of lift lobby shall be made to prevent water, used during fire fighting at any landing, from entering the lift shafts.				
N	A sign shall be posted and maintained on every floor at or near the lift indicating that in case of fire, occupants shall use the stairs unless instructed otherwise. The sign shall also contain a plan for each floor showing the locations of the stairways.				
O	Alternate source of power supply shall be provided for all the lifts through a manually operated changeover switch.				
18	Fire Lift- (NBC-P-2-4.4.2.5)(NBC- p-4-annex-C-1.5)	No.-.....			
	A	Minimum one Fire Lift with capacity not less than 545 kg/8 persons lift for every 1200 sq. meters. area.	Details	Capacity	
			Fire Lift1		
			Fire Lift2		
	B	For every type of high rise buildings, fire lift is essential. Following details shall apply for a fire lift :-			
	1	To enable fire services personnel to reach the upper floors with the minimum delay, one fire lift per 1200 sq meter of floor area shall be provided and shall be available for the exclusive use of the fireman in emergency.			
	2	The lift shall have a floor area of not less than 1.4m². It shall have loading capacity of not less than 545 kg (8 persons lift) with automatic closing doors of minimum 0.8m width.			
	3	The electric supply shall be on a separate service from electric supply mains in a building and the cables run in a route safe from fire, that is , within the lift shaft. Lights and fans in the elevators having wooden paneling or sheet steel construction shall be operated on 24 V supply.			

	4	Fire fighting lift should be provided with a ceiling hatch for use in case of emergency, so that when the car gets stuck, it can be easily opened.	
	5	In case of failure of normal electric supply, it shall automatically trip over to alternate supply. For apartment houses, this changeover of supply could be done through manually operated changeover switch. Alternatively, the lift shall be so wired that in case of power failure, it comes down at the ground level and comes to stand still with door open.	
	6	The operation of a fire lift is by a simple toggle or two-button switch situated in a glass-fronted box adjacent to the lift at the entrance level. When the switch is on, landing call-points will become inoperative and the lift will be on car control only or on a priority control device. When the switch is off, the lift will return to normal working. This lift is usable by the occupants in normal times.	
	7	The words 'Fire Lift' shall be conspicuously displayed in florescent paint on the lift landing doors at each floor level.	
	8	The speed of the fire lift shall be such that it can reach the top floor or any refuge floor from ground level within 1 min.	
19	Refuge area : (NBC-P-2-3.4.5.5/Annexure-E-4) (NBC- p-4-4.12.3 & appendix-D) At floor No-.....		Sq. Meters.
20	Fire Tower- (NBC- p-4-3 and 4.13)At height-Meters		
21	Arrangement of Exits and <u>Other Exit Requirements</u> : (NBC-P-4.4.2 / 4-4.4.2.2 / 4.4.2.3) (NBC- p-4-4 Appendix-C)		
	A	Exits shall be so arranged that the travel distance on the floor shall be within the stipulated limits as per National Building Code for a particular class of occupancy and should not be more than half of that travel distance from the dead end of a corridor with the exception that for assembly and institutional occupancies it shall not exceed 6 meters.	
	B	Lift and escalators shall not be considered as exits.	
	C	Every public place to have sufficient safe exits – without passing through another occupied unit.	
	D	Capacity (aggregate width) of exits shall be based on occupant load (in the affected floor (s)) and occupants that can be safely evacuated per 50 cm of exit.	
	E	Fire-check doors for fire resistance of two hour to prevent spread of fire/ smoke, in escape routes, particularly at entrance to lifts and stairs which are prone to fire /smoke effect.	
	F	Number of persons within any floor area or occupant load shall be based on actual.	
	G	Travel distance of exit stairs should be according to occupancy. These should be at distance to one another and should provide exit in different directions. For basements travel distance should not exceed 15 meters.	
	H	For continuous safe exit, it shall open into corridor or in enclosed staircase through landing.	
	I	Staircases shall be of enclosed type .	
	J	Exit doors to be openable without keys.	
	K	Route to be always free of any obstructions.	

22	Enclosed vertical openings : (NBC-P-3.4.5.6)		
	Every vertical opening between the floors of a building shall be suitably enclosed or protected to prevent spread of fire, smoke, or fumes through vertical openings from floor to floor so that occupants can use the same as means of egress in case of fire.		
23	Corridors and Passageways (NBC-P-4.4.4.2.4.2)(NBC- p-4-4.8.1/4.8.3)		
	A	The width of the corridors and passageways shall not be less than the aggregate required width of exit doors .	
	B	The above (and stairs/lifts) shall have fire/ smoke resistance doors.	
	C	Exit corridors and passageways shall have adequate width as stipulated for a particular class of occupancy.	
	D	Have adequate ventilation	
	E	Adequate light to ensure safe travel	
24	Horizontal Exits (NBC-P-4-4.2.4/ Annexure-E-4) (NBC- p-4-4.12.1/2,5)		
	A	To have with the same width at least one fire door of self closing type	
	B	Doors to be openable at all times from served side(s)	
	C	The width of horizontal exit shall be same as for the exit doorways. A horizontal exit shall be fitted with at least one fire/smoke check door of minimum 1 hr. fire rating.	
25	Escape Lighting and Exit Signage : (NBC-P-4-3.4.7)(NBC- p-4-4.2.7:4.16.3/4/10,C1.14b/4.16:appendx-D1.14)		
	A	Emergency lighting shall be powered from a source independent of that supplying the normal lighting. Escape lighting shall be capable of : a) Indicating clearly the escape routes, b) Providing adequate illumination along such routes to allow safe movement of persons towards and through the exits, c)Ensuring the access of firemen or equipments to the fire alarm call points and the escape routes. d) The emergency lighting should automatically activate within 1 second of the failure of the normal lighting system. e)The emergency lighting system shall be capable of continuous operation for a minimum duration of 1 hour and 30 minutes even for the smallest premises.	
	B	All escape Exit routes to have clearly visible & illuminated signs (auto glow sinages) with battery backup emergency alternate power supply.	
	C	It should be powered by source independent of normal power, for stairs/ exit routes & fire alarm with one and half hrs. batterybackup.	
26	Basements (NBC-P-4-4.2.19) (NBC- p-3-12.9.3 & p-4-C.1.6)		
	A	Every basement shall be, in every part, at least 2.4 m in height from the floor to the underside of the roof slab or ceiling.	
	B	The minimum height of the ceiling of any basement shall be 0.9 m and the maximum 1.2 m above the average surrounding ground level.	
	C	The access to the basement shall be separate from the main and alternative staircase providing access and exit from higher floors.	
	D	Where the staircase is continuous in the case of buildings served by more than one staircase, the same shall be of enclosed type serving as a fire separation from the basement floor and higher floors.	
	E	The staircase of basements shall be of enclosed type situated at the periphery of the basement to be entered at ground level only from the open air.	

	F	It shall be in such positions that smoke from any fire in the basement shall not obstruct any exit serving the ground and upper store's of the building	
	G	It shall be connected with basement through a lobby provided with fire resisting self closing doors of 1 hour resistance.	
	H	Open ramps shall be permitted if they are constructed within the building line.	
	I	If the travel distance exceeds as required, additional Staircases shall be provided at proper places.	
	J	Adequate ventilation shall be provided for the basement. The ventilation requirements shall be the same as required by the particulars occupancy according to byelaws.	
	K	Any deficiency may be met by providing adequate mechanical ventilation in the form of blowers, exhaust fans, air conditioning system etc.	
	L	Each Basement shall be separately ventilated.	
	M	Alternatively, a system of air inlets shall be provided at basement floor level and smoke outlets at basement ceiling level.	
	N	Stall board and pavement lights should be in positions easily accessible to the fire brigade and clearly marked.	
	O	In Multi-storey basements, intake ducts may serve all basement levels, but each basement level and basement compartment shall have separate smoke outlet duct or ducts.	
	P	Ducts so provided shall have the same fire resistance rating as the compartment itself.	
	Q	Smoke from basement fire shall in no case ingress into any exit path /stairs serving upper floors.	
	R	Mechanical extractors for smoke venting system from lower basement levels shall also be provided.	
	S	The system shall be of such design as to operate on actuation of heat/smoke sensitive detectors or sprinklers, if installed.	
	T	Mechanical extractors shall have an internal locking arrangement, so that extractors shall continue to operate and supply fans shall stop automatically with the actuation of fire detectors.	
	U	It shall also have an arrangement to operate it manually.	
	V	Use of LPG/Pressure stove in basement is prohibited, while in other areas 4 hours fire-resistant enclosures are permitted.	
	W	Adequate arrangements shall be made so that surface drainage does not enter in to basement.	
	X	The walls and floors of the basement shall be water tight.	
27	Fire Rating-(NBC-P-4-Annexure-C) (NBC- p-4-3.4.7/3.4.8/3.4.8.1/3.4.8.2/3 and C1.9)		
	A	If a building has more than one occupancy it shall comply with requirements of the most hazardous one, unless 4 hours rated separating wall is provided.	
	B	There should be fire resistant doors of 1 hour rating, in escape routes, particularly at entrance to lifts, staircases.	
	C	To prevent the spread of fire, there should be 2 hours rating fire resistance doors/ steel rolling shutters.	
	D	There shall be 2 hour fire resistance cable of wall and floor inside the duct / shaft with 1hour rating fire resistance in inspection door.	
	E	All fire safety items like fire resistant doors shall be provided.	
	F	Surface finishing on walls / ceilings/facade shall minimize the spread of fire or toxic fumes.	

	G	Finishing material used for interior surfaces and decoration shall not generate toxic smoke.	
	H	Use IS 2777 "Class 1 flame-spread", surfacing material, and fabric materials used for decoration, carpets curtains etc.	
	I	Walls, partitions or floors lined with combustible material, to have surfaces conforming to IS 1642, to prevent rapid fire spread, hampering escape of occupants.	
28	Compartmentalization : (NBC-P-4-4.5)		
	A	High Rise Buildings should be suitably compartmentalized so that fire/smoke remains confined to the area where fire incident has occurred and does not spread to the remaining part of the building.	
	B	Compartmentation (if any), specify the specific detail of fire resistant doors/stops.	
	C	All floors to be compartmented into 750 sq. meters area through 2 hours rated fire separation walls.	
	D	Whether compartmentation is proposed to confine the fire/smoke to the area where fire incident has occurred (CI C.9 Annexure C, Part 4, NBC, 2005)	
29	Smoke venting (NBC-P-4-4.4.2.5/4.6) (NBC- p-4-3.4.1/12,4.2.9,C.1.6,3.4.6.4.2.6,4.4.6.4.6.11,3.4.6.4.4,6.4.5)		
	A	Automatic smoke vents, with minimum 3.3% of floor area, in assembly areas and balconies, shall be installed.	
	B	Automatic smoke vent may be substituted with powered exhausters with department's permission.	
	C	Automatic dampers should be closed, to prevent spreading of smoke in case of fire or smoke at AC's outlet.	
	D	Mechanical ventilation & smoke exhaust system	
	E	Vents for smoke to minimize their spread	
	F	Vents should be minimum 2.5% of floor area of basement to prevent spread of smoke.	
30	Electrical Installation (NBC-P-4-3.4.6/3.4.5.4 and Part-8) Section-7 of National Electric Code, 2011(NBC- p-8-3.9.1.5/9.2)		
	A	Electrical Installations shall be by licensed electrical contractor and supervised by the holder of competency-certificate/permit issued by Government.	
	B	Complete drawings showing all circuits to enable functional checking.	
	C	The electric power distribution cable/ wiring shall be laid in a separate duct. The duct shall be sealed at every floor with non-combustible materials having the same fire resistance as that of the duct. Low and medium voltage wiring running in shaft and in false ceiling shall run in separate conduits.	
	D	Water mains, telephone lines, intercom lines, gas pipes or any other service line shall not be laid in the duct for electrical cable; use of bus ducts/ solid rising mains instead of cables is preferred.	
	E	Fire Alarm/PA. Systems (Note : Auto start and auto switch over from normal to emergency source should be ensured)	
	F	Separate circuits for firefighting pumps, lifts, staircases, corridor lighting and blowers for pressuring system shall be provided directly from the main switch gear panel and these circuits shall be laid in separate conduit pipes, so that fire in one circuit will not affect the others.	
	G	Such circuits shall protect as automatic circuit breaker at main point.	
	H	Master switches controlling essential service circuits shall be clearly labeled.	
	I	At every floor level seal space between cables etc and shaft with fillers, to stop fire.	
	J	The inspection panel doors and any other opening in the shaft shall be provided with airtight fire doors having fire resistance of not less than 1 hour.	

	K	Periodical verification of efficacy of emergency/alternate power supplies and related escape and fire safety equipment (IS- 1646-3.6 and 11.6)	
	L	Electrical fires being common cause of fires, strict compliance I.E.R.30 (ISI, electrical material) and IS-732 and NBC-P-8-2, (electrical wiring), is essential. Compliance with I.S. 1646; 732, 10028, regarding fire safety of buildings, electrical wiring and transformers as are mandatory. For electrical Safety compliance of Indian Electrical Rules, including related Indian standards/ Codes stipulated there in is also mandatory (N.E.C.-Part 3-3 and IS-4878-14; IS-1646 and 732).	
31	Sub- Station /Transformers (NBC-P-4-3.4.6.3/ Part-8)		
	A	Transformers room/ enclosure, location and ventilation/exhaust to be such that no smoke fumes there from can ingress into exit/escape routes or parking or other parts of the building.	
	B	Transformer plinth should be at least 15 cm. above grade and if oil filled, provision should be made to prevent egress of leaking oil into any parking area.	
	C	Indoor transformers should have auto high velocity water spray or emulsifying system (IS-15.10.3)	
	D	Transformer shall have soak pit, fencing and provided with 45 Ltr. foam trolley	
	E	A sub-station or a switch-station with oil filled equipment shall not be located in the building.	
	F	The sub-station structure shall have separate fire resisting walls/ surroundings	
	G	The sub-station structure shall necessarily be located at the periphery of the floor having separate access from fire escape staircase.	
	H	The outside walls, ceiling, floor, openings including doors and windows of the sub-station area shall be provided with a fire resisting door of 2 hours fire rating.	
	I	Direct access to the transformer room shall be provided, preferably from outside the fire escape staircase.	
32	Stand by source of power supply- (NBC-P-4-3.4.6.2) Automatic – Manual –		
33	Air-Conditioning System(NBC-P-4-3.4.8)		
	A	Escape routes like staircases, common corridors, lift lobbies, etc., shall not be used as return air passage.	
	B	The ducting shall be constructed of adequate gauge metal.	
	C	Wherever the ducts pass through fire wall or floors, opening around the ducts shall be sealed with materials having fire resistance rating of the compartment ;	
	D	Where a duct crosses a compartment, which is fire rated, the duct shall be fire rated for same fire rating.	
	E	The materials used for insulating the duct system (inside or outside) shall be of non-combustible materials. Glass wool shall not be wrapped or secured by any material of combustible nature.	
	F	Area more than 750 m ² on single floor shall be separated by a fire wall and automatic fire dampers.	
	G	Air duct serving main floor area, corridors, etc., shall not pass through the staircase enclosure.	
	H	The air-handling units shall be separate for each floor and air ducts for every floor shall be separated and in no case inter-connected with the ducting of any other floor.	
	I	The vertical shaft for fresh air shall be of non-combustible materials.	
	J	The air filters of the air-handling units shall be of non-combustible materials.	

	K	The air handling unit rooms shall not be used for storage of any combustible materials.	
	L	Inspection panels shall be provided in the main trunk to facilitate the cleaning of ducts.	
	M	Fire Dampers	
		(a) These shall be located in conditioned air ducts and return air ducts/ passages at the following points: (i) at the fire separation wall ; (ii) where ducts pass through floors, and; (iii) at the inlet of supply air duct and the return air duct of each compartment on every floor; (b) The dampers shall operate automatically and shall simultaneously switch off the air-handling fans. Manual operation facilities shall also be provided.	
34		Provisions of Protection against lightening- -(NBC-P-4-3.4.6.5)	
35		Minimum Fixed Fire Fighting installations (Table No. 07 of NBC-P-4) (minimum fixed fire fighting installations as prescribed in table 07 of NBC-Part 4 should be provided.	
	A	Detector & Alarm System - (NBC-P-4-4.9) All building with height of 15 meters or above shall be equipped with Manually Operated Electrical Fire Alarm (MOEFA) system and automatic fire alarm system in accordance with good practice.	
	A-1	Manually operated electrical fire alarm system (MOEFA (Table-07)	
	A-2	Manual Call Alarm Points in the entire building.	Total Number.....
	A-3	MOEFA shall be installed in the building with one or more call boxes located at each floor. The call boxes shall conform to good practice	
	A-4	The installation of call boxes in hostel and such other places where these are likely to be misuses shall be avoided. Location of all boxes in dwelling units shall preferably be inside the building.	
	B	Automatic Detection & Alarm System (NBC-P-4-4.9 and Table-07)	
	B-1	Smoke Detectors	Total Number.....
	B-2	Heat detectors,	Total Number.....
	B-3	Beam Detectors (Please refer IS 2189:1999)	Total Number.....
	B-4	Fire detection control panel in floor-	Total Number.....
	C	Automatic Sprinkler System(NBC-P-4-2.6.4.2/5.1.3 and Table-07) (Refer IS 15105:2002)	Total Number.....
	D	Hose Reels. (NBC-P-4-5.1. and Table-07)	Total Number.....
	E	Wet Risers (NBC-P-4-2.6.5 and Table-07)	Total Number.....
	F	Dry Risers (As per requirement of local authority dry risers may be used in hilly areas, industrial areas or as required).	
	G	Down Comer	
	H	Yard Hydrant (NBC-P-4-2.6.4.1and Table-07)For the building's fire pump	Total Number.....
	I	Internal Hydrants on each floor including basement(s) and terrace	Number
	J	State Water Storage Reservoirs (NBC-P-4-5.1.2.1 and Table-07) Adequate supply of water for the purpose of fire fighting shall always be available in the form of underground / terrace level static storage tank with specified capacity. There shall be arrangements for replenishment by means of alternative source of	

[illegible]

37	Helipad (NBC-P-4- Annexure-E-8) For Buildings of more than 200 meters. height, whether helipad is provided	
38	Fire Control Room: - (In the entrance lobby)(NBC-P-4-3.4.12) 1. with public address system between the various floors and the fire control room 2.Provision of intercom between various floors and the fire control room-	
39	Fire Safety Officer- (NBC-P-4-4.10.1/4.10.2)(under section 29 of the Bihar Fire Service Act, 2014) Provided individually- Provided with other builders-	
40	Fire Drills & Fire Orders :- (NBC-P-4-4.11 & Annexure-D)	
	A Provision of systematic training of occupants in fire prevention	
	B Fire notice / orders shall be prepared to fulfill the requirements of fire fighting and evacuation from the buildings in the event of emergency. The occupants shall be made thoroughly conversant with their actions in the event of emergency by displaying fire notices at vantage points and also through regular training. Such notices should be displayed prominently in broad letter.	
41	Fire and Life Safety Audit - (NBC-P-4- Annexure-E-7) Date of Fire Audit-	
42	Whether estimates for Fire Safety System (Certified by the architect) is submitted?	
43	Whether 15% of the estimates of Fire Safety System as Bank Guarantee is submitted?Rs	
44	Whether bank draft for obtaining NOC is submitted?	
45	Provide name, address, license No., signature of technical staff	
	A Builder	
	B Architect	
	C Structural Engineer	
	D Electrical Contractor	
	E Fire Safety Systems Contractor	

It is certified that the information given above are correct. No information has been concealed, misrepresented or falsified. I understand that in the event of any wrong information provided in the above check list, the provisional/ final NOC is liable to be withdrawn/ cancelled by State Fire Service.

.....
**Signature of Architect/ Engineer/ Builder/
 Electrical contractor/ Fire Safety System
 Coordinator.**

FORM--D

Affidavit / Undertaking regarding compliance of provisions of various Acts and Rules, guarantee of expenditure in fire safety system and equipments and others.

(Under section- 02 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f) (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Following undertaking is given in favour of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar Fire Service:-

We declare that we are Builders, Promoters and Developers of the building situated at.....

1. We undertake to comply with all the passive & active fire system measures as stipulated in National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Multi storied Building Regulation, 1981, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021 and advice contained in provisional NOC.

2. We undertake to give information regarding commencement of work under section 10 of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**.

3. We undertake to give periodic report of construction under section 12 of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**.

4. We undertake to give notice to the Authorised officer in prescribed form, in pursuance of Section 15 of the Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, after completion of building construction work.

5. We undertake to obtain Final NOC for taking occupancy certificate.

6. We undertake to impart training to 40% of the occupants and employees working at building in fire prevention and fire fighting at Bihar Fire Safety Training Academy, Anandpur, Bihta within 6 months from the date of occupation.

7. We undertake to call Fire Service for Fire Audit at regular intervals.

8. We undertake to maintain and keep the fire fighting equipments installed at building in good working condition at all times by regularly servicing and replacing the obsolete equipments.

9. We state that we have prepared the estimate of Rs..... towards the provision of all fire fighting systems and the estimate in original along with the check list of fire safety measures is being submitted for approval.

10. We undertake to furnish Bank Guarantee for 15% of the total estimated cost of fire safety systems as above in favour of Director, State Fire Services, obtained from the Nationalised Bank.

11. We agree that the above Bank Guarantee can be invoked by Director, State Fire Services at any time in the event of non-provision or non-maintenance of firefighting systems in our building as per concerned Code, Act, Rules, Regulations or in the event of non-compliance of any other fire safety measures suggested in the provisional no objection Certificate.

Signature of the

Builder/Promoter/Developer

Name :-

Designation:-

Address for Correspondence-

Contact Telephone number-

Place :-

Date:-

FORM--E**Provisional Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate**

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f)(iii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Office of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna

From, To,
 Director,
 State Fire Service
 Bihar, Patna.

Sl. No..... Dated.....

Application of M/s (Unique I.D. No.....)

Sub:- Issue of provisional No Objection Certificate for Construction of Building.

Sir,

As per recommendations of Building Plan Advisory Committee of the State Fire Service, Bihar the **Provisional No Objection Certificate** is issued for construction of the Building / Block proposed by M/s.as per Rule 15 (f)(iii) of Bihar Fire Service Rules, 2021.

The name of the building of the proposed building plan isof **occupancy**....., **sub-occupancy**..... with a **height** of meters, **floor area**.....Sq meters, number of **Floors**....., number of **basements**....., number of **stilts / ground floors**....., number of **blocks**....., average **occupant load** per floor....., number of **lift**....., number of **Fire lift**....., number of **ramp**....., number of **refugee area**....., number of **Fire tower**.....We approved the plan after giving following advice/suggestions/ recommendations based on NBC guideline, local building byelaws and the local circumstances which must be followed by the concerned Architect / Developer/ Land owner as the case may be.

The building plans are forwarded herewith after countersigning the same for your approval.

(1) The builder has proposed **open spaces** (in meters) for the building (North..... South..... East..... West.....) and for **Means of Escape** (Internal Staircases-number....., width meters/ External Staircases-number....., width..... meters)

(2) **Open Space & Approach:**

- (a) The open space around the building shall conform to the relevant building byelaws and other concerned Act/ Rules/ Regulations/ local requirement as well as permit the accessibility and maneuverability of Fire appliance with turning facility 3.60 m/s (minimum) (to be changed according to building categories and construction).
- (b) The approach roads shall be wide and sufficiently strong to withstand the load of Fire Engine weighting up to 20 M.T.

- (c) The width and height of the access gates into the premises shall not be less than 4.5 M and 5M respectively.

(3) **Construction:**

- (a) The whole construction of the proposed building shall be carried out as per approved plan drawing conforming the relevant building rules of local Municipal Corporation and Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time.**
- (b) The floor area exceeds 750 m² shall be suitably compartmented by separation walls up to ceiling level having at least two hours Fire resisting capacity.
- (c) The interior finish decoration of the building shall be made of low flame spread materials conforming I.S. specifications.
- (d) Provision of ventilation at the crown of the central core-duct of the building shall be provided. Arrangements shall have to be made for sealing all the vertical ducts by the materials of adequate fire resisting capacity.

(4) **Staircase :-**

- (a) The Staircase of the building shall be of enclosed type. Entire construction shall be made of brick / R.C.C. type having Fire resisting capacity not less than 4 hours.
- (b) The Staircase of the building shall have permanent vents at the top equal to 5% of the cross sectional area of the staircase. Operable sashes at each floor level equal to 15% of the cross section area shall have to be provided in the external wall of the building.
- (c) All the Staircase of the building shall be accessible to each other in each floor without entering into any room and shall be extended up to respective terrace. The roof of the Stair wall shall be 1 meter above the surrounding roof area.
- (d) The width of the Staircases and corridor and travel distance of different categories of occupancies shall have to conform the relevant building rules.
- (e) In case of two staircases, one must be on outer wall.
- (f) Both staircases should not go down to basement floor, for approach to basement. There should be another staircase for approach.

(5) **Fire Safety Systems-**The approved plans are forwarded subject to provision of the following fire safety measures to be provided as per requirement in National Building Code, 2016 **as amended from time to time-**

- (a) Hose Reel
- (b) Wet Riser-cum-down comer system (.....Nos.)
- (c) Yard Hydrant system.
- (d) Manually operated electrical fire alarm system
- (e) Automatic Detection and Alarm System in the entire building
- (f) Sprinkler System (as required)

- (g) The Underground static water tank oflitres capacity
- (h) Overhead tank of litres capacity
- (i) A pump house..... LPM Electrical and Diesel, LPM, Jockey Pump and LPM Booster pump
- (j) Fire Extinguisher

(6) Other conditions to be followed as per the relevant Act/Rules/Regulations like Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, National Building Code of India, 2016 **as amended from time to time**, Multi-Storied Building Regulations, 1981, Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021, as required in concerned occupancy. Some of the conditions are as follows-

(a) **LIFT:-**

- (i) The walls of the Lift enclosure of the building shall be at least of two hours fire resisting type.
 - (ii) The lift of the building shall be designed at high speed "Fire Lift" and clearly marked in the plan.
 - (iii) In case of failure of normal electric supply, there should be automatic alternate arrangement. For apartment houses these changeover of supply could be done through manually operated change over switch. Alternatively, the lift shall be so wired that in case of power failure, it comes down at the ground level and comes to stand still with door open.
 - (iv) Arrangement shall be provided for extraction of smoke in the entire lift shaft by incorporating smoke venting system designed to permit 30 air changes per hour in case of fire. It shall be so designed as to operate on actuation of sprinkler or Fire Alarm. In case of failure of normal electric supply, it shall automatically trip to alternate supply.
 - (v) All other requirements shall conform the I.S. specification including the communication facility in the lift cars connecting to the Fire Control Room of the building.
 - (vi) Fire Lifts, complying with concerned clause of National Building Code of India, 2016 **as amended from time to time** shall be provided i.e. one Fire Lift for 1200 sq. meters of floor area.
- (b) There should be active fire protection system such as down comer system with landing valve and hose reel at each floor with 900 LPM pump at Terrace level. ISI marked fire extinguishers as per relevant specification and I.S 2190/1992, firecheck door, manual call alarm point, fire safety luminescent sign and other fire precautionary measures as mentioned in NBC should be provided before occupancy.
- (c) The basement should be equipped with automatic sprinkler's installation and must have two separate exits.
- (d) An underground water static tank of not less than 20,000 Ltrs. capacity with automatic refilling arrangements where Fire Brigade vehicles can reach easily. Overhead water static tank of not less than 10,000 Ltrs. capacity

should be made available before occupancy (may exceed as per construction).

- (e) The electric cables must be sealed at each floor.
- (f) The building shall be suitably compartmentalized so that fire/smoke remain confined to the area where fire incident has occurred and does not spread to the other parts of the building.
- (g) **Openings in separating walls and floors**-Attention shall be paid to all such factors as they will limit fire spreading to these openings and maintain fire rating of the structure. Every wall opening shall be protected with fire resisting doors having fire rating of not less than two hours. All openings in the floors shall be protected by vertical enclosures and the wall of such enclosures shall be of a fire resistance of not less than two hours.
- (h) Every vertical opening of the floors shall be suitably enclosed and protected, and following shall be provided:-
 - (i) Adequate safety has to be provided to prevent spread of fire and smoke from floor to floor open space for the occupant while using the escape path. Further it shall be ensured to provide a clear height of 21.00 MM in the escape path of the occupants.
 - (ii) Fire doors with 2 hours fire resistance shall be provided at appropriate places of the escape route, and particularly at the entrance to the lift lobby and on stair to prevent spread of fire and smoke
 - (iii) Smoke venting facilities for safe use of exits shall be provided.
 - (iv) Smoke retardant material only should be used for interior decoration to prevent generation of toxic smoke.
 - (v) Illumination of means of exit in staircase and corridors, pressurization of stair cases and basements ventilation shall comply with National Building Code of India, 2016 **as amended from time to time**.
 - (vi) Air conditioning and ventilating systems shall be so installed that spread of fire, smoke or fumes from one floor to other or from outside to any occupied building or structure could be restricted. In case of fire in air filter, there should be smoke sensitive device in the building for restricting the spread of smoke. There should be separate air handling unit on each floor for protection from smoke hazard on each floor. Fire dampers should be provided in the AC system so that in case fire it might be closed automatically and spread of fire and smoke can be kept within limit.
 - (vii) **Electrical Installation**- Electrical safety shall comply with Indian Electrical Rules, including related Indian standards / Codes stipulated therein. Electrical installation shall be done by licensed electrical contractor. Special attention should be given to cable / wiring in a separate duct, separate circuits, automatic circuit breaker, master switches, inspection panel doors, periodical verification of emergency / alternate power supplies etc.

- (viii) That Fire exit drill be carried out regularly at least twice in a year after occupation
- (ix) Fire Safety Officer- as per NBC-2016 and Bihar Fire Service Act, 2014.
- (x) AMC should be done by a qualified firm or person for the maintenance of Fire equipments.
- (xi) The setback shall be checked by the Architect / Passing authority as per the established rule. If anything wrong, the Architect / Passing authority shall be held responsible.
- (xii) It is hereby made clear that in case of any legal dispute arising in future, in which above recommendations have not been complied, the responsibility will fall entirely upon the Developers/ Architect/ Landowner and not on the Govt. authority(i.e. State Fire Office, Bihar).
- (xiii) It is hereby made also clear that this office (i.e. the office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna) is not responsible for any legal dispute of the land upon which the proposed building shall be constructed.

(7) Shall compulsorily follow the undertakings.

(8) This shall be treated as provisional. On compliance of all the above Fire and Life Safety recommendations, this office shall be approached for necessary inspection and testing of the installation. Final no objection certificate shall be issued on being satisfied on all points.

(9) Any deviation or changes in respect of the approved plan drawing, without obtaining prior permission from this office, this provisional NOC will be treated as cancelled.

(10) The maps are being returned with sign and stamp/ being cleared online.

Yours faithfully,

(.....)

Director, State Fire Services
Bihar, Patna.

Copies to(as required):

- (i) M/s.
- (ii) The Chairman Municipal Corporation.....
(With a set of countersigned plans)

FORM--F

Instructions for remedy of default, if default found in building construction scheme

(Under section 2(g) of the Bihar Fire Service Act, 2014, under rule 15 (f) (IV) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter No

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Date/

To,

.....

.....

Ref: - Your letter noDate

Sub: - For remedy of default found in building construction plan.

Sir,

With respect to the above reference and subject, it is said that the records related to the building construction plan submitted by you, has been examined by the building construction plan advisory committee. Following defaults have been found after examination: -

.....
.....
.....

Hence all the records related to the building construction plan submitted by you are being returned. Please submit the fair and clear copy of the related records, without any type of cutting / overwriting / interpolation, after remedy of defaults found, to the State Fire Headquarter within 10 days, so that the issue of fire prevention and fire safety no-objection certificate related to your building construction plan may be considered by the building construction plan advisory committee.

**State Fire officer-cum-Director,
Bihar, Patna.**

FORM--G**Information of work progress by the builder**

(Under section-2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f) (v) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

The State Fire Officer-cum-Director
Bihar, Patna.

Ref.: - Your Letter No Date

Sub: - Notice of progress in building construction on the basis of fire prevention and fire safety provisional no-objection certificate.

Sir,

With respect to the above subject, it is to inform that the provisional fire prevention and fire safety no objection certificate no.date..... has been issued, vide your above referred letter, on the basis of which the proposed building is being constructed from date, keeping in mind the provisions related to fire safety measures. The present condition of construction of the said building is as follows: -

- (a) Building construction: - Construction completed up to the bottom/ plinth/ basement / surface floor /
- (b) Fire Safety measures in the building construction: - Underground tank/ is constructed/ under construction.

Yours faithfully,

Address of Building under construction: -

Signature of the Architect
Name -
Listing number -

Signature of the Engineer
Name -
Listing number -

Signature of Structural Engineer
Name-
Listing number -

Date: -

Owner / Applicant's Name: -
Owner / Applicant Signature

FORM--H

Instructions to the builder for remedy of default in case of finding of lapses in compliance of conditions in provisional no objection certificate or difference from conditions by the builder.

(Under section- 2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (f) (vi) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no..... /

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna

Date /

To,

.....
.....

Ref. - Your letter no.-..... date.....

Sub: - For remedy of defaults in building construction, found after verification of work progress.

Sir,

With respect to the above reference and subject, it is to say that progress in building construction work has been informed by you. After verification, short comings in compliance of certain conditions of provisional no objection certificate / variations in conditions has been found, which are follows:-

.....
.....
.....
.....

So please inform the undersigned quickly after resolving the above defaults found in the order of building construction, otherwise the final fire prevention and fire safety no objection certificate may not be issued.

**State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.**

FORM--I

Information regarding completion of building construction to be given by the builder for obtaining final fire prevention and fire safety no objection certificate.

(Under section-2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (g) (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

The State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.

Ref: - Your letter no.-..... date.....

Sub:- Information of completion of building construction work on the basis of provisional fire prevention and fire safety no objection certificate.

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to be informed that the provisional fire prevention and fire safety no objection certificate no.-..... date.....had been issued vide the referred letter, for construction of the building, on the basis of which the construction of the proposed building was started from date....., keeping in view the concerned provisions of fire safety measures. The information of progress in building construction work had been given vide letter no.-.....date....., The construction work of that building has been completed.

It is certified that the provisions of fire safety measures has been done according to the advice and conditions mentioned in provisional fire prevention and fire safety no objection certificate and in the light of the provisions of National Building Code, 2016 (Part-4). The concerned check list with up to date position is attached for convenience.

It is requested to issue final fire prevention and fire safety no objection certificate after checking of arrangements regarding fire safety measures in the constructed building, so that further action might be done in the direction of obtaining the occupancy certificate.

Enclosure- checklist

Yours faithfully

Signature of the Architect-

Name: -

Address of the building under-construction

Listing number: -

Signature of the Engineer: -

Name: -

Listing number: -

Signature of the Structural engineer -

Name: -

Listing number: -

date :-

Name of the Owner / Applicant: -

Signature of the Owner / Applicant: -

Contd.-

Checklist for final no objection certificate

- (1) Copy of the previously passed map concerned with provisional no objection certificate.
- (2) Approval of the municipal authority for construction of the building in which following points concerned with the site should be clearly mentioned-
 - (a) Open space and parking place
 - (b) Access path of 6 meters with vertical clearance of 5 meters for approach to the building (required as per building category).
 - (c) Section sketch of the stairs, from which its construction and arrangement of smoke extraction might be clear.
 - (d) Actual site of check doors for preventing the fire and smoke to the evacuation path, lift, stair and compartmentalization.
 - (e) Location of fire indicator, manual call points, sprinklers, hose reel, yard hydrant and wet riser.
 - (f) Basement ventilation, smoke extraction / extractor, exit stair.
 - (g) Location of transformer and generator and arrangement of drainage of air/smoke out.
 - (h) Capacity and location of water tank and pump for firefighting.
 - (i) means of approach to higher floors and refugee area of buildings without windows, for fire fighting and rescue work.
- (3) Regarding technical statement, specifications, related papers of the vendor and related records for confirmation of ISI in the following: -
 - (a) The various models of fire resistant doors used to prevent the spread of fire and smoke.
 - (b) Pump, hose reel, fire/smoke detectors, sprinkler, hydrant system, fire extinguisher.
 - (c) The smoke evacuation system, written documents of engineers/ technical persons related to installation of ventilation/air conditioning system.
- (4) Diagram of single electric line for showing separate circuit (certified by the electrical engineer/contractor)-
 - (a) Fire pump, fire alarm lift and PA system.
 - (b) Smoke control/extraction equipment and related ventilation .
 - (c) Illumination of the evacuation route showing battery back up.
 - (d) Emergency generator system changeable from normal to an emergency situation.
- (5) Certificate of electrical engineer/contractor regarding compliance of electrical regulations.
- (6) Fire control rooms and fire personnels -
 - (a) Alarm detection and communication systems for warning the occupants and Fire service.
 - (b) Emergency evacuation plan .
 - (c) Display at conspicuous locations regarding do's / don'ts, in case of fire incidents.
 - (d) Instructions for firefighting.
 - (e) Organization of fire personnel/ trained occupants for fire fighting.
 - (f) Conduction of fire drills and list of responsible persons for maintenance of concerned records.
- (7) Name/telephone no/license number/signature of the builder/ architect/ engineer/ electrical contractor/contractor of fire protection system.

FORM--J

Final No Objection Certificate

(Under section- 2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (g) (ii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

.....(Authorized officer).....

Letter no.-.....

Date.....

From,

State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna/
Authorized Officer.....

To,

.....
.....

Ref:-

your letter no.-..... date.-.....

Letter no.-..... date.-..... of provisional fire prevention & fire
safety no objection certificate.

Sub:-

For Final fire prevention & fire Safety no objection certificate .

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to inform that the information of completion of building construction submitted by you, has been checked in the light of check list enclosed by you. Final fire prevention & fire safety no objection certificate is being issued, in the event of fire safety measures found satisfactory, with following conditions: -

- (1) The compliance shall be done of the provisions of National Building Code, 2016 **as amended from time to time**, Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021, Bihar Municipality Act, 2007, Bihar Apartment Ownership Act, 2006, Multi-storied Building Act, 1981 and other Act / Rules / Instructions for the time being in force in the light of category of building.
- (2) The compliance shall be done of check list/ undertakings enclosed with the application related to provisional fire prevention & fire safety no objection certificate.
- (3) A minimum 6 meters (according to building category and building construction) wide access for approach to the building line around the building, shall always be maintained free of any parking obstruction / generator / transformer / security forces / post office / petty vendors / miscellaneous/ other constructions / fixtures / 5 meters height of balcony (legally as required).
- (4) The capacity and width of exit stairs shall be ensured for safe evacuation of the occupants, in the light of the provisions of National Building Code, 2016 **as amended from time to time**.

- (5) The fire resistant doors shall be kept in good condition for limiting the spread of fire and for preventing the entry of smoke in the external stairs / lift.
- (6) The sprinklers of parking in ground floor / basement shall be kept in perfect working condition.
- (7) The stairs and lift shall be kept in perfect working condition.
- (8) The installed fire extinguishers, alarm etc shall be kept in working condition, by regular checking on the basis of the concerned provisions.
- (9) Fire safety drills shall be done trimonthly in the first 2 years and after that half yearly.
- (10) The emergency generator etc and the concerned equipments shall be checked according to the National Building Code, 2016as **amended from time to time** and IS-1644.
- (11) Installed fire equipments (according to the table no.- 7 of part-4 the National Building Code, 2016 **as amended from time to time**).
 - (a) Capacity of the ground water tank-
 - (b) Capacity of terrace water tank-
 - (c) Capacity of electric / diesel / jockey pump at the ground-
 - (d) Capacity of electric / other pump at the roof-
 - (e) Automatic fire detector and alarm system-
 - (f) Manually operated fire alarm system-
 - (g) Automatic sprinkler system-
 - (h) Hose reel-
 - (i) wetriser-
 - (j) Down comer-
- (12) Number of portable fire extinguishers (separate according to the type and capacity).
- (13) Evacuation plan showing exit routes shall be displayed at conspicuous locations.
- (14) Fire Safety Officer shall be kept (according to the category of the building).
- (15) Fire Control Room.
- (16) In the event of any type of change to be done in the category of the building, no objection certificate shall be obtained afresh.

State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna
Authorized Officer.....

FORM--K

Notice to be given to the builder for remedy in case of not constructing building according to the conditions of provisional no objection certificate, found after verification of building after receipt of building construction completion information.

(Under section- 2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (g) (ii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna

Date...../

To,

.....
.....

Ref:- Letter no.-..... date.-.....of this office and Your letter no.-..... date.-.....

Sub: - Regarding removal of default found in fire safety measures , after verification of the building, after receipt of information of completion of building construction.

Sir,

With respect to the above mentioned subject it is to say that the provisional fire prevention and fire safety no objection certificate for building constructions had been issued vide the above referred letter. The information of completion of building construction work was given by you and it has been certified by you that the provisions of fire safety measures has been done in that building according to the advice and conditions mentioned in the provisional fire prevention and fire safety no objection certificate and in the light of the provisions of National Building Code, 2016, but after verifications of the arrangements regarding the fire safety measures in that constructed building, following deficiencies have been found in compliance of advice and conditions mentioned in provisional fire prevention and fire safety no objection certificate:-

So please inform the undersigned after immediate remedy of the above mentioned deficiencies found in the construction of the building , so that final fire prevention and fire safety no objection certificate may be issued properly after re-verification.

**State Fire Officer-cum- Director,
Bihar, Patna**

FORM--L**Notice for ensuring fire safety measures, to the owner of the building,
constructed or under construction, without NOC**

(Under section-2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Date.-...../

To,

.....
.....**Sub: - Notice to ensure the desired firesafety measures due to construction of the building without obtaining fire prevention and fire safety no objection certificate and remaining of occupants in risky conditions.**

Sir,

With respect to the above subject it is to inform that-

1. You are the owner / occupant / builder / office bearer of the association of the apartment (building).....
2. The fire prevention and fire safety no objection certificate has not been obtained by you for the construction of the above mentioned building.
3. After the fire audit of that building, it has been found that there is severe lackings in arrangements regarding fire safety measures in the buildings, due to which the risk of life & property of the occupants of the building, in the light of fire disaster, is continuing.

Under section-35 of the Bihar Fire Services Act, 2014, it is directed to ensure the installation of fire safety measures according to the advice written in the enclosed fire audit report, withindays. After that, submit formal application form for obtaining fire prevention and fire safety certificate regarding fire safety measures in that building under rule 15 (f)(i) of Bihar Fire Service Rules, 2021.

In the event of non-compliance of instructions, legal action shall be done under section-37 and 44 of Bihar Fire Service Act, 2014 and byelaws- 16 (7) of Bihar Building Byelaws, 2014 and rules 22 (c) (g) (h) (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021.

Enclosure-Fire audit report

**State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.**

FORM—M**Application format to be submitted by owner or occupant of building for
Renewal of Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate**

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (j)(ii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

The State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.**Sub: - For renewal of Final prevention and fire safety no objection certificate.**

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to inform that the final fire prevention and fire safety no objection certificate had been issued vide your office letter no.-.....date.-....., after checking of the site of building construction, in the light of the information of completion of building construction work, whose validity period is fixed till date.-.....

It is certified that the provisions of the fire safety measures had been done according to the advice and conditions mentioned in final fire prevention and fire safety no objection certificate and in the light of provisions of National Building Code, 2005 (part-4)/ National Building Code, 2016(part-4) which is in working condition. It has been checked by the fire expert. The check list (in check list format prescribed for provisional and final fire prevention and fire safety no objection certificate) related to present arrangements of fire safety measures has been prepared by filling in it. The checking report of the fire expert and check list are being enclosed. The photocopy of the check list, submitted earlier, for obtaining final fire prevention and fire safety no objection certificate, is also attached for convenience.

It is certified that no change has been done in the category of the building after issue of the final fire prevention and fire safety no objection certificate.

It is requested kindly to renew the final fire prevention and fire safety no objection certificate after checking of arrangements related to fire safety measures in the subjected building.

Enclosure: -

- 1.Checklist
- 2.The checking report of the fire expert

Yours faithfully

Address of the building: -

Signature of building owner /manage
Name-
Address -

date :-

FORM--N**Renewal of No Objection Certificate of building**

(Under section- 02 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (j) (ii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna

Date.-/

To,

.....

.....

Ref: - Your letter no.-..... date-.....

Sub: - Renewal of the fire prevention and fire safety no objection certificate.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to inform that the application form submitted by you, with check list in prescribed format and checking report of fire expert related to fire safety measures, for renewal of fire prevention and fire safety no objection certificate, has been checked / made checked. After checking, the renewal of fire prevention and fire safety no objection certificate related to your building is being done with conditions forperiod.

Please, the advice and conditions mentioned in the fire prevention and fire safety no objection certificate shall be complied with and the fire safety measures, according to the check list submitted, shall be kept in working condition. In additions to this, the provisions related to fire safety measures of National Building Code, 2005, (part-4)/ National Building Code, 2016 part-4), Bihar Building Byelaws, 2014, Bihar Fire Service Act, 2014, Bihar Fire Service Rules, 2021 and related other Act/ Rules/ Regulations shall be complied with. Especially, the checking of fire safety measures by fire expert and checking of electrification by electrical engineer or competent authority shall be done at regular interval.

Again, it will be compulsory to obtain no objection certificate from the Fire Service, in the light of fire safety, before any type of change in the category of the building.

**State Fire Officer-cum-Director
Bihar, Patna.**

FORM--O**Notice for cancellation of No Objection Certificate of building in case of failure in maintenance of fire safety measures according to NOC.**

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (k) (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna

Date-...../

To,

.....

.....

Sub: - Notice regarding cancellation of no objection certificate due to default in maintaining fire prevention and fire safety measures.

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to say that the fire prevention and fire safety no objection certificate, related to your building/ premises, had been issued vide letter no.-..... date-.....Renewal had been done vide letter no.-.....date-.....The fire audit of your building, in the light of fire safety, has been done/ made done, from which it has been found that default has been done by you in compliance of advice related to fire safety measures, which are as follows:-

(1)

(2)

(3)

(4)

Due to lapses done by you in compliance of fire safety measures, there is probability of risk of life and property of the occupants of that building / premises and nearby building / premises from fire disaster.

Please, explain within..... days that why not the fire prevention and fire safety no objection certificate related to your building / premises, should be cancelled. In case of cancellation of theno objection certificate, the public or commercial uses of that building will not be done.

**State Fire Officer-cum-Director
Bihar, Patna.**

FORM--P

Appeal by owner or occupants of the building after cancellation of No Objection Certificate of building.

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-15 (k) (iii) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

The Director General,
Bihar fire service,
Bihar, Patna.
The State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.

Ref :- Letter no.-.....date-.....of the State Fire Officer-cum- Director,
Bihar, Patna.

Letter no.-.....date-.....of the (Authorized Officer).....

Sub:- Appeal against notice regarding cancellation of no objection certificate, due to default in maintaining fire prevention and fire safety measures.

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to say that the notice has been given by thevide letter no.-.....date-..... for cancellation of fire prevention and fire safety no objection certificate (letter no.-..... date-.....) / renewal (letter no.-..... date-.....) related to the building/ premises of the undersigned (name/ address.....)

In that notice, it has been mentioned to cancel the no objection certificate on the basis of default in maintaining the fire prevention and fire safety measures, after the fire audit done/ made done in the light of fire safety, of the building / premises of the undersigned. The time limit ofdays has been fixed for reply of the concerned notice. It is hereby appealed against that notice for hearing on the following points:-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

It is requested please to take necessary action after hearing immediately, on the above mentioned points.

**Name / address / contact telephone and mobile no.
of the applicant.**

FORM--Q**Self- appraisal format to be submitted to the Fire Station Officer, by the owner or occupant or both of the building regarding minimum fire safety measures in the buildings.**

(Under section- 2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-17 (b) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

(The building owner / occupants/ manager / society is responsible for the safety from fire, of the life and property of occupants of the building. The Fire Service will give advice after fire audit, which is to be complied with. The maximum fire safety arrangements can be done vide monthly self appraisal by the building owner / occupants/ manager / society, before the fire audit done by the Fire Station Officer. Please provide the following format after filling it, every month to the Fire Station Officer of your area and take necessary advice from him, so that maximum fire safety arrangements in the building/ premises might be operational)

To.

.....

.....

- (1) Name of the building owner: -
(In case of apartment, the name of the secretary of the Association of occupants of the apartment)
- (2) Name of the building / address / year of construction: -
- (3) Type of building (residential / commercial / educational / institutional, etc.): -
- (4) Height of the building and floor (basement present or not):-
- (5) Approach of firefighting vehicles to the building (whether all-around or just near the building): -
- (6) Number of stairs in the building: -

Sl. No	The fire fighting systems done in the building	Month		
		First	Second	Third
1	Type / capacity of fire extinguishers:-..... Expiry date / Refilling date :-.....			
2	Down comer system active (Yes or No): -			
3	Wet rising system active (Yes or No):-			
4	Hose reel working (Yes or No): -			
5	Number of Fire Hydrant valve (.....) / Number of yard hydrants (.....) and effective (Yes or No): -			
6	Number of hose and branch in the hose box: -			
7	Sprinkler working (Yes or No): -			
8	Smoke detection system active (Yes or No): -			
9	Fire alarm system active (Yes or No): -			
10	Public Address system (Yes or No): -			
11	Fire Control Room (Yes or No): -			
12	Glow signage (EXIT sign, etc) in the building (Yes or No): -			
13	Capacity of under ground water tank (.....ltr) with water (Yes or No): -			
14	Capacity of over head water tank (.....ltr) with water (Yes or No): -			
15	Number of types of air conditioners (split / window / centralize): -			
16	Electric connection according to power load capacity (..... KVA) in the building (Yes or No): -			
17	Alternate electrical system (Yes or No): -			
18	Date of fire safety mock drill to be done with occupants/ workers			

-
- (7) Number of lifts in the building: -
(8) Distance of the electric wire from the building: -
(9) Whether advice has been taken from the Fire Service before construction of the building or not: -
(10) Date of checking by the Fire Station Officer: -

Signature of owner/.....

Date: -

FORM--R**Declaration regarding Pandal safety, to be exhibited by the Pandal erectors at the gate of Pandal and at main visible places.**

(Under section- 26(2) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-18 (b) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

.....

I (name of the pandal maker), place of registered office....., registration no.....declare that the pandal/ temporary structure of square meters made at(Place) will remain on that place from (Date) to.....(Date). The arrangements for fire prevention and fire safety measures has been done during pandal construction as per instructions in Bihar Fire Service Act, 2014 and Indian Standard Bureau, IS-8758-1993. In addition to this, the provisions of Explosive Substances Act and Indian Electricity Rules has been fully complied. It is also declared that following trained personnel will be present in pandal/ temporary structure for fire safety:-

1.
2.
3.

Date

Place

Signature of Pandal maker/ owner

Copy : - Fire Station Officer, sent for information please.

FORM--S

Notice to Pandal erectors for removing defaults or sealing of Pandal in case of defaults found in Fire Safety measures of Pandal.

(Under section-26(2) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-18 (c) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna .

Office of (Authorized Officer)

Date-.....

To,

.....

.....

Ref:- Letter no .-..... date-..... ..of this office.

Sub: - For remedy of default found after enquiry about the veracity of displayed declaration regarding safety of pandal.

Sir,

With respectto the above reference and subject it is to say that the pandal has been constructed by you at..... (sites) and declaration in respect of fire safety in pandal has been made available to the undersigned. Checking of the built pandal was done by After checking, it has been found that the declaration is not true and the following defaults have been found in it: -

.....
.....
.....
.....

So,it is directed to inform immediately after resolving the default found above within..... hours,otherwise action like legally removal/ seizure/ auction etc of your pandal will be done under rules 19 of Bihar Fire Service Rules, 2021 under section -27 of the Bihar Fire Service Act, 2014.

Signature of Director / Authorized officer

Name :-

Designation -

Seal -

FORM—T**Notice for removing things or goods or encroachment which are probable factors of
Fire risk or causing obstruction in fire fighting.**

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (a) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.**Office of (Authorized Officer).-.....**

Date-.....

To,

.....

.....

(Name and address of the owner/ occupants of the buildings,premises,pandal)

Ref: - Letter no.-.....date- of this office.

Sub: - Instructions for removing probable factors of fire risk.

Sir,

With respect to the above reference and subject it is to saythat-

(1)stuff/objects are present in building/ premises owned/ occupied by you/ pandal made by you, due to which there is probability of fire risk in that premises/ building/ pandal or nearby premises/ building/ pandal or will be the reason of obstruction in controlling fire in case of fire incident.

(2) Under the powers conferred vide section-27(1) of the Bihar Fire Service Act, 2014, and rule – 19(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021, it is directed that remove those stuffs/ objects or encroachment immediately / withinhours/ days.

(3) In case of non-compliance of the above instruction, report will be submitted to Sub- Divisional Magistrate for legal action under section 27 (2)(3)(4)(5) & (6) of Bihar Fire Service Act, 2014.

Signature of the Director / Authorised officer**Name :-****Designation -****Seal-**

FORM--U

Information to the Sub Divisional Magistrate, for legal action, in case of non-compliance of notice regarding removal of things or goods or encroachment which are probable factors of Fire risk or causing obstruction in fire fighting.

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (b) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna .

Office of (Authorized Officer)

Date-.....

To,

The Sub-Divisional Magistrate
.....

Sub:- Request for legal action due to lapses in compliance of instructions, given to the owner/ occupant of the building, premises, pandal for removal of probable factors of fire risk.

Sir,

With respect to the above subject, it is to say that-

(1) stuff/ goods have been found during checking on date-.....at.....hours, in the premises/ building / pandal under ownership / occupancy of / erected by, due to which there is probability of fire risk in that premises/ building / pandal or nearby premises/ building / pandal or will be the reason of obstruction in controlling fire in case of fire incident.

(2) Under the powers conferred vide section 27(1) of the Bihar Fire Service Act, 2014 and rule 19(b) of Bihar Fire Service Rules, 2021 direction was given to the owner/ occupant of the premises/ building / pandal vide letter no.-..... date-..... to remove those stuffs/ objects or encroachment immediately/ withinhours/ days. In addition to this, he was made acquainted with the report to be submitted to the Sub-Divisional Magistrate for legal action under section- 27 (2) (3) (4) (5) & (6) of the Bihar Fire Service Act, 2014, in case of non-compliance of the above direction but the above probable factors of fire / encroachment has not been removed by him. The petition submitted by him vide letter no.-.....date-.....has been found unsatisfactory. The probable factors of fire risk or encroachments are still present on that site, due to which risk of security of life and property of the common people has arisen.

(3) Requested for legal action under section- 27 (2) (3) (4) (5) & (6) of the Bihar Fire Service Act, 2014.

Signature of Director / authorized officer

Name :-

Designation: -

Seal :-

FORM--V

Show cause to be asked from the owner or occupant of the building or premises or Pandal erectors by the Sub-Divisional Magistrate after receiving information regarding non-compliance of notice for removal of things or goods or encroachment which are probable factors of Fire risk or causing obstruction in fire fighting.

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (c) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the Sub Divisional Magistrate,.....

Date-.....

To,

.....
.....

(Name and address of the owner/occupant of the building/ premises / pandal)

Ref:- Letter no.-..... Date-.....of this office.

Sub:- Show-cause for default in compliance of instructions, given by the Fire Service, for removing the probable factors of risk of fire.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is informed that-

(1) The premises/ building under your ownership/ occupancy/ the pandal erected by you was verified by the Director/ authorized officer, Bihar Fire Service on date-..... at.....hour, regarding which a report has been submitted by him vide letter no.-..... date-.....During verification by him,..... stuff/ goods have been found in the premises/ building under your ownership/ occupancy/ in the pandal erected by you or encroachment has been found, due to which there is probability of risk of fire in that premises/ building/ pandal or nearby premises/ building/ pandal or will be reason of obstacles in control of fire in case of fire incident.

(2) Under the powers conferred vide section 27 (1) of the Bihar Fire Service Act, 2014, and rule 19 (c) of Bihar Fire Service Rules, 2021, the direction was given by him to you to remove those stuffs or goods or encroachment immediately/ within..... hours/ days. In addition to this, you were made acquainted with the report to be submitted to the Sub-Divisional Magistrate for legal action under section-27 (2)(3)(4)(5) & (6) of the Bihar Fire Service Act, 2014 in case of non-compliance of the above direction, but the above probable factors of fire incident/ encroachment has not been removed by you. The petition submitted by you vide letter no.-..... date-.....was found unsatisfactory by the authorized officer.

(3) Under section- 27(2) of the Bihar Fire Service Act, 2014, submit your own show cause within..... days from the receipt of this notice, that why not action related to removal etc, of that stuff or goods or encroachment be taken under section- 27 (2)(3)(4)(5) & (6) of Bihar Fire Service Act, 2014.

Sub-Divisional Magistrate,

.....

FORM--W

Order of Sub-Divisional Magistrate regarding confiscation, detention or removal in case of non-receipt of show cause served after default in removing probable factors of fire risk or show cause received found unsatisfactory.

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (d) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the Sub-Divisional Magistrate.....

Date-.....

To,

.....
.....

(Name and address of owner/ occupant of the building/ premises/ pandal)

Sub:- Order for confiscation, detention or removal of probable factors of fire risk, due to non receipt / finding unsatisfactory the show cause asked due to default in compliance of directions given by Fire Service for removal of probable factors of fire risk.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is informed that-

(1) The premises/building under your ownership/ occupancy/ the pandal erected by you was verified by the Director/AuthorizedOfficer, State Fire Service on date-..... at.....hours, regarding which a report has been submitted by him vide letter no.-..... date-..... During verification by him, thestuffs/ object were found in the premises/building under your ownership/ occupancy/in the pandal erected by you, due to which there is probability of risk of fire incident in that premises/building/pandal or nearby premises/ building/pandal or will be reason of obstacles in control of fire in case of fire incident.

(2) Under the powers conferred vide sub-section-1 of section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014 and rule 19(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021, the direction was given by him to you for removing those stuffs or goods or encroachment immediately/ within..... hours/days. In addition to this, you were made acquainted with the report to be submitted to the Sub-Divisional Magistrate for legal action under section 27 (2)(3)(4)(5) & (6)of Bihar Fire Service Act, 2014 in case of non-compliance of the above direction, but the above probable factors of fire incident/ encroachment has not been removed by you. The petition submitted by you vide letter no.-..... date-..... was found unsatisfactory by the authorized officer.

(3) You had been informed under section 27 (2) of Bihar Fire Service Act, 2014, to submit your own show cause within..... days from the date of receipt of the notice that why not action related to removal etc of that stuff or goods or encroachment be taken under section- 27 (2)(3)(4)(5) & (6) of Bihar Fire Service Act, 2014.

(4) The show cause has not been filed by you/the show cause submitted by you has been found unsatisfactory after proper consideration. Due to keeping of factor of fire risk in that building/premises/pandal/encroachment done by you, the risk of life and property of common people has arisen.

(5) By using powers conferred under rule 19 (d) of Bihar Fire Service Rules, 2021, under section 27 (3) of Bihar Fire Service Act, 2014, I (name of the authority.....(designation)....., hereby give order to seize/keep detained the following stuffs/ goods/ to remove the encroachment due to the above mentioned reasons:-

Sl no.	Place of seizure	Details of seized goods/ movable properties (with amount/ number)	Reason of seizure or keeping detained

Sub-Divisional Magistrate.

.....

FORM--X**Seizure list of probable Fire risk factors**

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (e) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

1. Case no-.....
2. Place-.....
3. Date-.....
4. Time-.....
5. Name & address of the owner / occupant-.....
6. Name & address of the persons present-
7. Name & address of witnesses-.....
 - (A) (a) Sri/smt.....
 - (b) Son/ daughter/ wife of.....
 - (c) Resident of
 - (d) Age (in year)-.....
 - (e) Business -.....
 - (B) (a) Sri/smt.....
 - (b) Son/ daughter/ wife of.....
 - (c) Resident of.....
 - (d) Age (in year)-.....
 - (e) Business -.....

We, the above written all the witnesses Sri/smt..... called by (designation)at the address (place)..... of the building/premises/pandal are witnesses during seizure of certain movable properties or goods, which was kept by the owner/occupant in the premises/building/pandal and brought before us. That (The name and address of the office) has seized the following stuffs/goods, in our presence, which we found correct:-

Sl. no.	Place of seizure	List of seized movable properties/goods	Amount	Reason to seize & keeping detained

The seizure list was read before us and made clear before us and it was bound correct in our sight.

Signature of the witnesses

(1).....

(2).....

Received the copy of the seizure list**(Signature of the officer seizing goods)****Signature of the owner/occupant**

FORM--Y**Notice for auction in case of non-removal of probable factors of Fire risk
from place kept after seizure and default in claim**

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (f) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the Sub-Divisional Magistrate.....

Date-...../

To,

.....
.....

Ref:- Letter no.-..... date-.....of this office.

**Subject:- Notice for action in case of default in removing and claiming the
probable factors of fire risk.**

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) Certain goods/ movable properties had been seized (from premises situated on the address of the premises) on date-.....in case no.-..... date-..... under seizure list no.-..... date-..... under section-27 of Bihar Fire Service Act, 2014.

(2) That movable properties/goods has been presently kept in (address the premises).....

(3) Now, that's why I (Name)
.....(designation)

.....(office address)....., hereby instruct you to remove that goods/movable properties on any working day from hour to hours within..... days, at your own risk and cost. In case of default done in it by you, it will be understood that you have not any desire of claim on those goods/ movable properties and further, without giving any notice, the disposal of those goods/ movable properties will be done by public auction under sub section (5) of section-27 of Bihar Fire Service Act, 2014.

Date.....**Place.....****(Signature)****Name-.....****Designation-.....**

FORM--Z

Appeal by the affected person against auction of probable factors of Fire risk items.

(Under section- 27 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-19 (g) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

The Appellate Authority (should be officer of senior rank from Sub-Divisional Magistrate).....

Ref:- Letter no.-..... date.-.....of Sub- Divisional Magistrate.

Sub:- Appeal against the auction on default done in removing or claiming the probable factors of fire risk.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1)The certain goods/ movable properties concerned with building/ premises under me has been seized in case no.....date.....under seizure list no..... date..... under section-27 of the Bihar Fire Service Act, 2014.

(2) The action of those movable properties / goods has been done/fixed to be done on date..... by the Sub-Divisional Magistrate.

(3) In this regard, I request for consideration on following facts and release of seized goods in my favour by cancellation of that auction procedure.

(a)

(b)

(c)

(d)

Name/address/date

FORM--A-1**Notice for appointment/ training of Fire Safety Officer.**

(Under section-29 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-20 (b) of Bihar Fire Service Rules, 2021, under section- 30 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-20 (c) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Office of the (Authorized Officer),.....

Date-...../

To,

.....

.....

(Name and address of the owner/ occupants of the building, premises)

Sub:- Regarding appointment/training of Fire Safety Officer.

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to say that-

(1) Your building/ premises has..... basement and floors which is covered by the provisions of section 29 and 30 of the Bihar Fire Service Act, 2014. It has been expected from the owner of the building or occupant or their association for appointment of Fire Safety Officer under section 29 and the Fire Safety Officer to be trained under section 30.

(2) The verification of your building/ premises has been done by..... officer on date..... After verification, it has been found that the Fire Safety Officer has not been appointed in that building/ premises.

(3) After verification of your building/ premises it has been found that the Fire Safety Officer appointed in that building/ premises is not properly trained.

So that, I expect from you that the Fire Safety Officer should be appointed for that building/ premises within 30 days from the date of receipt of the notice/ should make available the certificate concerned with the appointed Fire Safety Officer being trained or the appointed untrained Fire Safety Officer should be admitted for training in Fire Training Academy, Anandpur, Bihta. In case of not doing so, action for penalty will be done under section 31 of Bihar Fire Service Act, 2014 and rule 20(e)(f) of Bihar Fire Service Rules, 2021.

Signature of Director/ Authorized Officer,

Name-

Designation-

Seal-

FORM--B-1**Notice regarding imposition of penalty in case of default in appointment of Fire Safety Officer, in spite of notice served for appointment of Fire Safety Officer.**

(Under section-29 and 31 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-20 (d) (e)(f) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.**Office of the..... (Authorized Officer).....**

Date-...../

To,

.....

.....

(Name and address of the owner/ occupants of the building, premises)

Ref:- Letter no.-..... date-..... of this office.

Sub:- Regarding non-compliance of the notice given, related to appointment / training of the Fire Safety Officer.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that:-

(1) Your building/premises is covered by the provisions of section 29 and 30 of the Bihar Fire Service Act, 2014. The appointment of Fire Safety Officer under section-29 of the Bihar Fire Service Act, 2014 and the Fire Safety Officer being trained under section 30 of the Act had been expected.

(2) It had been directed lawfully on date-..... by the undersigned to appoint Fire Safety Officer in that building or for providing training to him, but the Fire Safety Officer has not been appointed in that building/premises by you till date, while the period of 30 days had been fixed in the notice.

(3) Neither any certificate has been made available, regarding being trained of Fire Safety Officer appointed in that building/premises nor has been admitted for training in Fire Training Academy, Bihta, within the stipulated period, by you.

(4) Action to be done for penalty under section 31 of Bihar Fire Service Act, 2014 and rule-20 (e) (f) of Bihar Fire Service Rules, 2021, in case of non-compliance of the above direction had been mentioned in the notice.

So, submit show cause that why not action should be done for recovery of prescribed penalty under rule 20 (d)(e)(f) of Bihar Fire Service Rules, 2021 under section 31 of Bihar Fire Service Act, 2014 due to non-compliance of notice served under rule 20 (b)(c) of Bihar Fire Service Rules, 2021, under section 29 and 30 of Bihar Fire Service Act, 2014. In case of non-receipt of your show cause, it will be understood that you have nothing to say regarding this and action for recovery of penalty will be started.

Signature of Director/Authorized Officer

Name-

Designation-

Seal-

FORM--C-1**Notice for Fire Audit of Building or Premises**

(Under section- 33and 43(1) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (a) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-...../

Office of the State Fire Officer- cum-Director, Bihar, Patna.**Office of the (Authorized Officer),**

Date-

...../

To,

.....

.....

(Name and address of the owner/ occupant of the building, premises)

Sub:-**Notice for fire audit of the building or premises.**

Sir,

With respect to the above mentioned subject, it is to say that-

- (1) There are basements and floors in your building/ premises.
- (2) The fire audit of the building/ premises is necessary for verification of adequacy/inadequacy of the fire prevention and fire safety measures for the safety of life and property from fire disaster.
- (3) Under rule-22(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021 under section 33 and 43(1) of Bihar Fire Service Act, 2014, the power for fire audit is conferred, for ensuring the fire prevention and fire safety measures, after entering in any type of building or premises between sunrise to sunset, after notice of 3 hours or at any time without notice in case of thinking of urgency.

That's why, the fire audit of your building/ premises will be done on date..... at..... hours under the above mentioned conferred powers. Please, will remain/present for fire audit yourself /vide your representative with necessary documents.

Signature of Director /Authorized Officer**Name-****Designation-****Seal-**

FORM—D-1**Check points for Fire Audit of different categories of buildings and notice for necessary action regarding compliance of Fire Safety measures after the fire audit.**

(Under section- 33 and 43(2) (3) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (b)(c) (d) (g) (h) (i)(j) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

1. Name of the building / address / a specially marked building for the identification: -
2. Year of construction of the building: -
3. No objection certificate (year of provisional / final / renewal)
4. Date of last fire audit: -
5. Type of building occupancy: -
6. Types of sub-occupancy: -
7. Height of the building (in meters) from ground level: -
8. Height of constructions in the surroundings of the building: -
09. Distance of the building from the electric lines (vertical and horizontal distance- in meters): -
10. The covered area of the building (in square meters)(of floors including basement and stilt)
11. Number of floors: -
12. Number of basements: -
13. Number of stilts / ground floor: -
14. Number of blocks: -
15. Average occupants load per floor: -
16. Floor wise (area / number of occupants): -
17. Approach road / street (name and width): -
(Minimum width of approach road should be 12 feet - 20 feet)
18. Is this of hard surface and worthy for vehicle movement.
19. Is ending in the dead end.
20. Width of the approach/ open space and width in front of the block and the other three sides set back:-
21. Vehicle access all around the building and for movement at the angle of the building:-
22. Is there a minimum width and height of main entrance and exit door to ensure easy entry and exit of fire fighting vehicles?
23. Car parking (site and number of vehicles): -
24. Projection in the open space (distance from four sides of the building): -
25. Number of entrance doors: -
26. Number of exit doors: -
27. Open space above the head in entrance /exit door: -
28. Internal stair (height /width of treads/ height and number of risers /height of hand rail): -
29. Number of exit stair (height/width of treads/height and number of risers/ height of hand rail):-
30. Travel distance (distance from the farthest point / distance from turning end of corridor to the stair): -
31. Ramps (number /width /steep): -
32. Number and capacity of traveller lift: -
33. Number and capacity of service lift: -
34. Number and capacity of fire lift: -

35. Refugee Area (on which floor / area): -
36. Fire tower (on which floor / area): -
37. Closed vertical open space: -
38. Corridor and route (according to the desired width / path not affected): -
39. Position of horizontal exit: -
40. Illuminised exit symbol for exit: -
41. Roof distance in basement /route of entry/ventilation etc. : -
42. Papers related to fire rating: -
43. Compartmentalization: -
44. Smoke evacuation system: -
45. Electrical installation: -
46. Sub-station / Transformer: -
47. Alternate sources of power supply: -
48. Air conditioning systems: -
49. Provisions of protection from sky lightening: -
50. Minimum fixed fire fighting installation (as per table-7 of Part-4 of NBC-2016)
51. Automatic detection and alarm system (smoke detector, heat detector, beam detector, fire detector control panel in floor): -
52. Automatic sprinkler system: -
53. Hose reel: -
54. Wet risers: -
55. Dry risers: -
56. Down comer: -
57. Yard hydrant: -
58. Underground static water tank (number / total capacity - liters): -
59. Roof tanks (number / total capacity - liters): -
60. Details of pumps - Electrical main pump / standby diesel pump /electrical pump for sprinkler system /booster pump (number and capacity per minute): -
61. Portable fire extinguishers (number / capacity / quality / make / serial number / explosive number / year of manufacture / year of purchase / ISI mark / refilling date of each type): -
62. Fire control room: -
63. Fire drill and fire order (including emergency evacuation building plan): -
64. Fire Safety Officer: -
65. Other points can be included on the basis of form -C / I.

Some points for cinema halls for attention: -

- (a) Emergency Evacuation Plan has been made or not? If yes, whether approved by licensing authority or not?
- (b) Whether small documentary related to exits, emergency escape route, do's and don'ts in case of fire or other disaster, being exhibited by cinema hall during each show or not ?
- (c) Whether all employees of the cinema hall are trained or not in the fire drill and evacuation process? The exit door is used for the exit by the cinema hall leaving the entry door, but in no situation the entry gate is to be closed from outside because the entry gate can also be used as an exit door in an emergency. Whether at the end of the demonstration, the entrance door is blocked with easily movable obstruction and whether the entrance door from outside is not closed or closed?

- (d) Whether half yearly inspection has been done for checking the safety equipments etc by the Fire Services / Electricity department / licensing authority?
- (e) The fire safety rating given by the Fire Service to the cinema hall - green (fully compliance), yellow (satisfactory compliance), red (poor compliance) is clearly displayed?
- (F) Whether mock drill has been done least once in a year in the cinema hall or not?

Some important points for attention for hospital: -

Check list of advance preparations for fire safety

Sl. No.	Action to be done	Yes	No
1.	Repair / care of fire-related equipments (if pre-existing)		
2.	Arrangement of fire safety equipments to proper placements (if not previously available)		
3.	Identification of potential areas (sensitive) / places and preparation of map		
4.	Resource map		
5.	Repair and maintenance of electrical appliances, electric transmission line etc.		
6.	Transformer status for electrical transmission		
7.	Availability of generator, petromax, battery-powered lighting equipment etc. (under alternate arrangement for contingency)		
8.	Proper availability of related drugs.		
9.	Preparation of action plan for the evacuation of patients / families		
10.	Evacuation action plan including treatment of families and continuous treatment of patients		
11.	Identification of the safe place after the evacuation of patients / families		
12.	Availability of water resources and water storage		
13.	Emergency exit system		
14.	Recognition of the nodal officer / appointment of supervisor		
15.	Status of road access to hospitals (for systematic movement)		
16.	Implementation of emergency operations / control room		
17.	Communication plan		
18.	Contingency plan for deployment of trained personnel		
19.	Formation of Hospital Fire safety Committee		
20.	Preparation of fire safety plan (FRP)		
21.	Appointment of Fire Safety Officer (According to the National Building Code, 2016 as amended from time to time)		

The above fire audit report shows that deficiency in fire safety measures has been found on certain points. It is essential to solve the short comings found, for the safety of life and property of the occupants, from fire disaster. Therefore, the counseling / instructions are given for resolving the defaults within days, otherwise statutory action may be taken under section-37, 44 of Bihar Fire Service Act, 2014 and under rule-22 (b)(c)(d)(g)(h)(i)(j) of Bihar Fire Service Rules, 2021 and under byelaws 16 (7) of Bihar

Building Byelaws, 2014 as amended from time to time. The consolidated details of the defaults found are as follows: -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

**State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna
..... nominated officer.**

Letter no.-..... /, Date- /

**Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.
Office of (Nominated officer),**

Copy to: - (sent for information to the building owner / occupant / manager / secretary-president of association of occupants/ person concerned. Please try to comply with the above counseling / instructions within the stipulated time, otherwise statutory proceedings may be done.

**State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna /
..... nominated officer**

FORM--E-1

Notice to be given by the Director to the owner of the building or premises, after the fire audit conducted by the Director himself or by the nominated officer, for removing the inadequacies found in fire prevention and fire safety measures, within appropriate period, after taking responsibility .

(Under section- 34, 35 and 43(2) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (d) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no-...../

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Office of the..... (Authorized Officer)

Date-.....

To,

.....
.....

(Name and address of the owner / occupant of the building, premises)

Ref. : - Letter no.-..... date-.....of the (nominated officer).....

Sub: - Notice for removing inadequacies found after fire audit of the building or premises, in arrangements related to fire prevention and fire safety.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) There arebasements and.....floors in your building/ premises.

(2) The fire audit of your building/premises, for verification of adequacy / inadequacy of fire prevention and fire safety measures for the safety of the life and property from the fire disaster, has been done by the undersigned/Fire Audit report has been submitted by the (nominated authority).....vide letter no.-.....date-.....(attached).

(3) It is the responsibility of the builder to ensure the arrangement of all the measures related to fire prevention and fire safety in the building/ premises before handing over of the building/ premises and after the receipt of the occupancy of the building/premises, the concerned responsibility is of the owner or occupants of the building / premises or their association.

(4) The inadequacies in the fire safety measures found after fire audit in that building/ premises are mentioned in the fire audit report, removal of which is your responsibility.

(5) Please, remove the inadequacies found in fire prevention and fire safety measures within..... days, otherwise legal action will be done under section-37 and 44 of Bihar Fire Service Act, 2014 and under byelaws-16(7) of Bihar Building Byelaws, 2014.

Director -

Authorized Officer-

Name :-

Designation: -

Seal: -

FORM--F-1**Appeal by the person affected by the notice served to the owner or occupant of the building premises.**

(Under section- 36 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (e) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Date-.....

To,

The State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.

Ref: -

Your Letter no -..... Date

Letter no.-..... Date..... of the (Nominated officer).....

Sub: -

Appeal against the notice received for removing the inadequacies in the arrangements related to fire prevention and fire safety found after fire audit of the building or premises.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) There arebasements and.....floors in my/ our building/ premises.

(2) The verification of my/our building/premises was done for the safety of the life and property from fire disaster, by you/ by the nominated officer.

(3) The responsibility to ensure the arrangements of all the measures related to fire prevention and fire safety in my/our building/premises has been given to myself/ourselves, otherwise matter of legal action has been mentioned.

(4) In this regard, it is requested for consideration on following points:-

(a)

(b)

(c)

Yours faithfully,**Addressof the building: -****Signature/name/address of the
Building owner/occupants/member of association****Date: -****Signature/name/ address /listing number of the
architect/ engineer/ structural engineer/ builder.**

FORM--G-1

Notice to the building owner or occupant regarding the evacuation / sealing of the building or premises, in case of not removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant.

(Under section-34, 35, 37 & 44 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna .

Office of(Authorized Officer).....

Date-

To,

.....

.....

(name and address of the owner / occupant of the building / premises)

Ref: - Letter No. - date-.....of this office .

Letter No.-..... date.....of the (nominated officer)

Sub: - Notice regarding evacuation / sealing of the building / premises due to non-compliance of notice given to remove inadequacies in the arrangements related to fire prevention and fire safety found after fire audit.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) The fire audit of your building/ premises, in which there are.....basements andfloors, had been done by the undersigned / by the (nominated officer)....., for verification of adequacy/ inadequacy of fire prevention and fire safety measures.

(2) The notice has been given to you by the undersigned / nominated officer, related to removing of inadequacies mentioned in the fire audit report within..... days, otherwise doing legal action under section-37 and 44 of the Bihar Fire Service, 2014 and under byelaws- 16(7) of Bihar Building Byelaws-2014, because of your responsibilities to ensure arrangements of all the measures related to fire prevention and fire safety in the building/ premises.

(3) The inadequacies related to fire safety, mentioned in the fire audit report has not been removed by you within the stipulated period.

(4) Please submit show cause that why not penal action against you be started under section- 37 of Bihar fire Service Act, 2014. In case of non- receipt of your show cause within 10 days, the penal action will be started lawfully.

(5) The status of the building/premises under your occupancy is dangerous for the life and property. So that submit show cause that why not direction under section-44 of Bihar Fire Service Act, 2014, be given to keep yourself along with all the occupants, in abeyance from that building/ premises otherwise direction to seal the building/premises, or why not further action be done under byelaws- 16(7) of Bihar Building Byelaws-2014 **as amended from time to time**, related to declaring the building/ premises legally unsafe.

Director: -

Authorized officer :-

Name :-

Designation:-

Seal:-

FORM--H-1

Notice regarding sealing of the building after service of notice for evacuation of the building or premises, in case of not removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant.

(Under section- 34,35 &44 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22 (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Office of (Authorized Officer),.....

Date -.....

To,

.....

.....

(name and address of owner/ occupant of the building / premises)

Ref: - Letter no-..... date-..... of this office.

Letter no-..... date..... of the (nominated officer)

Sub:- Action for sealing the building/ premises due to not evacuating the building/ premises in spite of the notice given regarding evacuation of the building/ premises due to non-compliance of notice given to remove the inadequacies in the arrangements related to fire prevention and fire safety , found after the fire audit.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) The notice regarding removing the inadequacies in your building/ premises, mentioned in the fire audit report related to adequacies/ inadequacies of the fire prevention and fire safety measures, within.....days, otherwise doing legal action, had been given to you by the undersigned / nominated officer, but the inadequacies related to fire safety, mentioned in fire audit report, was not removed by you within stipulated time period.

(2) The show cause was asked from you that why not direction under section-44 of Bihar Fire Service Act, 2014, be given to keep in abeyance yourself along with all the occupants, from that building/ premises due to the status of the building/ premises under your occupancy being dangerous for life and property, otherwise the direction to seal the building/ premises, or why not further action, related to declaring the building / premises legally unsafe , be done under byelaws- 16(7) of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time.**

(3) The expectations regarding keeping in abeyance yourself along with the occupants, from the building/ premises has not been complied by you.

So that the building/ premises has been vacated from the occupants legally. After that the building/ premises is being sealed. The penal action will be done under section-44 (5) of the Bihar Fire Service Act, 2014, against the person removing this seal.

**Director -
Authorized Officer-
Name-
Designation -
Seal-**

Paste on the wall of the building / premises.

FORM--I-1

Notice to the building owner or occupant regarding further action for declaring the building or premises unsafe legally, under byelaws-16(7) of the Bihar Building Byelaws, 2014, in case of not removing the inadequacy found in the fire prevention and fire safety measures, by the building owner or occupant/ related report to the concerned body or authority for legal action.

(Under section 44 of the Bihar Fire Service Act, 2014, under rule 22 (i) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Office of (Nominated officer),

Date-.....

To,

.....

.....

(Name and address of the owner/occupant of the building / premises)

Ref. :- Letter no.- date-.....of this office.

Letter no.-date-.....of the nominated officer.....

Sub: - Regarding the building / premises being declared unsafe due to non-compliance of the notice given to remove the inadequacy in the arrangement related to fire prevention and fire safety after the fire audit.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

(1) The fire audit of your building / premises, in which there are..... basements and.....floors, was done by the undersigned/ (nominated officer), for verification of adequacy/ inadequacy of fire prevention and fire safety measures.

(2) The notice had been give to you by the undersigned / nominated officer, related to removing of inadequacies mentioned in the fire audit report within days, otherwise doing legal action under section- 37 and 44 of the Bihar Fire Service Act, 2014 and under byelaws-16(7) of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, due to your responsibilities to ensure arrangements of all the measures related to fire prevention and fire safety in the building / premises.

(3) The inadequacies related to fire safety, mentioned in the fire audit report has not been removed by you within the stipulated period.

(4) The show cause had been asked from you that why not penal action against you be started under section – 37 of Bihar Fire Service Act, 2014. Your show cause was not received / was found unsatisfactory.

(5) The show cause had been asked from you related to the direction under section – 44 of Bihar Fire Service Act, 2014, for keeping in abeyance yourself along with all the occupants, from that building/premises due to the status of the building / premises under your occupancy being dangerous for life and property, otherwise why not the direction be given to seal the building / premises, but the show cause was not submitted by you/ the show cause was found unsatisfactory. Even the expectations regarding keeping in abeyance yourself along with the occupants, from the building / premises was not complied, due to which the building / premises was sealed legally / action of sealing is being done.

(6) The show cause had been asked regarding why not further action related to declaring the building / premises legally unsafe under byelaws-16(7) of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**, but your show cause was not received/ was found unsatisfactory.

(7) Since due to major inadequacies in fire safety measures, the status of the building / premises is dangerous in the light of the safety of the life and property of the occupants, so that the further action related to declaring the building/ premises unsafe legally is being done under byelaws-16(7) of Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**.

Signature of the Director/Nominated Officer

Name-

Copy: - (competent Authority/ Municipal Body)Designation-
For information with regards please and sent Seal-
For further action related to declaring the building/
Premises unsafe legally under byelaws-16(7) of
Bihar Building Byelaws, 2014 **as amended from time to time**.

FORM--J-1

Fire Report regarding fire incident.

(Under section- 2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-25 (b) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Fire report number -.....

1. Name of Fire Station: -
2. Date of fire incident: -
3. Address of the place of occurrence: -
Panchayat-.....Police station-.....Block-.....
4. Distance of place of occurrence from the fire station: -
5. Details of place of occurrence: -
Pucca (how many floors)-
Slum /hut /farm / barn-.....
6. Time of receipt of the information/medium/name and mobile number of the original informant:-.....
7. Time of starting of fire: -
8. Time of departure of fire fighting squad: -
9. Time of arrival of fire fighting squad at the place of occurrence:-
10. Timing of departure of fire fighting squad from the place of occurrence: -
11. Time of return of fire fighting squad to the fire station:-
12. Name of senior officials / personnel at the place of occurrence:-
.....
13. Types of fire tender / portable pump (registration no.) and pumping kilo meters: -
.....
14. Type of fire (small/medium/large/severe): -.....
15. Name of damaged goods/percentage of damage caused by fire: -.....
.....
16. Name of goods rescued from fire: -.....
.....
17. Number of person / persons injured in fire: -.....
.....
18. Number of dead person / persons burnt from fire: -
.....
19. Details of injured / dead persons / animals from fire: -
.....
20. Clear reason of the fire incident (i.e. fire of the fireplace (chulha) / fire of ash / dhibri / candle / biri- cigarette / thrasher / gas cylinder / electric short circuit / transformer / spark of railway / brick-kiln spark / flammable material / sky lightening / spontaneous fire etc.): -
.....
.....
21. Name of the owner: -
22. Details of nearby water resources: -
23. Brief description of the incident and action taken: -
Letter no.-..... / Date-..... /

Office of the Fire Station Officer / in charge fire station officer.....

To,

State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna, for necessary action.

Signature

Name of the officer.....

Fire Station Officer / In charge Fire Station Officer

FORM--K-1**Application to be submitted by the owner or occupant of the building for amendment in the Fire report regarding fire incident.**

(Under section- 2(g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-25 (c) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

To,

State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna .

Ref.: - Your letter no.- date-.....

**Sub: - Request for amendment in fire report related to computer ID no.-.....
date-....., fire report no.-..... date-..... in case of building /
premises
named.....address.....**

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that:-

- (1) There are following factual inaccuracy / inaccuracies in the subjected fire report -

The actual fact behind the above mentioned factual inaccuracy / inaccuracies is / are the following –

- (3) In support of the above claims, I am attaching the following documents-
In the light of the above facts, it is requested to make necessary amendments in the subjected fire report.

Yours,**Appellant's signature and full address.**

FORM--'L-1'

Demand letter to be submitted to the concerned authority for payment of prescribed deployment charges for deployment of members of Bihar Fire Service with equipments out of State jurisdiction.

(Under section- 22(01) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-28 (a) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

Letter no.-.....

Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna.

Date-.....

To,

.....
(concerned authority)

Ref.: - Your letter no. -.....date-.....
Letter no.-.....date-of this office.

Sub: - Demand letter for payment of deployment fee offire service out of state jurisdiction.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

- (1) The deployment of the members of Bihar Fire Service with the necessary equipments was done on your request at (place)..... fordays.
- (2) The fire fighting was done by the members of Bihar Fire Service from date- till date-.....
- (3) n the fire fighting work, following vehicles and equipments were used. The details of the deployment fee on the basis of Schedule-'H' of the Bihar Fire Service Rules, 2021 are as follows:-

It is requested that the payment of the desired deployment fee should be paid through the bank draft by designation of Director, State Fire Service, Bihar, Patna.

**State Fire Officer-cum-Director,
Bihar, Patna.**

Schedule - "A"**Duties and Responsibilities of Officers/Employees of various cadres of Fire Service.**

(Under Section-04, 05 (a) and 12 of the Bihar Fire Service Act, 2014, under Rule 09 of the Bihar Fire Service Rules, 2021)

(1) Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer -

- (a) They will discharge the responsibilities of in-charge of the fire zone formed at the level of revenue division.
- (b) They will discharge the duties of the controlling and supervisory officer of all the district level fire divisions, sub-divisional fire stations and other fire stations under their jurisdiction.
- (c) They will discharge their duties, remaining normally in full charge of the operations to be done in the event of severe fire and emergency.
- (d) They will discharge the duties of the controlling and supervisory officer of the entire training of the officers and personnel, after being posted as the Principal of Fire Training Academy, Anandpur, Bihta.
- (e) They will discharge the duties and responsibilities according to the directions of the Director or Additional Director, after being posted/deputed in the state fire headquarter.

(2) Assistant Divisional Fire Officer -

- (a) They will co-operate with the Deputy Director-cum-Divisional Fire Officer.
- (b) They will be in his charge, in case of his being on leave or other duty.
- (c) Upon posting in Fire Training Academy, Bihta, they will discharge duties as associate of the principal.
- (d) They will discharge the duties and responsibilities according to the direction of the Director or Additional Director, after being posted/deputed in the state fire headquarter.

(3) District Fire Officer -

- (a) They will discharge the responsibilities of the in-charge of the Fire Division formed at the district level.
- (b) They will discharge the duties of the supervisory officer of all the district level, sub-divisional level fire stations and other fire stations under their jurisdiction.
- (c) They will discharge their duties, remaining normally in full charge of the operations to be done in the event of severe fire and emergency.
- (d) They will discharge the duties and responsibilities according to the directions of the Director or Additional Director, after being posted/deputed in the state fire headquarter.

(4) Assistant District Fire Officer -

- (a) They will assist the District Fire Officer.
- (b) They will be in his charge in case of his being on leave or other duties.

- (c) They will discharge the duties and responsibilities according to the direction of the Director or Additional Director, after being posted in the state fire headquarter.

(5) Fire Station Officer .— They will discharge the duties and responsibilities as in-charge of fire station. The Fire Station Officer posted in the sub-division level fire station, will be called the Sub-Divisional Fire Officer, who will be the controlling and supervisory officer of all fire stations in the sub-division area, in addition to the responsibilities of his own fire station.

Their duties and responsibilities will be as follows: -

- (a) Being always ready for the safety of life and properties from fire disasters and other duties at any time and keep the subordinates ready and forthright.
- (b) Compliance with the orders of senior officials to be done promptly with courtesy.
- (c) To inform the senior officials about all the activities related to fire in their own fire station and other fire stations.
- (d) To take charge of all the appliances, stores and equipments etc. of the fire station and to keep it effective and report to the senior officials in relation to its functioning properly. Submission of report to senior officials in relation to other requirements as well.
- (e) Giving directions to all fire officers / all personnel about using and keeping fit the machinery and equipments available in the fire station and to carry out the related drills, so that there might not be any type of problem in immediate fire fighting duty on fire alert.
- (f) To conduct a parade at least once a month for the checking of the dress of the personnel, books and equipments in the fire station.
- (g) Checking the presence of personnel along with fire equipments.
- (h) To check the turnout of personnel at least once in a month. This work should also be done in a random manner.
- (i) To check office watch twice in a day at regular intervals.
- (j) To ensure the personnel present in proper dress for duty at the place of work and to be aware of the duties.
- (K) To ensure the communication system being effective. To familiarize himself and his personnel with the network of communication systems. Reporting to the concerned authority immediately if the status of the communication system is not correct.
- (l) Keeping the right information of all the cases related to accounting in the fire station.
- (m) Complete checking of water pump at least once in a week.
- (n) Informing immediately to the senior officials and concerned police station in connection with any kind of accident, loss of life and property.
- (o) To be aware of the water supply system in own area and to make his personnel aware. In case of fire hydrants in the area, checking them regularly and keeping / to make keeping them working.
- (p) To be aware of the fire disaster and geographical location of own area and border area and to make the sub-ordinates also aware.
- (q) Keeping updated all the registers, log book, incident register, attendance register etc of fire station. Simultaneously submission of fire report and

other types of statements and reports, within 48 hours, excluding the government holidays.

- (r) Doing fire audit of the concerned building in presence of the owner / occupants of the building. To make them aware in writing regarding the need of fire extinguishers and other related equipments/measures related to fire safety. Submission of concerned report to the state fire headquarter and making complied the advice given to the owner/ occupants of the concerned building.
- (s) To organize the mock drill in the building in presence of the officers /personnel and to provide practical training to the owner/occupant of the building regarding method of safe escape practically, in the event of a fire disaster. To give them knowledge in the meeting about the work to be done/not to be done in the light of fire safety points.
- (t) Giving due training to own personnel regarding fire disaster / fire safety.
- (u) Impartial recommendations for reward in case of commendable work and punishment in case of work being unsatisfactory of his subordinate personnel.
- (v) To discharge duties and responsibilities as per the directives of the head of the office concerned in case of posting/deputation in state fire headquarter/ divisional fire office/ Fire Training Academy.

(6) Sub-Officer -

- (a) The fire station, in which fire station officer and sub-officer will be posted, the fire station officer will be the in-charge of the concerned fire station and he will be assisted by the sub-officer in discharge of his duties.
- (b) In the absence of the Fire Station Officer, the sub-officer, remaining in charge of the fire station, will discharge the duties and responsibilities prescribed for the Fire Station Officer.
- (c) On posting/deputation in the office of the Divisional Fire Officer/Fire Training Academy, will discharge the duties and responsibilities according to the direction of the head of the office.
- (d) On the posting/deputation as Fire Safety Officer, will discharge the duties and responsibilities according to the direction of the concerned Fire Station Officer.

(7) Leading Fireman .—He will be in-charge of the operating team and the daily in-charge of the general work of the fire station. His main duties and responsibilities will be as follows:-

- (a) To be available at his place of duties.
- (b) To comply with all the legal orders of his senior officers correctly and with courtesy.
- (c) To prepare properly his on-duty subordinate personnel for duty. To make them aware of their duties and to give information about fire fighting equipments.
- (d) To keep clean the station premises.
- (e) Remaining in the charge of all the equipments of the fire station, keeping them systematic and useful.
- (f) To look after all types of equipments, uniform clothes, records and other materials and to give report to the senior officer on any kind of loss.

- (g) To carry out drill parade and other concerned works of his subordinate personnel.
- (h) To keep acquainted the senior officers regarding the activities of the personnel of the fire station and all types of information affecting the fire service.
- (i) On posting/deputation in Fire Training Academy, will discharge duties and responsibilities according to the direction of the Principal.

(8) Leading Driver.—He will be in-charge of the vehicle driving of the fire extinguishing operating team and related equipments. In the absence of the Leading Fireman, he will be the in-charge of the operating team and the daily in-charge of the normal works of the fire station. His main duties and responsibilities will be as follows:-

- (a) To be available on duty for vehicle driving etc. at his place of duty.
- (b) To comply with all the legal orders of his senior officers correctly and with courtesy.
- (c) To prepare properly his on-duty subordinate personnel for duty. To make them aware of their duties and to give information about fire fighting equipments.
- (d) To keep the fire station premises clean.
- (e) Remaining in-charge of vehicles and equipments of the fire station, keeping them systematic and in working condition. To examine the vehicles at least two times in a day regarding the working condition and maintaining the concerned records,
- (f) Remaining in the charge of the vehicle and the concerned fire fighting equipments, maintaining the records of work of the vehicle, mileage, consumption of fuel etc.
- (g) To submit report to the senior officers concerned with any type of loss in the vehicle and related fire fighting equipments.
- (h) To keep acquainted the senior officers regarding the activities of the personnel of the fire station and all types of information affecting the fire service.
- (i) On posting/deputation in Fire Training Academy, will discharge duties and responsibilities according to the direction of the Principal.

9. Fireman:-

- (a) To be available at his place of duties.
- (b) To comply with all the legal orders of the senior officers correctly and with courtesy.
- (c) To keep clean his quarter/barrack.
- (d) To give his full time and attention on fire service during his duties.
- (e) To place example for others regarding cleanliness, speed and duties.
- (f) To keep clean the premises of the fire station, vehicle and pumps, instruments room, officer's room, drill yard, watch room, workshop, residence, drill tower, hauz drying tower and to keep the equipments, gear etc clearly clean and systematic.
- (g) To be present within minimum time on ringing of alarm for being present on fire incident, special service, fire fighting exercises etc.
- (h) To keep remembered the geographical situation of his and nearby areas, along with the sites concerned with fire risk by identifying and to inform the senior officers.
- (i) To assist the driver in maintenance of the equipments and vehicles.

- (j) To discharge the duties related to guard / workshop/ control room/ telephone/ wireless according to the direction of the Fire Station Officer/ Daily in- charge.
- (k) To report to the leading fireman by inspecting the fire fighting equipments. The honesty of the squad, cleanliness, maintenance of the allotted equipments, cleaning of the floor, wall, window, hauzetc will be the responsibilities of the fireman of the concerned squad, separately and jointly.
- (l) On posting/deputation in Fire Training Academy, will discharge his duties and responsibilities according to the direction of the Principal. On Posting/deputation with Fire Safety Officer, will discharge his duties according to his direction.

10. Fireman Driver-

- (a) To be available for the duty of vehicle driving etc at his place of duty.
- (b) To comply with all the legal orders of his senior officers correctly and with courtesy.
- (c) To be prepared and attentive for his duties in the light of the direction given by the senior officers,
- (d) To keep clean the fire station premises.
- (e) To keep the vehicles and equipments of the fire station systematic and working according to the directions of the senior officers. To examine the working condition of the vehicle at least twice in a day and maintenance of the concerned records.
- (f) Remaining in the charge of the vehicles and the concerned fire fighting equipments, maintaining the records regarding the work of the vehicle, mileage, consumption of fuel etc.
- (g) To submit report to the senior officers concerned with any type of loss in the vehicle and related fire fighting equipments.
- (h) To keep acquainted the senior officers regarding the activities of the personnel of the fire station and all types of information affecting the fire service.

11. State Fire consultant and fire Adviser.—Determination of the specifications of the fire fighting vehicles/instruments/personal protective equipments in the light of the different Act/Rules concerned with fire safety measures and other provisions for the time being in force and giving advice to the Director regarding purchase and fire safety measures in building construction plan and necessary advice in favour of fire Service.

12. Non uniformed post (Ministerial cadre).—Maintenance of the records concerned with all the cases of the concerned office, according to the procedure prescribed by the administrative department.

13. Non uniformed post (Steno clerk cadre).—Maintenance of the records concerned with the personal files and other works of the in-charge of the concerned office and doing work according to the procedure prescribed by the administrative department.

14. Non uniformed post (Fourth class cadre).—Duties prescribed by the administrative department for different posts of this cadre, will be disposed. The compliance of directions given or the responsibilities assigned by their senior officers will be disposed promptly.

Schedule - "B"

Standard Operating Procedure for Fire Station Officer & Operating Members.

(Under section-4, 5(a) and 12 of the Bihar Fire Service Act, under rule 10 of the Bihar Fire Service Rules, 2021)

(A) Actions related to the records:-

01. **Communication Plan:-** Preparation of communication plan by getting Revenue map and the name, address and mobile number of the Police station, representatives /distinguished persons of their area. Keeping the prepared communication plan in the fire station and keeping its copy safely in the fire fighting vehicles conspicuous to the eyes of the vehicle driver and others.
02. **Water resources:-** To keep prepared a list of all types of government and private water resources and to keep one copy of each in the fire fighting vehicles of fire station. To keep it up to date.
03. **Maintenance of registers in fire station:-**
 - (a) Stock register/Tools and plant book/Clothing/Stationery/ Consumable material/Fuel stock register/Condemned material stock book/ condemned material auction register.
 - (b) Hose card register.
 - (c) Log book- related full history of vehicle (purchase date/ different mobility workplace/ spare parts/ tyre/ battery etc.)
 - (d) Order book for workshop.
 - (e) Leave register.
 - (f) Report writing register (report to the senior officers in relation to the sickness/leave/ absence etc.)
 - (g) Request room register.
 - (h) Orderly room register.
 - (i) Occurrence book (daily routine history of fire station in relation to vehicles, personnel, fire etc).
 - (j) Fire report.

(B) Related to preventive action:-

- (1) Creating close relationship with citizens of the area through regular interaction.
- (2) Circulation of the contact numbers of fire station in concerned area.
- (3) To keep in touch with officials of the local police stations/circle/block and other departments and get support from them.
- (4) Attend the scheduled meeting of police station/ circle/block/district level common public/ office bearers and make the common public and the officials aware by informing them about fire incident/fire fighting knowledge.
- (5) Fire audit and mock drills- Doing Fire audit of various slum areas/schools/colleges/hospitals/ cinema houses/multi-storey

buildings etc. in own area under preventive action for being safe from fire disaster and make the common people aware of fire disaster by giving information to them related to safety from fire by doing mock drills. Giving oral and written information and advice regarding necessary fire preventive equipments.

Following actions to be done for fire audit and mock drill-

- (a) To prepare advance programme in which the site and date for programme should be marked. During marking of the venue, it should be taken care that different categories of buildings etc. are selected alternatively .
- (b) To give prior information by contacting the peoples of the concerned venue, by distributing leaflets, by pasting pamphlets, by distributing balloons/ toffee among the children. To invite the people by giving information to them about the importance of the programme till the date of the programme and to be in their touch by obtaining the contact numbers. To invite the press representatives also by giving the information of the programme and making personal relations with them.
- (c) Doing fire audit of the concerned building on the day of fire audit and mock drill and giving information in writing about the default found/ advice, to the manager/ owner of the building. After that convening formal meeting with the invited people. To mention the name, address and contact numbers of the peoples present, in the minutes related to the meeting. To give them knowledge of different types of fire disaster and different types of safety measures. To show practically on the spot about the procedure of fire extinguishing after ignition of fire flame. In addition, acquainting them practically with the procedure of exiting safely from fire spot in case of fire disaster.
- (d) Providing information during mock drill regarding making of fire retardant huts/pandal and showing it practically.
- (e) Photography of the programme.
- (f) Submission of report after the programme, in which there should be full details about the programme along with the number of the participating common people, name and address of the officers. In addition, the photocopy of the concerned news in the newspaper /photocopy of the minutes of the meeting should be attached with the report.

6. **Establishment of fire booth in rural areas.**—Establishment of fire booth should be done in every village with the help of panchyat, in which there should be arrangements of small fire extinguishing equipments and bell for information of fire along with fire beaters, fire tank, bucket, rope axe etc.
7. **Publicity/dissemination against fire disaster.**—In addition to giving oral information to the common people for safety from fire disaster and arson, they should be acquainted with the different types of information by distributing leaflets, by pasting pamphlets, by placing standee at public places, by organizing painting/slogan/quiz competition among children, with help of cinema slides, advertisement in newspapers etc.

(C) Preparation in advance before receipt of the information of fire incident-

- (1) Regular action in the fire fighting centres:-
 - (a) Daily drill, special fire drill, rescue drill to be done by the officers/personnel.
 - (b) Keeping prepared healthy personnel in place of sick /disabled personnel.
 - (c) Regular repair/supply action, after the breakdown or disappearance of vehicles and other furnishings concerned, for keeping the vehicle on road.
 - (d) Cleaning, repairs, regular check- up of various furnishings.
 - (e) Special cleaning and regular check-up of special type of instruments (like- breathing apparatus, first aid device etc.)
 - (f) Testing periodically (weekly/monthly/trimonthly/half yearly/annual as prescribed) of different types of instruments (hydrant, fire alarms, hauz, ladder, pump , B.A. Set, chemical fire extinguishers etc.) and making entry in different types of registers and occurrence book.
- (2) Immediate full repair of fire fighting vehicles in case of the vehicle being off-road.
- (3) Always keeping sufficient water storage in the water tank of fire fighting vehicles.
- (4) Always keeping sufficient fuel in the fuel tank of the fire fighting vehicles.

(D) Action after receipt of the information of fire incident.—In case of fire incident, the requirement of fire fighting vehicles/equipments for fire fighting and procedure of fire fighting depends on different facts like-How far the concerned spot is from the fire station? How is the way?Whether the fire caught is pucca building/pandal or huts or farm/ barn/ juggle? If the fire caught in the building, then the building is of what kind (Residential/)? What is the height of the building and at what height is the fire

?Whether the fire is from L.P.G, electric short circuit, or other reasons? Whether the fire caught in flammable materials/dangerous chemicals? What is the arrangement of human rescue in the building? What is the availability of fire fighting equipments in the building? Whether the building has been constructed and maintained according to the provisions of the National Building Code, 2005/2016, Bihar Building Byelaws, 2014, Bihar Fire Service Act, 2014 ?Whether the prescribed directions are being followed?What is the situation of the adjoining buildings? What is the continuous range of fire of huts or farm/barn/jungle?What is the direction of wind blowing? What is the status of availability of water? Whether the fire caught in the vehicle? etc. So that, obtain concerned information.

- (2) The fire extinguishing unit is determined in the fire station. There are 6 personnel in each fire fighting unit of first or other team. The in-charge of the unit is the leading fireman and the 6 number personnel of the unit is the leading driver who drives the fire fighting vehicle. Other four firemen work regarding fire extinguishing in the light of pre-prescribed instructions of the in-charge of the unit.

The in-charge of the unit has to determine in advance that which fireman will do what duty, who will ring the bell / siren of the fire fighting vehicle, who will do the work of laying and fitting of delivery haуз at the place of occurrence. The leading driver will do the work of operation of the pump. All the members of the squad will do the work related to fire extinguishing at the place of occurrence, according to the direction of the in-charge of the squad, in addition to their pre- prescribed duties.

- (3) All the personnel of the first squad shall always be ready in uniform.
- (4) The in-charge of the squad will determine in advance the responsibilities for members of the squad related to obtaining information from the informant, contacting with the people of the place of occurrence under communication plan, ringing the fire bell, giving information of call to the concerned establishments, entry in the message book etc.
- (5) After receipt of information of fire incident, the pre- directed fireman will ring the bell of fire call.
- (6) The in-charge of the squad will obtain the name, address and mobile number of the first informant / original informant from him.
- (7) The in-charge of the squad will obtain information from the informant regarding the type of fire, expansion of fire, full details of place of occurrence, actual route of approach, water resources etc.
- (8) Pre-directed fireman will give information of fire call immediately to the traffic, concerned police station, ambulance and control room.

- (9) Pre-directed fireman will make entry in the concerned register the time of receipt of information of fire incident, departure of fire extinguishing vehicles (with number) / personnel(with name)
- (10) It will be ensured that the period between the receipt of information of fire incident and departure of the fire vehicle should not be more than two minutes.
- (11) Before the departure of the fire extinguishing squad of the first community, the second squad of the fire station will do the work of exchanges of information in the fire station. In addition to this, they will also prepare for departure in emergency situation.
- (12) After departure of the fire extinguishing vehicle, the fireman will do the work of ringing the bell /siren in the vehicle.
- (13) Before the reaching of the fire fighting vehicle on the place of occurrence, the in-charge of the squad will continue, to take information on the way through the mobile set, about the status of fire, routes, water resources from the informant / the persons of the site concerned with the communication plan. In addition to this, they will continue to give the location of fire fighting vehicle and other information to the control room and will also take information, if any, from control room. If it seems from the information received that it will not be possible to control fire by the first community, then will demand immediately additional squad from other fire stations by giving its information to the control room. The necessary information will be exchanged on wireless set also.
- (14) After reaching at the place of occurrence, the in-charge of the squad will stop the fire fighting vehicle at safe and nearest place after perusal of the status of fire. The in-charge of the squad will immediately mark the fire point after looking the status of fire at the place of occurrence. The other members of the squad will do the pre-determined work at the signal of the in-charge of the squad and will start the action of fire extinguishing immediately.
- (15) According to the pre-determined duties, the leading fireman driver will take control of pump operation and all the four firemen will do the work of laying and fitting of delivery hauz and other works related to fire fighting according to the direction of the in-charge of the squad. The in-charge of the squad will do the work of fire extinguishing fastly on the basis of his discretion and previous experience, with the help of the common people.
- (16) Looking at the status of fire, the in-charge of the squad will demand for other squads by contacting the control room / nearby fire station, according to the necessity.

- (17) The other fire fighting squad, reaching at the place of occurrence, will do the fire fighting work according to the direction of the in-charge of the squad reached before and by mutual consultation.
- (18) The photography / videography of the incident related to fire fighting, will also be done, so that the side of the fire fighters remains strong in case of any type of allegation.
- (19) After the complete extinguishing of the fire, the in-charge of the squad will ensure the keeping of fire fighting equipments in the fire fighting vehicle, with the help of all the personnel.
- (20) The control room will be informed immediately about the complete extinguishing of fire and departure from the place of occurrence (along with assessment of damage, data of injured/ dead animals / persons etc.).
- (21) In the meantime after receipt of information of fire incident at other site, will depart for that site according to the direction of the control room. It will be necessary to fill water in the water tank of the fire fighting vehicle from the water resources on the way.
- (22) The control room will be informed about the arrival in the fire station.
- (23) The necessary details related to fire incident will be entered in the concerned register.
- (24) The fire report regarding fire incident will be prepared immediately and will be sent to the office of the State Fire Office or to the office as prescribed.

Schedule "C"**Prescribed rate of fee for No Objection Certificate /renewal / fire audit
/fire consultation.**

(Under section-2 (g), 20 (1), 33/34/35/43 (2) (3) of the Bihar Fire Service Act, 2014, under rule 15(d) , 22(k) & 27(a) of the Bihar Fire Service Rules, 2021)

Category of building	Fixation of charges on the basis of total floor area of all floors of the building (including basement) at the rate of rupees (.....) per square meter.				
	Provisional no objection certificate	Final no objection certificate	Renewal of no objection certificate	Fire audit	Fire consultancy
Residential	02	01	01	01	01
Assembly/Institutional	04	02	02	02	02
Academic	06	03	03	03	03
Commercial /Mercantile	08	04	04	04	04
Storage/Industrial /Hazardous building	10	05	05	05	05

Schedule-“D”**Online Fire prevention and fire safety No Objection Certificate to be given by the State Fire Service, Bihar, Patna for Building Construction.**

(Under section-2 (g) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-16(e) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

1. Log in on Website www.biharfireservice.gov.in—Displayed Home Page- NOC.
2. Click Home Page – NOC—Displayed-Requirement of NOC.(Required type of NOC)
3. Click-- Requirement of NOC—Displayed-
Fire Safety is required positively in the following cases –
 - a) all high rise buildings; and
 - b) special building, those are,-
 - 1.) hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies, where any of these buildings have floor area more than 500 m² on any one or more floors.
 - 2.) educational buildings having height 9 m and above;
 - 3.) institutional buildings having height 9 m and above;
 - 4.) all assembly buildings;
 - 5.) buildings, having area more than 300 m² of occasional assembly occupancy on any floor; and
 - 6.) buildings with two basements or more, or with one basement of area more than 500 m².

Unless otherwise mentioned specifically in the provisions in National Building Code of India, 2016 (Part-IV Fire and Life safety).
4. Click-Required type of NOC—Displayed-Provisional /Final/Renewal .
5. Click- Provisional /Final/Renewal—
Displayed- Application format (of required type of NOC-fill up format)-
Enclosure with application format/
Submit application
NOC issue status
6. Click-Enclosure with application format—Displayed-
Required building plan/
Check list/
Undertaking format
7. Click- Required building plan—Enter- Scanned copy of building plan.
8. Click- Check list with guidelines- Displayed- Detailed Check list (fill up properly)
9. Click-Undertaking format-Displayed- Detailed Undertaking format(fill up properly)
10. Click-Submit application-A Slip will be displayed showing Unique Id (UID, date & time of submission of application. Along with UID submit hard copy of all requirements to the office of the Director, State Fire Service otherwise

validity of slip will be void and in that situation applicant will have to apply again on returning user window by mentioning old UID.

11. Click-NOC issue status—Displayed- NOC Objection
NOC Issued
12. Click- NOC Objection-Displayed- Objections
Rectification
13. Click-Objections-Displayed-Points of objections(rectify them)
14. Click –Rectification-Enter-Rectification of objections.
15. Click –NOC issued-Displayed-Letter regarding issued NOC (download)
16. Any type of objection raised by State Fire Office may be obtained by opening website with reference to UID.
17. If all requirement/queries will be found in order then NOC will be uploaded on the website within 15 days.

Schedule-"E"**Fire safety measures during construction of pandal & temporary structures (Indian Standard Bureau, I.S. 8758-1993) and procedure for preparation of fire retardant pandal / availability of materials.**

(Under section-25, 26 & 27 of Bihar Fire Service Act 2014, under rule-18(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

1. Do not erect pandal of height less than 3 meters in any case.
2. Do not use cloth or rope made of synthetic material in making pandals.
3. There should be 4-5 meters open space around the pandal, so that people can get out safely.
4. Pandal should not be placed below the line of electricity in any condition.
5. Any Pandal should be installed at least 15 meters away from railway line, electric sub-station, fireplace or furnace.
6. The exit gate should not be less than 5 meters wide and if the way is made arched, the height of the arches should not be less than 5 meters from the ground level.
7. There should be at least two roads to exit. As far as possible, both roads should be in opposite direction of each other.
8. The exit gate should be made properly in sufficient number so that in any situation, no person should be compelled to travel more than 15 meters distance from any place in pandal.
9. Chairs should be kept leaving 1.2 m space from both shore and space of 1.5 meters should be left after twelve chairs and then again twelve chairs may be installed. Space of 1.5 meters (gangway) should be left after 10 rows of chairs.
10. Tie the chairs in lower side in the group of at least four and stabilize by dipping the iron rod in the ground, so that during chaos, those chairs may not block the exit routes after being unarranged.
11. The joint of the wire should not be open in any case. Porcelain connectors should be used as far as possible.
12. There should be arrangements of emergency lights.
13. Anyof the circuit, bulb, tube light, etc. of electricity should be at least 15 centimeters away from any part of the pandal.
14. Halogen lamps should not be used in any condition in the pandal or temporary construction.
15. The furnace should not be used in any condition inside the pandal. If necessary to be used, should be done by putting a tin shed which should be separate from the pandal. **If the use of havankund is essential, then all prescribed norms of fire safety should be complied with on that spot and adjacent area.**
16. For fire safety of pandal, 0.75 liters of water for every square meter space should be kept safe in drums or buckets and it should never be used in any work other than fire fighting. Half of the total water should be kept inside the pandal and half outside of the pandal.
17. At least two buckets of water for each 50 squire meters of space and fire extinguisher (water type of 9 liters capacity) for every 100 square meters of space should be provided for fire safety.
18. A carbon dioxide gas extinguisher or dry chemical powder extinguisher of appropriate standard capacity should be provided nearby the switch gear, main meter and stage, to protect from the fire of electricity.
19. Do not use crackers inside the pandal or nearby.

20. Do not smoke inside the pandal and nearby.
21. Treat the cloth used in pandal, with fire retardant solution.
22. Obtain suggestions from the Fire Service after informing them before construction of very large pandal or temporary construction.

Materials for Fire Retardant Solution, process of preparation and availability-

(A) Ratio of part of material for fire retardant solution -

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ammonium Sulphate - | 4 parts (by mass) |
| 2. Ammonium Carbonate - | 2 parts (by mass) |
| 3. Borax - | 1 part (by mass) |
| 4. Boric acid - | 1 part (by mass) |
| 5. Alum - | 2 parts (by mass) |
| 6. Water - | 35 parts (by mass) |

- (B) Procedure to prepare fire retardant pandal.**—Prepare the fire retardant solution by mixing all the materials in the prescribed ratio mentioned above. After preparation of the solution, the cloth of the pandal should be left for soaking in that solution. After the soaking of the clothes fully, the pandal is to be prepared after drying it. The fire catches in such pandal with difficulty. If the fire catches, the cloth burns very slowly without flame. The cloth shrinks.

- (C) Availability of fire retardant materials.**—All the above materials may be obtained in the packet of 500 grams in the chemical shops.

Schedule-"F"**Rate of training fee for training of Fire Safety Officers in
Fire Training Academy.**

(Under section-30 of Bihar Fire Service Act 2014, underrule-20(g) of Bihar Fire Rules, 2021)

1. Training fees.—The training fees to be paid by each external trainee, at the time of enrollment in any course conducted in Fire Safety Training Academy or at any other place as decided by the Director, will be as per the period of the course, according to the following table:-

Sl. no.	Duration of course (one month) (Rupees)	Teaching fees (Rupees)	Laboratory fees (Rupees)	Training charges (in rupees)			
				Action charges based on fire incident	Lodging charges (in rupees per month)		Charges for facilities and amenities of trainees
				Barrack	Single	Double	
1	500	-	500	250	1000	500	100
2	1000	-	1000	250	1000	500	200
3	1000	500	1000	250	1000	500	300
4	1500	500	1500	250	1000	500	400
6	2000	1000	3000	250	1000	500	600
7	4000	2000	4000	250	1000	500	1200
8	8000	2000	5000	250	1000	500	2400

2. Payment of charges for trainee's facilities and amenities by the members of Bihar Fire Service – All the members of Bihar Fire Service will pay the charges for facilities and amenities of trainees, at the time of enrollment in the course of Fire Safety Training Academy prescribed under sub-part (1)

3. Revision of the trainee charges - The trainee charges will be revised in every three years at the rate prescribed by the government.

Schedule-"G"

REGISTRATATION OF FIRE CONSULTANT

(Under section- 32 of Bihar Fire Service Act, 2014,under rule-21 of Bihar Fire Service Rules, 2021)

State Fire Service, Bihar, Patna

Notice No.

SFS/Registration/...../20.....---20.....

REGISTRATATION OF FIRE CONSULTANT

State Fire Service, Bihar, Patna intends to register Fire Consultant under Rule-21 of the Bihar Fire Rules, 2021and under Section-32 of the Bihar Fire Service Act, 2014 as per prescribed terms, conditions and procedure.

Applications are invited for empanelment as a Fire Consultant till...../...../20....., from individual or proprietor/partners of the Firm. Application form along with documents can be downloaded free of cost from website www.gov.bih.nic.in or can be obtained from the officer of State Fire Service, of which address is mentioned here under. Any queries may be addressed to the Director, State Fire Service, Bihar, and Patna on email-sfocumdirector.bihar01@gmail.com.

Director, State Fire Service, Bihar, and Patna reserves the right to accept or reject any application and to empanel or not to empanel without assigning any reasons thereof.

**Director, State Fire Service,
Bihar, Patna**

BIHAR FIRE SERVICE**Registration Procedures for Fire Consultant**

(Under section- 32 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-21 of Bihar Fire Service Rules, 2021)

GENERAL GUIDELINE AND DIRECTIONS**(1) *Qualification, Experience and Eligibility.*—**

1. Successfully passed Matriculation or SSC or its equivalent examination.
2. (A) Bachelor Degree from Institute of Fire Engineers, England; OR
(b) Bachelor Degree from Institute of Fire Engineers, India; OR
(c) Advance Diploma from National Fire Service College, Nagpur and completed the course of Divisional Officer from National Fire Service College, Nagpur; OR
(d) A.M.I.F.E, London (Associate Membership from Institute of Fire Engineer, London).
(e) Having 3 years experience on the post of Director/Chief Fire Officer/State Fire Officer in any government or local bodies, OR
(f) Having 5 years experience as Dy. Director/Dy Chief Fire Officer/Assistant State Fire Officer/Divisional Fire Officer or equivalent in any government/semi government/local bodies.
3. Five years experience as a Divisional Fire Officer or Ten years experience as Station Fire Officer in the field of Fire Services in the Government or Local Bodies or Government Undertaking Board or Corporation.
4. Should have sufficient knowledge of Hindi language and if not, he has to get it within 2 years up to satisfaction level of the State Fire Service.
5. Has not been blacklisted by any board, corporation or organisation owner or Controlled, government department or authority established under the law by the State Government or any other State Government or Government Department or Authority.

(2) *Scope of work*— Scope of work of Fire consultant shall cover both the public and private sector. The range of work shall be as follows-

- (a) To recommend after verification of building Plan layout for Provisional Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate with respect to provisions for passive and active fire safety measures in accordance with National Building Code, 2016 and Bihar Building Byelaws, 2014, for provision fire Prevention No Objection Certificate.
Installation of passive Fire protection system like electrification, fire resistance etc in building.
Installation of active Fire fighting system like hydrants, sprinklers, pumping etc in building.
Installation of Fire Detection and Alarm system in building.
- (b) To Supervision during construction work to ensure the compliance of provisions of the per Provisional Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate.
- (c) To make recommendation for Final Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate after duly verifying the constructed building with respect to fully compliance of provisions of Provisional Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate.

- (d) To make recommendation for renewal of Fire Prevention and Fire Safety No Objection Certificate after examining the provisions for Fire Prevention and Fire Safety.
- (e) Fire Audit of buildings.

(3) Prescribed fee for fire consultancy.—The consultancy fee shall be fixed at the rate prescribed per square meters of total floor area of all floors based on category of the buildings.

Scope of work		Category of buildings and Rate per square meters (In Rupees)				
		Residential	Assembly	Educational and Institutional	Mercantile and Business	Industrial, Storage and Hazardous
01	Recommendation for provisional NOC	01	03	05	08	10
02	Installation of passive fire protection system	02	06	10	16	20
03	Installation of active fire protection system	02	06	10	16	20
04	Installation of fire detection system	02	06	10	16	20
05	Supervision during construction work to ensure the compliance of advice of provisional NOC	01	03	05	08	10
06	Recommendation for final NOC	01	03	05	08	10
07	Recommendation for Renewal of NOC	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5
08	Fire Audit	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5

(4) Application and Selection Procedure-

- For registration, the applicant (Individual or proprietor/partners of the firm) shall submit an application in the prescribed format accompanied by the necessary documents to the Director, State Fire Service, Bihar, and Patna.
- The Applicant applying for the Preliminary registration shall pay non refundable scrutiny fee (Rs. 1000/-) by D.D. along with the application form.
- After the scrutiny of the application, if the applicant is not found suitable for registration, the application shall be rejected by the Competent Authority.
- The final selection shall be based on experience, credential, technical and financial capability of the applicant.
- If the Individual/Proprietor/Partners of the firm seeking registration possess the requisite technical qualification, the number of the total minimum qualified engineers required shall be inclusive of him/them.
- Except in the Case, where the applicant is an individual or proprietorship firm, one of the Partners or the Director of the company must have required qualification and experience.
- After approval of the registration of Fire Consultant, the applicant shall depute experienced staff or associates with the consultant /persons, who

have sufficient knowledge of civil/mechanical/ electrical engineering related to fire fighting system, installations, study and preparation of necessary drawings. Authority may call for Fire Consultant for discussion, required. Fire Consultant should have sufficient knowledge of building plan, mechanical installations, electrical installations and knowledge of fire fighting system and its installation.

8. Financial Capability-The Fire Consultant shall submit solvency certificate issued by a bank or solvency Certificate issued by revenue authority exceeding 10% of the value of required Bank solvency to prove his financial capability.
9. After approval of the applicants, the Applicant shall pay Rs.3,000 by D.D. as registration fee for Preliminary registration.
10. The registered Fire Consultant shall be eligible to work with State Fire Service, Bihar.
11. The Preliminary registration of Fire consultant shall be for a period of one year.
12. After Preliminary registration, the validity of registration may be extended for a period of five years or part thereof according to prescribed procedure for extension.
13. The registration shall be renewable for 5 years or part thereof according to the prescribed procedure on payment of renewal fee of Rs. 5,000 through bank draft. The application for renewal shall be submitted before three months of the expiry of the registration. Renewal for further 5 years will be according to prescribed procedure on payment of fee Rs.10000 through bank draft.
14. The Registering Authority shall review the registration granted by him every year. If any violation of any law or terms of the license is found the registration shall be cancelled.
15. If there is any change in their constitution, it shall be immediately brought into the notice of the Bihar State Fire Service. Similarly, any change in the technical personnel shall also be immediately brought into the notice of the State Fire Service, Bihar.
16. The black listed/ debarred Fire Consultant shall not be eligible for re-registration for the time for which they are blacklisted/ debarred. However, he may be re-registered after the expiry of the black listing /debarring period.
17. If the delay in the submission of the application is for the period exceeding three months, but up to one year, renewal shall be done on payment of the double amount of the registration fees. However, if there is a delay of over one year in submitting the application, the initial registration shall lapse and the Fire consultant shall have to submit an application for fresh registration.

(5) Removal of Fire Consultant-

1. If any registered Fire Consultant violates the terms of the license, encourages corrupt practices or causes monetary loss to the Bihar State Fire Service and/or obstructs its work or instigates to do so, or if the financial condition or technical capacity of a Fire Consultant is found to have deteriorated, action shall be taken to removed temporarily or permanently or blacklisted his name from the register of the approved list.

- He shall be given a show cause notice and afforded reasonable opportunity of being heard by the Competent Authority for the purpose of these rules.
2. If a Fire Consultant whose name has been so removed from the register of the approved list and desires to be re-enroll, he should apply afresh. Such applications shall be considered on its merits.
 3. Any Fire Consultant removed from register of approved list by the any competent officer, may file an appeal before the Director General, Fire Services, Bihar against the orders of removal and the decision of the Director General, Fire Services, Bihar shall be final and binding on both parties.

(A) Application format-

Application for empanelment of Fire Consultant

(Under section-32 of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-21 of Bihar Fire Service Rules, 2021)

FROM:

Date:

To,

Director, State Fire Service,
Bihar, Patna

SUBJECT: - Application for Registration as a Fire Consultant

Sir,

1. I / We / Our firm intend/intends to register my/ our name as a Fire Consultant.
2. A demand draft No. _____ Dt. _____ of Rs. 1000/- drawn from Bank _____ Branch _____ in favour of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna as required .
3. Required Demand Draft No. _____ Dt. _____ of Rs.3000/- drawn from Bank _____ Branch _____ in favour of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna as required registration fee for initial one year is enclosed.
4. Duly filled up form with necessary details along with required attested (true copies) documents are furnished herewith.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Applicant)

Annexure- 1 Registration(General Bio-data)

Annexure 2- Personal Bio-data regarding qualification and experience of Fire Consultant

Receipt

Scrutiny Fee: _____	Registration Fee: _____
Receipt No : _____	Receipt No : _____
Date : _____	Date : _____

Signature of receiving staff,

Office of the Director, State Fire Service,
Bihar, Patna

Annexure- 1
(GENERAL BIO- DATA FOR REGISTRATION)

1.	1. Name 2. Address of the Applicant / Agency 3. Contact details (a) Phone number (b) Fax Number (c) Email (d) Mobile	
2.	Status of the Applicant Individual/ Proprietor firm/ Partnership firm/etc.	
3.	Name of the person holding Power of attorney (Submit attested documents)	
4.	Name of partners with their present and permanent address, their liabilities in other firms, in which they are either employees or partners. (Submit attested documents)	
5.	1. PAN Card details 2. GST Registration details 3. Professional Tax details 4. ESI registration 5. PF Registration 6. Service Tax (Submit attested documents)	
6.	Details of the registration/enrolment /empanelled with any other organization. (Submit attested documents)	
7.	Applicant is capable of maintaining office in Patna, Bihar	
8.	Details of the Financial turnover of last three years duly certified by the Chartered Accountant along with balance sheet and audited reports. Year Year Year	
9.	Details of the Solvency Certificate/Revenue Certificate issued by the Concern Authority 1. Name 2. Branch 3. Date 4. Rs. (attested copy of the documents to be submitted)	
10.	Details of Banker 1. Name of bank 2. Branch 3. Address	
11.	Has the applicant or his partners or share-holder been blacklisted/ debarred, from any organisation. please give specific details Fire Consultant shall submit undertaking on his letter pad that, his or his firm is not blacklisted by any organization.	

12.	Details of the any work, abandoned by the Fire Expert or client.										
13.	Details of the Experience during last five years as per the Annexure (attested copy of the documents to be submitted)										
14.	Details of the present working status (attested copy of the documents to be submitted)										
15.	Photographs of proprietor/partners/power of attorney holder with signature and name <table border="1" data-bbox="352 607 956 840"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										

DECLARATION

I/We hereby certify that I/We am/ are not partner(s) in the Firm(s) suspended, removed or punished of banning of business or connected with the Firm(s) suspended, removed and punished of banning of business etc. with any organization.

We, the partners of this Firm, hereby give an undertaking that we are jointly and severally responsible to meet all the liabilities over and above the business of this Firm and make good the financial loss sustained by the State Fire Service, Bihar, Patna as a result of our abandoning the works entrusted to us i.e. this Firm.

I / We hereby certify that I / We are Indian citizens.

I hereby solemnly affirm and declare that the information as furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further undertake that if any information at any stage found to be false, my empanelment shall be liable to be cancelled without any prior notice in that regard and I shall not claim any compensation etc. for such a default on my part. In case of any discrepancies found later, I shall be liable for punishment under the relevant provisions of law.

Date:

Place:

Signature

**Name, Designation and Full Address
Of the Applicant, with date and stamp**

Annexure 2**Personal Bio-data regarding Qualification and Experience of Fire Consultant**

1. Name :-
2. Father/Husband Name:-
3. Permanent Address :-
4. Address for Correspondence:-
5. Mobile No/Telephone No:
6. Email ID:
7. Date of Birth:
8. Nationality:
9. General Educational Qualification (Year of Passing and Specific achievement):
 - (a) SSC Examination.....
 - (b) HSC/ Inter/equivalent Examination.....
 - (d) Bachelor Degree/equivalent.....
 - (e) Master Degree/equivalent.....
10. General work experience in Fire Service -.....years:
11. Specific Technical experience in Fire Service –

Post held	Place of posting	Period (From.....to)	Total monthly salary / remuneration	Other allowances/ perks	
-----------	------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

I, hereby declare that, the information furnished here in above is completely, correct and true to the best of my knowledge.

Signature of Fire Consultant

Date:

Note: Attested copy of last year mark sheet / certificate / work experience certificate is enclosed.

Application for re-registration/renewal of registration of Fire Consultant

(Under Section – 32 of the Bihar Fire Service Act, 2014 and Rule -21 of the Bihar Fire Service Rules, 2021)

FROM:

Date:

To,

Director, State Fire Service,
Bihar, Patna

SUBJECT: - Application for Registration for further 5 years after Initial Registration as a Fire Consultant/Application for renewal of registration for further 5 years as a Fire Consultant

Sir,

I want to say that,

1. I / We/Our firm have/has been registered initially for 1 year/ registered for 5 years
2. I /We/Our firm intend/intends to register/renew for further 5 years myself/our name as a Fire Consultant.
3. The necessary fee Rs. is enclosed as demand draft No. _____ Dt. _____ drawn from Bank _____ Branch _____ in favour of the Director, State Fire Service, Bihar, Patna
4. I /We/Our firm have/has completed our assigned duties successfully.
5. The necessary details are filled up in the Form along with the attested (true copies) documents as required are also furnished herewith.
6. I /We/Our firm request to your kindness to register/renew for further 5 years me/our firm as a Fire Consultant.

Thanking you,**Yours faithfully,****(Signature of the Applicant)****Enclosures- 1.General Biodata for registration,**

2. Personal Biodata along with qualification and experience
3. Previous registration letter.

Receipt

Scrutiny Fee: _____	Registration Fee: _____
Receipt No : _____	Receipt No : _____
Date : _____	Date : _____

Signature of receiving staff,
Office of Director, State Fire Service,
Bihar, Patna

Schedule-"H"**Essential Fire Protection and Safety Measures for Existing Buildings.**

(Under section- 33, 34,35& 43 (1)(2)(3) of Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-22(c) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

The fire safety measures are mandatory in existing buildings of following category:-

- (i) All buildings of 15 meters and above height.
- (ii) All assembly buildings
- (iii) Institutional and Educational buildings of 9 meters and above height.
- (iv) Special buildings (like hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies) of any light having floor area of 500 Sq. meters and above on any floor.
- (v) Buildings with one basement (area more than 500 sq meters) or buildings with two or more basements.

In the above categories of buildings following Fire Safety Measure may be adopted-

(I) Means of Access-

- (1) Provide one entry and one exit with a width of minimum 4.50 meters with head clearance of 5.00 meters by removing cables, wires, arches, etc., to ensure access for the fire vehicles.
- (2) Provide facility for external access to upper floors through conspicuously marked operable, windows in closed balconies and panels in glass facade, etc. to the firemen for facilitating rescue and fire fighting purposes.

(II) Open Space-Normally approximately 6 meters open space is required around the buildings for movements of the fire vehicles. The existing buildings may be deficient in 6 meters. open space on one side or three sides and on abutting road side. In such cases occupancy wise requirements and additional precautions shall be taken. Following guidelines should be followed as far as possible:-

- (1) The available open spaces all round the building should be made obstruction-free to facilitate movement of fire fighting personnel and equipments.
- (2) No-Parking Rule shall be strictly enforced in the 6 Meters access space for Fire Vehicles.
- (3) Stilt Floor and Basement shall be used exclusively for parking purpose and permitted utilities only so as to help in preventing parking encroachment on the access space for Fire Vehicles .
- (4) Provide drainage/ manhole/ water tank covers with adequate strength to bear the weight of Fire Vehicle (25 tons).
- (5) Provide 6 Meters leveled, metal led, access passage (open to sky) by removing obstructions like fixtures, structures, parking, booths, cabins,

generators, etc., to ensure movement of the fire vehicles around the building.

- (6) In case it is not possible to provide required open space around the existing premises, Construct removable partition in place of masonry compound wall to provide joint access passage of 6 meters all round the building with a turning radius of 9 meters at corners.
- (7) Where it is not feasible to provide for all round open space the builder/ building owner shall provide additional fire safety measures and install additional equipment in the sides having setback deficiencies (as stipulated by the Bihar Fire Service) .

(III) Means of Exit-

External Staircase-

- (1) Provide minimum one External Staircase with 1.25 meters width constructed either with RCC/ Fire resistance M.S.
- (2) In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 meters. open spaces on one side and on abutting road side, additional external staircase of R.C.C. or M.S. of 1.25 meters. width, from ground floor to terrace connecting all floors through a fire door and accessible from all parts of the floor on the side where there is deficiency (other than abutting road side). In cases, where it is not possible, the staircase from terrace to ground floor (roof exit) shall be provided at a strategic place in consultation with Bihar Fire Service to ensure safe evacuation of inmates.
- (3) In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 meters. Open spaces on three sides and on abutting road side, if the built-up area is less than 500 sq. meters, one additional external staircase of R.C.C. or M.S. with 1.25 meters. width from ground floor to terrace connecting all floors through a fire door and accessible from all parts of the floor shall be provided at a strategic place to ensure safe evacuation of inmates. If the built-up area is more than 500 sq. meters, it shall be provided on each side where open space is deficient (other than abutting road) to ensure safe evacuation of inmates. In cases, where it is not possible, the staircases from terrace to ground floor (roof exit) shall be provided at a strategic places in consultation with Bihar Fire Service to ensure safe evacuation of inmates.
- (4) In case the above is not possible in the existing premises, provide horizontal emergency exit through adjacent buildings via suitable bridges preferably at terrace level. Fire resistant doors for emergency exit should be preferred.
- (5) Where aggregate exit width requirement is deficient, additional minimum 1.50 meters width Internal Staircase(s) should be provided and travel distance should not exceed 30/ 45 Meters to facilitate means

- of exit. (For every 50 cm. of exit stair width, the number of occupants allowed is 50 in case of A, B,C& J category and 50 in case of E,F,G & H category of buildings/ occupancies, respectively).
- (6) In case the above is not possible in existing premises, suitable enhanced horizontal exits shall be provided preferably through Fire doors leading to adjacent Fire compartment respectively. It is required if floor area exceeds 500 M²/750M² in case of Mercantile and other occupancies.
 - (7) In Industrial occupancies access to internal buildings and vulnerable fire locations to be ensured.
 - (8) **Emergency Lighting System**-Emergency lighting with battery backup of minimum 4 hours in corridors/ common passages and staircases shall be provided to facilitate means of exit.
 - (9) Generator for reliable alternate source of electric supply.
 - (10) **Public address system** with battery backup.
 - (11) Ventilation shall be provided at every landing space of the external staircase in all floors for to facilitate venting smoke.
 - (12) Corridors and staircases shall be kept free from obstructions like goods, merchandise, etc., to facilitate means of exit.
 - (13) Fire Doors with two hours fire resistance shall be provided at appropriate places along the escape route (particularly for preventing spread of fire and smoke in to lobby and staircase).
 - (14) If the floor area is more than 500 M²/750 M² to fire resistant walls/doors at appropriate locations shall be provided to restrict spread of fire smoke.
 - (15) Smoke management measures in respect of internal staircases (protected Escape Routes) for all high rise buildings and buildings having mixed occupancy having covered area more than 500 M² area.
 - (16) Special smoke management measures shall be provided. If inter- floor compartmentation is not feasible in Multiplexes, large shopping malls.
 - (17) Safeguard against ingress of smoke or fumes from fires in transformers, fuel tanks, parked cars, cooking areas, etc., into building or exit paths.
 - (18) Provide smoke barriers in hospitals for every 280 M² Floor and ramps for evacuating patients from hospital.
 - (19) Smoke venting measures shall be provided particularly Cinema Hall, D-3 Assembly, Mercantile, Institutional and Industrial occupancies.
 - (20) Provide Fireman Lift for every 1200 M² of Floor area, if the building height exceeds 15 Meters., if necessary by suitable modification of the existing lift (s).
 - (21) A swing door shall be provided in all grill type and collapsible door type lifts to prevent smoke getting into the lift.

- (IV) **Fire extinguishers.**—In case of deficiency in open space on each floor or for every built up area of 500 sq m minimum (a) One Dry Chemical Powder of 2 Kgor one Carbon-Di-Oxide of 2 Kg and (b) one water type 9 liters Fire Extinguisher should be provided.

But in case of commercial/business/assembly/hotel and educational deficient in 6 meters.open spaces on one or three sides and on abutting road side, the above set of fire extinguishers should be provide in each shop / room.

- (V) **Fixed Fire fighting Installations.**—Based on the heights and occupancy prescribed, fixed Fire Fighting Installations shall be provided, with period approval of the Bihar Fire Service. There installation can be shared between the neighbours.

(1) Wet riser -cum-Down Comer System—In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 meters. open spaces on one or three sides and on abutting road side wet-riser cum down comer system with landing valve, 2 Nos. delivery hoses and one hose reel shall be provided on all floors on the additional staircase.

(2) Automatic Sprinkler System— In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 meters. open spaces on one or three sides and on abutting road side automatic sprinkler system should be provided in the entire building.

(3) Manually Operated Electric Fire Alarm Systems— In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 meters. open spaces on one sides and on abutting road side Manually operated Electric Fire Alarm Systems shall be provided on all floors.

(4) Automatic Detection and Alarm System— In entire building in case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings which are deficient in 6 mtrs. open spaces on three sides and on abutting road side Automatic Detection and Alarm System should be provided.

(5) Yard Hydrant System— It should be provided on all sides of the buildings in case of residential apartment buildings.

In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings are deficient in 6 meters. open spaces on one or three sides and on abutting road side, it should be provided on all sides of the building with two numbers fixed monitors on the side where open space is deficient.

(6) Underground Static Water Storage Tank / Terrace Tank—

The high rise residential apartment buildings should have an additional static water supply storage either in the underground/overhead tank of not less than 10,000 liters capacity and any deficit shall be made good and provided.

In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings deficient in 6 meters.open spaces on one side and on abutting road side, the additional static water supply storage shall not be less than 15,000 ltrs but if in the above categories of buildings (commercial/ etc.) deficiency in open spaces is on three sides, the additional static water supply storage shall not be less than 25,000 ltrs.

- (7) **Fire Pumps**-In high rise residential apartment buildings a pump of minimum 5 HP capacity should be provided and connected to the fire fighting system.

If commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings are deficient in 6 meters.open spaces on one side and on abutting road side one diesel pump of 2850 LPM capacity and one pump of 180 LPM capacity should be provided.

If commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings are deficient in 6 meters.open spaces on three side and on abutting road side Two Electric and One Diesel Pump of 2850 LPM capacity and one Jockey pump of 180 LPM capacity should be provided.

- (8) **Water shower curtain**- It should be provided to overcome the fire hazard to neighbouring property by covering entire side and all floors. It shall be provided on the side where there is deficiency in open space.

- (9) In case of commercial / business/ assembly / hotel and educational buildings deficient in 6 meters. open spaces on one or three sides and on abutting road side compartmentation should be done by providing fire doors at one balcony per establishment

(VI) Electrical Safety –

- (1) Electrical wiring and installations shall be certified by an Electrical Engineer once in 5 years for apartments and once in 2 years for the other occupancies. Particularly Fire Safety of batteries system in UPSs shall be checked.
- (2) In all high rise residential complexes and in non-residential occupancies like mercantile, business, assembly, storage, provide:-
 - (a) Fast Action Miniature Circuit Breakers (MCBs) to step short circuits before they can develop into fires.
 - (b) Installation of external main power switches to enable to cut power and forestall short-circuits and consequent fires, in the premises, where the exit is not available.
 - (c) Security/ fire alarms and emergency lighting system shall be separated through separate low power well protected ancillary circuits.

(VII) Air-conditioning.—Air-conditioning shall have fire protection measures like automatic dampers, etc. to prevent spreading of smoke and fumes which could otherwise endanger life security.

(VIII) Transformers-

- (1) Transformers shall be protected with 4 hours rating fire resistant construction with smoke vent to outside, unless separated from main building by 6 Meters distance.
- (2) Transformers if installed indoor or in basement, shall be provided with automatic High Pressure Water Spray (Emulsifier) system.
- (3) Prevent through Combustible oil used in Transformers or Diesel Engines, spreading of Fire to other areas, by providing soak pits and curbs.
- (4) Transformer shall have access for firefighting from minimum three sides of it, especially if it is located outdoor within six meters of any building. This will enable overcome the serious deficiency in fire safety of the transformers and surroundings which are otherwise difficult and costly to rectify.
- (5) One Foam Trolley of 22.5 liters capacity at Electrical Transformer as per specification IS 2190 shall be mandatory.

(IX) LPG-

- (1) L P Gas pipe lines shall be run in separate shafts away from the staircase on external walls.
- (2) Adequate ventilation shall be provided for storage of LPG cylinders.
- (3) Periodical checking of LPG stoves/ pipes/ cylinders by authorized mechanic of gas distributor.

(X) Fire Safety Plan and Fire Drills-

- (1) Fire Safety Plans should be prepared.
- (2) Occupants shall be made thoroughly conversant with their action in the event of an emergency by displaying fire notices at exit points in broad letters.
- (3) Fire Notices/ orders shall be prepared to fulfill the requirements of fire fighting and evacuation in the event of fire and other emergencies.
- (4) Fire Drills shall be conducted once in three months for the first two years and subsequently once in six months.
- (5) Training of selected security/ teaching/ medical staff and Employees in First Aid, Fire Fighting and Evacuation.

(XI) General:-

- (1) Good Housekeeping shall be ensured.
- (2) Terrace Door shall always be operable from inside, without keys.
- (3) Automatic sprinkler system shall be provided in the basement if the basement area exceeds 200 M².
- (4) Fire Crackergodowns, etc., should not be allowed in residential/ mercantile areas.

- (5) The occupancy should be converted from, high hazard to low hazard especially in higher floors, wherever feasible.
- (6) Provision of fire proofing on the side having deficiency in open space and also on the neighbouring building where there is hazard of fire exposure.
- (7) Suitable portable monitors for fire fighting in the periphery or adjacent buildings have to be kept.
- (8) For Hotels, Malls, Multiplexes and Institutional (Hospital) occupancies where there is considerable life risk due to presence of large number of occupants/ public the following shall be provided :
 - (a) A qualified Fire Officer with experience of not less than 3 years should be appointed as a caretaker for the entire premises. He should be entrusted with the responsibility of maintaining the system suggested above.
 - (b) A fire command station should be established in the lobby of building on the entrance floor and such command station should be adequately illuminated.
 - (c) The main control of the public address system, and fire alarm system should be at fire command station.
 - (d) A Fire Safety Director/ Building Evacuation Supervisor should be nominated for the building. He should nominate a Fire Warden for each floor of the building, who will initiate action as deemed fit to ensure fire safety in public interest.
 - (e) Trained fire fighting crew is to be deputed round the clock with at least minimum 2 Nos. of 9 liters Mist equipment. The required training may be imparted by the Bihar Fire Service on their request.
 - (f) Water Tender Type 'B' or 600 liters Mist equipment mounted on Trolley is to be kept.

Schedule - "I"**Prescribed fee payable in case of deputation of members of Bihar Fire Service with necessary equipments out of state jurisdiction.**

(Under section-22(1) of Bihar Fire Service Act 2014, under rule-28(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021)

(1) **Standby duty fee on the deployment of fire services out of state jurisdiction**—The deployment of fire fighting unit with fire fighting equipments out of state jurisdiction, may be permitted by the Director or other officer authorised by him for this purpose, subject to the availability, in public interest, on receipt of the request of the concerned Director or equivalent officer or other officer authorized by him for this purpose or the District Authority or any other Authority, for the deployment of fire fighting unit with fire fighting equipments, out of Bihar state jurisdiction on payment of fee as mentioned in the following table:-

Sl. No.	Types of firefighting equipments	Deployment fee on each call (In Rs.)	Mileage fee (Rs. Per K.M)	Pumping operation (Rs. per hour)	Other fee (In Rs.)
1.	Water Tender/ Water Bauzer/ Foam Tender/ Dry Chemical Powder Tender	10,000.00	25.00	1,000.00	I. Consumed foam concentrate @ 50.00 per liter. II. @ 25,000.00 per kilo gram of consumed dry chemical powders subject to minimum of Rs. 25000 / - III. Rate of use of working equipment @ 200.00
2.	Swinging rope ladder/ Platform / Hazmet van / Rescue tender / Rescue responder	15,000.00	150.00	-	-
3.	Motor pump	2,000.00	25.00	500.00	
4.	Working Equipment Van	5,000.00	25.00	-	Rate of use of working equipment @ 200.00

(2) **Annual increase in deployment fee.**— Under sub-part (1), the deployment fee will be increased at the rate of 10% with effect from the first date of April every year.

(3) **Increase in deployment fee after return of fire fighting unit.**—After return of the in-charge officer with the fire fighting unit, from the place of deployment to the fire station, shall make available the increase in fee to the District Authority or other Authority who had requested for help, with details of action done there and mileage.

(4) **Deployment in additional state jurisdiction under control of fire station officer.**— Under sub part (1), the deployment in additional state jurisdiction will be in the charge of any such officer who is not below the rank of Fire Station Officer.

Schedule - "J"**Standby charges on deputation of members of Bihar Fire Service with necessary equipments and instruments during any public ceremony, on personal request.**

(Under Bihar Fire Service Act, 2014, under rule-32 of Bihar Fire Service Rules, 2021)

(1) **Standby duty charges on the deployment of fire services.**—The deployment of firefighting unit with fire fighting equipments, may be permitted by the Director or other officer authorised by him for this purpose, subject to the availability, in public interest, on receipt of request for deployment of firefighting unit with firefighting equipments during public ceremony, on payment of charges as mentioned in the following table:-

Sl. no.	Types of equipments	Charges per six hours or part thereof (in rupees)	Pumping action (Rs per hour)	Other charges in rupees
1.	Water Tender / Foam Tender/ Water Bauser	5000.00	1000.00	Consumed foam concentrate @ 50
2.	Swinging rope ladder/ Platform	10000.00	2500.00	

(2) **Advance payment of standby charges.**—Under sub-part (1), the advance payment will be done by the bank draft / treasury chalan, in favour of drawing and disbursing officer, headquarter, Bihar Fire Service, payable in Patna.

(3) **Lodging for the members of the fire service.**—If the deployment of the members of the fire service, in the form of standby duty, is more than 24 hours continuously, then the party requesting deployment, shall make necessary arrangements for free lodging of the members of the fire service.

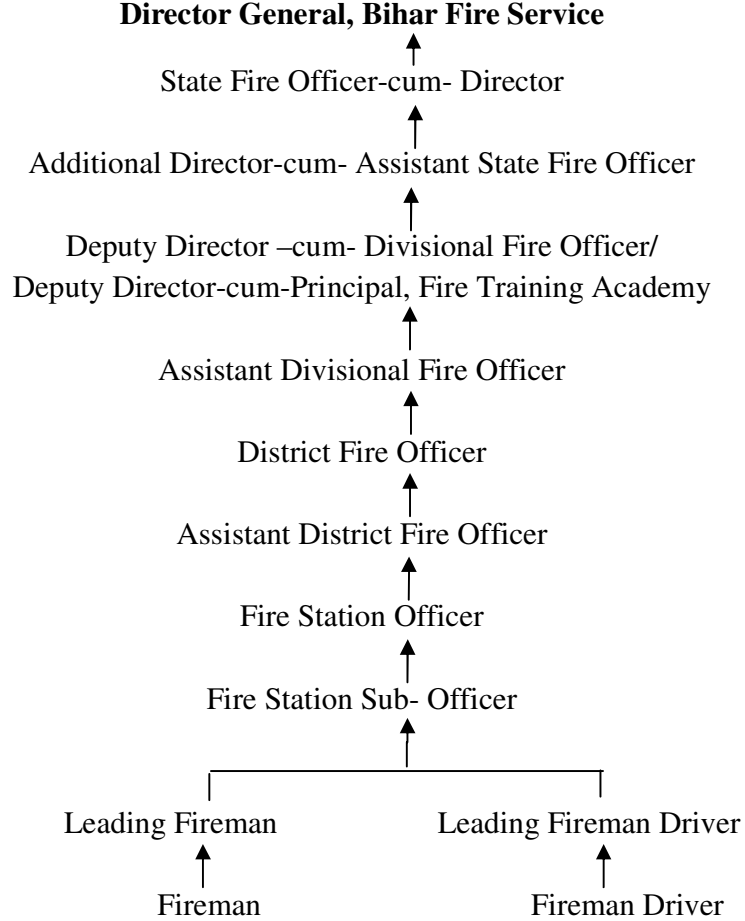
(4) **The standby duty under charge of Fire Sub-Officer.**—The standby duty will be under charge of a fire officer, who is not below the rank of Fire Sub-Officer,

(5) **Increase in standby charges.**— In case of increase in standby charges from the advance paid related to standby charges for the stipulated period, the Director or the nominated officer shall give notice, in prescribed form, for recovery of additional amount from the applicant.

Schedule - "K"

Organizational structure of Bihar Fire Service

(Under section- 3,4,5(a), 6 &9 of Bihar Fire Service Act 2014, under Rule-4 of Bihar Fire Service Rules, 2021)



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 198-571+10 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>